

भारत में शिक्षा (1958—59)

खंड-I—रिपोर्ट



सत्यमेव जयते

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

अनुवादक—

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

प्रकाशन सं० 679

Price : (Inland) Rs. 12·00 (Foreign) 28s. or 4 \$ 32 cents.

व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित
तथा व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1964।

आमुख

सन् 1949-50 से शिक्षा मंत्रालय 'एजुकेशन इन इंडिया' (भारत में शिक्षा) का प्रकाशन हर साल करता आ रहा है। इसमें शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों में वर्ष के दौरान हुई प्रगति के बयान दिये जाते हैं। अब तक यह पुस्तक केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होती रही है। सन् 1958-59 से इसे हिन्दी में भी छपवाने का निश्चय किया गया है। इस प्रकार यह पुस्तक भारत में शिक्षा की प्रगति के विषय में हिन्दी में छपी जाने वाली नयी पुस्तकमाला की पहली खड़ी है। इसे जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

इस पुस्तक में शिक्षा के विकास का जो विवरण दिया गया है वह मुख्यतः तथ्यात्मक है। पिछले पांच वर्षों में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसकी सामान्य विज्ञाओं का निदेश भी अन्तिम अध्याय में कर दिया गया है।

विभिन्न राज्यों के शिक्षा निदेशालयों और अन्य शिक्षा प्राधिकरणों ने इस पुस्तक के लिए सामग्री जुटाने में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ।

पी० एन० कृपाल,
शिक्षा सलाहकार,
भारत सरकार।

नई दिल्ली,
30 अक्टूबर, 1963

विषय सूची

	पृष्ठ
व्याख्याएं	IX
अध्याय	
पहला अध्याय : सामान्य सर्वेक्षण	1
दूसरा अध्याय : शिक्षा का संगठन और कर्मचारीगण	43
तीसरा अध्याय : प्राथमिक शिक्षा	54
चौथा अध्याय : बुनियादी शिक्षा	94
पांचवा अध्याय : माध्यमिक शिक्षा	123
छठा अध्याय : विश्वविद्यालय शिक्षा	190
सातवां अध्याय : अध्यापकों का प्रशिक्षण	248
आठवां अध्याय : वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा	274
नवां अध्याय : समाज शिक्षा	326
दसवां अध्याय : विविध विषय	
1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा	338
2. सौंदर्य-बोध शिक्षा	338
3. हीनांगों की शिक्षा	346
4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा	350
5. लड़कियों की शिक्षा	354
6. शारीरिक शिक्षा और खेलकूद	362
7. युवक कल्याण संबंधी कार्यकलाप	365
8. स्काउट और गाइड	366
9. राष्ट्रीय कैंडेट कोर और सहायक कैंडेट कोर	368
10. स्कूलों में दोपहर का खाना	371
11. स्कूलों के बच्चों की डाक्टरी परीक्षा	372
12. विस्थापित छात्रों की शिक्षा	374
13. विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्र	374
ग्यारहवां अध्याय : सांख्यिकीय सर्वेक्षण	379

रेखाचित्र

सामने की पृष्ठसंख्या

1. विभिन्न प्रकार की सभी संस्थाएं	16
2. मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या स्तरों के आधार पर	25
3. आयस्रोतों के अनुसार शिक्षा पर किया गया व्यय	30
4. प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार स्कूलों का विभाजन	61
5. प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का प्रतिशत	84

सारणियां

सामान्य सर्वेक्षण

	पृष्ठ
I—विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या	12
II—प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार मान्यताप्राप्त संस्थाओं की संख्या	16
III—विभिन्न राज्यों में संस्थाओं की संख्या	17
IV—विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में छात्रों की संख्या	20
V—विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं की मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या	24
VI—मान्यताप्राप्त संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या स्तरों के आधार पर	26
VII—विभिन्न राज्यों में छात्रों की संख्या	28
VIII—विभिन्न आयस्रोतों से शिक्षा पर किया गया खर्च	30
IX—खर्च की मदों के अनुसार शिक्षा पर किया गया खर्च	32
X—विभिन्न आयस्रोतों से शिक्षा पर किया गया अप्रत्यक्ष खर्च	34
XI—विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं की शिक्षा संस्थाओं पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	35
XII—सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गये खर्च का विभाजन	35
XIII—विभिन्न राज्यों में शिक्षा पर किया गया खर्च	38

शिक्षा का संगठन और कर्मचारीगण

XIV—शाखाओं के अनुसार राज्य शिक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की संख्या	44
XV—राज्य शिक्षा सेवा, श्रेणी I और II	46
XVI—निदेशन और निरीक्षण पर खर्च	50

प्राथमिक शिक्षा

XVII—प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-प्रणाली	60
XVIII—विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के नियंत्रण में आने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या	61
XIX—विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या	62
XX—प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या	68
XXI—प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या	70
XXII—छ: से ग्यारह साल की उम्र वाले बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं	72
XXIII—प्राथमिक स्कूलों में लड़कियां	74
XXIV—एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों और उनमें भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या	76

XXV—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के राज्यवार आंकड़े	78
XXVI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	82
XXVII—सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान	85
XXVIII—विभिन्न आयस्रोतों से प्राथमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	86
XXIX—विभिन्न राज्यों द्वारा प्राथमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	88

बुनियादी शिक्षा

XXX—बुनियादी स्कूलों की संख्या	100
XXXI—बुनियादी स्कूलों में छात्रों की संख्या	104
XXXII—बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	108
XXXIII—विभिन्न आयस्रोतों से प्राप्त बुनियादी स्कूलों पर प्रत्यक्ष खर्च	113
XXXIV—राज्यों द्वारा बुनियादी स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	114
XXXV—अध्यापकों के (बुनियादी) प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े	118
XXXVI—अध्यापकों के बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के आंकड़े	120

माध्यमिक शिक्षा

XXXVII—माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-प्रणाली	131
XXXVIII—प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या	134
XXXIX—विभिन्न राज्यों में मिडिल स्कूलों की संख्या	136
XL—विभिन्न राज्यों के मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या	140
XLI—मिडिल कक्षाओं में छात्रों की संख्या	142
XLII—ग्यारह से चौदह वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	144
XLIII—मिडिल स्कूलों में लड़कियों की संख्या	147
XLIV—मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	148
XLV—सरकारी मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनमान की न्यूनतम और अधिकतम दरें	152
XLVI—आयस्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	153
XLVII—राज्यों द्वारा मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	154
XLVIII—विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या	159
XLIX—विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या	160

L—हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या	166
LI—हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या	168
LII—चौदह से सोलह/सत्रह वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं	170
LIII—हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या	172
LIV—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	174
LV—सरकारी हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनमानों की न्यूनतम और अधिकतम दरें	179
LVI—आयस्रोतों के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	180
LVII—विभिन्न राज्यों में हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	182
LVIII—मैट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षाफल	188

विश्वविद्यालय शिक्षा

LIX—भारत के विश्वविद्यालय (क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय)	200
LX—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार कालेजों की संख्या	213
LXI—कालेजों की राज्यवार संख्या	214
LXII—विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों की संख्या	218
LXIII—विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य, वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या	220
LXIV—विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या का विभाजन	224
LXV—उच्च शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या	226
LXVI—विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों की संख्या	228
LXVII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में अध्यापकों के वेतनमान	231
LXVIII—सायंकालीन कालेजों के आंकड़े	236
LXIX—आयस्रोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों पर प्रत्यक्ष खर्च	237
LXX—विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	238
LXXI—विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं की राज्यवार संख्या	245

अध्यापकोंका प्रशिक्षण

	पृष्ठ
LXXII—अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या	254
LXXIII—अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या	256
LXXIV—अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों पर किया गया राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च	260
LXXV—अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों की संख्या	264
LXXVI—अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों में छात्रों की संख्या	268
LXXVII—आयस्रोतों के अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	267
LXXVIII—अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों पर किया गया राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च	270

वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा

LXXIX—विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों के आंकड़े	280
LXXX—विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों के आंकड़े	283
LXXXI—कृषि स्कूलों के आंकड़े	287
LXXXII—कला और दस्तकारी के स्कूलों के आंकड़े	288
LXXXIII—वाणिज्य स्कूलों के आंकड़े	290
LXXXIV—इंजीनियरी स्कूलों के आंकड़े	291
LXXXV—वन-विज्ञान स्कूलों के आंकड़े	292
LXXXVI—नौप्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े	293
LXXXVII—आयुर्विज्ञान स्कूलों के आंकड़े	294
LXXXVIII—शारीरिक शिक्षा के स्कूलों के आंकड़े	295
LXXXIX—तकनीकी और औद्योगिक स्कूलों के आंकड़े	297
XC—पशु चिकित्सा विज्ञान स्कूलों के आंकड़े	298
XCI—विभिन्न प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के आंकड़े	300
XCII—वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकड़े	304
XCIII—कृषि कालेजों के आंकड़े	308
XCIV—वाणिज्य कालेजों के आंकड़े	310
XCV—इंजीनियरी कालेजों के आंकड़े	312
XCVI—वनविज्ञान कालेजों के आंकड़े	315
XCVII—विधि कालेजों के आंकड़े	316
XCVIII—आयुर्विज्ञान कालेजों के आंकड़े	319
XCIX—शारीरिक शिक्षा के कालेजों के आंकड़े	321
C—प्रौद्योगिकी के कालेजों के आंकड़े	322
CI—पशुचिकित्सा विज्ञान कालेजों के आंकड़े	324

समाज शिक्षा

पृष्ठ

CII—समाज-शिक्षा के आंकड़े 334

विविध विषय

CIII—पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के आंकड़े 340

CIV—संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के स्कूलों के आंकड़े . 342

CV—संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के कालेजों के आंकड़े 344

CVI—हीनागों के स्कूलों के आंकड़े 348

CVII—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े
हुये वर्गों की शिक्षा के आंकड़े 352CVIII—मान्यताप्राप्त संस्थाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या
का विभाजन 358

CIX—'भारत स्काउट और गाइड' के आंकड़े 368

CX—'राष्ट्रीय कैडेट कोर' के आंकड़े 369

सांख्यिकीय सर्वेक्षण

CXI—प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र (1953-59) . 379

CXII—6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाये
(1953-59) 380

CXIII—प्राथमिक स्कूलों की संख्या (1953-59) 381

CXIV—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या
(1953-59) 382CXV—छः से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की
सुविधाएं 383CXVI—पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में छः वर्ष से कम या ग्यारह
वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चों की संख्या (1953-59) . 384CXVII—पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले और एक शिक्षा-वर्ष में अगली
कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्र (1953-59) 385CXVIII—विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले या परीक्षा में
असफल रहने वाले छात्रों की संख्या 386

CXIX—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक (1953-59) 387

CXX—आयस्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों पर व्यय
(1953-59) 388

CXXI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के वेतन (1953-59) 388

CXXII—मिडिल स्कूलों की संख्या (1953-59) 389

CXXIII—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या 390

CXXIV—छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों
की संख्या (1953-59) 391

	पृष्ठ
CXXV—मिडिल स्कूलों में अध्यापक (1953-59)	392
CXXVI—विभिन्न आयुक्तों के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय (1953-59)	393
CXXVII—मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर किया गया व्यय (1953-59)	394
CXXVIII—बुनियादी स्कूलों की संख्या (1953-59)	395
CXXIX—अवर और उच्च बुनियादी स्कूलों का अनुपात (1953-59)	396
CXXX—बुनियादी स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या (1953-59)	397
CXXXI—बुनियादी स्कूलों पर किया गया व्यय (1953-59)	398
CXXXII—बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1953-59)	399
CXXXIII—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या (1953-59)	400
CXXXIV—हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या (1953-59)	401
CXXXV—नवीं से दसवीं/ग्यारहवीं तक की कक्षाओं में भर्ती (1953-59)	402
CXXXVI—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक (1953-59)	402
CXXXVII—आयुक्तों के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किया गया व्यय (1953-59)	403
CXXXVIII—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के वेतन (1953-59)	404
CXXXIX—मैट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षाफल (1953-59)	404
CXL—उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं की संख्या (1953-59)	405
CXLI—विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र-संख्या (1953-59)	406
CXLII—सामान्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्र-संख्या (1953-59)	407
CXLIII—कालेज स्तर पर वृत्तिक विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या (1953-59)	408
CXLIV—उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर व्यय (1953-59)	409
CXLV—आयुक्तों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों पर किया गया व्यय (1953-59)	410
CXLVI—परीक्षाफल (1953-59)	410
CXLVII—व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की संख्या (1953-59)	411
CXLVIII—व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों में छात्र-संख्या (1953-59)	412

व्याख्याएं

1. **शैक्षिक वर्ष:**—एकरूपता की दृष्टि से इन सारणियों में शैक्षिक वर्ष की अवधि वित्त वर्ष के अनुरूप रखी गयी है; अर्थात् 1 अप्रैल 1958 से 31 मार्च 1959 तक।

2. **मान्यताप्राप्त संस्थाएं:**—वे संस्थाएं हैं जिसमें सरकार या विधिद्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित अथवा मान्यता-प्राप्त-पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं, और जिनके संबंध में उक्त प्राधिकरणों में से एक या अधिक प्राधिकरण संतुष्ट है कि इन संस्थाओं की कार्यकुशलता उपयुक्त है। इन संस्थाओं का निरीक्षण किया जा सकता है और इनके छात्र सामान्यतः सरकार या किसी विश्वविद्यालय या मंडल (बोर्ड) की सार्वजनिक परीक्षाओं या परीक्षणों में बैठ सकते हैं।

3. **अमान्य संस्थाएं:**—वे हैं जो मान्यता-प्राप्त संस्थाओं की उपयुक्त परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती।

4. **छात्रों की भर्ती:**—इसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में वर्ष-विशेष में 31 मार्च तक दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या का निदेश किया गया है।

5. **व्यय या खर्च:**—इसमें सरकार, जिला मंडल या नगरपालिकाओं की निधियों से किये गए खर्च का हिसाब लगाते समय उस रकम को घटा दिया गया है जो फ्रीस और अन्य आयस्रोतों से प्राप्त हुई है और उक्त निधियों में जमा की गयी है।

6. **स्थानीय मंडलों में** जिला मंडल, नगरपालिकाएं, छावनी मंडल और साथ ही नगर क्षेत्र समितियाँ और जनपद सभाएं भी शामिल हैं।

7. **परीक्षा फल:**—इसका संबंध उन छात्रों से है जिन्होंने चालू वर्ष में शिक्षा प्राप्त की है। इसमें प्राइवेट छात्रों का परीक्षाफल भी सम्मिलित है।

8. **अप्रत्यक्ष व्यय** में वह रकम दिखाई गयी है जो निदेशन, निरीक्षण, इमारत, फर्निचर, छात्रवृत्ति, छात्रावास तथा अन्य विविध मदों पर खर्च की गयी है। अप्रत्यक्ष व्यय कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक प्रकार की संस्था पर खर्च की गयी रकम अलग-अलग नहीं दिखायी जा सकती।

9. सभी आंकड़ों का संबंध केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं से है।

10. **लड़कियों की संस्थाएं** वे ही मानी गयी हैं जो केवल या मुख्यतः लड़कियों के ही लिये थीं। शेष संस्थाओं को लड़कों की संस्थाएं माना गया है।

पहला अध्याय

सामान्य सर्वेक्षण

आलोच्य वर्ष दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का तीसरा वर्ष था। इस अवधि में आयोजना के अन्तर्गत आरम्भ की गयी विभिन्न विकास योजनाओं में निरन्तर प्रगति होती रही।

केन्द्रीय स्तर पर विकास-कार्य

आयोजना आयोग के शिक्षा विशेषज्ञों के दल की इस सिफारिश को संघ मंत्रिमंडल ने आम तौर पर स्वीकार कर लिया कि 1965-66 तक 6 से लेकर 11 साल तक के सभी बालक-बालिकाओं को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देनी शुरू कर दी जाये। इस सिफारिश का अनुमोदन शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी किया गया था। शिक्षा-मंत्रालय राज्य सरकारों से परामर्श करके इस योजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहा था।

नयी दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर 1958, को अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें उपर्युक्त लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए परिषद् ने अनेक सिफारिशों कीं। इनमें से एक सिफारिश के अनुसार आलोच्य वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के संबन्ध में बनाए गए एक आदर्श विधान को अन्तिम रूप दिया जा रहा था। तीसरी आयोजना में इस कार्यक्रम को आरम्भ करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने आई, वह थी अभीष्ट संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्राप्ति की समस्या। अतः केन्द्र ने एक योजना चलाई जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को नये प्रशिक्षण स्कूल खोलने या वर्तमान संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों के लिए स्थान बढ़ाने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गयी ताकि वे प्रशिक्षण-सुविधाएं बढ़ा सकें।

इस वर्ष की दूसरी महत्वपूर्ण बात थी भारत के शिक्षा सर्वेक्षण का पूरा हो जाना। यह सर्वेक्षण गत वर्ष राज्य सरकारों की सहायता से शुरू किया गया था। इस प्रायोजना में स्कूल आदि की सुविधाओं का सर्वेक्षण किया गया और ऐसे स्थान निश्चित किए गए जहां कम-से-कम नये स्कूल खोलने से अधिक से अधिक छात्र लाभ उठा सकें। सर्वेक्षण की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि नये स्कूल खोलने के विषय में वे सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही करें। आशा थी कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में सार्वजनिक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को अमल में लाने में यह रिपोर्ट बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं को (विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में) विकसित करने और शिक्षितों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा एक योजना आरम्भ की गई जिसके अनुसार दूसरी आयोजना के अन्तिम तीन वर्षों में देहाती क्षेत्रों में 60,000 प्राथमिक अध्यापक और 1,200 निरीक्षक अधिकारी नियुक्त किये जाने थे तथा अध्यापिकाओं के लिए 6,000 क्वार्टर बनाये जाने थे। आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों के लिए 15,000 अध्यापकों 300 निरीक्षक अधिकारियों और 1,500 क्वार्टरों की व्यवस्था की गई।

विज्ञान की शिक्षा के बढ़ते हुए महत्त्व को देखते हुए प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए एक प्रायोगिक प्रायोजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों के लगभग 100 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों वाले चुने हुए इलाकों में काम करने के लिए राज्यों को वैज्ञानिक परामर्शदाताओं की सेवाएं देना स्वीकार किया गया।

इसी वर्ष राष्ट्रीय महत्त्व का जो दूसरा कार्यक्रम आरम्भ किया गया, वह था प्रारम्भिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषताएं ला कर उन्हें बुनियादी स्कूलों का रूप देना। इस कार्यक्रम का एक विशेष पहलू यह था कि इसके लिए न तो अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की ही आवश्यकता थी और न अधिक धन की ही।

प्राथमिक और मिडिल स्तर की बुनियादी शिक्षा के विकसित होने पर उत्तर-बुनियादी शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता सामने आयी। इसलिए भारत-सरकार ने 1958-59 से एक योजना शुरू की, जिसमें राज्य सरकारों और स्वैच्छिक मगठनों को वर्तमान उत्तर-बुनियादी स्कूलों के सुधार, उच्च बुनियादी स्कूलों के स्तर को ऊंचा करके उन्हें उत्तर-बुनियादी स्कूलों के स्तर तक लाने, और नये उत्तर-बुनियादी स्कूल खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा में अनुसंधान कार्य की भी उपेक्षा नहीं की गई। राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, जो 1956 में स्थापित किया गया था, इन संबंध में अपना काम करता रहा। इसके कार्यकलापों में अनुसंधान प्रायोजनाएँ, प्रशिक्षणक्रम, बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य की रचना एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सन् 1958-59 में लड़कियों की शिक्षा और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण में सम्बन्धित विस्तार योजना में बहुत प्रगति हुई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को जिन जिन कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता दी गयी थी उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—प्रशिक्षार्थी अध्यापिकाओं को वृत्तिकाएँ देना, लड़कियों को उपस्थिति-छात्रवृत्तियाँ देना और अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर बनवाना (जिनके लिए उनसे कोई किराया नहीं लिया जायगा)। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति ने 9 जनवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह समिति लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए मई 1958 में बनाई गई थी। आलोच्य वर्ष में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था।

सन् 1958-59 में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा (दसमें बुनियादी शिक्षा भी शामिल है) और लड़कियों की शिक्षा (प्रारम्भिक स्तर) के क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने 755.75 लाख रुपये सहायता के रूप में दिये।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 3.63 करोड़ रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में काम करनेवाली स्वैच्छिक संस्थाओं को कुल मिलाकर 10,09,675 रुपये दिये गये ताकि वे अपने कार्यों के स्तर को सुधार सकें और/या उनका विस्तार कर सकें। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए 27 संस्थाओं को 1,69,244 रु० देना मंजूर किया गया।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए संगोष्ठियों (सेमिनार) वर्कशॉपों आदि का आयोजन करती रही। इसके अलावा परिषद् द्वारा स्थापित किये गये विस्तार सेवा विभाग भी इस प्रयोजन के लिए बहुत उपयोगी काम करते रहे। परिषद् ने आलोच्य वर्ष में जो कार्य किये उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान क्लबों की स्थापना। पिछले वर्ष खोले गये 130 क्लबों के अतिरिक्त सन् 1958-59 में 200 विज्ञान क्लब और खोले गये। आलोच्य वर्षके उत्तरार्ध में परिषद् के कार्यालय का केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध निदेशालय के रूप में पुनर्गठन किया गया।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्त्वपूर्ण घटना केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद की स्थापना थी। इस संस्थान की स्थापना देश में अंग्रेजी की पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए की गयी थी।

आलोच्य वर्ष में श्री के० जी० सैयदैन की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति भी बनायी गई। यह समिति शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, अर्थात् केन्द्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक संदर्शन ब्यूरो, केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र के कार्यकलापों का समन्वय करने के उद्देश्य से बनायी गयी थी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य काम यह हुआ कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद की पहली डिग्री के लिए तीन साल का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया। सन् 1958-59 में दिल्ली और यादवपुर विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 18 विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम को आरंभ किया। दिल्ली और यादवपुर विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम 1943-44 में ही शुरू हो चुका था। इस पर जो खर्च होगा उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देगा तथा आधा भाग राज्य सरकारें और गैर-सरकारी प्रबन्ध-संस्थानों देगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 1 नवम्बर, 1953 को स्थापित किया गया था अनुदान, देकर देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की उन्नति और समन्वय के लिए पहले की तरह पूरीक्षमता के साथ काम करता रहा। इस काम के लिए आलोच्य वर्ष में आयोग को 4.30 करोड़ रु० दिये गये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव पर केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिया जाय।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति की रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति ने 1958 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश आगे चलकर निरस्त (रिपील) कर दिया गया और 20 सितम्बर 1958 से इसने संसद के अधिनियम का रूप धारण कर लिया। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रशासन में कुछ सुधार किये गये।

पंजाब और मध्यप्रदेश के दस ग्राम संस्थानों के अलावा, जो 1956-57 से काम कर रहे थे, दोनों राज्यों में एक एक और उच्च ग्राम संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। ग्राम संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले तीन वर्ष के डिप्लोमे को भारत सरकार ने आलोच्य वर्ष में मान्यता प्रदान की। जहां तक विश्वविद्यालयों की मान्यता मिलने का प्रश्न है, यह अन्तर विश्व-विद्यालय मंडल के विचाराधीन था।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में तकनीकी शिक्षा की जो योजनाएं शामिल की गई थी उनके काम में आलोच्य वर्ष में प्रगति होती रही। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी शिक्षा का प्रसार करती रही। इस उद्देश्य के लिए यह तय किया गया था कि दूसरी आयोजना की अवधि में 19 चुने हुए इंजीनियरी कालेजों और 50 पालीटेकनिक संस्थाओं में डिग्री स्तर पर 256 और डिप्लोमा स्तर पर 4,885 अतिरिक्त स्थान बढ़ाये जायें। आलोच्य वर्ष में इस योजना में काफी प्रगति हुई है। जोरहाट (आसाम) के प्रस्तावित प्रादेशिक कालेज को छोड़कर बाकी 7 प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज और 37 पाली-टेकनिक संस्थाएं आलोच्य वर्ष के अन्त तक स्थापित हो चुकी थीं।

तकनीकी शिक्षा योजनाओं के लिए दी जानेवाली केन्द्रीय सहायता का स्वरूप अप्रैल 1958 से बदल गया है। केन्द्रीय सरकार ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में उत्तर-स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बनाने के लिए और खनन इंजीनियरी के विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पूरा खर्च देना स्वीकार किया, परन्तु जहां तक पूर्व-स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है उसका अंशदान घटकर कुल खर्च का 50 प्रतिशत रह गया। केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन को बढ़ाने पर होने वाला कुल अतिरिक्त खर्च भी देना स्वीकार किया। तकनीकी शिक्षा की योजनाओं के लिए दिये जाने वाले अनुदान की कुल रकम लगभग 263.0 लाख रुपये थी।

चौदह वर्ष और अधिक उम्र के बच्चों के लिए गैर-तकनीकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कारखाना प्रशिक्षण के एक समेकित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में 60 अवर तकनीकी स्कूल खोलने की योजना शामिल की गई थी।

माध्यमिक शिक्षा के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए, आधारभूत विज्ञानों में उच्च स्तर की वैज्ञानिक जानकारी की आवश्यकता को देखते हुए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पहले डिग्री-पाठ्यक्रम को पांच वर्ष के समेकित पाठ्यक्रम में बदल दिया गया और उसमें कम से कम छ. मास के व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी। जहां तक इंजीनियरी कालेजों में दाखिले का प्रश्न है, सरकार ने अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिश के अनुसार निर्णय किया कि प्रौद्योगिकी की सभी उच्च संस्थाओं के लिए एक सामान्य प्रवेश-परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस निर्णय के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई भी की गयी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई का पहला शिक्षा-सत्र जुलाई 1958 में आरम्भ हुआ। प्रायोगिकी के उच्च संस्थानों में यह दूसरा संस्थान है। आलोच्य वर्ष में सिविल, यांत्रिक, बिजली और रसायन इंजीनियरी तथा धातुविज्ञान के पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में 100 छात्र भर्ती हुये। इलेक्ट्रो-वैकुएम् प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिक गैलेक्ट्रॉनिकी में दो उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू किये गये।

समाज शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति यह हुई कि राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र में जिला समाज शिक्षा आयोजकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। पहली टोली का प्रशिक्षण अप्रैल 1958 में पूरा हुआ और दूसरी टोली भर्ती की गयी। नव-साक्षरों के लिए साहित्य-निर्माण करने और प्रौढ़ों के लिए स्कूल खोलने तथा उन्हें चलाने से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोजनाएं और अन्य योजनाएं आलोच्य वर्ष में भी चालू रही।

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान ने कार्य करना आरंभ किया। शिक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय समाज-कल्याण मंडलकी और से सूचना और प्रसार मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने शैक्षिक विषयों पर फिल्मों और फिल्मपट्टियां बनाई।

आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य साधनों के उपयोग के विषय पर यूनेस्को की एक प्रादेशिक संगोष्ठी नई दिल्ली के राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान में 8 से 27 सितंबर 1958 तक हुई। इस संगोष्ठी में दक्षिण पूर्व एशिया के 13 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आधारभूत शिक्षा तथा सामुदायिक विकास में दृश्यसाधनों के उपयोग के विषय में विचार-विमर्श किया।

पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए, जो पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आलोच्य वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया। इस संस्थान को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिली।

शारीरिक शिक्षा और युवक कल्याण के क्षेत्र में 1,762 श्रम और समाज सेवा शिविरों का आयोजन करने के लिए दिसम्बर 1958 तक 32.78 लाख रु० की मंजूरी दी गई। इन शिविरों में 1,38,987 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 17 विश्वविद्यालयों, 13 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए 79 मनोरंजन सह-दर्शक कक्ष हैं, 14 स्टेडियम, 9 तैरने के तालाब, 7 खुले रंगमंच, 7 मंडप तथा 2 केरी के दौड़-पथ (सिन्डर ट्रैक) बनाने के लिए 14.79 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी।

लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज की स्थापना का यह दूसरा वर्ष था। यह कालेज 17 अगस्त, 1957 से काम कर रहा है। आलोच्य वर्ष में कालेज में 45 छात्र थे यह कालेज देश में अपने ढंग का पहला कालेज है और इसमें शारीरिक शिक्षा के डिग्री कोर्स की व्यवस्था है। पांचवां अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह अक्टूबर-नवम्बर 1958 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

देश में खेल के स्तर को सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय खेलकूद परिषद् बनाई गई। शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय अनुशासन योजना में आलोच्य वर्ष में और भी प्रगति हुई। इस योजना के क्षेत्र में देशभर के 210 स्कूल और संस्थाएं थीं, और 1,10,000 बच्चे प्रशिक्षण पा रहे थे।

हीनागों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने देहरादून में अंधे बच्चों के लिए एक आदर्श स्कूल खोलने की योजना बनाई। प्राथमिक कक्षाएं और बालविहार (किडर गार्टेन) आलोच्य वर्ष में स्थापित किये जा चुके हैं। हीनागों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार का एक योजना आरम्भ करने का विचार था। आलोच्य वर्ष में बम्बई में एक प्रायोगिक रोजगार कार्यालय स्थापित हो चुका था।

आलोच्य वर्ष में योग्य व्यक्तियों को देश तथा विदेशों में अध्ययन का अवसर देने के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्तियां और अधिछात्रवृत्तियां जारी रही। विदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय योजनाएं ये थीं—केन्द्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना, पूरे खर्च की 20 विदेशी छात्रवृत्तियों की योजना, विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति योजना आदि। इसके अतिरिक्त विदेशी सरकारों और संगठनों ने अपने देशों में अध्ययन के लिए भारतीयों को छात्रवृत्तियों और अधिछात्रवृत्तियों देना जारी रखा। इस सम्बन्ध में कोलम्बो आयोजना और चतुसूत्री कार्यक्रम की अधिछात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति योजनाएं तथा यूनेस्को की अधिछात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

देश में भारतीय छात्रों के लिए 1958-59 में भारत सरकार की जो छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही थीं, उनमें पब्लिक स्कूलों की योग्यता छात्रवृत्ति योजना, उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, मानव-विद्याओं में अनुसंधान छात्रवृत्ति योजनाएं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत में भारतीयों तथा विदेशी राष्ट्रियों को अध्ययन का अवसर देने के लिए भी कई छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही थीं।

आलोच्य वर्ष में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी ने अपने विशेष सांस्कृतिक कार्यों को जारी रखा। इसी वर्ष सालारजंग संग्रहालय को भी राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप दिया गया।

आलोच्य वर्ष में भारत और दूसरे देशों के बीच मैत्री और सद्भावना बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक सांस्कृतिक करार किया गया था। इस करार का तथा ईरान, पोलैण्ड और रूमानिया के साथ पहले किये गये करारों का सत्यांकन किया गया। दिल्ली और कलकत्ते में किराये के मकानों में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाये गये। इसके अतिरिक्त भारत ने अपने शिष्टमंडल कई देशों में भेजे और अन्य देशों के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत में आये।

हिन्दी के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष चालू की गयी योजनाओं में पर्याप्त प्रगति हुई। 31 दिसम्बर 1958 तक विभिन्न विषयों में हिन्दी में लगभग 1,40,000 पारिभाषिक शब्द बनाये गये जा चुके थे। इनमें से 33,600 पारिभाषिक शब्दों का भारत सरकार अनुमोदन कर चुकी थी और 7,298 शब्द अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किये गये थे। वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली मंडल द्वारा निर्मित वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का एक कोश तैय्यार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग में एक शब्दकोश एकक बनाया गया।

संस्कृत आयोग की सिफारिश के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को संस्कृत के पुनरुत्थान के लिये अनुदान देने की योजना आरम्भ की गई। संस्कृति की उन्नति के विषय में सरकार को सलाह देने के लिये केन्द्रीय संस्कृत मंडल की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन था। शिक्षा मंत्रालय और

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग देश में यूनेस्को के कार्यक्रम में उसके साथ सहयोग करते रहे। आलोच्य अवधि में दो महत्वपूर्ण यूनेस्को प्रादेशिक संगोष्ठियां हुईं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आयोग और भारत सरकार ने मेजबान के रूप में काम किया इनमें से एक संगोष्ठी का सम्बन्ध दक्षिण-पूर्व एशिया में शिक्षा के मुद्धार से था, और दूसरी संगोष्ठी का विषय था आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग। जोधपुर में केन्द्रीय रक्ष भूमि अनुसंधान संस्थान की स्थापना यूनेस्को और उस देश के बीच निकट सहयोग का एक और उदाहरण था।

राज्यों में विकास-कार्य

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं, उनके बारे में संक्षेप में नीचे बताया गया है:—

आन्ध्र प्रदेश

उच्च प्रारम्भिक या उच्च बुनियादी या निम्न माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या और पाठ्य-विवरण को 7 वर्ष के समेकित पाठ्यक्रम में बदल दिया गया। इसके बाद 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम और होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर सभी सम्बद्ध कालेजों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ कर दिया गया।

एस० एस० एल० सी० परीक्षा में छात्रों के कम संख्या में उत्तीर्ण होने का कारण मालूम करने के लिए एक समिति बनायी गयी। इस समिति के तीन सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही थी।

आसाम

आलोच्य वर्ष में जन शिक्षा निदेशक को शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वे अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ सचिव के रूप में भी काम करेंगे।

सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान के बराबर कर दिया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए जोरहाट के सरकारी बी० टी० कालेज में माध्यमिक स्कूलों के ऐसे अध्यापकों के लिए, जो ग्रेजुएट नहीं हैं, एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

आलोच्य वर्ष में आसाम वस्त्रोद्योग संस्थान (आसाम टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट) की स्थापना हुई। राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी घटना थी।

बिहार

जिन अध्यापकों का वेतन 100 रु० प्रतिमास से कम था, उनके लिए 5 रु० अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया गया। अवर प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई।

हरिजन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तथा गैर-सरकारी हाई स्कूलों में पढ़ने वाले आदिवासी लड़कों से कम दरों पर शिक्षा-शुल्क लेने के लिए 50,000 रु० का अनुदान मंजूर किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कालेजों में विज्ञान की इंटरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान के अध्ययन के विकास के लिए 72,000 रु० का अनुदान मंजूर किया गया।

बम्बई

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में समेकन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समिति श्री जे० पी० नायक की अध्यक्षता में और दूसरी समिति श्री एल० आर० देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों विचाराधीन थीं।

मराठवाड़ा के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए पालनिटकर समिति बनाई गई थी। इस समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई और आलोच्य वर्ष में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

नये राज्य के सभी क्षेत्रों में प्राथमिक अध्यापकों के वेतनमान सुधारने के लिए 11 लाख रु० की रकम दी गई। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बड़े नगरों को छोड़कर बम्बई राज्य के सभी जिलों में पहली अप्रैल, 1958 से नीचे लिखे वेतनमान लागू किये गये:—

अर्हताप्राप्त परन्तु अप्रशिक्षित—40 रु०
प्रशिक्षित अध्यापक

(क) प्रशिक्षित (वरीय) $56-1\frac{1}{2}-65\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}-70$ व० ग्रे०-3-100 रु०
(संवर्ग के 20 प्रतिशत के लिए व० ग्रे०)

(ख) प्रशिक्षित (अवर) रु० $50-1\frac{1}{2}-65-2\frac{1}{2}-70-5$ व० ग्रे० $2\frac{1}{2}-90$ रु०
(संवर्ग के 15 प्रतिशत के लिए व० ग्रे०)

नवम्बर 1958 में भोर (पूना) में बम्बई सरकार तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में मुख्याध्यापकों तथा निरीक्षक अधिकारियों की एक प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में स्कूलों में अनुशासन-हीनता, मुख्याध्यापकों के कर्त्तव्य और उत्तर-दायित्व, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि की चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में 39 मुख्याध्यापकों और जिलों के 9 निरीक्षक अधिकारियों ने भाग लिया।

जम्मू और कश्मीर

श्रीनगर के कालेजों और स्कूलों के 48 विद्यार्थियों ने भारत की शिक्षा-यात्रा की। इस दल ने कुछ ऐतिहासिक स्थानों को भी जाकर देखा। साथही राज्य में एक और महत्वपूर्ण कार्य— शिक्षा संहिता का संकलन—भी किया गया।

केरल

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रपति ने केरल शिक्षा-विधेयक को अनुमति दी। इस अधिनियम में अध्यापकों के लिए नौकरी की सुरक्षा और भविष्य-निर्वाह निधि, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

आलोच्य वर्ष में स्कूल शिक्षा का भी नये सिरे से संगठन किया गया। पहले के 8 वर्ष के प्राथमिक पाठ्यक्रम के स्थान पर 7 वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम लागू किया गया। इसके बाद 3 साल का माध्यमिक पाठ्यक्रम होगा और तब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक और वर्ष तक शिक्षा दी जायगी। इसके अतिरिक्त स्कूलों में दाखिल होने की न्यूनतम आयु $5\frac{1}{2}$ वर्ष कर दी गई।

प्रशिक्षण स्कूल समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने निदेश दिया कि 1958-59 से अध्यापक प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष कर दी जाय और प्रशिक्षण बुनियादी ढंग का दिया जाय।

मध्य प्रदेश

पूरे राज्य में प्राथमिक स्कूलों में पहली से पांचवी तक की कक्षाएं रखी गईं। इसके परिणाम-स्वरूप मिडिल स्कूल में पांचवी से सातवी तक की कक्षाओं के स्थान पर छठी से आठवी तक की कक्षाएं और हाई स्कूलों में आठवी से दसवी तक की कक्षाओं के स्थान पर नवीं और दसवी कक्षाएं रखी गईं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त वर्ष की शिक्षा रखी गयी।

पहली अप्रैल 1958 से सभी प्राथमिक स्कूलों में एक जैसे बतनमान लागू किये गये, जिनका व्योरा इस प्रकार है:

अर्हताएं	बतनमान
मिडिल पास	(अप्रशिक्षित) 40-1-50-2-70 रु०
मिडिल पास	(प्रशिक्षित) 45-2½-60 द० रो०-4-100
मैट्रिक पास	(अप्रशिक्षित) यथापरि
मैट्रिक पास	(प्रशिक्षित) 50-2½-60-द० रो०-4-100 5-125

इसके अतिरिक्त उक्त तारीख से प्राथमिक स्कूलों के गुणवत्तापूर्णों के लिए 100 या अधिक छात्रों के भर्ती होने पर 10 रु० का और 51 छात्रों या 100 से कम छात्रों के भर्ती होने पर 5 रु० का मासिक भत्ता मंजूर किया गया।

पहली अप्रैल, 1958 से मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंडल ने काम करना शुरू कर दिया। मंडल ने अपनी सम्बद्ध सस्थाओं में शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने के लिए अनेक कदम उठाये।

मद्रास

जनवरी 1959 में तमिल विकास और अनुसंधान परिषद् की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गयी थी (1) राजभाषा अधिनियम क्रियान्वित समिति द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना; (2) एक निश्चित समय-अनुसूची के अनुसार विभिन्न मंदिरों के उत्कीर्ण लेखों के प्रकाशन की व्यवस्था करना; (3) तमिल में बाल पुरतकों की रचना और प्रकाशन की व्यवस्था करना; (4) लोक-साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देना और (5) ऐसे अन्य उपाय करना जो तमिल भाषा का विकास करने और उसे शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में व्यवहार का माध्यम बनाने में सहायक हों।

पहली दिसम्बर 1958 से प्रारंभिक स्कूलों के सभी अध्यापकों के लिए 5 रु० का अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया गया।

प्रेसीडेन्सी कालेज, मद्रास में तीन साल का डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया गया। स्नातकोत्तर स्तर पर आनर्स पाठ्यक्रम के स्थान पर एम० ए०, एम० एससी० और एम० काम डिग्रियों के पाठ्यक्रम लागू किये गये।

मैसूर

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के समेकित पाठ्यक्रम के स्वरूप के विषय में सिफारिश करने के लिए जो शिक्षा समेकन सलाहकार समिति बनायी गई थी उसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के भावी स्वरूप के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय किये। इसके अतिरिक्त उसने सहायक अनुदान के विषय में एक नयी नियमावली को भी अन्तिम रूप दिया, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नये पाठ्य-विवरण लागू करने के विषय में भी अस्थायी रूप से निश्चय किये तथा पहली, दूसरी और आठवीं श्रेणी के पाठ्यविवरण को अन्तिम रूप दिया।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तत्त्वावधान में बहूद्देशी हाई स्कूलों के मुख्याध्यपको की एक सगोष्ठी दिसम्बर 1958 में बगलौर में हुई। मगलौर और मैसूर में क्रमशः अंग्रेजी और गणित की भी एक एक सगोष्ठी हुई।

उड़ीसा

सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापको के वेतनमानों के अंतर को दूर करने के लिए गैर-सरकारी अध्यापको के वेतन में वृद्धि की गई। केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के खर्च 50 प्रतिशत अंगदान के रूप में दिया किन्तु राज्य सरकार अपना अंश देने में असमर्थ रही। इसके कारण पहली अप्रैल 1958 से अध्यापको के वेतन में केवल 50 प्रतिशत वृद्धि की जा सकी।

प्राथमिक स्तर से शिशु कक्षाओं को अलग कर देने के कारण प्राथमिक कक्षाओं की अवधि घटकर 5 वर्ष रह गई।

आलोच्य वर्ष में बुनियादी शिक्षा-मंडल का पुनर्गठन किया गया। मंडल ने राज्य में बुनियादी शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना जारी रखा।

पंजाब

आलोच्य वर्ष में शिक्षा के अवर-सचिव और उप-सचिव के पद क्रमशः जन शिक्षा निदेशक और संयुक्त जन शिक्षा निदेशक से ले लिये गये और उनके स्थान पर पंजाब सिविल सेवा संवर्ग के अधिकारियों को शिक्षा विभाग में उपसचिव और अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। पंजाब शिक्षा सेवा की प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की महिला अधिकारियों के वेतनमान पुरुष अधिकारियों के वेतनमान के बराबर कर दिये गये। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया था, उसके अनुसार चार कक्षाओं वाले कुछ स्कूलों में पांचवी कक्षा भी जोड़ दी गयी।

आलोच्य वर्ष में अवर बुनियादी प्रशिक्षण क्रम की अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया।

राजपुर और फरीदाबाद के उत्तर-बुनियादी स्कूलों के लिए एक से पाठ्यविवरण तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति ने दोनों केन्द्रों के लिए एकसा पाठ्यविवरण तैयार किया और यह निर्णय किया कि 1958 से इन संस्थाओं की नवी कक्षा में निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों के साथ उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यविवरण लागू किया जाय : (1) मानवविद्याएं (2) कृषि, और (3) तकनीकी विषय।

राजस्थान

राजस्थान विश्वविद्यालय ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने का निश्चय पहले ही कर लिया था। विश्वविद्यालय ने जुलाई 1959 से लागू होने वाली परीक्षा योजनाओं और विस्तृत पाठ्यविवरणों के सम्बन्ध में पाठ्यपषद/पाठ्यक्रम समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को भी स्वीकृति दी।

उत्तरप्रदेश

आलोच्य वर्ष में इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम, 1958 पास हुआ और उसे लागू किया गया। साथ ही प्रांतीय शिक्षा संहिता विधेयक भी, जो 1957-58 में विधान सभा में पेश किया गया था, इसी वर्ष पास हुआ। राज्य सरकार ने लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधी संशोधित अधिनियमों को लागू करने के लिए संविधियां प्रख्यापित कीं।

बुनियादी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई और इस प्रकार पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक में शिक्षा शुल्क समाप्त हो जाने से स्थानीय संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं को जो हानि हुई, राज्य सरकार ने उसकी पूति के लिए 26,35,405 रुपये की रकम अदा कर दी।

88 उच्च बुनियादी स्कूलों में सामान्य विज्ञान और 10 राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सामान्य इंजीनियरी की शिक्षा शुरू की गई। चार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को बहुदेशी स्कूलों में बदला गया और उच्च बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

आलोच्य वर्ष में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय ने कार्य आरम्भ कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया गया। भूकम्प इंजीनियरी में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ने एक स्कूल खोला, जिसका सारा खर्च वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने दिया।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह

इस राज्य क्षेत्र के सभी भागों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

लड़कियों की शिक्षा की उन्नति के लिए लड़कियों का एक उच्च बुनियादी स्कूल खोला गया और लड़कियों के एक दूसरे स्कूल का स्तर बढ़ाकर उसे उच्चतर माध्यमिक स्तर का बना दिया गया। पोर्ट ब्लेयर के सरकारी हाईस्कूल को बहुदेशी उच्चतर माध्यमिक स्कूल का रूप दे दिया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अवर बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल खोला गया और आलोच्य वर्ष में इसमें पहली टोली को प्रशिक्षण दिया गया।

दिल्ली

दिल्ली में नगर निगम की स्थापना हो जाने से मिडिल स्तर की शिक्षा का दायित्व नगर निगम को सौंप दिया गया। दिल्ली शिक्षा संहिता तैयार करने के काम में प्रगति होती रही।

बेला रोड के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को दरियागंज के बुनियादी अध्यापिका प्रशिक्षण संस्थान से मिला दिया गया और प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा कर दो वर्ष कर दी गयी।

आलोच्य वर्ष में नये स्कूल खोलने और वर्तमान स्कूलों में नये खंड जोड़ने के लिये गैर-सरकारी और सरकारी संस्थाओं को 88 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, ताकि राज्य क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की अवस्था की जा सके।

हिमाचल प्रदेश

अध्यापकों को दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग में एक दृश्य-श्रव्य शिक्षा एकक खोला गया।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह

सन् 1958-59 में दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की योजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया गया था। एक योजना के अन्तर्गत चार प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्तर का कर दिया गया।

इस राज्यक्षेत्र के सभी निवासियों को अनुसूचित कबीलों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया और सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी।

मनिपुर

12 अप्रैल 1958 को पहली बार शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई। वह शिक्षा विभाग के पदेन सचिव के रूप में भी काम करते रहे।

आलोच्य वर्ष से छठी कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। स्कूलों के 90 प्रतिशत घाटे को अनुदान देकर पूरा करने के लिए एक योजना बनायी गयी और उसके अनुसार सहायता प्राप्त उच्च और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों को बढ़ा कर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के समान कर दिया गया।

त्रिपुरा

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में राज्य में जो मुख्य विकास कार्य हुए हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों में शिल्प की शिक्षा आरम्भ करना, गैर-बुनियादी कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा की पद्धति का समावेश करना, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार करना और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है।

नेफा

नेफा क्षेत्र में शिक्षा के सम्पूर्ण कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे थे।

पांडिचेरी

जिन बिखरे हुए क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं, वहाँ नये प्राथमिक स्कूल खोले गये। छात्रों की भीड़ की समस्या को हल करने के लिए कुछ प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं में नये खण्ड खोले गये। आलोच्य वर्ष में दो बुनियादी स्कूल खोले गये। चार मिडिल स्कूलों का स्तर अधिक ऊँचा किया गया और तीन नयी हाई स्कूल कक्षाएँ खोली गईं।

संस्थाएं

आलोच्य वर्ष में देशभर में 4,13,628 मान्यताप्राप्त संस्थाएँ थीं, जब कि 1957-58 में यह संख्या 3,94,760 थी। इस प्रकार इनकी संख्या में 4.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। गत वर्ष यह प्रतिशत 4.5 था। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या इस प्रकार थी:—

विश्वविद्यालय 40, माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा मंडल 13, अनुसंधान संस्थाएं 42, कला और विज्ञान के कालेज 878, वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेज 542, विशिष्ट शिक्षा के कालेज 168, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल 14,326, मिडिल स्कूल 39,597, प्राथमिक स्कूल 3,01,564, पूर्व-प्राथमिक स्कूल 1,190, व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल 3,563 तथा विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 51,705। इसके अधिक ब्यौरे और पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े सारणी I में दिये गये हैं।

माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा मंडलों, अनुसंधान संस्थाओं, कृषि स्कूलों तथा शारीरिक शिक्षा के स्कूलों को छोड़कर दूसरी सभी प्रकार की संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई। मंडलों की संख्या में एक की कमी होने का कारण यह था कि कुर्नूल और हैदराबाद के माध्यमिक शिक्षा-मंडलों को मिलाकर एक कर दिया गया था। इस प्रकार यह कमी वास्तविक नहीं थी। अनुसंधान संस्थाओं, कृषि शिक्षा स्कूलों और शारीरिक शिक्षा स्कूलों में क्रमशः 1,3 और 1 की कमी का कारण इन संस्थाओं का बन्द हो जाना था। प्रतिशतता की दृष्टि से विशिष्ट शिक्षा के कालेजों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई। इनकी संख्या 12.8 प्रतिशत बढ़ गयी। इनके बाद वास्तविक शिक्षा के कालेज (10.4 प्रतिशत वृद्धि), व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल (10.2 प्रतिशत), कला और विज्ञान कालेज (7.5 प्रतिशत), सामान्य शिक्षा के स्कूल और विश्वविद्यालय (प्रत्येक में 5.3 प्रतिशत) और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल (0.4 प्रतिशत) आते हैं। प्रबंध संस्थाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं का विभाजन सारणी II में दिखाया गया है। सारणी के आंकड़ों का सम्बन्ध 1957-58 और 1958-59 से है।

सारणी I—विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या

	लड़कों की संस्थाएं			लड़कियों की संस्थाएं			जोड़		वृद्धि(+) या कमी(-)
	195-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	
1	2	3	4	5	6	7	8		
मान्यता प्राप्त									
विश्वविद्यालय	37	39	1	1	38	40		+ 2	
माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा-मंडल	14	13	14	13		- 1	
अनुसंधान संस्थाएं	42	42	1	..	43	42		- 1	
कला और विज्ञान के कालेज	695	744	122	134	817	878		+61	
वृत्तिक/तकनीकी शिक्षा के कालेज									
कृषि	25	29	25	29		+ 4	
वाणिज्य	33	35	33	35		- 2	
शिक्षा (अध्यापक प्रशिक्षण)	142	194	61	40	203	234		+31	
इंजिनियरी	50	54	50	54		+ 4	

वन-विज्ञान	3	3	3	3	..
विधि	31	32	31	32	+ 1
आयुर्विज्ञान	104	108	2	2	106	110	+ 4
शारीरिक शिक्षा	13	14	1	1	14	15	+ 1
प्राचैगिकी	7	9	7	9	+ 2
पशु-चिकित्सा विज्ञान	14	17	14	17	+ 3
अन्य संस्थाएं	3*	4**	3	4	+ 1
	425	499	64	43	489	542	+53

जोड़

विशिष्ट शिक्षा के कालेज

गृह-विज्ञान	3	3	3	3	..
संगीत, नृत्य और ललित कलाएं	26	39	6	6	32	45	+13
प्राच्यविद्याएं	90	94	8	8	98	102	+ 4
समाजशास्त्र	6	7	6	7	+ 1
अन्य	9	11	9	11	+ 2
	131	151	17	17	148	168	+20

जोड़

* इनमें व्यावहारिक कलाएं और वास्तु-शिल्प की एक संस्था भी शामिल है।
** इनमें व्यावहारिक कलाएं और वास्तु-शिल्प की दो संस्थाएं भी शामिल हैं।

सारणी I—विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की संख्या (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य शिक्षा के स्कूल							
हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	10,750	12,223	1,889	2,103	12,639	14,326	+ 1,687
मिडिल	24,141	35,835	2,874	3,762	27,015	39,597	+12,582
प्राथमिक	2,81,814	2,84,829	16,433	16,735	2,98,247	3,01,564	+ 3,317
पूर्व-प्राथमिक	629	1,026	299	164	928	1,190	+ 262
जोड़	3,17,334	3,33,913	21,495	22,764	3,38,829	3,56,677	+17,848
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल							
कृषि	104	101	1	1	105	102	- 3
कलाएं और शिल्प	110	157	202	217	312	374	+ 62
वाणिज्य	869	965	8	1	877	966	+ 89
इंजीनियरी	100	118	100	118	+ 18
वन-विज्ञान	5	5	5	5	..
नौ-प्रशिक्षण	4	5	4	5	+ 1

आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा	45	47	81	87	126	134	+	8
शारीरिक शिक्षा	38	37	1	1	39	38	-	1
अध्यापक प्रशिक्षण	657	735	244	239	901	974	+	73
तकनीकी और औद्योगिक	569	644	183	189	752	833	+	81
अन्य	11	14	11	14	+	3
	2,512	2,828	720	735	3,232	3,563	+	331

जोड़

विशिष्ट शिक्षा के स्कूल

हीनांगों के लिए	113	122	5	6	118	128	+	10
समाज सेवकों के लिए	41	45	6	6	47	51	+	4
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं	124	152	79	57	203	209	+	6
प्राच्यविद्याएं	3,435	3,350	27	24	3,462	3,374	-	88
सुधारालय	33	35	8	9	41	44	+	3
समाज शिक्षा (प्रौढ़ों के लिए)	40,878	41,554	5,083	6,032	45,961	47,586	+	1,625
अन्य	1,280	280	38	33	1,318	313	-	1,005

जोड़

	45,904	45,538	5,246	6,167	51,150	51,705	+	555
--	--------	--------	-------	-------	--------	--------	---	-----

कुल जोड़

	3,67,094	3,83,767	27,666	29,861	3,94,760	4,13,628	+	18,868
--	----------	----------	--------	--------	----------	----------	---	--------

सारणी II—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मान्यताप्राप्त संस्थाओं की संख्या



प्रबन्ध-संस्था	1957-58		1958-59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	1,01,851	25.8	1,05,933	25.6
जिला मंडल	1,51,646	38.4	1,61,022	38.9
नगरपालिकाएं	10,305	2.6	11,220	2.7
गैर-सरकारी संस्थाएं—				
सहायता प्राप्त	1,18,613	30.1	1,23,363	29.9
जो सहायता प्राप्त नहीं है	12,345	3.1	12,090	2.9
जोड़	3,94,760	100.0	4,13,628	100.0

जो संस्थाएं सहायता प्राप्त नहीं थीं केवल उनकी संख्या में कुछ कमी हुई। शेष सभी प्रकार की प्रबंध-संस्थाओं के अधीन काम करने वाली शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ गयी, और कुछ की संख्या में तो काफी वृद्धि हुई। सरकारी संस्थाओं की संख्या में 4.0 प्रतिशत, जिला मंडलों की संस्थाओं में 6.2 प्रतिशत, नगर पालिकाओं की संस्थाओं में 8.9 प्रतिशत और सहायता-प्राप्त संस्थाओं की संख्या में 4.0 प्रतिशत वृद्धि हुई।



सन् 1957-58 और 1958-59 के संबंध में मान्यताप्राप्त संस्थाओं का राज्यवार विभाजन सारणी III में दिखाया गया है। केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई। केरल में संस्थाओं की कमी प्रौढ़ों के स्कूलों को बंद करने के कारण हुई। मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में यह कमी इसलिए दिखाई दी कि कुछ केन्द्रों ने प्रौढ़ों के स्कूलों के बारे में जानकारी नहीं दी थी। संस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि बम्बई राज्य (3,196) में हुई। इसके बाद उड़ीसा (2,562), बिहार (2,465) मैसूर (2,463), पश्चिमी बंगाल (1,765), आंध्र प्रदेश (1,583) और उत्तर प्रदेश (1,513) आते हैं। अन्य राज्यों में संस्थाओं की संख्या में 1,500 से कम वृद्धि हुई। सबसे कम वृद्धि जम्मू और कश्मीर (332) में हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों की मान्यताप्राप्त संस्थाओं की संख्या 16,164 से बढ़कर 3,54,721 हो गई। संस्थाओं की कुल संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं का अनुपात पहले की तरह 85.8 प्रतिशत ही रहा।

विभिन्न प्रकार की सभी संस्थाएं 1958-59



सभी संस्थाएं
4,13,628



सारणी III—विभिन्न राज्यों में संस्थाओं की संख्या

राज्य	लड़कों की संस्थाएं		लड़कियों की संस्थाएं		जोड़		(+) वृद्धि या (-) कमी
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	32,991	34,564	714	724	23,705	35,288	+1,583
आसाम	15,117	15,633	994	965	16,111	16,598	+ 487
बिहार	38,179	40,124	3,988	4,508	42,167	44,632	+2,465
बम्बई	63,859	66,703	5,796	6,148	69,655	72,851	+3,196
जम्मू और काश्मीर	2,287	2,554	443	508	2,730	3,062	+ 332
केरल	10,165	9,707	231	211	10,396	9,918	- 478
मध्य प्रदेश	29,052	28,329	2,329	2,178	31,381	30,507	- 874
मद्रास	26,977	28,140	326	329	27,303	28,469	+1,166
मैसूर	28,378	30,880	2,075	2,036	30,453	32,916	+2,463
उड़ीसा	19,612	21,997	423	600	20,035	22,597	+2,562
पंजाब	12,849	13,037	2,388	2,988	15,237	16,025	+ 788

सारणी III—विभिन्न राज्यों में संस्थाओं की संख्या (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	12,046	13,355	980	995	13,026	14,350	+ 1,324
उत्तर प्रदेश	38,418	39,628	4,304	4,607	42,722	44,235	+ 1,513
पश्चिम बंगाल	31,749	33,232	2,077	2,359	33,826	35,591	+ 1,765
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	48	65	..	1	48	66	+ 18
दिल्ली	702	756	403	461	1,105	1,217	+ 112
हिमाचल प्रदेश	1,236	1,229	29	28	1,265	1,257	- 8
लक्ष्मी, मिन्काय और श्रीमनदीवी द्वीप समूह	15	15	..	1	15	16	+ 1
मणिपुर	1,460	1,784	57	102	1,517	1,886	+ 369
त्रिपुरा	1,561	1,608	59	62	1,620	1,670	+ 50
नेपा	107	128	107	128	+ 21
पांडिचेरी	286	299	50	50	336	349	+ 13
	3,67,094	3,83,767	27,666	29,861	3,84,760	4,13,628	+ 18,868

भारत

मुख्य-मुख्य प्रकार की संस्थाओं की संख्या नीचे दी जा रही है:—

ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या

संस्था का प्रकार	1957-58	1958-59	(+) वृद्धि या (—) कमी
विश्वविद्यालय	4	3	— 1
अनुसंधान संस्थाएं	3	3	..
कालेज	123	137	+ 14
माध्यमिक स्कूल	27,573	38,939	+11,366
प्राथमिक (पूर्व-प्राथमिक सहित)	2,68,457	2,72,145	+ 3,688
व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल	578	716	+ 138
समाज शिक्षा केन्द्र	38,473	40,507	+ 2,034
विशिष्ट शिक्षा के अन्य स्कूल	3,346	2,271	— 1,075
जोड़	3,38,557	3,54,721	+16,164

भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या

आलोच्य वर्ष में सभी प्रकार की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 3.80 करोड़ से बढ़ कर 4.14 करोड़ हो गई। वृद्धि की दर 9.0 प्रतिशत (लड़कों की 8.1 प्रतिशत और लड़कियों की 11.4 प्रतिशत) थी, जब कि 1957-58 में वृद्धि की दर 5.5 प्रतिशत (लड़कों की 5.1 प्रतिशत और लड़कियों की 6.8 प्रतिशत) थी। विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कियों की संख्या 1.18 करोड़ या 28.7 प्रतिशत थी।

प्राथमिक स्कूलों और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में बंबई में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 1.7 प्रतिशत की जो कमी हुई, वह उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के रूप में वर्गीकृत करने के कारण हुई थी। विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी, जैसा कि संस्थाओं के प्रसंग में पहले बताया गया है, प्रौढ़ों के स्कूलों के बंद हो जाने के कारण हुई थी।

मिडिल स्कूलों की संख्या में 61.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 31.9 प्रतिशत, विशिष्ट शिक्षा के कॉलेजों में 25.3 प्रतिशत, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूलों में 12.4 प्रतिशत वृद्धि के और तकनीकी शिक्षा के स्कूलों में 12.2 प्रतिशत, हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 11.0 प्रतिशत और कला और विज्ञान के कॉलेजों की संख्या में 7.9 प्रतिशत वृद्धि हुई (इनमें अनुसंधान संस्थाएं भी शामिल हैं)। इन सब के व्योरे सारणी V में दिये गये हैं।

प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का विभाजन सारणी V में दिखाया गया है।

संख्या IV - विभिन्न प्रकार की संस्थाओं

संस्था का प्रकार	वर्ष		
	1957-58	1958-59	1957-58
मान्यता प्राप्त			
कला और विज्ञान के कॉलेज (उन में अनुसंधान सम्भाग और निम्नविद्यालय के विभाग भी शामिल हैं।)	5,55,989	5,92,601	1,05,858
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के कॉलेज			
कृषि	6,342	7,885	54
व्यवहारिक कला और वास्तु- शिल्प	1,109	466	276
वाणिज्य	20,374	23,674	472
शिक्षा (अध्यापक प्रशिक्षण)	12,598	14,105	6,500
इंजीनियरी	27,638	32,770	54
वन-विज्ञान	480	518	..
विधि	12,765	13,593	538
आयुर्विज्ञान	23,339	24,912	4,978
शारीरिक शिक्षा	878	920	210
प्रौद्योगिकी	825	1,192	59
पशु चिकित्सा	4,811	4,845	18
अन्य	142	317	1
जोड़	1,11,301	1,25,197	13,160
विशिष्ट शिक्षा के कॉलेज			
गृह विज्ञान	1,005
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं	2,248	3,426	3,264
प्राच्य विद्याएं	7,823	8,255	1,690
समाज शास्त्र	446	780	117
अन्य	1,009	1,484	32
जोड़	11,526	13,945	6,108

में छात्रों की संख्या

लड़कियाँ	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	1958-59	1957-58	1958-59	संख्या प्रतिशत
1,21,714	6,61,847	7,14,315	+52,468	+ 7.9
82	6,396	7,967	+ 1,571	+24.6
20	1,385	486	- 899	-64.9
552	20,846	24,226	+ 3,380	+16.2
7,355	19,098	21,460	+ 2,362	+12.4
90	27,692	32,860	+ 5,168	+18.7
..	480	518	+ 38	+ 7.9
577	13,303	14,170	+ 867	+ 6.5
5,633	28,317	30,545	+ 2,228	+ 7.9
248	1,088	1,168	+ 80	+ 7.4
93	884	1,285	+ 401	+45.4
29	4,829	4,874	+ 45	+0.9
..	143	317	+ 174	+121.7
14,679	1,24,461	1,39,876	+15,415	+12.4
1,283	1,005	1,283	+ 278	+27.7
4,659	5,512	8,085	+ 2,573	+46.7
2,017	9,513	10,272	+ 759	+ 8.0
157	563	937	+ 374	+66.4
62	1,041	1,546	+ 505	+48.5
8,178	17,634	22,123	+4,489	+25.5

सारणी IV विभिन्न प्रकार की संस्थाओं

संस्था का प्रकार	लड़के		
	1957-58	1958-59	1957-58
सामान्य शिक्षा के स्कूल			
हार्डस्कूल / उच्चतर माध्यमिक स्कूल	43,25,158	47,51,766	12,36,610
मिडिल	36,97,367	56,44,638	13,62,364
प्राथमिक	1,71,11,326	1,68,77,753	76,76,973
पूर्व-प्राथमिक	34,223	44,671	28,205
जोड़	2,51,68,074	2,73,18,828	1,03,04,152
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल			
कृषि	8,154	7,358	30
कला और शिल्प	2,252	3,133	10,603
वाणिज्य	73,503	84,659	11,163
इंजीनियरी	26,339	31,760	93
वन-विज्ञान	201	237	..
नौ प्रशिक्षण	1,785	1,951	..
आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा विज्ञान	4,580	5,049	3,976
शारीरिक शिक्षा	2,341	2,837	270
अध्यापक प्रशिक्षण	56,807	61,904	20,535
तकनीकी और औद्योगिक	53,155	58,440	12,732
अन्य	1,147	1,503	32
जोड़	2,30,264	2,58,831	59,434
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल			
हीनांगों के लिए	4,725	5,311	1,582
समाज सेविकों के लिए	3,764	4,036	440
संगीत नृत्य आदि	6,140	6,820	7,933
प्राच्य विद्याएं	1,20,437	1,19,575	11,790
सुधारालय	6,394	7,359	1,117
समाज (प्रौढ़) शिक्षा	10,58,912	10,80,070	1,47,718
अन्य	49,318	5,511	16,030
जोड़	12,49,690	12,28,682	1,86,610
जोड़ (मान्यता प्राप्त)	2,73,26,844	2,95,38,084	1,06,75,322

मं छात्रों की संख्या (जारी)

लड़किया	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	1958-59	1957-58	1958-59	संख्या प्रतिशत
14,19,773	55,61,768	61,71,539	+ 6,09,771	+11.0
25,24,866	50,59,731	81,69,504	+31,09,773	+61.5
74,94,428	2,47,88,299	2,43,72,181	- 4,16,118	- 1.7
37,642	62,428	82,313	+ 19,885	+31.9
1,14,76,709	3,54,72,226	3,87,95,537	+ 33,23,311	+ 9.4
53	8,184	7,411	- 773	- 9.4
11,857	12,855	14,990	+ 2,135	+16.6
13,469	84,666	98,128	+ 13,462	+15.9
113	26,432	31,873	+ 5,441	+20.6
..	201	237	+ 36	+17.9
..	1,785	1,951	+ 166	+ 9.3
5,255	8,556	10,304	+ 1,748	+20.4
325	2,611	3,162	+ 551	+21.1
22,295	77,342	84,199	+ 6,857	+ 8.9
13,423	65,887	71,863	+ 5,976	+ 9.1
41	1,179	1,544	+ 365	+31.0
66,831	2,89,698	3,25,662	+ 35,964	+12.4
1,736	6,307	7,047	+ 740	+11.7
489	4,204	4,525	+ 321	+ 7.6
8,407	14,073	15,227	+ 1,154	+ 8.2
12,081	1,32,227	1,31,656	- 571	- 0.4
1,547	7,511	8,906	+ 1,395	+18.6
1,77,690	12,06,630	12,57,760	+ 51,130	+ 4.2
4,779	65,348	10,290	- 55,058	-84.3
2,06,729	14,36,300	14,35,411	- 889	- 0.1
1,18,94,840	3,80,02,166	4,14,32,924	+34,30,758	+ 9.0

सारणी V—विभिन्न प्रबंध संस्थाओं की मायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या

1957-58

1958-59

वृद्धि (+)
या कमी (-)

प्रबंध संस्था	1957-58			1958-59			प्रतिशत
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	
सरकार	89,12,189	23.4	95,78,241	23.1	6,66,052	- 7.5	
जिला मंडल	1,35,15,194	35.6	1,49,02,961	36.0	13,87,767	-10.3	
नगरपालिका	26,87,507	7.1	29,81,121	7.2	2,93,614	-10.9	
गैर-सरकारी संस्थाएँ—							
सहायता प्राप्त	1,15,86,776	30.5	1,26,20,197	30.5	10,33,421	- 8.9	
जो सहायता प्राप्त नहीं है	13,00,500	3.4	13,50,404	3.2	49,904	- 3.8	
जोड़	3,80,02,166	100.0	4,14,32,924	100.0	34,30,758	- 9.0	

ऊपर दी गई सारणी से ज्ञात होगा कि (i) यद्यपि भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सभी प्रकार की सस्थाओं में समान रूप से नहीं बढ़ी, फिर भी सभी प्रकार की शिक्षा सस्थाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई (ii) स्थानीय मडलों की सस्थाओं में छात्रों की संख्या में 43.2 प्रतिशत तथा सरकारी और गैर-सरकारी सस्थाओं में क्रमशः 23.1 तथा 33.7 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

सन् 1957-58 और 1958-59 में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की संख्या सारणी VI में दिखायी गयी है । स्कूल स्तर पर विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को छोड़कर सभी स्तरों पर छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई । छात्रों की कुल संख्या में से 95.2 प्रतिशत छात्र सामान्य शिक्षा, 0.5 प्रतिशत वृत्तिक और विशिष्ट (कॉलेज स्तर की) शिक्षा और 4.3 प्रतिशत व्यावसायिक और विशिष्ट (स्कूल स्तर की) शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । सामान्य शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या का अधिक विभाजन इस प्रकार था:—पूर्व-प्राथमिक स्तर 0.3 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर 76.1 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर 21.7 प्रतिशत और कॉलेज स्तर पर 1.9 प्रतिशत ।

शिक्षा स्तर	वर्षके		वर्ष
	1957-58	1958-59	1957-58
1	2	3	4
सामान्य शिक्षा			
पूर्व-प्राथमिक	61,898	75,093	49,493
प्राथमिक	1,88,12,890	2,04,80,488	85,57,321
माध्यमिक	62,20,036	66,69,130	16,91,366
इंटरमीडिएट	3,75,342	4,11,700	63,432
बी. ए./बी. एस्सी.	1,52,125	1,65,814	37,344
एम्. ए./एम्. एस्सी	24,828	29,176	5,642
अनुसंधान	2,784	3,225	478
जोड़	2,56,49,903	2,78,34,626	1,04,05,076
वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा			
(कालेज स्तर)	1,68,252	1,85,784	13,901
विशिष्ट शिक्षा (कालेज स्तर)	13,625	15,353	4,322
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा (स्कूल)	2,43,404	2,72,331	63,325
समाज (प्रौढ़) शिक्षा	10,58,912	10,80,070	1,47,718
विशिष्ट शिक्षा (स्कूल)	1,92,748	1,49,920	40,980
कल जोड़	2,73,26,844	2,95,38,084	1,06,75,322

में ट्वात्रों की सख्या स्तरों के आधार पर

क्रिया	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)
1958-59	1957-58	1958-59	
5	6	7	8
62,605	1,11,391	1,37,698	+ 26,307
95,60,763	2,73,70,211	3,00,41,251	+ 26,71,040
18,46,369	79,11,402	85,15,499	+ 6,04,097
75,166	4,38,774	4,86,866	+ 48,092
42,260	1,89,469	2,08,074	+ 18,605
6,688	30,470	35,864	+ 5,394
608	3,262	3,833	+ 571
1,15,94,459	3,60,54,979	3,94,29,085	+ 33,74,106
15,905	1,82,153	2,01,689	+ 19,536
5,972	17,947	21,325	+ 3,378
70,117	3,06,729	3,42,448	+ 35,719
1,77,690	12,06,630	12,57,760	+ 51,130
30,697	2,33,728	1,80,617	- 53,111
1,18,94,840	3,80,02,166	4,14,32,924	+ 34,30,758

सारणी VII- विभिन्न राज्यों में

राज्य	लड़कों के नये		लड़कियों
	1957-58	1958-59	1957-58
I	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	30,75,447	31,82,516	1,23,729
आसाम	11,39,118	12,20,804	89,829
बिहार	26,37,234	33,24,256	2,08,445
बम्बई	60,09,101	64,92,958	8,13,878
जम्मू और काश्मीर	2,00,953	2,13,341	42,798
केरल	27,74,335	29,63,113	1,20,316
मध्य प्रदेश	18,46,578	19,64,717	2,07,553
मद्रास	35,127,75	38,22,567	1,11,613
मंसूर	21,33,223	23,82,113	2,65,326
उड़ीसा	9,61,186	10,89,947	27,169
पंजाब	15,52,512	15,75,415	3,69,806
राजस्थान	8,32,856	10,13,612	1,04,178
उत्तर प्रदेश	41,50,045	44,65,769	4,77,963
पश्चिमी बंगाल	31,87,124	33,43,468	3,11,650
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3,516	4,197	..
दिल्ली	2,37,402	2,57,041	1,15,794
हिमाचल प्रदेश	82,851	86,547	5,410
लक्कादीव. मिनिकाय और अमीन-दीवी द्वीप समूह	2,456	2,822	..
मनिपुर	1,13,624	1,25,946	7,668
त्रिपुरा	1,01,889	1,06,913	6,056
नेफ्रा	4,557	5,633	..
प्यांछिचेरी	26,613	32,032	7,590
भारत	3,45,85,395	3,76,75,726	34,16,771

छात्रों की संख्या

के लिए	जोड़		वृद्धि(+) या कमी(—)		
	1958-59	1957-58	1958-59	संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9	
1,33,498	31,99,176	33,16,014	+ 1,16,838	+ 3.7	
96,226	12,28,947	13,17,030	+ 88,083	+ 7.2	
2,67,026	28,45,679	35,91,282	+ 7,45,603	+26.2	
8,52,933	68,22,979	73,45,891	+ 5,22,912	+ 7.7	
48,149	2,43,751	2,61,490	+ 17,739	+ 7.3	
1,16,835	28,94,651	30,79,948	+ 1,85,297	+ 6.4	
2,28,718	20,54,131	21,93,435	+ 1,39,304	+ 6.8	
1,21,490	36,24,388	39,44,057	+ 3,19,669	+ 8.8	
2,93,425	23,98,549	26,75,537	+ 2,76,988	+11.5	
35,633	9,88,355	11,25,580	+ 1,37,225	+13.9	
3,93,508	19,22,318	19,68,923	+ 46,605	+ 2.4	
1,16,890	9,37,034	11,30,502	+ 1,93,468	+20.6	
5,38,135	46,28,008	50,03,904	+ 3,75,896	+ 8.1	
3,41,892	34,98,774	36,85,360	+ 1,86,586	+ 5.3	
101	3,516	4,298	+ 782	+22.2	
1,36,423	3,53,196	3,93,464	+ 40,268	+11.4	
5,843	88,261	92,390	+ 4,129	+ 4.7	
65	2,456	2,887	+ 431	+17.5	
14,602	1,21,292	1,40,548	+ 19,256	+15.9	
7,288	1,07,945	1,14,201	+ 6,256	+ 5.8	
..	4,557	5,633	+ 1,076	+23.6	
8,518	34,203	40,550	+ 6,347	+18.6	
37,57,198	3,80,02,166	4,14,32,924	+ 34,30,758	+ 9.0	

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की संख्या 2,66,36,717 में बढ़ कर 2,91,76,960 हो गई। यह संख्या 1957-58 के समान ही छात्रों की कुल संख्या का 70.4 प्रतिशत थी। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में इनकी संख्या इस प्रकार थी— प्राथमिक स्कूल 66.2 प्रतिशत, माध्यमिक स्कूल 28.5 प्रतिशत, वृत्तिक और विशिष्ट स्कूल 4.3 प्रतिशत और कालेज तथा विश्वविद्यालय 1.0 प्रतिशत।




मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का राज्यवार विभाजन सारणी VIII में दिखाया गया है। इसमें पता चलता है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिशत के हिसाब में राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि (26.2 प्रतिशत) बिहार में हुई प्रायः सबसे कम (2.4 प्रतिशत) पंजाब में हुई। इन सीमाओं में ही जिन अन्य राज्यों में छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई वे इस प्रकार हैं—राजस्थान (20.6 प्रतिशत), उड़ीसा (13.9 प्रतिशत), मंगर (11.5 प्रतिशत), मद्रास (8.8 प्रतिशत) और उत्तरप्रदेश (8.1 प्रतिशत)। राज्य क्षेत्रों में से सबसे अधिक वृद्धि नेपा (23.6 प्रतिशत) में और सबसे कम वृद्धि हिमाचल प्रदेश (4.7 प्रतिशत) में हुई।

व्यय

आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं पर कुल मिलाकर 266.15 करोड़ रुपये खर्च हुए जब कि पिछले वर्ष 240.65 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस प्रकार इनके व्यय में 10.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। कुल व्यय में से 26.56 करोड़ रुपये लड़कियों की संस्थाओं पर खर्च हुए। सन् 1957-58 और 1959 में किये गये कुल व्यय का आय-स्रोतों के अनुसार विभाजन नीचे सारणी VIII में दिखाया गया है।

सारणी VIII—विभिन्न आयस्रोतों से शिक्षा पर किया गया खर्च

	1957-58		1958-59	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	₹०		₹०	
सरकारी निधियां	1,57,89,93,209	65.6	1,77,55,53,272	66.7
जिला मंडलों की निधियां	9,69,82,587	4.0	8,53,84,366	3.2
नगरपालिकाओं की निधियां	7,48,42,185	3.1	7,96,49,278	3.0
क्रीस	43,63,94,268	18.2	48,42,23,062	18.2
धर्मस्व	6,98,14,334	2.9	7,85,98,745	3.0
अन्य आयस्रोत	14,95,18,603	6.2	15,81,14,345	5.9
जोड़	2,40,65,45,186	100.0	2,66,15,23,068	100.0



विभिन्न आटर्सों

द्वारा

शिक्षा पर व्यय

1958-59

रुपयों की संख्या
करोड़ों में

177.55

50

40

30

20

10

0

जोड़
266.15 करोड़

सरकारी निधियाँ

अन्य आयस्रोत

नगर पालिकाओं
की निधियाँ

फ्रीस

ज़िला मंडलों
की निधियाँ

धर्मस्व

उपर्युक्त सारणी से निम्नलिखित बातों का पता चलेगा : (क) विभिन्न आय स्रोतों द्वारा पूरे किये गये व्यय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षा पर खर्च किये गये प्रत्येक 100 रुपये में से लगभग 67 रुपये सरकारी निधियों, 6 रुपये स्थानीय मंडलों की निधियों, 18 रुपये फ़ीस से और शेष दूसरे आयस्रोतों से प्राप्त हुये थे; (ख) आलोच्य वर्ष में विभिन्न आयस्रोतों द्वारा पूरी की जाने वाली खर्च की रकम में इस प्रकार वृद्धि हुई : सरकारी निधियाँ 12.4 प्रतिशत, फ़ीस 11.0 प्रतिशत और अन्य आयस्रोत 5.6 प्रतिशत, परन्तु स्थानीय मंडलों की निधियों से पूरे किये जाने वाले खर्च में 4.0 प्रतिशत की कमी हो गयी।

खर्च की मदों के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च का 1957-58 और 1958-59 का व्योरा सारणी IX में दिया गया है।

आलोच्य वर्ष में कुल प्रत्यक्ष व्यय 20.76 करोड़ रु० या 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़कर 203.26 करोड़ रु० हो गया। विभिन्न प्रकार की सस्थाओं पर इस व्यय का विभाजन इस प्रकार रहा:—विश्वविद्यालय और कालेज 20.6 प्रतिशत, माध्यमिक और/या इंटरमीडिएट शिक्षा मंडल 1.0 प्रतिशत, माध्यमिक स्कूल 41.5 प्रतिशत, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्कूल 31.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल 4.0 प्रतिशत तथा विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 1.4 प्रतिशत। अप्रत्यक्ष व्यय भी 4.73 करोड़ रु० (या 8.2 प्रतिशत की दर से) बढ़कर 62.89 करोड़ रु० हो गया। विभिन्न मदों पर व्यय का विभाजन इस प्रकार था:—निदेशन और निरीक्षण 9.0 प्रतिशत, इमारतें 45.5 प्रतिशत, छात्रवृत्तियाँ 20.5 प्रतिशत, छात्रावास 6.5 प्रतिशत तथा विविध व्यय 18.5 प्रतिशत।

सारणी IX से पता चलता है कि अनुसंधान संस्थाओं, प्राथमिक स्कूलों और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों पर किया जाने वाला प्रत्यक्ष व्यय क्रमशः 14.0, 47.1 और 7.0 प्रतिशत कम हो गया। अनुसंधान संस्थाओं और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों पर किये जाने वाले व्यय में कमी इसलिए आयी कि एक अनुसंधान संस्था और कुछ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को बंद कर दिया गया था। प्राथमिक स्कूलों का व्यय इसलिए कम हो गया कि बर्बई में उच्च प्राथमिक स्कूलों को नये सिरे से मिडिल स्कूलों में वर्गीकृत कर दिया गया था। दूसरी संस्थाओं में व्यय की वृद्धि अलग-अलग दरों से हुई। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि (53.3 प्रतिशत) मिडिल स्कूलों पर किये गये व्यय में हुई। इसके बाद क्रमशः पूर्व प्राथमिक स्कूलों (36.7 प्रतिशत), वृत्तिक कालेजों (26.6 प्रतिशत), विश्वविद्यालयों (17.9 प्रतिशत), और मंडलों (16.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। अन्य संस्थाओं में यह वृद्धि 15.0 प्रतिशत से कम थी। सबसे कम वृद्धि विशिष्ट शिक्षा के कालेजों (5.6 प्रतिशत) के व्यय में हुई।

अप्रत्यक्ष व्यय में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि छात्रवृत्तियों (22.0 प्रतिशत) तथा सबसे कम प्रतिशत वृद्धि इमारतों पर किये गये खर्च (3.0 प्रतिशत) में हुई। इन सीमाओं के बीच जिन अन्य मदों के खर्च में वृद्धि हुई वे इस प्रकार हैं: निदेशन और निरीक्षण (19.1 प्रतिशत) छात्रावास (8.2 प्रतिशत) तथा विविध खर्च (3.2 प्रतिशत) जहाँ तक अप्रत्यक्ष खर्च को पूरा करने में विभिन्न आयस्रोतों के अंशदान का प्रश्न है, सबसे अधिक खर्च (76.9 प्रतिशत) सरकारी निधियों से पूरा किया गया। फ़ीस और स्थानीय मंडलों की निधियों से क्रमशः 6.5 और 3.3 प्रतिशत खर्च पूरा किया गया। शेष 13.3 प्रतिशत व्यय धर्मस्व और दूसरे आय स्रोतों से पूरा किया गया। पिछले वर्ष के आंकड़ों क्रमशः इस प्रकार हैं : 75.3, 5.7, 3.9 और 15.1 प्रतिशत। विभिन्न मदों से संबंधित अप्रत्यक्ष खर्च से अलग अलग व्योरे नीचे दिये गये हैं।

सारणी IX—खर्च की मदों के अनुसार शिक्षा पर किया गया खर्च

खर्च की मदें	1957-58	1958-59	वृद्धि (+, या कमी (—))	प्रतिशत राशि
1	2	3	4	5
	₹०	₹०	₹०	
प्रत्यक्ष				
विश्वविद्यालय	9,80,51,508	11,55,84,305	+ 1,75,32,797	+ 17.9
माध्यमिक शिक्षा और / या इंटरमिडिएट शिक्षा मंडल	1,75,70,112	2,04,71,614	+ 29,01,502	+ 16.5
अनुसंधान संस्थाएँ	2,94,47,738	2,53,13,396	— 41,34,342	— 14.0
कला और विज्ञान के कॉलेज	14,11,57,784	15,84,05,957	+ 1,72,48,173	+ 12.2
वृत्तिक कॉलेज	8,84,21,198	11,19,25,693	+ 2,35,04,495	+ 26.6
विशिष्ट शिक्षा के कॉलेज	61,55,717	70,30,117	+ 8,74,400	+ 14.2
हाईस्कूल / उच्चतर माध्यमिक स्कूल	46,47,01,661	52,51,55,365	+ 6,04,53,704	+ 13.0
मिडिल स्कूल	20,76,71,767	31,83,47,104	— 11,06,75,337	+ 53.3

प्राथमिक स्कूल	66,71,17,741	63,57,07,214	—	3,14,10,527	—47.1
पूर्व-प्राथमिक स्कूल	32,99,544	45,10,081	+	12,10,537	+36.7
व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल	7,21,30,481	8,21,00,403	+	99,69,922	+13.8
सामाजिक शिक्षा के स्कूल	68,53,132	72,34,578	+	3,81,446	— 5.6
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल	2,23,65,569	2,07,98,641	—	15,66,928	— 7.0
	1,82,49,43,952	2,03,25,84,468	+	20,76,40,516	+11.4
	जोड़ (प्रत्यक्ष)				

अप्रत्यक्ष

निर्देशन और निरीक्षण	4,77,31,146	5,68,48,886	+	91,17,740	+19.1
इमारतें	27,78,98,109	28,63,25,992	+	84,27,883	+3.0
छात्रवृत्तियां	10,55,78,335	12,87,64,685	+	2,31,86,350	+22.0
छात्रावास का खर्च	3,78,13,419	4,08,35,237	+	30,21,818	+8.0
विविध	11,25,80,225	11,61,63,800	+	35,83,575	+3.2
	58,16,01,234	62,89,38,600	+	4,73,37,366	+8.2
	जोड़ (अप्रत्यक्ष)				
	2,40,65,45,186	2,66,15,23,068	+	25,49,77,882	+10.6
	कुल जोड़				

सारणी X—विभिन्न आयस्रोतों से शिक्षा पर किया गया अप्रत्यक्ष खर्च

मद	वर्ष	पूरे किए गए खर्च का प्रतिशत				
		सरकारी निधियों से	स्थानीय मंडलों की निधियों से	फीस से	धर्मस्व से	अन्य आयस्रोतों से
1	2	3	4	5	6	7
निदेशन	1957—58	98.3	..	0.9	..	0.8
	1958—59	99.2		0.8
निरीक्षण	1957—58	94.6	5.1	0.3
	1958—59	96.2	3.8
इमारतें	1957—58	72.9	5.4	2.8	7.2	11.7
	1958—59	73.7	4.3	4.7	8.1	9.2
छात्रवृत्तियां	1957—58	89.4	0.9	1.3	1.4	7.0
	1958—59	91.3	0.8	0.9	1.1	5.9
छात्रवास का खर्च	1957—58	31.4	1.7	44.0	9.4	13.5
	1958—59	30.6	1.7	47.6	9.2	10.9
विविध	1957—58	74.4	3.6	6.3	1.4	14.3
	1958—59	75.9	4.2	5.8	0.9	13.2
जोड़	1957—58	75.3	3.9	5.7	4.6	10.5
	1958—59	76.9	3.3	6.5	4.7	8.6

प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार शिक्षा संस्थाओं के प्रत्यक्ष व्यय का विभाजन सारणी X में दिखाया गया है। इससे ज्ञात होगा कि 29.6 प्रतिशत व्यय सरकारी संस्थाओं 25.8 प्रतिशत व्यय स्थानीय मंडलों की संस्थाओं और 44.6 प्रतिशत व्यय गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया था। इन प्रबंध संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर किये गये व्यय का क्रमशः 25.6 प्रतिशत, 41.6 प्रतिशत और 32.8 प्रतिशत अंश दिया।

सारणी XI—विभिन्न प्रबंध संस्थाओं की शिक्षा संस्थाओं पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

प्रबन्ध संस्था	1957—58		1958—59		
1	2	3	4	5	6
सरकार	55,09,29,583	30.2	60,13,31,656	29.6	9.1
ज़िला मंडल	36,11,77,790	19.8	40,12,19,044	19.7	11.1
नगरपालिका	11,15,80,984	6.1	12,34,80,310	6.1	10.7
गैर सरकारी संस्थाएं—					
सहायता प्राप्त	71,99,55,124	39.4	82,10,32,637	40.4	14.0
जो सहायता प्राप्त नहीं थी	8,13,00,471	4.5	8,55,20,821	4.2	5.2
जोड़	1,82,49,43,952	100.0	2,03,25,84,468	100.0	11.4

सारणी XI में सन् 1958-59 में सरकारी निधियों द्वारा किये गये 177.55 करोड़ रु० के व्यय का विभाजन दिखाया गया है। तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े भी दे दिये गये हैं। इससे पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों पर किये गये व्यय का लगभग 30 प्रतिशत अंश सरकारी निधियों से पूरा किया गया। अप्रत्यक्ष व्यय की विभिन्न मदों पर सरकार ने 27.2 प्रतिशत व्यय किया। बाकी रकम विश्वविद्यालयों, कालेजों और अन्य प्रकार के स्कूलों पर खर्च के लिए दी गयी।

सारणी XII—सरकार द्वारा शिक्षा पर किए गए खर्च का विभाजन

मद	1957—58		1958—59	
	रकम	कुल व्यय का प्रतिशत	रकम	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	रु०		रु०	
पुरुषों की संख्याएं	1,44,04,38,641	91.2	1,61,83,55,174	91.1
स्त्रियों की संख्याएं	13,85,54,568	8.8	15,71,98,098	8.9
जोड़	1,57,89,93,209	100.0	1,77,55,53,272	100.0

1	2	3	4	5
	₹०		₹०	
विश्वविद्यालय	4,49,66,663	2.8	5,68,50,811	3.2
माध्यमिक और/या इंटरमीडि- यट शिक्षा मंडल	8,00,810	0.1	4,00,144	0.0
अनुसन्धान संस्थाएं	2,83,53,426	1.8	2,33,46,546	1.3
कला और विज्ञान के कालेज	4,92,83,854	3.1	5,56,71,319	3.1
वृत्तिक कालेज	5,86,53,759	3.7	7,59,51,854	4.3
विशिष्ट शिक्षा के कालेज	38,28,100	0.2	40,60,862	0.2
हाईस्कूल	20,62,74,725	13.1	24,12,32,444	13.6
मिडिल स्कूल	15,01,10,161	9.5	23,35,13,918	13.2
प्राथमिक स्कूल	52,35,73,865	33.2	51,77,74,892	29.2
पूर्व-प्राथमिक स्कूल	9,63,573	0.1	12,37,387	0.1
व्यावसायिक स्कूल	5,41,32,577	3.4	6,29,94,002	3.5
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल	1,99,70,913	1.3	1,91,50,710	1.1
निदेशन और निरीक्षण	4,55,19,808	2.9	5,51,17,207	3.1
छात्रवृत्तियां	9,43,34,607	6.0	11,74,97,802	6.6
छात्रावास पर खर्च	1,18,88,874	0.7	1,25,37,385	0.7
इमारतें	20,26,14,113	12.8	21,00,53,836	11.8
विविध	8,37,23,381	5.3	8,81,62,153	5.0
कुल जोड़	1,57,89,93,209	100.0	1,77,55,53,272	100.0

विभिन्न राज्यों में 1957-58 और 1958-59 में शिक्षा पर किये गए कुल व्यय का व्योरा सारणी XII में दिया गया है। पहले की तरह ही शिक्षा पर सबसे अधिक राशि (49.46 करोड़ रु०) बम्बई राज्य ने खर्च की। इसके बाद उत्तर प्रदेश (33.47 करोड़ रु०), पश्चिमी बंगाल (28.99 करोड़ रु०) और मद्रास (26.04 करोड़ रु०) आते हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खर्च की गई राशि 25 करोड़ रु० से कम थी।

इससे ज्ञात होगा कि दिल्ली को छोड़कर, जहां व्यय में 80 लाख रु० की कमी हुई, बाकी सभी राज्यों के शिक्षा व्यय में वृद्धि हुई। दिल्ली में शिक्षा पर कम खर्च होने का कारण यह था कि वहां आलोच्य वर्ष में मिडिल स्तर तक के स्कूल नगर निगम को सौंप दिये गये थे जहां अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिल सका था। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है व्यय में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि केरल (23.9 प्रतिशत) में हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश (17.3 प्रतिशत), मैसूर (15.3 प्रतिशत), जम्मू और काश्मीर (14.4 प्रतिशत), आसाम (13.2 प्रतिशत), और मद्रास (12.7 प्रतिशत) के नाम आते हैं। सबसे कम वृद्धि (5.8 प्रतिशत) बिहार राज्य में हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में ल०, मि० और अमीनदीवी द्वीपसमूह के व्यय में अधिकतम वृद्धि (105.7 प्रतिशत) हुई। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (54.0 प्रतिशत), मनिपुर (34.2 प्रतिशत) और नेफा (30.3 प्रतिशत) के नाम आते हैं। व्यय में सबसे कम वृद्धि त्रिपुरा में (1.5 प्रतिशत) हुई।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आय-स्रोतों से पूरे किये गये व्यय की प्रतिशतत सारणी के खाना (10) से खाना (14) तक में दी गयी है। जिन राज्य में सरकार ने 80 प्रतिशत से अधिक खर्च पूरा किया, व जम्मू और काश्मीर (92.1 प्रतिशत) केरल (86.3 प्रतिशत) तथा राजस्थान (84.8 प्रतिशत) थे। जम्मू और काश्मीर तथा केरल में स्थानीय मंडलों की निधियों से खर्च के लिए कोई रकम नहीं मिली। परन्तु पंजाब में इनसे खर्च का 0.6 प्रतिशत पूरा किया गया। फ़ीस से प्राप्त राशि 4.5 प्रतिशत (जम्मू और काश्मीर) से लेकर 26.7 प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) तक के बीच रही। शिक्षा के व्यय को पूरा करने में धर्मस्व और अन्य स्रोतों से बहुत कम सहायता मिली। राज्य क्षेत्रों में अधिकांश खर्च सरकार ने पूरा किया। केरल (86.3 प्रतिशत) तथा राजस्थान (84.8 प्रतिशत) थे। जम्मू और काश्मीर तथा केरल में स्थानीय मंडलों की निधियों से खर्च के लिए कोई रकम नहीं मिली। परन्तु पंजाब में इन से खर्च का 0.6 प्रतिशत पूरा किया गया। फ़ीस से प्राप्त राशि 4.5 प्रतिशत (जम्मू और काश्मीर) से लेकर 26.7 प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) तक के बीच रही। शिक्षा के व्यय को पूरा करने में धर्मस्व और अन्य स्रोतों से बहुत कम सहायता मिली। राज्य क्षेत्रों में अधिकांश खर्च सरकार ने पूरा किया।

प्रति विद्यार्थी वार्षिक औसत खर्च 64.2 रु० था, जब कि 1957-58 में यह 63.3 रु० था। प्रति छात्र सबसे कम व्यय क्रमशः पश्चिमी बंगाल (78.7 रु०) और बिहार (45.9 रु०) में हुआ। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय का व्योरा सारणी... के खाना 7 में दिया गया है। प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय राज्यों में 3.4 रु० (उड़ीसा) से लेकर 9.8 रु० (केरल) के बीच रहा; और संघ राज्य क्षेत्रों में 5.2 रु० (हिमाचल प्रदेश) से लेकर 28.6 रु० (दिल्ली) के बीच रहा।

सन् 1958-59 में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य वर्ष में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो मुख्य विकास-कार्य हुए हैं उनकी चर्चा कुछ विस्तार के साथ अगले अध्यायों में की गयी है।

राज्य	लड़कों की संस्थाओं पर	
	1957—58	1958—59
1	2	3
	₹०	₹०
आंध्र प्रदेश	15,79,79,845	17,36,00,716
आसाम	5,62,91,964	6,40,40,305
बिहार	14,62,64,520	15,32,02,451
बम्बई	40,30,31,027	44,19,71,846
जम्मू और काश्मीर	1,15,46,377	1,32,03,183
केरल	11,95,62,294	14,96,60,635
मध्य प्रदेश	11,85,13,721	13,80,45,271
मद्रास	21,12,34,591	23,86,70,762
मैसूर	11,20,50,149	13,08,21,385
उड़ीसा	5,14,02,841	5,50,61,562
पंजाब	11,08,24,702	12,28,06,413
राजस्थान	6,75,85,017	7,53,87,277
उत्तर प्रदेश	27,51,39,205	30,22,77,418
पश्चिमी बंगाल	23,63,45,519	25,47,47,462
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3,81,478	5,63,010
दिल्ली	6,55,14,049	5,49,21,738
हिमाचल प्रदेश	59,06,130	63,59,877
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन-दीवी द्वीपसमूह	1,21,821	2,50,526
मनिपुर	32,59,162	43,49,227
त्रिपुरा	1,05,94,882	1,06,18,052
नेफा	17,19,849	22,40,923
पांडिचरी	27,19,668	31,62,466
भारत	2,16,79,88,811	2,39,59,62,525

शिक्षा पर किया गया खर्च

लड़कियों की संस्थाओं पर		जोड़	
1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
4	5	6	7
₹०	₹०	₹०	₹०
1,04,63,310	1,21,60,204	16,84,43,155	18,57,60,920
51,04,481	54,53,846	6,13,96,445	6,94,94,151
94,33,185	1,15,35,679	15,56,97,705	16,47,38,130
4,87,89,110	5,26,16,795	45,18,20,137	49,45,88,641
21,82,097	24,98,300	1,37,28,474	1,57,01,483
79,91,206	83,92,819	12,75,53,500	15,80,53,454
1,43,03,175	1,77,20,530	13,28,16,896	15,57,65,801
1,99,14,841	2,17,43,062	23,11,49,432	26,04,13,824
1,37,50,463	1,42,72,346	12,58,00,612	14,50,93,731
22,88,048	26,55,202	5,36,90,889	5,77,16,764
1,90,46,030	2,09,56,156	12,98,70,732	14,37,62,569
75,35,221	84,44,605	7,51,20,238	8,38,31,882
3,02,59,113	3,24,57,341	30,53,98,318	33,47,34,759
3,07,39,876	3,51,30,562	26,70,85,395	28,98,78,024
..	24,396	3,81,478	5,87,406
1,48,70,144	1,74,75,920	8,03,84,193	7,23,97,658
3,21,037	3,02,714	62,27,167	66,62,611
..	..	1,21,821	2,50,526
1,71,464	2,53,126	34,30,626	46,02,353
8,23,465	9,77,147	1,14,18,347	1,15,95,199
..	..	17,19,849	22,40,923
5,70,109	4,89,793	32,89,777	36,52,259
23,85,56,375	26,55,60,543	2,40,65,45,186	2,66,15,23,068

सारणी XIII—विभिन्न राज्यों में

वृद्धि(+) या कमी(—)		
राज्य	रकम	प्रतिशत
1	8	9
	र०	
आंध्र प्रदेश	+ 1,73,17,765	+ 10.3
आसाम	+ 80,97,706	+ 13.2
बिहार	+ 90,40,425	+ 5.8
बम्बई	+4,27,68,504	+ 9.5
जम्मू और काश्मीर	+ 19,73,009	+ 14.4
केरल	+3,04,99,954	+ 23.9
मध्य प्रदेश	+2,29,48,905	+ 17.3
मद्रास	+2,92,64,392	+ 12.7
मैसूर	+1,92,93,119	+ 15.3
उड़ीसा	+ 40,25,875	+ 7.5
पंजाब	+1,38,91,837	+ 10.7
राजस्थान	+ 87,11,644	+ 11.6
उत्तर प्रदेश	+2,93,36,441	+ 9.6
पश्चिमी बंगाल	+2,27,92,629	+ 8.5
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	+ 2,05,928	+ 54.0
दिल्ली	— 79,86,535	— 9.9
हिमाचल प्रदेश	4,35,444	+ 7.0
लक्कादीव, मिनिंकाय और अमीन-दीवी द्वीपसमूह	+ 1,28,705	+105.7
मनिपुर	+ 11,71,727	+ 34.2
त्रिपुरा	+ 1,76,852	+ 1.5
नेफा	+ 5,21,074	+ 30.3
पांडिचरी	+ 3,62,482	+ 11.0
भारत	+25,49,77,882	+ 10.6

शिक्षा पर किया गया खर्च (जारी)

व्यय का प्रतिशत				
सरकारी निधिया	स्थानीय मंडल निधियां	फ़ीस	धर्मस्व	अन्य
10	11	12	13	14
69.9	11.9	11.3	4.4	2.5
76.0	0.7	17.3	4.4	1.6
67.2	1.8	20.6	1.1	9.3
60.8	8.4	22.6	0.8	7.4
92.1	0.0	4.5	1.3	2.1
86.3	0.0	9.3	0.2	4.2
79.7	5.2	8.2	1.6	5.3
59.4	12.9	15.7	11.1	0.9
72.4	6.0	12.5	0.7	8.4
80.5	0.8	9.2	5.1	4.4
63.3	0.6	25.6	6.3	4.2
84.8	0.8	7.9	4.3	2.2
56.4	7.7	23.4	1.5	11.0
62.0	3.0	26.7	2.3	6.0
95.7	..	2.6	..	1.7
60.0	14.9	16.1	1.0	8.0
95.9	..	2.6	0.2	1.3
100.0
73.3	0.0	18.3	7.2	1.2
91.2	..	5.5	2.3	1.0
100.0
88.2	..	8.2	0.4	3.2
66.7	6.2	18.2	3.0	5.9

सारणी XIII—विभिन्न राज्यों में शिक्षा पर किया गया व्यय (जारी)

राज्य	प्रतिविद्यार्थी औसत वार्षिक खर्च		प्रति- व्यक्ति व्यय
	1957-58	1958-59	
1	15	16	17
	₹०	₹०	₹०
आंध्र प्रदेश	52.7	56.0	5.4
आसाम	50.0	52.8	6.2
बिहार	54.7	45.9	3.7
बम्बई	66.2	67.3	8.6
जम्मू और काश्मीर	56.3	60.0	4.6
केरल	44.1	51.3	9.8
मध्य प्रदेश	64.7	71.0	5.0
मद्रास	63.8	66.0	8.1
मैसूर	52.4	54.2	6.5
उड़ीसा	54.3	51.3	3.4
पंजाब	67.6	73.0	7.4
राजस्थान	80.2	74.2	4.3
उत्तर प्रदेश	66.0	66.9	4.7
पश्चिमी बंगाल	76.3	78.7	8.7
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	108.5	136.7	9.1
दिल्ली	227.6	184.0	28.6
हिमाचल प्रदेश	70.6	72.1	5.2
लक्कादीव, मिनिंकाय और अमीनदिव द्वीपसमूह	49.6	86.8	15.1
मनिपुर	28.3	32.7	6.1
त्रिपुरा	105.8	101.5	10.6
नेफा	377.4	397.8	N.A.
पांडिचरी	96.2	90.1	N.A.
भारत	63.3	64.2	6.3

दूसरा अध्याय

शिक्षा का संगठन और कर्मचारीगण

आलोच्य वर्ष में (क) शिक्षा-संगठन (ख) शिक्षा सेवाओं और (ग) राज्यों के शिक्षा निदेशालय और शिक्षा निरीक्षणालयों के काम में जो मुख्य प्रगति हुई है उसका सर्वेक्षण इस अध्याय में किया गया है।

शिक्षा संगठन

अप्रैल, 1958 में केन्द्रीय शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को दो अलग मन्त्रालयों अर्थात् शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में बांट दिया गया। शिक्षा मंत्रालय को मुख्य रूप से वही काम सौंपे गये जो पिछले संयुक्त मंत्रालय के शिक्षा विभाग में किये जा रहे थे या जो शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और युवक कल्याण से सम्बन्धित थे। इसके अलावा, इन कार्यों से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाएं भी उसे ही सौंप दी गयीं।

आसाम, बम्बई और पंजाब को छोड़कर शेष राज्यों के शिक्षा संगठन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। आसाम के जन शिक्षा निदेशक को उसके अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा सचिव का कार्यभार भी सौंप दिया गया। बम्बई में, पुनर्गठन से पहले के बम्बई राज्य के जिलों के लिए अक्टूबर सन् 1958 में शिक्षा निदेशालय के तीन और क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये। इनके मुख्यालय बम्बई (आठ जिलों के लिए), पूना (छः जिलों के लिए) और अहमदाबाद (आठ जिलों के लिए) में हैं।

इन कार्यालयों का कार्यभार बम्बई शिक्षा सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को सौंपा गया। इन अधिकारियों का पद उपशिक्षा निदेशक के पद के समकक्ष है। पंजाब में, शिक्षा विभाग के जन-शिक्षा निदेशक और संयुक्त जन-शिक्षा निदेशक के क्रमशः पंजाब सरकार के अतिरिक्त सचिव और उप सचिव के पद वापस ले लिए गए और इन पदों पर अलग से पंजाब सिविल सेवा के अधिकारियों को उपसचिव और अवर सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया।

शिक्षा सेवाएं

पिछले वर्षों की तरह, लगभग सभी राज्यों में शिक्षा सेवाओं के दो मुख्य वर्ग थे; अर्थात्

- (1) राज्य शिक्षा सेवाएं:—जिनमें प्रायः प्रथम और द्वितीय दो श्रेणियां थीं; और
- (2) अधीन शिक्षा सेवाएं:—जिनमें विभिन्न श्रेणियां और वेतन-मान थे।

सन् 1958-59 में सभी राज्यों की शिक्षा सेवाओं में अधिकारियों की कुल संख्या 9,060 से बढ़कर 10,064 हो गई (जिन राज्यों में इस प्रकार की शिक्षा सेवाएं नहीं थीं उनके समकक्ष पदों को इस संख्या में शामिल कर लिया गया है)। इनमें से 1,096 पद प्रथम श्रेणी के और 8,968

द्वितीय श्रेणी के थे। इन पदों का शाखावार और श्रेणीवार विभाजन नीचे की सारणी में दिखाया गया है :—

सारणी XIV—शाखाओं के अनुसार राज्य-शिक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की संख्या

शाखाएं	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		जोड़
	पुरुष	स्त्रिया	पुरुष	स्त्रियां	
निदेशन और निरीक्षण	256	22	868	97	1,243
कालेज	676	40	4,922	658	6,296
स्कूल	60	2	1,791	359	2,212
अन्य	39	1	265	8	313
कुल संस्था	1031	65	7,846	1,122	10,064

प्रथम श्रेणी के 1,096 पदों में से 318 पद सीधी भर्ती द्वारा, 606 पदोन्नति द्वारा, और 92 पद स्थानापन्न (आफिशियेटिंग) नियुक्ति द्वारा भरे गये। 80 पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के 8,968 पदों में से 3,761 पद सीधी भर्ती, 4,046 पदोन्नति और 640 पद स्थानापन्न नियुक्ति द्वारा भरे गये और 521 पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की शिक्षा सेवाओं का राज्यों के अनुसार विवरण सारणी XV में दिया गया है।

पंजाब शिक्षा सेवाओं में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के स्त्री और पुरुष कर्मचारियों के वेतन मानों में जो अन्तर था उसे आलोच्य वर्ष से दूर कर दिया गया और स्त्री कर्मचारियों के वेतन-मान भी पुरुषों के वेतनमान के बराबर कर दिये गये।

निदेशन और निरीक्षण

अनेकों सरकारी संस्थाओं के निदेशन और नियंत्रण तथा विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत सब स्कूलों के निरीक्षण का काम बहुत बढ़ रहा था। इन विकास योजनाओं की संख्या को देखते हुए शिक्षा निदेशालयों और निरीक्षणालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देना अनिवार्य हो गया था। विभिन्न राज्यों में निदेशन और निरीक्षण से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या उनके पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं, वेतनमान और उनको सौंपे गये कार्यों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के दूसरे खंड के अन्तर्गत परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

निदेशन और निरीक्षण पर 1958-59 के दौरान कुल मिलाकर 5.68 करोड़ रुपये खर्च हुए। पिछले वर्ष इस पर 4.77 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह रकम, शिक्षा पर किये गये कुल खर्च की 2.1 प्रतिशत थी; जबकि 1957-58 में यह रकम 2.0 प्रतिशत थी। निदेशन और निरीक्षण के काम पर किये गये कुल खर्च के लिए 79.0 प्रतिशत राशि सरकारी निधि से, 2.8 प्रतिशत राशि स्थानीय निधियों से और 0.2 प्रतिशत राशि फीसों से प्राप्त हुई।

सन् 1957-58 और 1958-59 के दौरान विभिन्न राज्यों में निदेशन और निरीक्षण पर किये गये खर्च का व्योरा सारणी में दिया गया है। उड़ीसा और दिल्ली को छोड़कर शेष सभी राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों में इस वर्ष के दौरान निदेशन और निरीक्षण पर किये जाने वाले खर्च में वृद्धि हुई। उड़ीसा और दिल्ली में इस व्यय में कुछ कमी हुई। राज्यों में सबसे अधिक व्यय (27.02 लाख रुपये) उत्तर प्रदेश ने किया। इसके बाद क्रमशः ये राज्य जाते हैं:—बिहार (13.25 लाख रुपये), पंजाब (10.25 लाख रुपये), आंध्र प्रदेश (6.89 लाख रुपये), मद्रास (8.15 लाख रुपये) और केरल (5.33 लाख रुपये)। दूसरे राज्यों में यह वृद्धि ५ लाख रुपये से कम थी। सबसे कम वृद्धि (1.06 लाख रुपये) जम्मू और काश्मीर के व्यय में हुई। सघ राज्य क्षेत्रों और दूसरे राज्य क्षेत्रों में, सबसे अधिक वृद्धि (2.31 लाख रुपये) त्रिपुरा में हुई। शेष राज्य क्षेत्रों में खर्च की वृद्धि की मात्रा 0.94 लाख रुपये (हिमाचल प्रदेश से लेकर 0.06 लाख रुपये (पांडुचेरी) के बीच रही। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में इस मद पर पहली बार 31,400 रुपये की रकम खर्च की गई।

सारणी XV—राज्य शिक्षा सेवा,

राज्य	पदों की कुल संख्या			भरे गये पदों			
	पुरुष	स्त्रियां	जोड़	सीधी भर्ती द्वारा			
				पुरुष	स्त्रियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	
आंध्र प्रदेश	श्रेणी I	29	3	32	2	..	2
	श्रेणी II	257	52	309	23	3	26
आसाम	श्रेणी I	49	..	49	6	..	6
	श्रेणी II	86	2	88	81	1	82
बिहार	श्रेणी I	96	5	101	28	1	29
	श्रेणी II	481	64	545	257	31	288
बम्बई	श्रेणी I	230	4	234	82	1	83
	श्रेणी II	993	42	1,035	424	4	428
जम्मू और कश्मीर	श्रेणी I	1	..	1
	श्रेणी II	371	73	444	23	3	26
केरल	श्रेणी I	30	10	40	7	4	11
	श्रेणी II	869	177	1,046	417	125	542
मध्य-प्रदेश	श्रेणी I	182	9	191	37	1	38
	श्रेणी II	1,731	207	1,938	549	66	615
मद्रास	श्रेणी I	46	3	49	8	..	8
	श्रेणी II	188	34	222	26	5	31
मैसूर	श्रेणी I	113	4	117	34	3	37
	श्रेणी II	237	33	270	70	8	78
उड़ीसा	श्रेणी I	37	2	39	2	..	2
	श्रेणी II	379	34	413	302	24	326
पंजाब	श्रेणी I	41	9	50	4	..	4
	श्रेणी II	226	51	277	6	1	7

श्रेणी I और II

की सख्या								
पदोन्नति द्वारा			स्थानापन्न नियुक्तियों द्वारा			खाली पदों की सख्या		
पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़
8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	3	30
234	49	283
30	..	30	13	..	13
5	1	6
55	4	59	2	..	2	11	..	11
106	12	118	13	4	17	105	17	122
83	3	86	20	..	20	45	..	45
347	36	383	98	1	99	124	1	125
1	..	1
348	70	418
21	6	27	2	..	2
396	50	446	33	..	33	23	2	25
114	7	121	23	1	24	8	..	8
809	81	890	228	47	275	145	13	158
23	1	24	14	2	16	1	..	1
108	15	123	46	13	59	8	1	9
62	1	63	8	..	8	9	..	9
112	24	136	24	..	24	31	1	32
30	2	32	2	..	2	3	..	3
58	10	68	7	..	7	12	..	12
37	9	46
216	50	266	4	..	4

राज्य	पदों की कुल संख्या			भरे गये पदों			
	पुरुष	स्त्रिया	जोड़	मीधी	भर्ती द्वारा		
				पुरुष	स्त्रिया	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	
राजस्थान	{ श्रेणी I श्रेणी II	2 1,272	.. 179	2 1,451	.. 800	.. 111	.. 911
उत्तर प्रदेश	{ श्रेणी I श्रेणी II	67 217	8 34	75 251	37 105	4 ..	41 105
पश्चिमी बंगाल	{ श्रेणी I श्रेणी II	98 320	7 76	105 396	49 131	5 43	54 174
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	{ श्रेणी I श्रेणी II	1	1 ..	1	1 ..
दिल्ली	{ श्रेणी I श्रेणी II	2 85	.. 54	2 139	1 19	.. 16	1 35
हिमाचल प्रदेश	{ श्रेणी I श्रेणी II	1 9	.. 1	1 10	1 1	1 1
मनिपुर	{ श्रेणी I श्रेणी II	2 44	.. 2	2 46	2 37	.. 2	2 39
त्रिपुरा	{ श्रेणी I श्रेणी II	3 64	.. 6	3 70	1 32	.. 5	1 37
नेफा	{ श्रेणी I श्रेणी II	1 15	1 1	2 16	1 9	.. 1	1 10
पांडिचेरी	{ श्रेणी I श्रेणी II	.. 2 2
भारत	{ श्रेणी I श्रेणी II	1,031 7,846	65 1,122	1,096 8,968	303 3,312	19 449	322 3,761

श्रेणी I और II (जारी)

की संख्या								
पदोन्नति द्वारा			स्थानापन्न नियुक्तियों द्वारा			खाली पदों की संख्या		
पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़
8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	..	2
472	68	540
29	4	33	1	..	1
60	18	78	49	15	64	3	1	4
42	2	44	6	..	6	1	..	1
137	22	159	48	10	58	4	1	5
..
..
1	..	1
62	38	100	4	..	4
..
6	1	7	1	..	1	1	..	1
..
7	..	7
2	..	2
11	1	12	3	..	3	18	..	18
..	1	1
4	..	4	2	..	2
8
2	..	2
559	43	602	89	3	92	80	..	80
3,500	546	4,046	550	90	640	484	37	521

राज्य	निदेशन पर	
	1957—58	1958—59
	1	2
	रु०	रु०
आंध्र प्रदेश	8,02,112	7,95,794
आसाम	4,41,317	4,28,400
बिहार	4,30,386	4,82,553
बम्बई	13,20,005	15,10,912
जम्मू और कश्मीर	1,86,200	1,96,600
केरल	6,77,608	9,75,526
मध्य प्रदेश	10,81,705	9,80,076
मद्रास	6,70,472	11,80,362
मैसूर	5,68,434	7,93,234
उड़ीसा	3,51,374	3,07,705
पंजाब	7,52,679	8,38,450
राजस्थान	6,62,254	7,85,365
उत्तर प्रदेश	10,66,924	30,25,126
पश्चिमी बंगाल	4,30,336	4,22,447
अंडमान और निकोबार द्वीपसमुह	..	25,566
दिल्ली	3,54,721	3,64,894
हिमाचल प्रदेश	64,800	17,206
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमुह	..	3,336
मनिपुर	1,80,478†	2,69,230†
त्रिपुरा	1,29,309	2,07,687
नेफा	98,007	2,00,962
पांडिचेरी	71,057	75,639
भारत	1,03,40,178	1,38,87,070

† इसमें निरीक्षण व्यय भी शामिल है।

निरीक्षण पर खर्च

खर्च			
निरीक्षण पर*		जोड़	
1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
4	5	6	7
₹०	₹०	₹०	₹०
26,64,874	33,59,702	34,66,986	41,55,496
16,06,014	17,43,060	20,47,331	21,71,460
39,27,334	51,99,697	43,57,720	56,82,250
53,79,845	56,12,822	66,99,850	71,23,734
4,37,000	5,33,000	6,23,200	7,29,600
21,21,804	23,56,417	27,99,412	33,31,943
27,75,277	30,61,425	38,56,982	40,41,501
33,09,261	34,14,663	39,79,733	45,95,025
26,34,415	28,19,304	32,02,849	36,12,538
11,65,083	12,08,172	15,16,457	15,15,877
19,83,920	29,23,534	27,36,599	37,61,984
19,00,727	19,68,590	25,62,981	27,53,955
46,61,343	54,05,188	57,28,267	84,30,314
19,49,436	23,98,890	23,79,772	28,21,337
..	5,834	..	31,400
3,32,237	1,20,626	6,86,958	4,85,520
2,00,488	3,41,615	2,65,288	3,58,821
1,000	4,913	1,000	8,249
..	..	1,80,478	2,69,230
2,21,209	3,73,496	3,50,518	5,81,183
1,08,641	98,597	2,06,648	2,99,559
.. 11,060	12,271	82,117	87,910
3,73,90,968	4,29,61,816	4,77,31,146	5,68,48,886

* इनमें शामिल हैं...

सारणी—XVI निदेशन और निरीक्षण पर खर्च (जारी)

राज्य	विभिन्न आय स्रोतों से निदेशन और निरीक्षण पर किए गए कल खर्च का प्रतिशत				
	1958-59 से शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का प्रतिशत	सरकारी निधियाँ	स्थानीय मंडलों की निधियाँ	फ्रीस	अन्य आय स्रोत
1	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	2.2	97.2	..	2.8	..
आसाम	3.1	100.0
बिहार	3.4	98.2	1.8
बम्बई	1.4	99.5	0.5
जम्मू और कश्मीर	4.7	100.0
केरल	2.1	100.0
मध्य प्रदेश	2.6	99.4	0.6
मद्रास	1.8	83.0	17.0
मैसूर	2.5	100.0
उड़ीसा	2.6	100.0
पंजाब	2.6	100.0
राजस्थान	3.3	100.0
उत्तर प्रदेश	2.5	92.6	7.4
पश्चिमी बंगाल	1.0	98.3	1.7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.3	100.0
दिल्ली	0.7	100.0
हिमाचल प्रदेश	5.4	100.0
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन्दीवी द्वीपसमूह	3.3	100.0
मनिपुर	5.8	100.0
त्रिपुरा	5.0	100.0
नेफ्रा	13.4	100.0
पांडिचेरी	2.4	100.0
भारत	2.1	97.0	2.8	0.2	..

सारणी के खाना 8 में 1958-59 में शिक्षा संस्थाओं पर खर्च की गयी कुल रकम में से निदेशन और निरीक्षण पर खर्च की गयी प्रतिशत रकम दी गयी है। विभिन्न राज्यों ने यह रकम 4.7 प्रतिशत (जम्मू और कश्मीर) से लेकर 1.0 प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) तक रखी। संघ राज्य क्षेत्रों में यह रकम 13.4 प्रतिशत (नेफ़ा) और 1.5 प्रतिशत (दिल्ली) के बीच रखी। 9 से 12 तक के खानों में विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किये गये खर्च का राज्यवार विवरण दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होगा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सारा खर्च सरकारी निधि से ही पूरा किया गया था।

प्राथमिक शिक्षा

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। शिक्षा-संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई और साथ ही शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हुआ।

आयोजना आयोग के शिक्षा विशेषज्ञ दल (एजुकेशनल पैनल) ने सिफारिश की थी कि देश के सामने सबसे पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि 11 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए देशभर में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 1965-66 तक शुरू कर दी जाय और 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लक्ष्य की पूर्ति अधिक से अधिक 15-20 वर्ष की अवधि में हो जाय। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस सिफारिश को सामान्य रूप से स्वीकार किया। इस कार्यक्रम के वित्तीय पहलू और दूसरी बातें निश्चित करने का काम शुरू किया गया। इस काम में राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया गया।

देश में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जल्दी शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से 1957 में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गयी थी। परिषद् की दूसरी बैठक 10 और 11 अक्टूबर 1958 को हुई। परिषद् ने दूसरी बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों की सिफारिश भी की:—

(क) निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुरन्त कार्यवाही शुरू कर दी जानी चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना, लड़कियों की शिक्षा के विस्तार की केन्द्रीय योजना और विभिन्न राज्यों के चुने हुए खण्डों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरम्भ करने की प्रायोगिक प्रायोजना के अन्तर्गत इस समय जो कार्यक्रमलाप किये जा रहे हैं उन सबको इसी लक्ष्य की सिद्धि में सहायक समझना चाहिए।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नियमित प्रशिक्षण-क्रम द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की पहली टोली तीन वर्ष के बाद ही तैयार हो सकेगी, अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि तीसरी आयोजना में प्रशिक्षित अध्यापक पर्याप्त संख्या में मिल सकें।

यह भी कहा गया था कि तीसरी आयोजना में जिस तेजी के साथ विकास करने का विचार है उस तेजी से विकास का काम संभवतः केवल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकेगा। इसलिए वित्तीय पहलुओं और दूसरी बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को कई अवस्थाओं में बाँटकर वर्तमान संस्थाओं में छुट्टियों में अल्पकालीन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाये। इस सम्बन्ध में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए। इनमें संक्षिप्त समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी शामिल है।

(ग) अध्यापकों के प्रशिक्षण, विशेष रूप से अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्यों की स्वैच्छिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको सहायता की जानी चाहिए।

(घ) परिषद् ने राज्य सरकारों आदि को सलाह दी कि वे निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अपने वर्तमान अधिनियमों पर विचार करें या आवश्यकतानुसार नये विधान बनाएं:—(1) प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना; (2) जहाँ आवश्यकता हो वहाँ राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के वित्तीय संबंधों में नये सिरे से सामंजस्य स्थापित करना और (3) अनिवार्य उपस्थिति के नियमों को लागू करने की क्रियाविधि को सुधारना।

(ड) राज्य सरकारों और केन्द्र में इस काम को करने के लिए आवश्यक प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने या उसे सुदृढ़ बनाने के लिए ठीक समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

(च) ऐसे विशेष उपाय किये जाने चाहिए, जिनसे बच्चे पहली प्राथमिक कक्षा में भर्ती होने के बाद अन्तिम प्राथमिक कक्षा तक शिक्षा जारी रखे और पढ़ाई अधरी न छोड़े।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-अधिनियमों में संशोधन करने या उन्हें अंगीकार करने के काम में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने आलोच्य वर्ष में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में आदर्श विधान तैयार करने का काम शुरू किया। इस सिलसिले में विभिन्न राज्य सरकारों और कुछ दूसरे देशों के अनुभवों को भी ध्यान में रखा गया।

इस आदर्श विधान को सभी राज्य सरकारों के पास भेजने का विचार था ताकि वे स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करके उसे अंगीकार कर सकें।

भारत सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों की सहायता और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की योजना भी शुरू की। इस योजना के अनुसार दूसरी आयोजना के अन्तिम तीन वर्षों में 60,000 अध्यापकों और 15,000 निरीक्षक अधिकारियों की नियुक्ति करने और अध्यापिकाओं के रहने के लिए 6,000 मकान बनाने का विचार था। 1958-59 में केन्द्रीय सरकार ने शत-प्रतिशत सहायता के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों के लिए 15,000 अध्यापकों, निरीक्षक अधिकारियों और निवास-स्थानों का नियतन किया। लगभग सभी राज्य सरकारों ने इस योजना पर काम शुरू किया और कई राज्यों ने और अधिक अध्यापकों के नियतन की माग की।

प्रारम्भिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रायोगिक प्रायोजना शुरू की। इस योजना के अनुसार राज्यों में विज्ञान परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने का विचार था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक परामर्शदाता के कार्य-क्षेत्र में किसी चुने हुए इलाके के लगभग 100 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल होंगे। विज्ञान परामर्शदाताओं को सौंपे गये कार्यों में प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करना, स्कूलों के लिए साज-सामान, पुस्तकों और दृश्य साधनों के विषय में सुझाव देना, प्रारम्भिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए वर्कशॉप सम्मेलनों और अध्ययन-मण्डलों का आयोजन किया करना, विज्ञान के वर्तमान पाठ्य-विवरण का अध्ययन करना, प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श पाठ्य-विवरण तैयार करना तथा अवर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्य-विवरण की जांच करके उनके लिए एक अच्छा पाठ्य-विवरण तैयार करना शामिल है। कई राज्य सरकारों ने कार्यरूप देने के लिए इस योजना को चुन लिया है।

गैर बुनियादी प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी ढंग पर नये सिरे से सगठन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य केवल यह नहीं था कि प्राथमिक शिक्षा को समृद्ध किया जाय, बल्कि यह भी था कि उसमें उचित सामाजिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी जाय। देश के भावी नागरिकों में लोकतंत्रीय मनोवृत्ति का विकास करने के लिए इस प्रकार का सामाजिक दृष्टिकोण नितान्त आवश्यक है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से 1957-58 में भारत के शिक्षा सर्वेक्षण का जो काम शुरू किया था वह आलोच्य वर्ष में पूरा हो गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह था कि नये स्कूल खोलने के लिए ऐसे स्थान निश्चित किये जाय जहाँ कम से कम स्कूलों से अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। आशा है कि सर्वेक्षण से जो जानकारी प्राप्त हुई है वह तीसरी आयोजना में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।

विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आंध्र प्रदेश

शिक्षित बेरोजगारों की सहायता और प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार की योजना के अन्तर्गत 599 नये स्कूल खोले गये और 444 अध्यापक और नियुक्त किये गये ।

उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों की जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम आठ वर्ष का था उसे सात वर्ष के समेकित प्रारंभिक शिक्षाक्रम में परिवर्तित कर दिया गया । इसके बाद आठ वर्ष का माध्यमिक शिक्षा-क्रम होगा ।

बिहार

जिन अध्यापकों का वेतन 100 रुपये प्रति मास से कम था उनके लिए आलोच्य वर्ष में 5 रु० और महंगाई भत्ते की मंजूरी दी गयी ।

शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना के अन्तर्गत 14,10,560 रुपये की अनुमानित लागत से 1950 अध्यापक एकक बनाये गये । जिन प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की पहली दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या प्रति अध्यापक 50 या उससे अधिक थी, उनमें राज्य सरकार ने पारी-पद्धति शुरू करने का निश्चय किया । यह शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए किया गया था ।

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों की संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान 20,000 रुपये का अनुदान मंजूर किया गया ।

बम्बई

आलोच्य वर्ष में बम्बई राज्य के सभी क्षेत्रों में (बम्बई और अहमदाबाद निगमों के क्षेत्रों को छोड़कर) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में परिवर्तन किया गया और अब वे उस प्रकार हैं:—

1. अर्हता-प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापक 40 रुपये

2 प्रशिक्षित अध्यापक :

(क) वरीय प्रशिक्षित अध्यापक

वरण ग्रेड 56-1½-65-2½-70-3-100 (संवर्ग के 20 प्रतिशत के लिए वरण ग्रेड)

(ख) वरीय प्रशिक्षित अध्यापक

वरण ग्रेड 50-1½-65-2½-70-2½-90 (संवर्ग के 15 प्रतिशत अध्यापकों के लिए वरण ग्रेड)

बम्बई राज्य के विभिन्न खण्डों में प्राथमिक शिक्षा को समेकित रूप देने की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई गयी जिसके अध्यक्ष श्री जयंत पांडुरंग नायक थे । समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत कर दिया है । आलोच्य वर्ष में इसकी सिफारिश विचाराधीन थीं ।

जम्मू और काश्मीर

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना के अन्तर्गत बहुत से स्कूल दूर दूर के स्थानों में भी खोले गये । मौजूदा स्कूलों को नारियल की चटाइयां भेज कुर्सी, शिल्प सामग्री आदि खरीदने के लिए अनदान दिये गये ।

पंजाब

शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पंजाब के लिए 540 अध्यापकों का कोटा निश्चित किया था। इनमें से 270 अध्यापक नये स्कूलों में रखे गये और शेष 270 अध्यापक एक अध्यापक वाले उन स्कूलों में रखे गये जिनमें छात्रों की संख्या 50 से अधिक थी।

आलोच्य वर्ष में चार कक्षाओं वाले बहुत से स्कूलों को वर्तमान पद्धति के अनुसार पांच कक्षा वाले स्कूलों में बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा की पद्धति के अनुरूप बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत से स्कूलों में गिल्प की शिक्षा भी शुरू की गई।

राजस्थान

आलोच्य वर्ष में शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना के अन्तर्गत 840 प्राथमिक स्कूल और विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 प्राथमिक स्कूल खोले गये। आलोच्य वर्ष में छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में भर्ती करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया गया। फल-स्वरूप प्राथमिक स्कूलों की भांग बढ़ गयी। प्राथमिक स्कूलों की सामान्य और अतिरिक्त भांग की पूर्ति के लिए आलोच्य वर्ष में बहुत से अध्यापक नियुक्त किये गये। 500 प्राथमिक स्कूलों में गिल्प की शिक्षा शुरू की गई।

उत्तर-प्रदेश

आलोच्य वर्ष में राज्य में पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाती रही। इन कक्षाओं में शिक्षा-शुल्क समाप्त कर देने के कारण स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संस्थाओं की जो आर्थिक हानि हुई उसकी पूर्ति राज्य सरकार ने कर दी। इस मिलमिले में 26,35,405 रुपये का अनुदान दिया गया। राज्य सरकार ने देहाती क्षेत्रों में 1,250 बुनियादी प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए जिला परिषदों को क्रमशः 21,97,766 और 26,14,450 रुपये के आवर्ती और अनावर्ती अनुदान दिये।

पश्चिमी बंगाल

सामान्य प्राथमिक स्कूलों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र अवर बुनियादी स्कूलों में बदलने के लिए आयोजना में एक कार्यक्रम सम्मिलित किया गया था। इसे कई अवस्थाओं में बांट कर क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का काम आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा। सामान्य प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति से उन्हें बुनियादी स्कूलों का रूप देने का काम तेजी से होता रहा।

जिन गांवों में स्कूल नहीं थे उनमें स्कूल खोलने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम को कई अवस्थाओं में बांट कर अमल में लाने का विचार है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की योजना को अमल में लाने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही थी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

इस राज्य क्षेत्र के सभी भागों में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा शुरू करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस कार्य के लिए अर्हता प्राप्त अध्यापकों की भर्ती के लिए कारवाई की गई। अवर बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना से बहुत हद तक प्रशिक्षित अध्यापक प्राप्त करने की समस्या हल हो गई है।

दिल्ली

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के तरीके को सुधारने की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा। स्कूलों में अधिक अच्छी शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने के लिए अनुदान दिये गये।

हिमाचल प्रदेश

200 प्राथमिक स्कूलों को शिल्प का सामान दिया गया और पुराने ढंग के 150 प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया।

मनिपुर

शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की योजना के अन्तर्गत एक अध्यापक वाले 29 स्कूल खोले गये। इसके अतिरिक्त 100 स्कूल मदर्स भी नियुक्त की गई। अधिक बच्चों को स्कूल की ओर आकृष्ट करने के लिए 236 उपस्थिती-छात्रवृत्तियां दी गई। प्रारंभिक स्कूलों को बुनियादी शिक्षा की पद्धति के अनुरूप बनाने के विषय पर आलोच्य वर्ष में कई सगोष्ठियां की गई।

त्रिपुरा

आलोच्य वर्ष में चुने हुए 15 गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों को निर्माण कार्य के लिए 20,000 रुपये की रकम दी गई। 40 प्राथमिक स्कूलों में शिल्प की शिक्षा आरंभ की गई और 112 गैर-बुनियादी कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा शुरू कर दी गयी। आठ प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल, जिनका प्रबंध सरकार करती थी, क्षेत्रीय परिषद् को सौंप दिये गये।

नेफा

नेफा के सभी स्कूलों को बुनियादी शिक्षा की पद्धति के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी। नव प्रशिक्षणक्रमों का आयोजन किया गया और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

पांडिचेरी

वर्तमान प्राथमिक स्कूलों में 15 नये खंड खोलने के अतिरिक्त बिखरे हुए क्षेत्रों में 20 नये प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना भी आलोच्य वर्ष में शुरू की गई। कुछ कक्षाओं में छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें खंडों में बांट दिया गया और उन खंडों के लिए अलग अध्यापक नियुक्त कर किये गये।

स्कूलों की कक्षा प्रणाली

शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्त होने के कारण विभिन्न राज्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा पद्धति का विकास करते रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न भागों में प्राथमिक पाठ्यक्रम की अवधि एक सी नहीं रह सकी। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने के कारण एक राज्य में भी पाठ्यक्रम की अवधि एक सी नहीं रह सकी किन्तु कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में आलोच्य वर्ष में शिक्षा पद्धति में एकरूपता लायी गयी। इस अन्तर के होते हुए भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा सामान्य रूप से पांच वर्ष की और कुछ राज्यों में चार वर्ष की ही थी। विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के जो नाम थे उनके बारे में सारणी XVII में बताया गया है।

प्रशासन और नियंत्रण

देश में प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण और प्रशासन निम्नलिखित में से ही किसी न किसी के हाथ में था:—

(क) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें; (ख) स्थानीय निकाय (इनमें क्षेत्रीय परिषदें भी शामिल हैं), और (ग) गैर-सरकारी संस्थाएं चाहे वे सहायता प्राप्त हों या न हों। अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध मुख्यतः सरकार और स्थानीय मण्डलों के हाथ में था। बिहार, केरल और उड़ीसा में स्कूलों का प्रबंध अधिकांशतः गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। परन्तु गैर-सरकारी स्कूलों की देखरेख भी कुछ सीमा तक राज्य सरकार ही करती थी। राज्य सरकार ने निरीक्षकों द्वारा उन स्कूलों का निरीक्षण किया जाता था।

सारणी XVII—प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा प्रणाली

राज्य	कक्षाओं के नाम	अवधि (वर्षों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	I, II, III, IV और V	5
आसाम	ए०, बी०, I, II और III	5
बिहार	I, II, III, IV और V	5
बम्बई		
(i) पहले का बम्बई राज्य	I, II, III और IV	4
(ii) पहले के मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र (विदर्भ क्षेत्र) और पहले का सौराष्ट्र राज्य	I, II, III और IV	4
(iii) पहले के हैदराबाद राज्य का क्षेत्र (मराठवाडा क्षेत्र)	शिशु कक्षा, I, II, III और IV	5
(iv) पहले का कच्छ राज्य	शिशु कक्षा, I, II, III और IV	5
जम्मू और काश्मीर	I, II, III, IV, और V	5
केरल	श्रेणी (स्टैण्डर्ड) I, II, III और IV	4
मध्यप्रदेश	I, II, III, IV और V	5
मद्रास	माध्यमिक स्कूलों में कक्षा I से V तक और प्राथमिक स्कूलों में श्रेणी (स्टैण्डर्ड) I से V तक	5
मैसूर		
(i) पहले का मैसूर राज्य (सिविल इलाके और बेलारी जिला)	I, II, III, IV और V	5
(ii) दूसरे इलाके	फार्म I, II, III और IV	4
(iii) पहले के बम्बई राज्य का इलाका	I, II, III और IV	4
(iv) पहले के मद्रास और कुर्ग राज्यों के इलाके	I, II, III, IV और V	5
(v) पहले के हैदराबाद राज्य के इलाके	शिशुशिक्षा, I, II, III और IV	5
उड़ीसा	I, II, III, IV और V	5
पंजाब	I, II, III, IV और V	5

प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार स्कूलों का विभाजन

1958-59



सरकार



जिला मंडल



नगर पालिकाएं




गैर-सरकारी
सहायता प्राप्त




गैर-सरकारी
सहायता प्राप्त नहीं


प्राथमिक स्कूल



मिडिल स्कूल



हाई / उच्चतर माध्यमिक स्कूल



सारणी XVII—प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा प्रणाली (जारी)

1	2	3
राजस्थान	I, II, III, IV और V	5
उत्तरप्रदेश	I, II, III, IV और V	5
पश्चिमी बंगाल	I, II, III और IV	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	I, II, III, IV और V	5
दिल्ली	I, II, III, IV और V	5
हिमाचल प्रदेश	I, II, III, IV और V	5
लक्क, दीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	श्रेणी I, II, III, IV और V	5
मनिपुर	ए. बी., I और II	4
त्रिपुरा	I, II, III, IV और V	5
नेफ़ा	ए. बी., I, II और III	5
पांडिचेरी	श्रेणी I, II, III और IV	4

स्कूल

आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों (अवर बुनियादी स्कूलों को मिलाकर) की संख्या में 3317 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या बढ़कर 3,01,564 (2,84,829 लड़कों के लिए और 16,735 लड़कियों के लिए) हो गई। स्कूलों की संख्या में वृद्धि की दर 1.1 प्रतिशत थी, जब कि पिछले वर्ष 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अवर बुनियादी स्कूलों की कुल संख्या 57,069 थी। इनमें 52,890 स्कूल लड़कों के और 4,179 स्कूल लड़कियों के थे। विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के नियन्त्रण में आने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या सारणी में दी गयी है :

सारणी XVIII—विभिन्न प्रबंधक संस्थाओं के नियंत्रण में आने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या

प्रबंध संस्था	1957—58		1958—59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	77,724	26.1	81,939	27.1
जिला मण्डल	1,39,416	46.7	1,39,796	46.4
नगरपालिका	8,859	3.0	8,342	2.8
गैर-सरकारी संस्थाएं—				
सहायता प्राप्त	67,924	22.8	67,779	22.5
जो सहायता प्राप्त नहीं है	4,324	1.4	3,708	1.2
जोड़	2,98,247	100.0	3,01,564	100.0

सारणी XVIII से यह स्पष्ट है कि लगभग आधे प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था और शेष स्कूलों में लगभग आधे स्कूलों का प्रबंध सरकार करती थी और बाकी स्कूलों का गैर-सरकारी संस्थाएँ। इसके अतिरिक्त केवल सरकार और जिलामण्डलों के स्कूलों में ही वृद्धि हुई। नगरपालिका के स्कूलों और गैर-सरकारी स्कूलों की संख्या में जो कमी हुई थी वह इसके कारण केवल दूर ही नहीं हुई बल्कि स्कूलों की कुल संख्या में वृद्धि भी हुई। नगरपालिका और गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूलों की संख्या कम हो जाने का एक कारण यह था कि सरकार ने ऐसे स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और दूसरा कारण यह था कि प्राथमिक बुनियादी स्कूलों को मिडिल/उच्च बुनियादी स्तर का कर दिया गया।

राज्य	लड़के		लड़कियां	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	29,342	30,685	453	440
आसाम	12,516	12,921	707	672
बिहार	27,308	28,539	3,109	3,502
बम्बई	40,144	33,332	1,996	1,269
जम्मू और कश्मीर	1,935	2,159	353	415
केरल	7,014	6,771	38	15
मध्य प्रदेश	23,906	24,639	1,642	1,733
मद्रास	23,431	22,511
मैसूर	20,787	21,871	1,293	1,393
उड़ीसा	15,506	17,953	211	223
पंजाब	10,535	10,533	1,672	1,748
राजस्थान	9,444	10,666	556	553
उत्तर प्रदेश	31,767	32,872	3,203	3,492
पश्चिमी बंगाल	24,522	25,351	934	939
अंडमान और निकोबार				
द्वीपसमूह	44	55
दिल्ली	339	373	191	234
हिमाचल प्रदेश	885	966	15	13
लक्कादीव, मिनिकाय और				
अमीनदीवी द्वीपसमूह	10	6	..	1
मनिपुर	1,058	1,250	44	77
त्रिपुरा	1,041	1,067
नेफ्रा	93	112
पोंडिचेरी	187	197	16	16
भारत	2,81,814	2,84,829	16,433	16,735

प्राथमिक स्कूलों की संख्या

जोड़	संख्या	वृद्धि (+) या कमी (-) प्रतिशत	विभिन्न प्रबंध	संस्थाओं द्वारा
			चलाये जाने वाले	प्राथमिक स्कूलों की
1957—58	1958—59		प्रतिशत	(1958-59)
6	7	8	9	10
			सरकार	
29,795	31,125	+1,330	+ 4.5	28.7
13,223	13,593	+ 370	+ 2.8	10.5
30,417	32,041	+1,624	+ 5.3	0.2
42,140	34,601	-7,539	-17.9	13.7
2,288	2,574	+ 286	+12.5	98.8
7,052	6,786	- 266	- 3.8	41.4
25,548	26,372	+ 824	+ 3.2	59.1
23,431	22,511	- 920	- 3.9	6.6
22,080	23,264	+1,184	+ 5.5	57.4
15,717	18,176	+2,459	+13.4	28.9
12,207	12,281	+ 74	+ 0.6	97.3
10,000	11,219	+1,219	+12.2	92.8
34,970	36,364	+1,394	+ 4.8	2.2
25,456	26,290	+ 834	+ 3.3	4.3
44	55	+ 11	+25.0	100.0
530	607	+ 77	+14.5	..
900	979	+ 79	+ 8.8	87.4
10	7	- 3	-30.0	100.0
1,102	1,327	+ 225	+20.4	5.5
1,041	1,067	+ 26	+ 2.5	0.8
93	112	+ 19	+20.4	100.0
203	213	+ 10	+ 4.9	69.0
2,98,247	3,01,564	+3,317	+ 1.1	27.2

सारणी XIX—विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या (जारी)

विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्रारंभिक स्कूलों की प्रतिशत संख्या (1958-59)

राज्य	जिला मडल	नगरपालिका	गैर-सरकारी संस्थाएं	
			सहायताप्राप्त	जो सहायता प्राप्त नहीं थी
	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	39.0	2.0	30.3	0.0
आसाम	80.5	..	2.6	6.4
बिहार	31.9	3.1	62.3	2.5
बंबई	59.0	4.3	11.9	1.1
जम्मू और कश्मीर	1.2	..
केरल	..	0.0	57.9	0.7
मध्य प्रदेश	36.4	1.6	2.2	0.7
मद्रास	61.7	3.7	27.8	0.2
मैसूर	20.8	1.4	20.3	0.1
उड़ीसा	3.4	0.5	66.5	0.7
पंजाब	..	0.1	1.3	1.3
राजस्थान	3.3	0.4	1.9	1.6
उत्तर प्रदेश	83.9	6.9	5.9	1.1
पश्चिमी बंगाल	80.9	1.8	12.3	0.7
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह
दिल्ली	..	91.6	8.4	..
हिमाचल प्रदेश	12.6	0.0
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मनिपुर	50.7	..	22.2	21.6
त्रिपुरा	80.1	4.5	11.2	3.4
नेफ़ा
पांडिचेरी	30.5	0.5
भारत	46.4	2.8	22.5	1.2

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 3,594 की वृद्धि हुई और उनकी कुल संख्या 271,876 हो गई। यह संख्या प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या की 90 प्रतिशत थी जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 89.7 प्रतिशत थी।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों की जो संख्या थी उसका विवरण सारणी में दिया गया है। बम्बई, केरल, मद्रास तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़

गयी। बम्बई, मद्रास और लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में स्कूलों की संख्या में जो कमी हुई वह वास्तविक नहीं थी। यह कभी उच्चतर प्रारम्भिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में बदल देने के कारण हुई। केरल में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में कमी मुख्यतः इसलिए हुई कि मिडिल स्कूलों के कुछ प्राथमिक खंड 1957-58 में स्वतन्त्र स्कूलों के रूप में दिखाये गये थे। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि (13.4 प्रतिशत) उड़ीसा में हुई। इसके बाद क्रमशः जम्मू और कश्मीर (12.5 प्रतिशत), राजस्थान (12.2 प्रतिशत), मैसूर (5.5 प्रतिशत) और बिहार (5.3 प्रतिशत) आते हैं। अन्य राज्यों में वृद्धि 5.0 प्रतिशत से कम हुई। सबसे कम वृद्धि (0.6 प्रतिशत) पंजाब में हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में पांडिचेरी (25.1 प्रतिशत), अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (25.0 प्रतिशत), मणिपुर और नेफा (प्रत्येक में 20.4 प्रतिशत) और दिल्ली में (14.5 प्रतिशत) उल्लेखनीय वृद्धि हुई। त्रिपुरा में सबसे कम वृद्धि (2.5 प्रतिशत) हुई।

सारणी XIX के खाना 10 से 14 तक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के निर्माण में आने वाले प्राथमिक स्कूलों का अनुपात दिखाया गया है। इससे यह स्पष्ट होगा कि लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह तथा नेफा में शत-प्रतिशत, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में 75 से 100 प्रतिशत तक और मध्य प्रदेश, मैसूर और पांडिचेरी में 50 से 75 प्रतिशत तक प्राथमिक स्कूलों का प्रबन्ध सरकार करती थी। बिहार, केरल और उड़ीसा में अधिकांश स्कूल गैर-सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में थे। शेष राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मण्डल कर रहे थे। दिल्ली में 91.6 प्रतिशत और मणिपुर में 50.7 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मण्डल कर रहे थे।

छात्र

मान्यता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 1958-59 के दौरान शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या 2,43,72,181 (1,68,77,753 लड़के और 74,94,428 लड़कियां) थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 2,47,88,299 (1,71,11,326 लड़के और 76,76,973 लड़कियां) थी। इसका अर्थ यह है कि छात्रों की संख्या 1.7 प्रतिशत कम हो गयी। छात्रों की कुल संख्या में से 54,49,764 छात्र (2,35,869 लड़के और 12,13,895 लड़कियां) अवर बुनियादी स्कूलों में पढ़ रहे थे। विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के नियंत्रण में आने वाले प्राथमिक/अवर बुनियादी स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है:—

प्रबंध संस्था	1957—58		1958—59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	54,76,626	22.1	58,33,088	23.9
जिला मण्डल	1,12,52,356	45.4	1,09,40,272	44.9
नगरपालिका	21,28,982	8.6	17,41,172	7.2
गैर-सरकारी संस्थाएं—				
सहायता प्राप्त	56,15,364	22.7	55,58,362	22.8
जो सहायता प्राप्त नहीं है	3,14,971	1.2	2,99,287	1.2
जोड़	2,47,88,299	100.0	2,43,72,181	100.0

सन् 1958-59 में प्राथमिक स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की कुल संख्या 193,18,103 थी जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 1,90,18,435 थी। यह संख्या देश भर के प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 78.4 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह संख्या 76.7 प्रतिशत थी।

प्राथमिक स्कूलों के छात्रों का राज्यवार विवरण सारणी XX में दिया गया है। जम्बई, मद्रास और लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है उपर्युक्त राज्यों के स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में कमी इसलिए हुई कि, बहुत से उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में बदल दिया गया। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि बिहार में (4.87 लाख) हुई। जिन अन्य राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वे हैं : उत्तर प्रदेश (2.67 लाख), मैसूर (2.11 लाख), उड़ीसा (1.34 लाख) राजस्थान (1.32 लाख), मध्य प्रदेश (1.25 लाख) और पश्चिमी बंगाल (गलभग 1 लाख)। केरल में एक विशेष बात यह रही कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या में कमी होने पर भी भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि वह 17,35,589 से बढ़कर 17,61,379 हो गई। सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि भी बिहार में (52.6 प्रतिशत) हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में (63.7 प्रतिशत) और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में (3.0 प्रतिशत) हुई।

सारणी XXI में केवल प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या दी गयी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए माध्यमिक स्कूलों के प्राथमिक विभागों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए और प्राथमिक स्कूलों से सम्बद्ध पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या इसमें से निकाल दी जानी चाहिए। इसी आधार पर सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों की प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या सारणी XXI में दी गयी है। सारणी से स्पष्ट होगा कि प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 2,73,70,211 से बढ़कर 3,00,41,251 तक पहुँच गई। इस प्रकार इस संख्या में 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि पिछले वर्ष 5.5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। आलोच्य वर्ष में प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या और सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 72.0 प्रतिशत से बढ़कर 72.5 प्रतिशत होगया। इस संबंध में विभिन्न राज्यों की स्थिति को तुलना करते समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की संख्या के अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए।

सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के काम में जो प्रगति हुई है उसका वास्तविक विवरण सारणी XXII में दिया गया है। इस सारणी में पहली से पाँचवी तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की जो संख्या दी गयी है उसका सम्बन्ध 6 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की अनुमानित संख्या से है। साथ ही उनका प्रतिशत भी दे दिया गया है। सारणी से ज्ञात होगा कि पूरे देश में स्कूल की पहली से पाँचवी तक की कक्षाओं में 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों की कुल अनुमानित संख्या में से लगभग 57.3 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल की शिक्षा का लाभ उठा सके थे। बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और संघ राज्य क्षेत्रों में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में पढ़नेवाले बच्चों की औसत संख्या देश की औसत संख्या से कम थी। आलोच्य वर्ष के अन्त तक केवल दो राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में 6-11 साल की उम्र के 75 प्रतिशत से अधिक बच्चों को स्कूल शिक्षा की सुविधाएं दी जा सकी थी। इस सम्बन्ध में लड़कियों की स्थिति तो बहुत ही असंतोषजनक थी।

सह-शिक्षा

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा पाने वाली 74,94,428 लड़कियों में से 60,65,831 या 80.9 प्रतिशत लड़कियां लड़कों के स्कूलों में भर्ती हुई थी। पिछले वर्ष यह संख्या 79.8 प्रतिशत थी। सारणी XXIII में इनकी राज्यवार स्थिति दे दी गयी है। इससे ज्ञात होगा कि मद्रास, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा और नेफा में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं थे; और आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में 90.0 प्रतिशत से अधिक लड़कियां लड़कों के स्कूलों में भर्ती हुई थीं। जिन अन्य राज्यों में लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों का अनुपात काफी अधिक था व इस प्रकार थे:—

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (89.4 प्रतिशत) आसाम, (88.9 प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (86.3 प्रतिशत), मैसूर (74.8 प्रतिशत), पांडिचेरी (81.9 प्रतिशत) और बंबई (77.0 प्रतिशत)। केवल तीन राज्यों—पंजाब, दिल्ली और जम्मू तथा काश्मीर में—अधिकांश लड़कियां लड़कियों के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रही थी।

पढ़ाई पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ना

प्राथमिक स्तर पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या काफी अधिक रही। सन् 1955-56 में पहली कक्षा में दाखिल होने वाले हर सौ लड़कों में से केवल 41 लड़के ही 1958-59 में चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बीच में स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दी। बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्रमशः 34.8 और 43.3 थी। इस स्तर पर इनके स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण जनता की आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा की उपयुक्त सुविधाओं का अभाव, पढ़ाई का खराब तरीका और स्कूल का अनुपयुक्त वातावरण थे। राज्य सरकारों को इन समस्याओं की जानकारी थी और वे इनके समाधान के लिए प्रयत्न कर रही थी।

राज्य	लड़कों के स्कूलों में		लड़कियों के
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	24,50,829	25,07,728	45,984
आसाम	7,99,133	8,42,170	46,826
बिहार	15,57,779	20,05,531	1,35,535
बंबई	35,83,119	21,90,028	4,60,454
जम्मू और काश्मीर	1,03,119	1,09,452	16,888
केरल	17,19,206	17,55,886	16,383
मध्यप्रदेश	12,56,050	13,61,304	1,14,218
मद्रास	27,55,747	23,24,475	..
मैसूर	14,54,548	16,44,735	1,63,197
उड़ीसा	6,96,470	8,28,582	14,022
पंजाब	7,56,703	7,66,773	1,78,990
राजस्थान	4,60,067	5,89,405	46,188
उत्तर प्रदेश	29,76,545	32,03,134	2,80,505
पश्चिमी बंगाल	22,34,201	23,28,099	1,31,438
अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,030	3,324	..
दिल्ली	83,509	1,00,943	42,992
हिमाचल प्रदेश	42,310	43,614	1,084
लक्कादिव, मिन्काय और अमी-दीवी द्वीपसमूह	2,324	1,440	..
मनिपुर	76,913	88,284	5,008
त्रिपुरा	64,777	68,453	..
नेफ्रा	3,211	3,805	..
पांडिचेरी	9,216	12,638	781
भारत	2,30,87,806	2,27,79,803	17,00,493

छात्रों की संख्या

स्कूलों में	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	1958—59	1957—58	संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9
45,338	24,96,813	25,53,066	+ 56,253	+ 2.3
48,279	8,45,959	8,90,449	+ 44,490	+ 52.6
1,75,076	16,93,314	21,80,607	+ 4,87,293	+ 28.8
2,09,621	40,43,573	23,99,649	- 16,43,924	- 40.6
20,080	1,20,007	1,29,532	+ 9,525	+ 7.9
5,493	17,35,589	17,61,379	+ 25,790	+ 1.5
1,33,884	13,70,268	14,95,188	+ 1,24,920	+ 9.1
..	27,55,747	23,24,475	- 4,31,272	- 15.6
1,84,308	16,17,745	18,29,043	+ 2,11,298	+ 13.1
15,957	7,10,492	8,44,539	+ 1,34,047	+ 18.9
1,74,936	9,35,693	9,41,709	+ 6,016	+ 0.6
49,128	5,06,255	6,38,533	+ 1,32,278	+ 26.1
3,20,428	32,57,050	35,23,562	+ 2,66,512	+ 8.2
1,37,346	23,65,639	24,65,445	+ 99,806	+ 4.2
..	2,030	3,324	+ 1,294	+ 63.7
59,491	1,26,501	1,60,434	+ 33,933	+ 26.8
1,091	43,394	44,705	+ 1,311	+ 3.0
65	2,324	1,505	- 819	- 35.2
10,679	81,921	98,963	+ 17,042	+ 20.8
..	64,777	68,453	+ 3,676	+ 5.7
..	3,211	3,805	+ 594	+ 18.5
1,178	9,997	13,816	+ 3,819	+ 38.2
15,92,378	2,47,88,299	2,43,72,181	- 4,16,118	- 1.7

सारणी XXI—प्राथमिक स्तर पर

राज्य	लड़के		लड़कियाँ
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	16,00,220	16,58,245	9,66,580
आसाम	5,94,231	6,14,771	3,26,396
बिहार	16,09,305	19,95,472	3,82,007
बम्बई	29,51,178	31,08,527	16,41,687
जम्मू और काश्मीर	1 27,479	1,37,276	26,568
केरल	11,71,570	12,22,234	9,71,754
मध्य प्रदेश	12,97,531	14,11,040	3,14,709
मद्रास	17,22,253	18,62,176	10,13,499
मैसूर	10,41,731	12,86,747	6,09,828
उड़ीसा	5,64,623	6,67,884	1,91,180
पंजाब	9,58,436	9,58,465	3,93,635
राजस्थान	5,55,958	6,77,817	1,21,899
उत्तर प्रदेश	27,24,070	29,22,135	6,38,961
पश्चिमी बंगाल	15,82,956	16,27,307	8,08,110
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,443	1,703	819
दिल्ली	1,25,172	1,31,436	82,375
हिमाचल प्रदेश	57,004	57,491	10,467
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1,703	1,745	621
	58,263	65,185	23,606
त्रिपुरा	49,461	51,667	23,067
नेफा	3,426	4,362	476
पांडिचेरी	14,877	16,803	9,077
भारत	1,88,12,890	2,04,80,488	85,57,321

छात्रों की संख्या

1958—59	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	1957—58	1958—59	संख्या	
5	6	7	8	9
10,00,831	25,66,800	26,59,076	+ 92,276	+ 3.6
3,51,429	9,20,627	9,66,200	+ 45,573	+ 5.0
5,76,983	19,91,312	25,72,455	+ 5,81,143	+29.2
17,73,243	45,92,865	48,81,770	+ 2,88,905	+ 6.3
29,628	1,54,047	1,66,904	+ 12,857	+ 8.3
10,51,579	21,43,324	22,73,813	+ 1,30,489	+ 6.1
3,65,168	16,12,240	17,76,208	+ 1,63,968	+10.2
11,19,125	27,35,752	29,81,301	+ 2,45,549	+ 9.0
7,52,439	16,51,559	20,39,186	+ 3,87,627	+23.5
2,29,510	7,55,803	8,97,394	+ 1,41,591	+18.7
4,12,112	13,52,071	13,70,577	+ 18,506	+ 1.4
1,52,928	6,77,857	8,30,745	+ 1,52,888	+22.6
7,09,838	33,63,031	36,32,073	+ 2,69,042	+ 8.0
8,59,349	23,91,066	24,86,656	+ 95,590	+ 4.0
1,003	2,262	2,706	+ 44	+19.6
94,070	2,07,547	2,25,506	+ 17,959	+ 8.7
12,854	67,471	70,345	+ 2,874	+ 4.3
875	2,324	2,620	+ 296	+12.7
32,844	81,869	98,029	+ 16,160	+19.7
23,565	72,528	75,232	+ 2,704	+ 3.7
605	3,902	4,967	+ 1,065	+27.3
10,685	23,954	27,488	+ 3,534	+14.8
95,60,763	2,73,70,211	3,00,41,251	+26,71,040	+ 9.8

सारणी XXII—6—11 साल तक की उम्रवाले बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं

राज्य	पहली से लेकर पांचवी तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या			6—11 साल तक के बच्चों की कुल संख्या की तुलना में पहली से लेकर पांचवी तक कक्षाओं में भर्ती होनेवाले बच्चों की प्रतिशत संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	16,58,245	10,00,831	26,59,076	74.4	44.5	59.4
आसाम	6,14,771	3,51,429	9,66,200	72.3	43.4	58.2
बिहार	19,95,472	5,76,983	25,72,455	69.3	20.2	44.8
गुजरात	34,75,760	19,09,064	53,84,824	92.2	49.6	69.2
गुजरात और काश्मीर	1,37,276	29,628	1,66,904	62.4	14.8	39.7
हरियाणा	12,22,234	10,51,579	22,73,813	98.8	98.8	98.8
पंजाब प्रदेश	14,11,040	3,65,170	17,76,210	67.5	17.5	43.7
झारखण्ड	18,62,176	11,19,125	29,81,301	91.3	55.4	73.4
केरल	12,86,747	7,52,439	20,39,186	93.9	52.6	72.8
कोलकाता	6,67,884	2,29,510	8,97,394	60.2	25.8	44.9
मद्रास	9,58,465	4,12,112	13,70,577	70.0	33.2	52.5

राजस्थान	6,77,817	1,52,928	8,30,745	50.2	11.9	31.6
उत्तर प्रदेश	29,22,135	7,09,938	36,32,073	61.1	18.8	42.5
पश्चिमी बंगाल	17,86,878	9,03,236	26,90,114	85.9	43.6	64.8
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,703	1,003	2,706	34.1	50.2	38.7
दिल्ली	1,31,436	94,070	2,25,506	77.3	62.7	70.5
हिमाचल प्रदेश	57,491	12,854	70,345	71.9	16.1	44.0
लक्कादिव, मित्रिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1,745	875	2,620	*	*	*
मनिपुर	72,222	34,631	1,06,853	*	*	98.9
त्रिपुरा	51,667	23,565	75,232	73.8	29.5	70.5
नेफा	4,362	605	4,967	*	*	*
पांडिचेरी	16,803	10,685	27,488	*	*	*
भारत	2,10,14,329	97,42,260	3,07,56,589	76.0	37.5	57.3

* अप्राप्य ।

सारणी XXIII—प्राथमिक स्कूलों में लड़कियां

राज्य	लड़के के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	लड़कियों की संख्या की तुलना में लड़कों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या की प्रतिशत
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	9,24,987	34,386	9,59,373	96.4
आसाम	2,85,702	35,831	3,21,533	88.9
बिहार	3,65,203	1,39,412	5,04,615	72.4
बंबई	6,20,993	1,85,496	8,06,489	77.0
जम्मू और कश्मीर	991	20,080	21,071	4.7
केरल	8,12,308	5,196	8,17,504	99.4
मध्य प्रदेश	1,69,754	1,31,114	3,00,898	56.4
मद्रास	8,53,410	..	8,53,410	100.0
मैसूर	5,15,973	1,73,647	6,89,620	74.8
उड़ीसा	2,06,520	14,545	2,21,065	93.4
पंजाब	1,19,194	1,55,774	2,74,968	43.3
राजस्थान	56,703	47,299	1,04,002	55.6
उत्तर प्रदेश	3,25,242	3,08,002	6,33,244	51.4
पश्चिमी बंगाल	7,36,471	1,17,268	8,53,739	86.3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,280	..	1,280	100.0
दिल्ली	15,588	49,551	65,139	23.9
हिमाचल प्रदेश	5,833	618	6,451	90.4
लक्कादीव, मिनिगाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	546	65	611	89.4
मणिपुर	23,570	9,404	32,974	71.5
त्रिपुरा	21,182	..	21,182	100.0
नेफ़ा	414	..	414	100.0
पांडिचेरी	3,967	879	4,846	81.9
भारत	60,65,831	14,28,597	74,94,428	80.9

एक अध्यापक वाले स्कूल

आलोच्य वर्ष में एक अध्यापक वाले स्कूलों की संख्या 1,23,248 से बढ़कर 1,26,238 हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिए इस योजना के अन्तर्गत ऐसे कई नये स्कूल खोले गये थे। कुल प्राथमिक स्कूलों की तुलना में इन स्कूलों की प्रतिशत संख्या 41.3 से बढ़कर 41.8 हो गई। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 49,29,147 थी जो कि प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले बच्चों की कुल संख्या का 20.2 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह संख्या केवल 44,68,186 या प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या का 18.0 प्रतिशत थी।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एक अध्यापक वाले स्कूलों के आकड़े सारणी XXIV में दिये गये हैं। आसाम, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, त्रिपुरा और नेफा को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन स्कूलों की संख्या बढ़ गयी। उपयुक्त राज्यों में एक अध्यापक वाले स्कूलों की संख्या कम होने का मुख्य कारण यह था कि वहां इन स्कूलों के स्थान पर बहु-अध्यापक स्कूल बना दिये गये। प्रतिशत के आधार पर प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में एक-अध्यापक वाले स्कूलों का अधिकतम अनुपात जम्मू और काश्मीर (70.0 प्रतिशत), बम्बई (65.6 प्रतिशत), राजस्थान (62.3 प्रतिशत) आसाम (60.7 प्रतिशत), बिहार (59.6 प्रतिशत), उड़ीसा (55.9 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (53.9 प्रतिशत) में था। शेष राज्यों में यह प्रतिशत संख्या 45.3 प्रतिशत (मैसूर) और 0.4 प्रतिशत (केरल) के बीच रही। संघ राज्यक्षेत्रों में एक-अध्यापक वाले स्कूलों की प्रतिशत-संख्या पहले की तरह अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ही सबसे अधिक (61.8) रही। दूसरे राज्य क्षेत्रों में यह संख्या 60.1 प्रतिशत (पाण्डीचरी) और 20.6 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) के बीच में रही।

अनिवार्यता

आलोच्य वर्ष में जम्मू और काश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अनिवार्य शिक्षा किसी न किसी हद तक लागू रही। संघ राज्यक्षेत्रों में केवल दिल्ली के ही कुछ भागों में अनिवार्य शिक्षा लागू रही। जिन कस्बों (या कस्बों के कुछ भागों) में अनिवार्य शिक्षा लागू की गयी, उनकी कुल संख्या 1,314 (1957-58) से घटकर 1958-59 में 1,199 हो गई; जब कि अनिवार्य शिक्षा वाले गावों की संख्या 55,168 से बढ़कर 56,976 हो गई। जिन क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू थी उनमें आलोच्य वर्ष में स्कूलों की संख्या 64,064 (13,227 शहरों में और 50,837 गांवों में) से बढ़कर 66,072 (14,173 शहरों में और 51,899 गावों में) हो गई। इन स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 72,44,657 (28,40,278 शहरी क्षेत्रों में और 44,04,379 ग्रामीण क्षेत्रों में) थी। इन इलाकों में अनिवार्य शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या स्कूल जाने की उम्रवाले बच्चों की कुल संख्या का 13.5 प्रतिशत थी। अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए उन संरक्षकों को जिन्होंने अपने बच्चों के नाम स्कूल में नहीं लिखा था 6,97,834 नोटिस भेजे गये और जिन संरक्षकों के बच्चे स्कूल से गैरहाजिर रहे थे उन्हें 2,36,908 उपस्थिति-आदेश भेजे गये। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में लगभग 27 हजार व्यक्तियों पर नाम न लिखाने के लिए और 48 हजार व्यक्तियों पर स्कूल से गैरहाजिरी के लिए मुकदमा चलाया गया। जुर्माने के रूप में 14,483 रुपये वसूल किये गये। राज्य सरकारों के प्रवर्तन-अमले में 842 उपस्थिति अधिकारी थे जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 799 थी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी आंकड़ों के राज्यवार व्योरे सारणी XXI में दिये गये हैं। जहां तक स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने में कुछ-न-कुछ प्रगति जरूर हुई है। फिर भी इन क्षेत्रों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है।

सारणी XXIV—एक प्राध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों

राज्य	स्कूलों की संख्या		छात्रों की
	1957—58	1958—59	
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	9,961	11,309	3,42,929
आसाम	7,897	6,972	3,29,110
बिहार	18,843	19,104	6,96,718
बम्बई	21,195	20,862	1,77,829
जम्मू और कश्मीर	1,736	1,801	78,247
केरल	173	30	11,267
मध्य प्रदेश	14,273	14,217	4,42,493
मद्रास	5,229	5,788	2,23,079
मैसूर	10,991	10,546	3,79,889
उड़ीसा	8,960	9,956	2,63,299
पंजाब	4,944	4,663	2,21,766
राजस्थान	6,711	6,995	2,12,932
उत्तर प्रदेश	7,356	8,878	3,01,189
पश्चिमी बंगाल	3,709	3,773	1,50,758
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33	34	1,100
हिमाचल प्रदेश	184	202	6,632
मनिपुर	352	459	13,292
त्रिपुरा	533	492	9,475
नेफ़ा	41	29	1,132
पांडिचेरी	127	128	5,050
भारत	1,23,248	1,26,238	44,68,186

और उनमें भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या

संख्या	स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में एक अध्यापक वाले स्कूलों की प्रतिशत संख्या		प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या की तुलना में एक अध्यापक वाले स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
	5	6	7	8
3,97,026	33.4	36.3	13.7	15.6
2,91,658	59.7	60.7	38.9	32.8
8,70,058	61.9	59.6	41.1	39.9
7,70,417	50.3	65.6	19.2	32.1
83,265	75.9	70.0	65.2	64.3
1,735	2.5	0.4	0.6	1.0
4,32,332	65.9	53.9	32.3	28.9
2,47,896	22.3	25.7	8.1	10.7
4,88,479	49.8	45.3	23.5	26.7
2,97,205	57.0	55.9	37.1	35.2
1,97,322	40.5	38.0	23.7	21.0
2,37,498	67.1	62.3	42.1	37.2
4,13,689	21.0	24.4	9.2	11.7
1,54,230	14.6	14.4	6.4	6.3
1,051	75.0	61.8	54.2	31.6
7,204	20.4	20.6	15.3	16.1
17,759	31.9	34.6	16.2	17.9
13,688	51.2	46.1	14.6	20.0
978	44.1	25.9	35.3	25.7
5,657	62.6	60.1	50.5	40.9
49,29,147	41.3	41.9	18.0	20.2

सारणी XXV—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

राज्य	अनिवार्य शिक्षा पाने वाला वयोवर्ग		अनिवार्य शिक्षा वाले इलाकों की संख्या		अनिवार्य स्कूलों की
	कस्बे	गांव	कस्बे	गांव	कस्बे
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	6—11 6—12	6—11 6—12	161	1,186	1,056
आसाम	6—11	6—11	14	4,407	135
बिहार	6—10	6—11 6—14	16	55	697
बम्बई	6—10 6—11 6—13 6—14 7—11 7—14	6—11 6—14 7—11	287	27,918	3,749
केरल	5—10 5—11 5—14 6—12 6—14	5—10 5—11 6—11 6—12 6—14	18	185	197
मध्य प्रदेश	6—11 6—14	6—11 6—14	214	3,972	972
मद्रास	5—10 6—12	5—10 6—12	229	1,719	2,179
मैसूर	6—10 6—11	6—10 6—11	126	4,244	2,003
उड़ीसा	6—11	6—11	2	8	17
पंजाब	6—11	6—11 6—12	34	4,841	254
राजस्थान	..	6—11	..	706	..
उत्तर प्रदेश	6—11	6—11	95	1,687	2,557
पश्चिमी बंगाल	6—10	6—11	1	5,743	68
दिल्ली	6—11	6—11	1	305	289
भारत			1,198	56,976	14,173

के राज्यवार आंकड़े

शिक्षा वाले संख्या	कस्बों और गांवों में अनिवार्य शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या		जोड़	जारी किए गए नोटिसों की संख्या	
	कस्बे	गांव			
गांव	7	8	9	10	11
	1,937	1,87,518	2,43,167	4,30,685	55,237
	3,591	23,290	3,13,452	3,36,742	21,306
	40	68,813	3,856	72,669	6,832
	27,154	9,33,726	19,35,336	28,69,062	4,00,074
	1,022	76,000	2,58,501	3,34,501	..
	1,851	1,36,191	92,105	2,28,296	18,155
	1,830	6,02,401	3,45,936	9,48,337	3,993
	7,765	1,88,306	5,65,749	7,04,055	20,194
	6	1,586	781	2,367	336
	2,288	66,882	2,23,071	2,99,953	1,762
	481	..	30,141	30,141	..
	589	4,39,444	64,795	5,04,239	1,68,701
	3,039	6,935	3,27,120	3,34,055	1,244
	306	1,09,186	43,369	1,49,555	..
	51,899	28,40,278	44,57,379	72,44,657	6,97,834

सारणी XXV—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के राज्यवार आंकड़े (जारी)

राज्य	दबाव डालने वाले उपाय				अधिकारियों की उपस्थिति संख्या
	जारी किए गए आदेशों की उपस्थिति संख्या	अभियोजनों की संख्या			
		नाम न लिखाने के कारण	गैरहाजिरी के कारण	जिनसे जुर्माना वसूल किया गया	
1	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	34,160	11,503	22,826	562	..
आसाम	7,081	1,194	1,434	359	81
बिहार	231	39
बम्बई	1,01,090	6,435	11,132	2,471	161
केरल
मध्य प्रदेश	5,072	389	1,274	1,344	147
मद्रास	3,424
मैसूर	11,782	537	687	688	45
उड़ीसा	200	..	34	39	1
पंजाब	..	560	..	488	83
राजस्थान	9
उत्तर प्रदेश	73,868	6,758	10,234	8,532	268
पश्चिमी बंगाल
दिल्ली	8
भारत	2,36,908	27,376	47,621	14,483	842

अध्यापक

आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की संख्या में 34,455 की कमी हो गई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 6,94,784 हो गई। इनमें 16.9 प्रतिशत अध्यापिकायें थीं, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या कुल संख्या का 17.5 प्रतिशत थी। प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई और इनकी संख्या 63.6 प्रतिशत से बढ़कर अध्यापकों की कुल संख्या का 63.7 प्रतिशत हो गई। अध्यापकों की कुल संख्या में से 1,48,230 अध्यापक अवर बुनियादी स्कूलों में काम कर रहे थे।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की संख्या सारणी XXVI में दी गयी है। बर्मा, केरल, मद्रास, लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीप समूह और त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई। बर्मा, मद्रास और लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में अध्यापकों की संख्या में कमी होनेका कारण यह था कि वहां उच्चतर प्रारम्भिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के रूप में नये सिरे से वर्गीकृत कर दिया गया था। यह पहले भी बताया जा चुका है। दिल्ली में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत सबसे अधिक (99.1) था। इसके बाद क्रमशः लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (97.5), मद्रास (96.8), केरल (93.2) और पंजाब (91.0) आते हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इनकी प्रतिशत संख्या 81.8 (आंध्र) और 7.7 (मनिपुर) के बीच रही। दस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या की अपेक्षा अधिक थी। सारणी XXVI का खाना (11) और (12) देखने से यह ज्ञात होगा कि बर्मा, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और मनिपुर को छोड़कर शेष सभी राज्यों के प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि हुई।

अध्यापकों और छात्रों का अनुपात

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक स्कूलों में प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या 35 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 34 थी। खाना (13) और (14) में 1957-58 और 1958-59 में प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या का राज्यवार तुलनात्मक विवरण दिया गया है। सन् 1958-59 में राज्यों में यह औसत संख्या 41 (केरल) और 28 (उड़ीसा) के बीच और संघ राज्यक्षेत्रों में 35 (दिल्ली) और 20 नेफ्रा के बीच रही।

अध्यापकों के वेतनमान

बर्मा राज्य में अध्यापकों के वेतनमानों में परिवर्तन किया गया। बिहार, मद्रास और उड़ीसा राज्य सरकारों ने आलोच्य वर्ष में कुछ वर्गों के अध्यापकों के महंगाई भत्ते में 5 रुपये बढ़ाने की मंजूरी दी। अध्यापकों की अर्हताओं और स्कूलों की प्रबंध संस्थाओं के अनुसार अध्यापकों के वेतनमानों का राज्यवार व्योरा इस रिपोर्ट के द्वितीय खण्ड के परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। विभिन्न राज्यों के अध्यापकों के वेतनमानों में तो अन्तर था ही, साथ ही एक ही राज्य में भी अलग-अलग प्रबंध संस्थाओं के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में भी अन्तर था।

सारणी XXVI—प्राथमिक स्कूलों में

अध्यापकों की

राज्य	पुरुष		महिलाएं	
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	49,691	12,438	12,192	1,337
आसाम	7,468	12,596	998	2,000
बिहार	36,361	11,696	1,832	2,393
बंबई	24,420	33,093	11,243	5,031
जम्मू और कश्मीर	1,819	1,521	303	223
केरल	24,070	1,267	16,339	1,668
मध्य प्रदेश	18,041	27,569	2,534	2,493
मद्रास	42,322	1,977	20,914	134
मैसूर	17,624	26,485	4,997	3,580
उड़ीसा	11,831	17,935	311	264
पंजाब	17,006	1,679	5,536	559
राजस्थान	8,718	9,369	1,099	1,066
उत्तर प्रदेश	64,892	14,680	4,635	4,349
पश्चिमी बंगाल	25,983	44,331	2,573	4,215
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	61	7	17
दिल्ली	2,562	19	1,978	21
हिमाचल प्रदेश	1,083	645	142	41
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	35	..	4	1
मनिपुर	235	2,952	20	92
त्रिपुरा	394	1,737	85	294
नेफ्रा	157	33	6	4
पांडिचेरी*	138	189	43	53
भारत	3,54,886	2,22,272	87,791	29,835

*इसमें मिडिल स्कूलों के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

अध्यापकों की संख्या


संख्या		जोड़	1957-58 में अध्यापकों की कुल संख्या	वृद्धि (+) या कमी (-)
प्रशिक्षित	कुल व्यक्ति अप्रशिक्षित			
6	7	8	9	10
61,883	13,775	75,658	74,232	+ 1,426
8,466	14,596	23,062	21,760	+ 1,302
38,193	14,089	52,282	50,359	+ 1,923
35,663	38,124	73,787	1,13,558	-39,771
2,122	1,744	3,866	3,623	+ 243
40,409	2,935	43,344	44,069	- 725
20,575	30,062	50,637	47,544	+ 3,093
63,236	2,111	65,347	84,689	-19,342
22,639	30,065	52,704	50,651	+ 2,053
12,142	18,199	30,341	26,093	+ 4,248
22,542	2,238	24,780	24,417	+ 363
9,817	10,435	20,252	17,469	+ 2,783
69,527	19,029	88,556	85,353	+ 3,203
28,556	48,546	77,102	74,586	+ 2,516
25	78	103	59	+ 44
4,540	40	4,580	3,565	+ 1,015
1,225	686	1,911	1,649	+ 262
39	1	40	47	- 7
255	3,044	3,299	2,491	+ 808
479	2,031	2,510	2,529	- 19
163	37	200	161	+ 39
181	242	423	335	+ 88
4,42,677	2,52,107	6,94,784	7,29,239	-34,455

यह आंकड़े अलग से प्राप्त नहीं हैं ।

सारणी XXVI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (जारी)

राज्य	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत		प्रति अध्यापक बच्चों की औसत संख्या	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	82.0	81.8	34	34
आसाम	36.4	36.7	39	39
बिहार	69.1	73.1	34	42
बम्बई	50.3	48.3	36	33
जम्मू और काश्मीर	52.7	54.9	33	34
केरल	93.1	93.2	39	41
मध्य प्रदेश	34.3	40.6	29	30
मद्रास	94.7	96.8	33	36
मैसूर	44.7	43.1	32	35
उड़ीसा	41.6	40.0	27	28
पंजाब	89.8	91.0	38	38
राजस्थान	41.6	48.5	29	32
उत्तर प्रदेश	79.5	78.5	38	40
पश्चिमी बंगाल	36.5	37.0	32	32
द्वीपसमूह				
द्वीपसमूह	28.8	24.3	34	32
दिल्ली	99.5	99.1	35	35
हिमाचल प्रदेश	60.8	64.1	26	23
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	91.5	97.5	49	38
मनिपुर	7.9	7.7	33	30
त्रिपुरा	16.6	19.1	26	27
नेफ़ा	73.3	81.5	20	20
पांडिचेरी	41.5	45.2	30	33
भारत	63.6	63.7	34	35

प्राथमिक, मिडिल और हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का प्रतिशत



सारणी XXVII—सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं	वेतन मान		अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने का समय (वर्षों में)
		न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5
(क) आंध्र प्रदेश	मिडिल/उच्चतर प्रारंभिक में उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	30	50	20
(ख) मद्रास		30	50	20
(ग) पाण्डिचेरी		30	50	20
(क) उत्तर प्रदेश	मिडिल पास और प्रशिक्षित	35	65	15
(ख) मनिपुर	मिडिल पास और 'गुरु' का प्रशिक्षण प्राप्त	35	45	10
(क) केरल	एस. एस. एल. सी. पास और प्रशिक्षित	40	120	17
(ख) मैसूर	मिडिल/उच्चतर प्रारंभिक पास और प्रशिक्षित	40	80	15
(ग) उड़ीसा		40	50	10
(क) बिहार	मिडिल पास और प्रशिक्षित	45	75	15
(ख) मध्य प्रदेश		45	100	11
(क) बम्बई	प्राथमिक पास और अवर प्रशिक्षित	50	70	12
(ख) जम्मू और कश्मीर	मिडिल पास और प्रशिक्षित	50	120	13
(ग) राजस्थान		50	75	10
(घ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	मिडिल पास और प्रशिक्षित	50	90	15
(ङ) लक्कादीव मित्रिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	निम्न प्रारंभिक परीक्षा पास और प्रशिक्षित	50	90	15
(क) आसाम	मैट्रिक पास और नार्मल प्रशिक्षित	55	75	17
(ख) त्रिपुरा	मिडिल पास और प्रशिक्षित	55	130	24
(क) पंजाब	मिडिल पास और प्रशिक्षित	60	120	14
(ख) पश्चिमी बंगाल		60	85	10
(ग) दिल्ली		60	130	19
(घ) हिमाचल प्रदेश		60	120	13
(ङ) नेफ्रा		60	100	18

सारणी XXVII में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम वेतनमानों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इस सारणी में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रारम्भिक वेतन के आधार पर किया गया है।

खर्च

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक स्कूलों पर किये जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय की रकम 3,14,10,527 रुपये या 4.7 प्रतिशत कम हो गई। इस प्रकार यह रकम घटकर 63,57,07,214 रुपये रह गई। खर्च भी कुल रकम में से 58,56,89,133 रुपये लड़कों के स्कूलों पर और 5,00,23,081 रुपये लड़कियों के स्कूलों पर खर्च किये गये। प्राथमिक स्कूलों पर किये गये प्रत्यक्ष खर्च की रकम सभी शिक्षा संस्थाओं पर किये गये प्रत्यक्ष खर्च की कुल रकम का 31.3 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह रकम खर्च की पूरी रकम का 36.8 प्रतिशत थी। विभिन्न आयस्रोतों द्वारा प्राथमिक स्कूलों पर किये गये खर्च का व्योरा नीचे सारणी में दिया गया है:—

सारणी XXVIII—विभिन्न आयस्रोतों से प्राथमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1957—58		1958—59	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	52,35,73,865	78.5	51,77,74,892	81.4
जिलामण्डलों की निधियां	5,80,09,595	8.7	4,55,84,004	7.2
नगरपालिकाओं की निधियां	4,94,82,456	7.4	3,80,72,769	6.0
फ्रीस	1,76,54,595	2.6	1,57,08,013	2.5
धर्मस्व	59,47,076	0.9	58,27,962	0.9
अन्य आयस्रोत	1,24,50,154	1.9	1,27,39,574	2.0
जोड़	66,71,17,741	100.0	63,57,07,214	100.0

ऊपर की सारणी से पता चलता है कि प्रत्यक्ष व्यय की कुल रकम की 95 प्रतिशत कम लोक-निधियों (सरकारी और स्थानीय मण्डलों की निधियों) से प्राप्त हुई थी। शेष रकम फ्रीस और दूसरे आयस्रोतों (दोनों से लगभग समान मात्रा में) प्राप्त हुई।

विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्राथमिक स्कूलों पर किये गये व्यय का विभाजन नीचे दिखाया गया है—

प्रबंध संस्था	1957—58		1958—59	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	16,93,50,458	25.4	17,70,13,568	27.9
जिलामण्डल	27,25,77,429	40.9	25,82,11,022	40.6
नगर पालिकाएँ	8,05,22,016	12.1	5,97,23,243	9.4
गैर-सरकारी संस्थाएँ—				
सहायता प्राप्त	13,67,79,070	20.5	13,24,31,635	20.8
जो सहायता प्राप्त नहीं है	78,88,768	1.1	83,27,746	1.3
जोड़	66,71,17,741	100.0	63,57,07,214	100.0

स्थानीय मण्डलों के स्कूलों में जिनकी संख्या कुल स्कूलों की संख्या का 49.2 प्रतिशत थी, प्राथमिक स्कूलों के कुल प्रत्यक्ष व्यय का 50.0 प्रतिशत अंश खर्च किया गया; जबकि 27.1 प्रतिशत सरकारी स्कूलों पर 27.9 प्रतिशत और शेष 23.7 प्रतिशत गैर-सरकारी स्कूलों पर 22.1 प्रतिशत अंश खर्च हुआ।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सन् 1957-58 और 1958-59 में प्राथमिक स्कूलों पर किये गये खर्च का ब्यौरा सारणी XXIX में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न आयस्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत भी इसी सारणी में दे दिया गया है। तमाम आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह ज्ञात होगा कि सबसे अधिक खर्च (809.82 लाख रुपये) बम्बई राज्य में किया गया। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश (681.69 लाख रुपये), उत्तर प्रदेश (673.86 लाख रुपये), मद्रास (631.57 लाख रुपये), मसूर (537.06 लाख रुपये) और मध्य देश (503.11 लाख रुपये) आते हैं। शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक में खर्च की रकम 500 लाख रुपये से कम रही। सबसे कम खर्च (0.50 लाख रुपये) लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में किया गया। बंबई, मद्रास, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में खर्च की रकम बढ़ी। बम्बई और मद्रास में यह कमी नये सिरे से वर्गीकरण करने के कारण स्कूलों की संख्या कम हो जाने से हुई। प्रतिशत के आधार पर खर्च में सबसे अधिक वृद्धि उड़ीसा (20.0 प्रतिशत) में और सबसे कम पश्चिमी बंगाल (4.1 प्रतिशत) में हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में 14.0 प्रतिशत (नेफ्रा) से लेकर 102.1 प्रतिशत (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) तक वृद्धि हुई।

विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किये गये खर्च का अनुपात सारणी XXIX के खाना (11) से लेकर खाना (16) तक में दिया गया है। लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीपसमूह तथा नेफ्रा में प्राथमिक स्कूलों पर किया गया सारा खर्च सरकार ने दिया। जिन अन्य राज्यों में सरकार द्वारा खर्च की गयी रकम कुल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक थी वे इस प्रकार थे:— अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (99.8 प्रतिशत), जम्मू और काश्मीर (99.8 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (98.4 प्रतिशत), केरल (98.3 प्रतिशत), त्रिपुरा (97.3 प्रतिशत), पंजाब (95.4 प्रतिशत), उड़ीसा (94.7 प्रतिशत), मणिपुर (93.8 प्रतिशत), राजस्थान (93.4 प्रतिशत), आसाम (92.8 प्रतिशत) और बिहार (90.3 प्रतिशत)। दिल्ली को दी गयी रकम सबसे कम (11.7 प्रतिशत) थी। शेष सज्ज्यों में सरकार द्वारा दी गयी रकम 68.4 प्रतिशत से अधिक रही। प्राथमिक स्कूलों पर किये गये कुल खर्च में स्थानीय मण्डलों

सारणी XXIX— विभिन्न राज्यों द्वारा प्राथमिक

राज्य	लड़कों के स्कूलों पर		लड़कियों के
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
	रुपये	रुपये	रुपये
आन्ध्र प्रदेश	6,20,63,177	6,63,87,660	18,00,050
आसाम	1,49,94,157	1,73,50,992	10,23,563
बिहार	2,82,68,771	3,15,94,533	23,61,281
बम्बई	11,69,21,994	7,22,65,617	1,69,17,675
जम्मू और काश्मीर	24,56,589	27,08,097	4,12,440
केरल	4,22,47,649	4,76,60,267	3,58,583
मध्य प्रदेश	4,03,20,670	4,50,46,676	45,64,736
मद्रास	8,29,13,562	6,31,57,094	..
मैसूर	4,11,48,258	4,72,58,450	63,70,136
उड़ीसा	1,38,13,577	1,65,71,870	3,07,651
पंजाब	2,29,50,173	2,42,57,701	51,56,326
राजस्थान	1,60,67,601	1,85,50,332	18,57,155
उत्तर प्रदेश	5,62,52,392	6,08,97,243	61,06,359
पश्चिमी बंगाल	5,65,92,623	5,86,66,975	46,54,029
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	94,515	1,91,106	..
दिल्ली	74,51,087	51,90,542	31,32,801
हिमाचल प्रदेश	23,80,617	22,92,908	44,293
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	30,635	49,999	..
मनिपुर	11,77,624	15,61,134	50,425
त्रिपुरा	30,24,071	30,05,903	..
नेफ्रा	4,04,309	4,61,025	..
पांडिचरी*	3,89,626	5,58,009	36,561
भारत	61,19,63,677	58,56,84,133	5,51,54,064

*इसमें मिडिल स्कूलों के आंकड़े भी

स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

स्कूलों पर	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)
1958—59	1957—58	1958—59	रकम
5	6	7	8
रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
17,81,488	6,38,63,227	6,81,69,148	+ 43,05,921
10,54,160	1,60,17,720	1,84,05,152	+ 23,87,432
30,80,435	3,06,30,052	3,46,74,968	+ 40,44,916
87,16,407	13,38,39,669	8,09,82,024	- 5,28,57,645
4,43,715	28,69,029	31,51,812	+ 2,82,783
1,70,125	4,26,06,232	4,78,30,392	+ 52,24,160
52,64,108	4,48,85,406	5,03,10,784	+ 54,25,378
..	8,29,13,562	6,31,57,094	- 1,97,56,468
64,47,169	4,75,18,394	5,37,05,619	+ 61,87,225
3,70,323	1,41,21,228	1,69,42,193	+ 28,20,965
57,38,178	2,81,06,499	2,99,95,879	+ 18,89,380
18,96,379	1,79,24,756	2,04,46,711	+ 25,21,955
64,89,470	6,23,58,751	6,73,86,713	+ 50,27,962
50,75,285	6,12,46,652	6,37,42,260	+ 24,95,608
..	94,515	1,91,106	+ 96,591
32,84,779	1,05,83,888	84,75,321	- 21,08,567
45,945	24,24,910	23,38,853	- 86,057
..	30,635	49,999	+ 19,364
1,24,365	12,28,049	16,85,499	+ 4,57,450
..	30,24,071	30,05,903	- 18,168
..	4,04,309	4,61,025	+ 56,716
40,750	4,26,187	5,98,759	+ 1,72,572
5,00,23,081	66,71,17,741	63,57,07,214	- 3,14,10,527

शामिल है, जो कि अलग अलग न मिल सके।

सारणी XXIX— विभिन्न राज्यों द्वारा प्राथमिक

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (-) प्रतिशत	विभिन्न आयस्रोतों		
		शिक्षा पर किए गये कुल प्रत्यक्ष खर्च की तुलना में प्राथमिक स्कूलों पर किए गये खर्च का प्रतिशत	सरकारी निधियां	जिला मंडल की निधियां
	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	+ 6.7	43.8	80.1	16.8
आसाम	+ 14.9	36.4	92.8	2.0
बिहार	+ 13.2	30.3	90.3	3.2
बम्बई	- 39.4	20.9	68.4	5.9
जम्मू और काश्मीर	+ 9.9	25.2	99.8	..
केरल	+ 12.3	38.8	98.3	0.0
मध्य प्रदेश	+ 12.1	41.2	89.1	4.5
मद्रास	- 23.8	34.5	73.2	14.4
मैसूर	+ 13.0	45.8	83.0	5.6
उड़ीसा	+ 20.0	44.5	94.7	0.3
पंजाब	+ 6.7	26.0	95.4	0.5
राजस्थान	+ 14.1	29.0	93.4	1.7
उत्तर प्रदेश	+ 8.1	25.4	72.9	14.9
पश्चिमी बंगाल	+ 4.1	31.5	80.9	4.5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	+ 102.1	50.9	99.8	..
दिल्ली	- 19.9	13.8	11.7	..
हिमाचल प्रदेश	- 3.5	43.0	98.4	..
लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह	+ 63.2	49.4	100.0	..
मन्निपुर	+ 37.3	47.5	93.8	..
त्रिपुरा	- 0.6	47.7	97.3	..
नेफ्रा	+ 14.0	47.2	100.0	..
पांडिचरी*	+ 40.5	25.7	97.6	..
भारत	- 4.7	31.3	81.4	7.2

*इसमें मिडिल स्कूलों के आंकड़े भी

स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी)

से पूरे किये खर्च की रकम का प्रतिशत

नगरपालिका की निधियां	फ्रीस	धर्मस्व	अन्य आयस्रोत	प्रतिछात्र पर सालाना औसत खर्च	
				1957- 58	1958- 59
13	14	15	16	17	18
2.5	0.2	0.4	0.0	25.6	26.7
0.0	0.0	4.8	0.4	18.9	20.7
2.0	0.2	0.1	4.2	18.1	15.9
10.3	10.9	0.5	4.0	33.1	33.7
..	0.1	0.0	0.1	23.9	24.3
..	0.0	0.1	1.6	24.5	27.2
4.0	0.2	0.9	1.3	32.8	33.6
8.5	0.8	2.7	0.4	30.1	27.2
3.7	1.4	0.2	6.1	29.4	29.4
1.0	..	2.0	2.0	19.9	20.1
0.5	0.2	1.5	1.9	30.0	31.9
0.5	1.6	2.1	0.7	35.4	32.0
9.4	0.2	0.2	2.4	19.1	19.1
6.2	7.5	2.6	0.3	25.9	25.9
..	0.2	46.6	57.5
85.6	0.2	0.0	2.5	83.5	52.8
..	..	0.2	1.4	55.9	52.3
..	13.2	33.2
0.0	0.3	5.8	0.1	15.0	17.0
..	1.6	1.0	0.1	46.7	43.9
..	125.9	121.2
..	1.3	0.1	1.0	42.6	43.3
6.0	2.5	0.9	2.0	26.9	26.1

शामिल है, जो कि अलग अलग न मिल सके ।

द्वारा खर्च की गयी रकम दिल्ली में सबसे अधिक (85.6 प्रतिशत) थी। उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (24.3 प्रतिशत), मद्रास (22.8 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (19.3 प्रतिशत), बम्बई (16.2 प्रतिशत) और पश्चिमी बंगाल (10.7 प्रतिशत) आते हैं। अन्य स्थानों में जहां भी स्थानीय मण्डलों ने अंशदान दिया था वहां दी गयी रकम कुल खर्च के 10 प्रतिशत से कम रही। केवल बंबई और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर कहीं भी प्राथमिक स्कूलों के लिए आयस्रोत के रूप में छात्रों की फीस का कोई महत्त्व नहीं था। बंबई और पश्चिमी बंगाल में प्राथमिक स्कूलों के क्रमशः 10.9 और 7.5 प्रतिशत खर्च की पूर्ति फीस से की गयी। प्राथमिक स्कूलों के खर्च को पूरा करने में अन्य आयस्रोतों का भी सामान्यतः कोई विशेष महत्त्व नहीं था। इनसे प्राप्त रकम अधिक से अधिक 5.2 प्रतिशत (आसाम) थी जब कि आंध्र प्रदेश में इनसे कोई रकम नहीं मिली।

सारणी XXIX के खाना 18 से ज्ञात होगा कि 1958-59 में प्राथमिक स्कूलों में प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 26.1 रुपए था जब कि 1957-58 में यह 26.9 रुपये था। विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था:—सरकारी निधियां—21.3 रुपये, स्थानीय मंडलों की निधियां—3.4 रुपये, फीस 0.6 रुपये और अन्य आयस्रोत (धर्मस्व सहित) 0.8 रुपये। प्रति छात्र औसत खर्च नेफा (121.2 रुपये) में सबसे अधिक था। अन्य राज्यों में यह औसत 15.9 रुपये (बिहार) से लेकर 57.5 रुपये (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) तक रहा।

फीस और दूसरी रियायतें

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा-शुल्क लेने के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों और अधिकांश स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क ही बनी रही। गैर-सरकारी स्कूलों में प्रायः शिक्षा-शुल्क वसूल किया जाता रहा। शिक्षा-शुल्क की रकम सर्वत्र एक समान नहीं थी। सरकार गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों के छात्रों द्वारा दी गयी फीस को छात्रों को लौटाने की व्यवस्था करती रही। राज्यों में मुफ्त पाठ्यपुस्तकों, लेखन-सामग्री, दोपहर के भोजन आदि के रूप में छात्रों को आर्थिक सहायता भी दी गई।

स्कूलों की इमारतें

जहां तक प्राथमिक स्कूलों के लिए इमारतों की व्यवस्था का संबंध है कुछ राज्यों में उसकी स्थिति असंतोषजनक ही बनी रही। तुलनात्मक दृष्टि से सरकारी स्कूलों की स्थिति इस सम्बन्ध में अधिक अच्छी थी। अनेक गैर-सरकारी स्कूल किराए की या बगैर किराये की इमारतों में चलाय जा रहे थे। इन इमारतों में साफ़ हवा के आनेजाने और सफ़ाई सम्बन्धी व्यवस्था का अभाव था। इस दृष्टि से, ये इमारतें स्कूल के लिए उपयुक्त भी नहीं थी। कुछ राज्यों में तम्बुओं, झोंपड़ियों और पेड़ों के नीचे खुले स्थान में कक्षाएं लगायी जाती रहीं, परन्तु वहां सर्दी-गर्मी आदि से छात्रों की पर्याप्त रक्षा नहीं हो पाती थी। शहरी इलाकों की अपेक्षा प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की इमारतें बहुत खराब स्थिति में थीं। धन की कमी के कारण प्राथमिक स्कूलों के लिए (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) काम-चलाऊ इमारतों का भी प्रबंध नहीं किया जा सका। इन कठिनाइयों के होते हुए भी कुछ राज्य सरकारों ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोशिशें कीं। इस काम में सरकार के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी सहायता की और साथ ही स्थानीय जन-समुदाय ने भी धन, साज, सामान और श्रमदान के द्वारा इस काम में योग दिया।

आसाम में स्कूल मण्डलों ने स्कूलों की इमारतों में सुधार करने के लिए अनुदान दिये। सामुदायिक विकास खण्डों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों की इमारतों में भी काफी सुधार हुआ।

बुनियादी शिक्षा

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की बुनियादी शिक्षा संबंधी योजनाओं पर आलोच्य वर्ष में भी काम होता रहा। उससे देश में बुनियादी शिक्षा की सुविधाएं और बढ़ गई। प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नई-नई संस्थाएं खोली गईं। साथ ही, पुराने ढंग की प्रशिक्षण संस्थाओं को भी बुनियादी ढंग की प्रशिक्षण संस्थाओं का रूप दिया गया। प्राथमिक स्कूलों में शिल्प को उत्तरोत्तर अधिक स्थान देने के कार्यक्रम पर कई राज्यों में अमल किया गया ताकि बाद में इन स्कूलों को बुनियादी स्कूलों का रूप देने में आसानी हो।

बुनियादी और गैर-बुनियादी प्रारंभिक स्कूलों में जो अन्तर है, उसे कम करने के विचार से और सभी गैर-बुनियादी स्कूलों को बुनियादी शिक्षा-पद्धति के अनुरूप बनाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य था कि बुनियादी शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं, जैसे छात्रों का स्वायत्त शासन, सरल शिल्पकार्य, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि को प्राथमिक शिक्षा का अंग बनाकर उसे समृद्ध किया जाये। इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके लिए न तो बहुत अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता थी और न बहुत ज्यादा धन की। बुनियादी शिक्षा का विकास मन्द गति से होने के यही दो बड़े कारण थे। इसके लिए स्कूलों के जिला-मण्डल निरीक्षकों की चार प्रादेशिक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर जो खर्च हुआ उसका साठ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने दिया। अवर और उच्च कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा आरम्भ होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि उत्तर-बुनियादी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाये। इसलिए भारत सरकार ने, 1958-59 में एक योजना प्रारम्भ की, जिसके अनुसार राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई ताकि वे उत्तर-बुनियादी या माध्यमिक स्तर के बुनियादी स्कूल खोल सकें, उत्तर बुनियादी शिक्षा के मौजूदा स्कूलों में सुधार कर सकें और वर्तमान उच्च बुनियादी स्कूलों को उत्तर-बुनियादी स्कूलों के स्तर तक ला सकें। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं को खर्च का 60 प्रतिशत अंश और राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अंश देती थी। दिसंबर, 1958 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए 43,000 रु० की मंजूरी दी गयी थी।

शहरी क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा की स्थायी समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली कि नयी दिल्ली में एक आदर्श संस्था के रूप में एक केन्द्रीय बुनियादी स्कूल की स्थापना की जाये। आलोच्य वर्ष में इस प्रस्ताव की विस्तृत रूप-रेखा तैयार की जा रही थी।

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, बुनियादी शिक्षा संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण और साहित्य-निर्माण के क्षेत्र में अपना काम करता रहा। इस संस्थान की स्थापना दिल्ली में 1956 में हुई थी। इस संस्थान की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:—

1. अनुसंधान

नीचे दी गई अनुसंधान प्रायोजनाएं पूरी की गईं और प्रकाशन के लिए उनकी रिपोर्टें तैयार की गईं:—

- (क) शिल्पों की शिक्षा-सम्बन्धी संभावनाओं का पता लगाना।
- (ख) देश के विभिन्न राज्यों में बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के दिन-प्रति-दिन के कार्य में आने वाली कठिनाइयां।
- (ग) भारत में स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के लिए आदर्श पाठ्य-विवरण तैयार करना।

2. प्रशिक्षण

देश में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की देख-रेख के लिए इस संस्था ने दो अल्पकालीन प्रशिक्षण-क्रम चलाये ।

3. साहित्य निर्माण

नीचे लिखी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयी:—

- (क) बेसिक ऐक्टिविटीज फार नान बेसिक स्कूल्स (गैर-बुनियादी स्कूलों के लिए बुनियादी कार्यकलाप)
- (ख) ऐग्जीबिशन इन बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा विषयक प्रदर्शनी)
- (ग) 'बुनियादी तालीम' नामक त्रैमासिक पत्रिका के चार अंक
- (घ) प्रोग्रेस आफ बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा की प्रगति) ।

इसके अतिरिक्त, बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य तथा अन्य सामग्री के निर्माण की एक विस्तृत योजना बनाई गई ताकि बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा शास्त्रियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । इस योजना के अन्तर्गत जो कार्य किये जाने हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं; बुनियादी स्कूल के अध्यापकों के लिए संदर्शिकाएं (गाइड बुक), एक विषय निबन्ध पुस्तकें बुनियादी स्कूल के बच्चों के लिए अनुपूरक पठन सामग्री और बुनियादी स्कूलों के लिए शिल्प सामग्री और बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए आकर ग्रन्थ तैयार करना ।

शिल्प और कला अनुभाग की स्थापना होने पर इस संस्थान ने कुछ शिल्पों में प्रयोग आरम्भ किये । बुनियादी स्कूलों में तन्तु शिल्प की शिक्षा आरम्भ करने की संभावना के बारे में प्रयोग किये गये और एक पुस्तिका तैयार की गई । शिल्प के काम में रद्दी माल और बहुत कम दाम की सामग्री से काम लेने के विषय में भी प्रयोग किये गये । उसी प्रकार कला के काम और बुनियादी स्कूलों को सजाने में रद्दी और कम दाम की सामग्री से काम लेने के सम्बन्ध में प्रयोग किये गये ।

मुख्य विकास कार्य

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है:—

आन्ध्र प्रदेश

राज्य में बुनियादी और सामाजिक शिक्षा के विकास से संबंधित सभी मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी (और समाज) शिक्षा की एक विशेष समिति बनाई गई । राज्य द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि बुनियादी और प्रारंभिक स्कूलों के पाठ्यक्रम नये सिरे से तैयार किये जाएं और बुनियादी तथा गैर-बुनियादी स्कूलों के लिए 7 वर्ष का एक समेकित पाठ्य-विवरण रखा जाय ।

इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रमों में 65 अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा में नये सिरे से प्रशिक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त, सुसहृत क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का तीव्र गति से विकास करने, नये बुनियादी स्कूल खोलने और सुसहृत क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में मौजूदा प्रारंभिक स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों में परिवर्तित करने का कार्य भी किया गया ।

सभी गैर-बुनियादी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश करने की कोशिश की गई ताकि सभी प्रारंभिक स्कूलों को अन्ततः बुनियादी स्कूलों का रूप देने में सविधा हो।

आसाम

आलोच्य वर्ष में बहुत से प्राथमिक और मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों में परिवर्तित किया गया। मौजूदा प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थानों की संख्या बढ़ाकर बुनियादी प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि की गयी।

बिहार

राज्य सरकार ने, 6 मास के गहन बुनियादी प्रशिक्षण के लिए 50 निरीक्षक अधिकारियों और 20 अध्यापकों को विक्रम सीनियर ट्रेनिंग स्कूल में तथा प्रारंभिक और बुनियादी हाई स्कूलों के एक सौ अध्यापकों को शिल्प के 10 मास के प्रशिक्षण के लिए हजारी बाग रिफार्मेटरी स्कूल में भेजा। यह योजना स्कूलों में नया पाठ्य-विवरण कुशलतापूर्वक चलाने के लिए शुरू की गयी थी।

जुलाई 1958 से अवर प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई।

बम्बई

शिल्प स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय से राज्य में बुनियादी शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। बुनियादी संस्थाओं में, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए गर्मी की छुट्टियों में अल्प-कालीन नव-प्रशिक्षण-क्रमों तथा सर्दी की छुट्टियों में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। बारह बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों ने भी आसपास के लगभग 300 बुनियादी स्कूलों के लिए विस्तार सेवाओं की व्यवस्था की।

बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी साहित्य के निर्माण का प्रयत्न राज्य सरकार करती रही। इनमें मराठी और गुजराती के "जीवन शिक्षण" के विशेषांकों का प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय है। इन विशेषांकों में बुनियादी शिक्षा के भिन्न भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त बुनियादी शिक्षा पर पोस्टर भी प्रकाशित किये गये।

बुनियादी स्कूलों में शिल्प की शिक्षा को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाये गये। इस सिलसिले में एक काम यह किया गया कि बुनियादी स्कूलों में कताई और बुनाई के लिए आवश्यक साज-सामान को मानक रूप दे दिया गया। शिल्प-सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की विस्तृत विशिष्टियां निर्धारित की गई तथा अध्यापकों और प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए उन्हें प्रकाशित किया गया। 4,400 रु० प्रति शिल्पशाला की अनुमानित लागत की दर से, 338 शिल्पशालाओं के निर्माण के लिए स्कूल मण्डलों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी दिये गये।

जम्मू और काश्मीर

आलोच्य वर्ष में, राज्य के दोनों प्रान्तों में, मुख्यतया लड़कियों और यायावर जातियों के लिए, अनेक बुनियादी क्रिया-कलाप स्कूल खोले गये।

केरल

बुनियादी शिक्षा की मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों के रूप में नये सिरे से व्यवस्थित करने के लिए एक पंच सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त कुछ चुने हुए स्कूलों में परम्परागत शिल्प के अलावा औजार के काम की एक नई योजना भी शुरू की गयी। यह योजना कई अवस्थाओं में बांट कर लागू की गयी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि शिल्प की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही छात्रों में औजारों की जानकारी हो जाये और वे उन औजारों का प्रयोग बहुत आसानी के साथ कर सकें। सोचा गया था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे-वैसे उसकी औजारों से इस प्रकार का काम लेने की कुशलता भी बढ़ती जायगी।

अध्यापकों के प्रशिक्षण-क्रम की एक वर्ष की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई। यह भी निर्णय किया गया कि प्रशिक्षण बुनियादी ढंग का ही होगा।

मध्य प्रदेश

बुनियादी शिक्षा की विचार-धारा का प्रसार करने के लिए विभिन्न स्थानों में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। सभी प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के काम में सहायता देने के विचार से, पूरे राज्य के लिए बुनियादी ढंग का एक सा पाठ्य विवरण रखा गया।

मद्रास

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने निर्णय किया कि उत्तर-बुनियादी स्कूलों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले विद्यार्थियों को उत्तर-बुनियादी उच्च प्रमाण-पत्र दिया जाय। इस प्रमाणपत्र को पाने पर विद्यार्थियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे, सरकारी नौकरियों में नियुक्त हो सकें तथा उच्च प्रशिक्षण क्रम और उच्चतर ग्राम सस्थानों में प्रवेश पा सकें।

प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा में पुनः प्रशिक्षित करने की योजनाएं चालू रही। पाठ्यक्रम की अवधि तीन मास से बढ़ाकर पांच मास कर दी गई। आलोच्य वर्ष में 1,054 अध्यापक पुनः प्रशिक्षित किये गये। गवर्नमेंट पोस्ट-बैसिक ट्रेनिंग कालेज औराथानाद में स्नातक अध्यापकों के लिए पांच महीने का एक पुनः प्रशिक्षण क्रम चलाया गया जिसमें 55 अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षित किया गया।

आलोच्य वर्ष में बुनियादी शिक्षा पर कई संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसमें बुनियादी स्कूल के अध्यापकों की जिला संगोष्ठियों स्कूलों के मण्डल/जिला निरीक्षकों की प्रादेशिक संगोष्ठियाँ (जो गांधी ग्राम में 1 जून से 7 जून, 1958 तक हुई) तथा दो प्रादेशिक बुनियादी शिक्षा सम्मेलन भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, अध्यापकों के लिए एक संदेशिका (गाइड बुक) और पांच पठनीय पुस्तकें (रीडिंग बुक) भी प्रकाशित की गईं।

मैसूर

स्कूल निरीक्षकों की दो क्षेत्रीय नवप्रशिक्षण संगोष्ठियां हुई—पहली बंगलोर में और दूसरी धारवाड़ में। निरीक्षकों से यह आशा की गई थी कि वे इसके बाद अपने-अपने क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के विचारों का प्रचार कर सकेंगे।

आलोच्य वर्ष में हस्सन में एक नया बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान खोला गया।

प्राथमिक स्कूलों के लिए जो सात वर्ष का नया समेकित पाठ्य विवरण सुझाया गया था उसमें बुनियादी शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण अंग सम्मिलित थे। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के क्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के कार्य के अतिरिक्त बुनियादी स्कूलों में निदर्शन और व्यावहारिक कार्य के लिए 16 शिल्पशालाओं के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया।

उड़ीसा

राज्य बुनियादी शिक्षा मंडल का पुनर्गठन किया गया। इन पुनर्गठित मंडल ने कई उपयोगी सिफारिशें की, जिन्हें सरकार ने मान लिया। ये सिफारिशें निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में की गयी थी:—(i) सभी बुनियादी और शैर-बुनियादी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं से युक्त एक सामान्य पाठ्य विवरण रखना, (ii) बुनियादी स्कूलों में शिल्प-कार्य और सामुदायिक जीवन बिताने पर जोर देना, और (iii) बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षार्थी अध्यापकों को मिडिल स्तर की छठी और 7वीं कक्षाओं में पढ़ाने की विधि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना। मंडल ने यह भी सिफारिश की, कि उत्तर बुनियादी स्कूलों में, केवल एक विशेष वैकल्पिक विषय को छोड़कर, अध्ययन के सभी विषय और उपलब्धि का स्तर वही होना चाहिए जो कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में है। उत्तर-बुनियादी स्कूलों के विशेष वैकल्पिक विषय के ब्योरे तैयार करने के लिए एक उप-समिति बनाई गई।

पंजाब

अवर बुनियादी अध्यापकों के प्रशिक्षणक्रम की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई।

अध्यापकों को नये सिरे से प्रशिक्षण देने और स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने का काम शुरू करने के लिए ज़िला-स्तर पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों के सहायक ज़िला निरीक्षकों के लिए संगोष्ठियों के अतिरिक्त, अध्यापकों के लिए दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करनाल और गुहदासपुर में, छुट्टियों के दिनों में आयोजित किये गये।

राजपुरा और फरीदाबाद के उत्तर बुनियादी स्कूलों के लिए एक-सा पाठ्य विवरण तैयार किया गया। नये पाठ्य विवरण के अन्तर्गत 1959 में परीक्षा ली जानी थी।

राजस्थान

इस वर्ष 500 प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया और इतने ही स्कूलों में शिल्प की शिक्षा शुरू की गई ताकि भविष्य में बुनियादी शिक्षा, परम्परागत शिक्षा का स्थान आसानी से ले सके।

स्कूलों के नायब उप-निरीक्षकों के लिए बुनियादी शिक्षा पर तीन संगोष्ठियों का आयोजन उदयपुर, जयपुर और बीकानेर में किया गया। गैर-बुनियादी प्रशिक्षण-प्राप्त स्नातक अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए दो से तीन महीने के एक अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रम का आयोजन किया गया। साठ अध्यापकों ने इस प्रशिक्षणक्रम से लाभ उठाया।

उत्तर प्रदेश

वर्तमान अवर बुनियादी स्कूलों में शिल्प शिक्षा, नव प्रशिक्षण और दूसरे सबद्ध पहलुओं में सुधार करने के लिए सरकार ने कुल मिलाकर 53 41 लाख रु० का अनुदान दिया। 1,250 अवर और 27 उच्च बुनियादी स्कूल खोले गये। इसके अतिरिक्त 88 उच्च बुनियादी स्कूलों में सामान्य विज्ञान की शिक्षा और 4 उच्च बुनियादी स्कूलों में संगीत की शिक्षा आरंभ की गयी। उच्च और अवर बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 11 बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल और 3 अवर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज खोले गये। इनमें से एक स्कूल और एक कालेज लड़कियों के लिए है।

उच्च बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

पश्चिमी बंगाल

आलोच्य वर्ष में बुनियादी शिक्षा के विस्तार की नीति का जोर-शोर से पालन किया गया। नये अवर बुनियादी स्कूल खोलने और वर्तमान प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने के काम में बहुत प्रगति हुई। बनीपुर, चौबीस परगना और कलिम्पोंग, दार्जिलिंग के दो शिक्षा विकास खण्डों में बुनियादी ढंग की शिक्षा पर विशेष रूप से बल देते हुए काम होता रहा। डेविड हेअर ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता के शिक्षा और मनोविज्ञान अनुसंधान ब्यूरो के सहयोग से बनीपुर के अनुसंधान पुस्तकालय में बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में कार्य जारी रहा।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

पोर्ट ब्लेयर में एक अवर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया जिसमें आलोच्य वर्ष में 18 अध्यापकों की पहली टोली एक वर्ष का प्रशिक्षणक्रम पूरा किया। सभी प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए भी कदम उठाये गये। इसी वर्ष लड़कियों के लिए भी एक उच्च बुनियादी स्कूल खोला गया।

दिल्ली

सन् 1958-59 में पांच अवर बुनियादी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उच्च बुनियादी स्कूलों के स्तर के बराबर कर दिया गया। दो अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों को मिलाकर एक सह-शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान बना दिया गया। अवर बुनियादी अध्यापकों के प्रशिक्षणक्रम की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई।

हिमाचल प्रदेश

आलोच्य वर्ष में 100 अवर बुनियादी स्कूल खोले गये और 150 प्राथमिक स्कूलों और 8 मिडिल स्कूलों को बुनियादी स्कूलों का रूप दे दिया गया। इसके अतिरिक्त, 200 प्राथमिक स्कूलों को शिल्प सामग्री दी गई।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह

स्कूलों की शिक्षा में बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं का समावेश करने के लिए कदम उठाये गये।

मनिपुर

55 अवर बुनियादी स्कूलों का प्रबंध क्षेत्रीय परिषद् को सौंप दिया गया। परिषद् ने 27 प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया। आलोच्य वर्ष से प्रारंभिक स्कूलों को बुनियादी शिक्षा की पद्धति के अनुरूप बनाने का काम प्रभावी रूप से किया गया।

त्रिपुरा

परम्परागत ढंग के कई प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया और अन्य कई प्राथमिक स्कूलों में शिल्प-शिक्षा आरम्भ की गई।

नेफ़ा

परम्परागत प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही थी।

पाण्डीचरी

आलोच्य वर्ष में दो बुनियादी स्कूल खोले गये।

मुख्य आंकड़े

स्कूल

सन् 1958-59 में, बुनियादी स्कूलों की संख्या में 5,969 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी संख्या 9.3 प्र.श. की दर से बढ़कर 69,838 हो गई, जब कि 1957-58 में वृद्धि की दर 12.5 प्रतिशत थी। सारे स्कूलों में, 57,069 अवर बुनियादी स्कूल, 12,739 उच्च बुनियादी स्कूल तथा 30 उत्तरबुनियादी स्कूल थे। पिछले वर्ष ये आंकड़े इस प्रकार थे:—अवर बुनियादी स्कूल 52,039, उच्च बुनियादी स्कूल 11,800, और उत्तर बुनियादी स्कूल 30। अवर बुनियादी स्कूलों में से लगभग 13.8 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सरकार द्वारा, 74.3 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मण्डलों द्वारा और शेष 11.9 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था। प्रबंध की दृष्टि से उच्च बुनियादी स्कूलों का विभाजन इस प्रकार है:—11.7 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सरकार, 71.6 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मण्डल, और 16.7 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाएं कर रही थी। उत्तर बुनियादी स्कूल केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास और उड़ीसा में थे। इनमें से सिर्फ 13.3 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सरकार द्वारा और 86.7 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था।

बुनियादी स्कूलों का सन् 1957-58 और 1958-59 का राज्यवार विवरण सारणी सं० XXX में दिया गया है। जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अवर बुनियादी स्कूल या उच्च बुनियादी स्कूल थे। केरल और दिल्ली को छोड़कर, प्रत्येक राज्य और संघराज्य क्षेत्र में अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्यों में, सबसे अधिकवृद्धि उत्तर प्रदेश में (1,394) हुई। इसके बाद क्रमशः आसाम (827), राज थान (474), आंध्र प्रदेश (445), मध्य प्रदेश (397), मैसूर (386), बिहार और मद्रास (प्रत्येक में 252), पश्चिमी बंगाल (222), बम्बई (172) और पंजाब (57) के नाम आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों

सारणी XXX— बुनियादी स्कूलों

राज्य	अवर बुनियादी स्कूल				उच्च
	लड़कों के लिए		लड़कियों के लिए		लड़कों
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1,663	2,109	5	4	197
आसाम	1,247	2,037	37	74	67
बिहार	1,943	2,152	64	107	646
बम्बई	2,543	2,725	106	96	4,405
केरल	452	441	148
मध्य प्रदेश	1,828	2,225	3	3	188
मद्रास	2,419	2,671	422
मैसूर	1,204	1,547	32	34	964
उड़ीसा	360	360	23
पंजाब	477	521	174	187	21
राजस्थान	834	1,285	66	89	32
उत्तर प्रदेश	31,767	32,872	3,203	3,492	3,386*
पश्चिमी बंगाल	842	1,057	14	21	66
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	9
दिल्ली	174	163	70	62	41
हिमाचल प्रदेश	363	460	5	4	11
लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह
मनिपुर	18	94	2	6	..
त्रिपुरा	112	153	18
नेफ़ा	7	7
पांडिचरी	..	2
भारत	48,258	52,890	3,781	4,179	10,635

*वे स्कूल जो 1957-58 म

की संख्या

बुनियादी स्कूल			उत्तर बुनियादी स्कूल	
के लिए	लड़कियों के लिए		लड़कों के लिए	
1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59
7	8	9	10	11
275	1	2	..	1
144	8	13
722	8	7	23	21
4,640	416	434
123	1	..	2	2
301
471	2	2
1,121	97	105
23	2	2
41	19	18
36	6	7
3,462	595*	618
87	2	7
..
39	12	10
9
1
..
23
..
..
11,518	1,165	1,221	29	28

ई दिखाये गये हैं।

सारणी XXX—बुनियादी स्कूलों की संख्या (जारी)

राज्य	उत्तर बुनियादी स्कूल		जोड़		वृद्धि(+) या कमी(—)
	लड़कियों के लिए		1957- 58	1958- 59	
	1957- 58	1958- 59			
1	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	1,866	2,391	+ 525
आसाम	1,359	2,268	+ 909
बिहार	..	1	2,684	3,010	+ 326
बम्बई	7,470	7,895	+ 425
केरल	603	566	— 37
मध्य प्रदेश	2,019	2,529	+ 510
मद्रास	1	1	2,844	3,145	+ 301
मैसूर	2,297	2,807	+ 510
उड़ीसा	385	385	..
पंजाब	691	767	+ 76
राजस्थान	938	1,417	+ 479
उत्तर प्रदेश	38,951	40,444	+1,493
पश्चिमी बंगाल	924	1,172	+ 248
अण्डमान और द्वीपसमुह	5	9	+ 4
दिल्ली	297	274	— 23
हिमाचल प्रदेश	379	473	+ 94
लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह	1	+ 1
मनिपुर	20	100	+ 80
त्रिपुरा	130	176	+ 46
नेफ्रा	7	7	..
पाडिचरी	2	+ 2
भारत	1	2	63,869	69,838	+5,969

में इस संख्या में 96 से 4 तक की वृद्धि हुई—96 हिमाचल प्रदेश में और 4 अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में। उच्च बुनियादी स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि बम्बई में (263) हुई। जिन अन्य राज्यों में इसकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वे मैसूर (165), मध्य प्रदेश (113) और उत्तर प्रदेश (99) हैं। परन्तु केरल (26), दिल्ली (4) और हिमाचल प्रदेश (2) में उच्च बुनियादी स्कूलों की संख्या घट गयी। इस कमी का कारण और बिहार में एक उत्तर-बुनियादी स्कूल के कम हो जाने का प्रमुख कारण यह बताया गया है कि इन स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्तर का स्कूल बना दिया गया था।

छात्र

बुनियादी स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या 75,50,490 से बढ़कर 82,07,360 हो गई। इस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या में 13.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। इनमें से 54,49,764 छात्र अवर बुनियादी स्कूलों में, 27,54,790 उच्च बुनियादी स्कूलों में और 2,806 छात्र उत्तर बुनियादी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अवर बुनियादी स्कूलों और उच्च बुनियादी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः 13.2 और 15.6 प्रतिशत वृद्धि हुई, तथा उत्तर बुनियादी स्कूलों के छात्रों की संख्या में 28.0 प्रतिशत कमी हुई।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों के बुनियादी स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या का तुलनात्मक विवरण सारणी XXXI में दिया गया है। दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। सबसे अधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश में (348,142) हुई। जिन दूसरे राज्यों में छात्रों की संख्या काफी बढ़ी, वे बम्बई (1,32,855), आसाम (86,445), मद्रास (77,246), बिहार (73,278), मध्य प्रदेश (62,533), आंध्र प्रदेश (62,272) और मैसूर (59,387) हैं। जहां तक दूसरे राज्यों का सम्बन्ध है प्रत्येक में 50 हजार से कम की ही वृद्धि हुई है। संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में 6 815 (मणिपुर) से लेकर 26 (नेफा) तक वृद्धि हुई।

अध्यापक

आलोच्य वर्ष में अध्यापकों की कुल संख्या में 21,812 या 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 2,36,006 हो गई। इनमें से 1,48,361 अध्यापक अवर बुनियादी स्कूलों में, 87,437 अध्यापक उच्च बुनियादी स्कूलों में तथा 208 अध्यापक उत्तर बुनियादी स्कूलों में काम कर रहे थे। पिछले वर्ष यही आंकड़े इस प्रकार थे:—1,34,927 अवर बुनियादी स्कूलों में, 78,991 उच्च बुनियादी स्कूलों में तथा 276 उत्तर बुनियादी स्कूलों में।

बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों का राज्यवार विभाजन सारणी XXXII में दिखाया गया है। सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों की कुल संख्या में वृद्धि हुई।

जहां तक पूरे भारत में बुनियादी स्कूलों के प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत संख्या का सम्बन्ध है वह आलोच्य वर्ष में कुछ घट गयी है अर्थात् 77.6 से घटकर 76.9 प्रतिशत रह गई। अवर बुनियादी स्कूलों में 77.6 प्रतिशत, उच्च बुनियादी स्कूलों में 75.6 प्रतिशत और उत्तर बुनियादी स्कूलों में 58.2 प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक थे। गतवर्ष यह संख्या क्रमशः 78.3 75.8 और 80.2 प्रतिशत थी। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, बुनियादी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या नेफा और पांडिचरी में शत-प्रतिशत; केरल, मद्रास, उड़ीसा और दिल्ली में 90 प्रतिशत से अधिक और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में 75 और 90 प्रतिशत के बीच थी। मनिपुर के बुनियादी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या सबसे कम थी। वहां केवल 19.8 प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक थे।

सारणी XXXI—बुनियादी स्कूलों में

राज्य	अवर बुनियादी		
	लड़के		लड़कियाँ
	1957-58	1958-59	1957-58
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1,16,487	1,42,043	61,552
आसाम	71,910	1,16,191	41,303
बिहार	98,327	1,22,986	16,577
बम्बई	1,60,706	1,71,767	61,840
केरल	51,751	50,728	46,030
मध्य प्रदेश	1,15,385	1,45,877	12,395
मद्रास	1,79,683	2,09,647	1,08,550
मैसूर	68,139	90,637	32,307
उड़ीसा	16,575	16,906	6,163
पंजाब	44,409	51,372	24,567
राजस्थान	58,136	94,289	11,066
उत्तर प्रदेश	26,87,813	28,90,318	5,69,237
पश्चिम बंगाल	63,700	78,668	26,588
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	150	888	62
दिल्ली	18,165	17,181	7,625
हिमाचल प्रदेश	15,661	17,879	2,062
लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मणिपुर	1,406	5,895	562
त्रिपुरा	11,675	12,257	4,688
नेफ्रा	172	194	23
पांडिचरी	..	146	..
भारत	37,80,250	42,35,869	10,33,197

छात्रों की संख्या

मूलो में		उच्च बुनियादी	
लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के
1958-59	1957-58	1958-59	1957-58
5	6	7	8
77,295	34,556	49,295	10,605
67,724	6,226	16,621	3,355
27,995	79,966	1,10,791	10,515
66,550	9,10,208	9,95,372	4,08,991
48,240	22,769	26,542	15,411
18,940	41,065	65,389	3,994
1,27,172	76,800	92,513	51,459
40,106	1,82,580	2,00,146	71,798
6,252	2,842	3,066	682
24,557	6,409	10,662	3,894
18,684	6,878	7,767	1,529
6,33,244	3,74,489†	3,99,216	82,111†
36,745	4,981	6,741	737
584
7,822	10,113	10,152	2,245
2,708	2,284	1,694	331
..	..	215	..
2,888
6,323	2,378	2,593	943
27
39
12,13,895	17,64,544	19,98,775	6,68,600

सारणी XXXI—बुनियादी स्कूलों में

	स्कूलों में		उत्तर बुनियादी	
	लड़कियाँ		लड़के	
	1958—59	1957—58	1958—59	1957—58
1	9	10	11	
आंध्र प्रदेश	16,812	24
आसाम	8,703
बिहार	18,043	3,435	2,284	..
बम्बई	4,40,911
केरल	18,246	80	121	..
मध्य प्रदेश	5,166
मद्रास	64,401	122	119	..
मैसूर	83,322
उड़ीसा	726	88	69	..
पंजाब	4,186
राजस्थान	1,765
उत्तर प्रदेश	89,014
पश्चिमी बंगाल	1,309
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
दिल्ली	1,973
हिमाचल प्रदेश	254
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	68
मनिपुर
त्रिपुरा	1,116
नेफ्रा
पांडिचरी
भारत	7,56,015	3,725	2,617	..

छात्रों की संख्या (जारी)

स्कूलों में		जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)
लड़कियां		1957—58	1958—59	
1957—58	1958—59	1957—58	1958—59	
12	13	14	15	16
..	3	2,23,200	2,85,472	+ 62,272
..	..	1,22,794	2,09,239	+ 86,445
73	72	2,08,893	2,82,171	+ 73,278
..	..	15,41,745	16,74,600	+1,32,855
7	15	1,36,048	1,43,892	+ 7,844
..	..	1,72,839	2,35,372	+ 62,533
91	99	4,16,705	4,93,951	+ 77,246
..	..	3,54,824	4,14,211	+ 59,387
3	..	26,353	27,019	+ 666
..	..	79,279	90,777	+ 11,498
..	..	77,609	1,22,505	+ 44,896
..	..	37,13,650	40,11,792	+2,98,142
..	..	96,006	1,23,463	+ 27,457
..	..	212	1,472	+ 1,260
..	..	38,148	37,128	- 1,020
..	..	20,338	22,535	+ 2,197
..	283	+ 283
..	..	1,968	8,783	+ 6,815
..	..	19,684	22,289	+ 2,605
..	..	195	221	+ 26
..	185	+ 185
174	189	72,50,490	82,07,360	+9,56,870

सारणी XXXII—बुनियादी स्कूलों

अवर बुनियादी स्कूलों में

राज्य	पुरुष		महिलाएं	
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4,692	1,222	949	57
आसाम	2,743	1,291	525	417
बिहार	3,539	663	98	45
बम्बई	3,373	2,842	544	485
केरल	1,767	57	943	51
मध्य प्रदेश	3,479	2,082	49	39
मद्रास	6,126	73	3,592	8
मैसूर	2,352	1,494	288	161
उड़ीसा	889	3	2	4
पंजाब	1,381	45	533	51
राजस्थान	2,497	856	226	174
उत्तर प्रदेश	64,892	14,680	4,635	4,349
पश्चिमी बंगाल	2,899	836	250	114
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	15	7	13
दिल्ली	689	1	218	2
हिमाचल प्रदेश	600	280	56	26
लक्काद्वीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मनिपुर	55	240	5	3
त्रिपुरा	200	367	62	134
नेफ़ा	9	..	2	..
पांडिचरी	7
भारत	1,02,197	27,047	12,984	6,133

में अध्यापकों की संख्या

उच्च बुनियादी स्कूलों में				उत्तर-बुनियादी स्कूलों में			
पुरुष		महिलाएं		पुरुष		महिलाएं	
प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
6	7	8	9	10	11	12	13
1,401	832	271	39	4	5
470	350	68	94
4,087	347	248	5	82	68	1	..
21,249	8,560	5,707	3,032
1,010	66	560	42	6	6	1	..
1,448	1,109	8	14
2,989	145	2,161	19	13	7	2	1
4,578	1,207	1,030	348
171	4	1	1	10	..	2	..
370	1	147	18
274	122	65	9
14,058*	3,632*	2,876*	1,008*
183	205	19	31
..
343	9	66	3
76	9	2	1
6	..	2
..
120	74	23	14
..
..
52,833	16,672	13,254	4,678	115	86	6	1

* अवर माध्यमिक स्कूल

सारणी XXXII—बुनियादी स्कूलों

राज्य	सभी स्कूलों में			अध्यापकों की अध्यापकों
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	जोड़	अवर बुनियादी स्कूलों में
1	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	7,317	2,155	9,472	81.5
आसाम	3,806	2,152	5,958	65.7
बिहार	8,055	1,128	9,183	83.7
बम्बई	30,873	14,919	45,792	54.1
केरल	4,287	222	4,509	96.2
मध्य प्रदेश	4,984	3,244	8,228	62.4
मद्रास	14,883	253	15,136	99.2
मैसूर	8,248	3,210	11,458	61.2
उड़ीसा	1,075	12	1,087	99.2
पंजाब	2,431	115	2,546	95.2
राजस्थान	3,062	1,161	4,223	72.6
उत्तर प्रदेश	86,461	23,669	1,10,130	78.5
पश्चिमी बंगाल	3,351	1,186	4,537	76.8
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	28	42	34.9
दिल्ली	1,316	15	1,331	99.7
हिमाचल प्रदेश	734	316	1,050	68.2
लक्कादीव, मिनिकाय और अंमीनदीवी द्वीपसमूह	8	..	8	..
मनिपुर	60	243	303	19.8
त्रिपुरा	405	589	994	34.3
नेफ़ा	11	..	11	100.0
पांडिचरी	7	..	7	100.0
भारत	1,81,389	54,617	2,36,006	77.6

में अध्यापकों की संख्या (ज़ारी)

कुल संख्या में प्रशिक्षित
का प्रतिशतअध्यापकों और छात्रों
का अनुपात

उच्च बुनियादी स्कूलों में	उत्तर बुनियादी स्कूलों में	सभी स्कूलों में	अवर बुनियादी स्कूलों में	उच्च बुनियादी स्कूलों में	उत्तर बुनियादी स्कूलों में	सभी स्कूलों में
18	19	20	21	22	23	24
65.7	44.4	77.2	32	26	3	30
54.8	..	63.9	37	26	..	35
92.5	55.0	87.7	35	27	16	31
69.9	..	67.4	33	37	..	36
94.0	53.8	95.1	35	27	10	32
56.5	..	60.6	29	27	..	29
96.9	65.2	98.3	34	30	7	33
78.3	..	72.0	31	40	..	37
97.1	100.0	98.9	26	21	6	25
96.5	..	95.5	38	28	..	37
72.1	..	72.5	30	20	..	29
78.5	..	78.5	40	27	..	37
46.1	..	73.9	29	18	..	27
..	..	34.9	34	34
97.1	..	98.9	27	29	..	28
88.6	..	69.9	21	22	..	21
100.0	..	100.0	..	35	..	35
..	..	19.8	29	30
61.9	..	40.7	24	16	..	22
..	..	100.0	20	20
..	..	100.0	26	26
75.6	58.2	76.9	37	32	13	35

व्यय

बुनियादी स्कूलों पर किया जाने वाला सीधा खर्च 19.37 करोड़ रु० से बढ़कर इस वर्ष 22.81 करोड़ रु० हो गया। कुल खर्च में से 12.50 करोड़ रु० अवर बुनियादी स्कूलों पर, 10.27 करोड़ रु० उच्च बुनियादी स्कूलों पर तथा 0.04 करोड़ रु० उत्तर बुनियादी स्कूलों पर खर्च किये गये। बुनियादी स्कूलों पर विभिन्न आय-स्रोतों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष व्यय का विवरण सारणी सं० XXXIII में दिया गया है।

खर्च का जो अंश भारत सरकार देती थी वह 80.4 प्रतिशत से घटकर 77.4 प्रतिशत हो गया और फ्रीस व अन्य आय-स्रोतों से होने वाली आय 1.2 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत हो गई। स्थानीय मण्डलों के धन से होने वाले खर्च में कुछ कमी हुई और उनका अंशदान 16.2 प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत रह गया।

प्रति छात्र पर होने वाले औसत वार्षिक खर्च का विवरण नीचे दिया जाता है :—

अवर बुनियादी स्कूलों में 22.9 रु०

उच्च बुनियादी स्कूलों में 37.3 रु०

उत्तर बुनियादी स्कूलों में 131.6 रु०

बुनियादी स्कूलों पर किये गये सीधे खर्च का राज्यवार विवरण सारणी XXXIV में दिया गया है। सारणी से पता चलेगा कि दिल्ली को छोड़कर शेष सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रों में खर्च गया बढ़ा है।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

आलोच्य वर्ष में बुनियादी अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या 586 से बढ़कर 678 हो गई। इन स्कूलों में तथा अन्य संस्थाओं से संबद्ध बुनियादी प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों की संख्या 71,499 थी। इनमें 17,216 महिलाएं थी। गत वर्ष यह संख्या क्रमशः 60,521 और 13,860 थी। इन संस्थाओं पर 2.23 करोड़ रु० की रकम खर्च हुई। यह रकम गत वर्ष खर्च की गयी रकम की अपेक्षा 19.0 प्रतिशत अधिक थी। प्रत्येक अध्यापक को बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित करने में औसतन 329.9 रु० खर्च किये गये। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने वाले अध्यापकों की संख्या 35,181 थी, जिनमें 7,722 महिलाएं थी।

पहले की तरह इस वर्ष भी बुनियादी अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या, दूसरे राज्यों की अपेक्षा बम्बई में सबसे अधिक थी। वहां ऐसे 130 स्कूल थे। जिन अन्य राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण स्कूल काफ़ी संख्या में थे वे उत्तर प्रदेश (108), मद्रास (104), बिहार (62), मध्य प्रदेश (55), और केरल (53) थे। दूसरे राज्यों में यह संख्या 17 (पश्चिमी बंगाल) और 47 (आंध्र प्रदेश) के बीच रही। संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में 2 और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, मनीपुर और नेफा में एक-एक स्कूल था। अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों का और अधिक विवरण सारणी XXXV में दिया गया है।

बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों के अतिरिक्त देश में 54 बुनियादी प्रशिक्षण कालेज भी थे। इन कालेजों में 33 स्नातकोत्तर कालेज और 21 पूर्व-स्नातक थे। इन कालेजों और इनसे संबद्ध कक्षाओं में प्रशिक्षार्थियों की संख्या 4,305 से बढ़कर इस वर्ष 4,536 हो गई। इन संस्थाओं पर 35.24 लाख रु० खर्च हुए। इनमें से 25.77 लाख रु० स्नातकोत्तर बुनियादी कालेजों पर तथा 9.47 लाख रु० पूर्व-स्नातक बुनियादी कालेजों पर खर्च हुए। इन कालेजों और कक्षाओं में कुल मिला कर इस वर्ष 2,340 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें 445 अध्यापिकाएं थी। गत वर्ष यही आंकड़े इस प्रकार थे :—कुल खर्च 30.44 लाख रु० प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 2,913 (जिनमें 490 अध्यापिकाएं भी शामिल हैं)। वार्षिक खर्च की औसत जो गत वर्ष 534.5 रु० थी, इस वर्ष 628.6 रु० रही। प्रशिक्षण कालेजों के विस्तृत आंकड़े सारणी XXXVI में दिये गये हैं।

सारणी XXXXIII—विभिन्न आय स्रोतों से प्राप्त बुनियादी स्कूलों पर प्रत्यक्ष खर्च।

आय स्रोत	अवर बुनियादी			उच्च बुनियादी			उत्तर बुनियादी			सभी स्कूल	
	रकम	प्रतिशत		रकम	प्रतिशत		रकम	प्रतिशत		रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
सरकारी निधियां	9,87,78,901	79.0	7,75,54,877	75.4	2,31,476	62.7	17,65,65,254	77.4			
स्थानीय मंडलों की निधियां	2,33,74,420	18.7	1,19,85,061	11.7	3,53,59,481	15.5			
श्रीस	3,19,910	0.3	89,39,258	8.7	41,173	11.1	93,00,341	4.1			
धर्मस्व	5,08,767	0.4	8,87,216	0.9	21,832	5.9	14,17,815	0.6			
अन्य आय स्रोत	20,50,830	1.6	33,79,812	3.3	74,804	20.3	55,05,446	2.4			
जोड़	12,50,32,828	100.0	10,27,46,224	100.0	3,69,285	100.0	22,81,48,337	100.0			

सारणी XXXIV—राज्यों द्वारा बुनियादी

राज्य	अवर बुनियादी स्कूलों पर		उच्च स्कूलों
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
	₹०	₹०	₹०
आंध्र प्रदेश	42,15,282	59,82,896	16,36,667
आसाम	25,30,148	42,83,672	2,96,371
बिहार	23,43,128	26,43,947	44,71,792
बम्बई	75,37,616	86,90,929	3,79,08,810
केरल	22,49,894	30,07,445	8,78,040
मध्य प्रदेश	39,74,062	48,87,290	15,84,073
मद्रास	77,71,541	89,95,540	49,11,772
मैसूर	33,49,329	42,18,561	78,82,482
उड़ीसा	9,49,552	9,78,806	1,84,915
पंजाब	19,79,660	22,56,999	5,43,656
राजस्थान	30,46,626	38,17,933	7,23,483
उत्तर प्रदेश	6,23,58,751	6,73,86,713	2,18,95,841*
पश्चिमी बंगाल	26,28,639	38,64,500	3,69,832
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	18,902	68,367	..
दिल्ली	15,51,652	15,51,239	8,21,526
हिमाचल प्रदेश	10,94,914	11,60,208	1,11,310
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मणिपुर	11,896	1,12,680	..
त्रिपुरा	8,57,758	10,75,985	3,10,091
नेफ़ा	34,758	43,781	..
पांडिचरी	..	5,337	..
भारत	10,85,04,108	12,50,32,828	8,45,30,661

स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

बुनियादी पर	उत्तर बुनियादी स्कूलों पर		जोड़
	1958—59	1957—58	1958—59
	5	6	7
	8		
रु०	रु०	रु०	रु०
24,67,838	..	12,867	58,51,949
7,58,560	28,26,519
51,75,486	4,86,562	2,60,480	73,01,482
4,49,51,141	4,54,46,426
20,06,568	23,311	19,667	31,51,245
26,96,377	55,58,135
53,77,832	92,148	62,512	1,27,75,461
1,13,87,951	1,12,31,811
1,84,422	14,616	13,759	11,49,083
7,49,764	25,23,316
8,82,132	37,70,109
2,41,12,806*	8,42,54,592
6,42,463	29,98,471
..	18,902
8,15,080	23,73,178
87,121	12,06,224
12,290
..	11,896
4,37,763	11,67,849
..	34,758
..
10,27,46,224	6,16,637	3,69,285	19,36,51,406

*अवर माध्यमिक स्कूल

सारणी XXXIV—राज्यों द्वारा बुनियादी

राज्य	जोड़	वृद्धि (+) या कमी (-)	शिक्षा पर किए गए खर्च में से कितना प्रतिशत बुनियादी स्कूलों पर खर्च हुआ
	1958—59		
1	9	10	11
	₹०	₹०	
आंध्र प्रदेश	84,63,601	+ 26,11,652	5.7
आसाम	50,42,232	+ 22,15,713	10.0
बिहार	80,79,913	+ 7,78,431	7.1
बम्बई	5,36,42,070	+ 81,95,644	13.9
केरल	50,33,680	+ 18,82,435	4.6
मध्य प्रदेश	75,83,667	+ 20,25,532	6.2
मद्रास	1,44,35,884	+ 16,60,423	7.9
मैसूर	1,56,06,512	+ 43,74,701	13.2
उड़ीसा	11,76,987	+ 27,904	3.1
पंजाब	30,06,763	+ 4,83,447	2.6
राजस्थान	47,00,065	+ 9,29,956	6.7
उत्तर प्रदेश	9,14,99,519	+ 72,44,927	34.4
पश्चिमी बंगाल	45,06,963	+ 15,08,492	2.2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	68,367	+ 49,465	19.5
दिल्ली	23,66,319	- 6,859	3.8
हिमाचल प्रदेश	12,47,329	+ 41,105	22.9
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	12,920	+ 12,920	12.8
	1,12,680	+ 1,00,784	3.2
त्रिपुरा	15,13,748	+ 3,45,899	24.0
नेफा	43,781	+ 9,023	4.5
पांडिचरी	5,337	+ 5,337	0.2
भारत	22,81,48,337	+ 3,44,96,931	11.2

स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी)

विभिन्न आय स्रोतों से प्राप्त राशि का प्रतिशत

सरकारी निधियां	स्थानीय मंडलों की निधियां	फीस	धर्मस्व	अन्य आय स्रोत
12	13	14	15	16
78.7	20.6	0.1	0.4	0.2
99.2	0.3	0.1	0.4	0.0
94.7	0.6	1.2	0.4	3.1
85.9	10.2	1.8	0.1	2.0
99.2	..	0.0	0.0	0.8
86.5	12.1	0.6	0.1	0.7
75.5	19.2	0.7	4.2	0.4
82.6	13.1	1.0	3.3	0.0
96.8	0.7	2.5
97.9	..	1.6	0.2	0.3
99.8	..	0.0	0.2	..
65.4	21.9	8.3	0.7	3.7
84.8	8.0	4.8	0.6	1.8
99.5	0.5
17.1	82.8	0.1
100.0
100.0
100.0
99.7	..	0.0	0.1	0.0
100.0
34.8	65.2
77.4	15.5	4.1	0.6	2.4

सारणी XXXV—अध्यापकों के (बुनियादी)

राज्य	बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या	भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या*		
		पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	47	4,503	667	5,170
आसाम	20	1,076	245	1,321
बिहार	62	5,587	639	6,226
बम्बई	130	11,869	4,439	16,308
जम्मू और कश्मीर	8	260	99	359
केरल	53	2,320	1,831	4,151
मध्य प्रदेश	55	5,562	594	6,156
मद्रास	104	8,613	4,563	13,176
मैसूर	18	1,991	416	2,407
उड़ीसा
पंजाब	22	2,440	2,139	4,579
राजस्थान	28	2,308	147	2,455
उत्तर प्रदेश	108	6,499	1,060	7,559
पश्चिमी बंगाल	17	823	179	1,002
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	15	5	20
दिल्ली	1	108	122	230
हिमाचल प्रदेश	2	150	46	196
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मनिपुर	1	75	5	80
त्रिपुरा	..	59	17	76
नेफा	1	25	3	28
पांडिचरी
भारत	678	54,283	17,216	71,499

*इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वाले
इसमें प्राइवेट विद्यार्थियों की

प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े

कुल खर्च र०	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च	प्रशिक्षण-प्राप्त अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिलाएं	जोड़
6	7	8	9	10
18,79,570	363.6	2,386	216	2,602
7,80,251	590.7	818	168	986
20 43,656	328.2	2,783	176	2,959
43,11,983	264.4	5,921	2,060	7,981
4,12,531	114.9	249	91	340
5,26,967	158.8	488	396	884
28,10,770	456.6	5,122	510	5,632
22,57,524	170.4	3,647	1,799	5,446
9,23,443	403.8	789	159	948
..
6,39,452	369.0	2,588	1,675	4,263
17,65,872	745.4	2,299	148	2,447
32,88,497	434.5	2,545	458	3,003
2,73,114	289.9	801	173	974
9,019	451.0	13	4	17
1,10,686	553.4
71,161	363.1	134	43	177
..
20,072	250.9	71	5	76
..	..	54	15	69
1,03,421	693.6	12	3	15
..
2,22,27,989	329.1	30,720	8,099	38,819

विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है ।
संख्या भी शामिल है ।

सारणी XXXVI—अध्यापकों के बुनियादी

राज्य	बनियादी प्रशिक्षण कालेजों की संख्या		भर्ती होने वाले छात्रों की* संख्या		
	स्नातकोत्तर	पूर्व-स्नातक	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1	..	55	10	65
आसाम	1	..	18	..	18
बिहार	3	..	418	35	453
बम्बई	5	..	133	24	157
केरल
मध्य प्रदेश	3	..	255	37	292
मद्रास	1	..	27	..	27
मैसूर	2	7	587	107	694
उड़ीसा	1	6	356	3	359
पंजाब	8	..	533	326	859
राजस्थान	4	..	363	74	437
उत्तर प्रदेश	1	4	678	38	716
पश्चिमी बंगाल	1	4	268	66	334
अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह
दिल्ली	61	14	75
हिमाचल प्रदेश	1	..	34	12	46
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मणिपुर
त्रिपुरा	1	..	3	1	4
नेफा
पांडिचरी
भारत	33	21	3,789	747	4,536

*इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वाले

प्रशिक्षण कालेजों के आकड़ (क्रमशः)

कुल खर्च		प्रतिछात्र आसत वार्षिक खर्च		
स्नातकोत्तर	पूर्व-स्नातक	स्नातकोत्तर	पूर्व-स्नातक	पुरुष
7	8	9	10	11
24,910	..	383.2
34,550	..	1,919.4	..	16
2,26,352	..	499.7	..	686
2,13,058	..	1,357.1	..	133
..
4,20,314	..	1,439.4	..	229
40,018	..	1,482.1	..	27
1,42,938	2,85,770	2,508.0	378.0	54
46,002	83,895	1,000.0	268.0	47
5,11,934	..	347.5	..	441
5,08,039	..	971.4	..	345
1,02,036	4,86,728	1,380.7	747.0	23
1,66,957	90,579	1,517.8	437.6	..
..
..	57
54,190	..	1,178.0
..
..
72,528	..	906.6	..	3
..
..
25,63,826	9,46,972	751.1	490.9	2,061

विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है । ..

सारणी XXXVI—अध्यापकों के बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के आंकड़े (क्रमशः)

	प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की संख्याएँ				
	स्नातक		उत्तर स्नातक		
	महिलाएं	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश
आसाम	..	16
बिहार	32	718
बम्बई	24	157
केरल
मध्य प्रदेश	36	265	16	..	16
मद्रास	..	27
मैसूर	3	57
उड़ीसा	3	50
पंजाब	279	720
राजस्थान	69	414
उत्तर प्रदेश	37	60
पश्चिमी बंगाल
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
दिल्ली	13	70
हिमाचल प्रदेश
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मनिपुर
त्रिपुरा	1	4
नेफ्रा
पांडिचरी
भारत	497	2,558	16	..	16

†इसमें प्राइवेट विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है।

पाँचवा अध्याय

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का कार्यक्रम, आलोच्य वर्ष में भी, जारी रहा। दूसरी आयोजना में माध्यमिक शिक्षा के लिए जो विभिन्न योजनाएँ बनायी गयी थी उन्हें कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सन् 1958-59 में कुल मिलाकर 3.63 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को भी 10.10 लाख रु० की रकम दी गई ताकि वे अपनी कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से चला सकें और उनका विस्तार कर सकें। साथ ही, माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विधियों में अनुसंधान करने के लिए 27 संस्थाओं को 1,69,244 रु० देना भी मजूर किया गया।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने आलोच्य वर्ष में भी सफलता पूर्वक कार्य किया। यह परिषद् सन् 1955 में बनायी गई थी। परिषद् ने आलोच्य वर्ष में मुख्य अध्यापकों और शिक्षा अधिकारियों के लिए 8 संगोष्ठियों का, 3 अनुवर्ती (वर्कशाप) का, विशिष्ट विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए 16 संगोष्ठियों का और 4 संगोष्ठी-सह-प्रशिक्षणक्रमों का आयोजन किया। आलोच्य वर्ष में परिषद् ने एक विस्तार सेवा विभाग भी खोला। इस प्रकार इन विभागों की संख्या बढ़कर 53 हो गई। इन विभागों ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की अधिकाधिक व्यवस्था करने का काम जारी रखा। परिषद् ने आलोच्य वर्ष में एक परीक्षा-प्रणाली सुधार एकक की भी स्थापना की जिसमें 14 मूल्यांकन अधिकारी रखे गये। परीक्षा-प्रणाली में सुधार के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडलों के सचिवों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन की सिफारिशों की सूचना राज्य सरकारों को भी दे दी गई। इस नये एकक ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए अनेकों कार्य-गोष्ठियों का आयोजन किया और उन्हें मूल्यांकन की एक नयी पद्धति के विषय में जानकारी दी।

परिषद् ने माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने पर विशेष ध्यान दिया और आलोच्य वर्ष में 200 विज्ञान क्लब स्थापित किये। पिछले वर्ष भी 130 विज्ञान क्लब खोले गये थे। परिषद् ने स्कूलों में प्रयोग कार्य नामक योजना के अंतर्गत भी 9 स्कूलों को अनुदान भी दिया।

आलोच्य वर्ष के अंतिम भाग में परिषद् के कार्यालय को नये सिरे से संगठित करके उसे एक निदेशालय का रूप दिया गया और उसे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया, ताकि परिषद् अपने विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक सफलतापूर्वक पूरा कर सके।

अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए, आलोच्य वर्ष में हैदराबाद में केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश) की स्थापना की गयी। इस संस्थान के प्रशासनिक कार्यों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का काम एक स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया।

आलोच्य वर्ष में श्री के० जी० सैयदैन, सचिव, शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति बनाई गई। इस समिति को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली शिक्षा संबंधी विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं—उदाहरणार्थ केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र के कार्यक्रमों का समन्वय करने का काम सौंपा गया था। आलोच्य वर्ष में समिति की दो बैठकें हुईं।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की 26वीं बैठक 15 और 16 जनवरी, 1959 को मद्रास में हुई। इस बैठक में मंडल ने हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में यथाशीघ्र बदलने के उपायों पर विचार-विमर्श किया और सिफारिश की कि—

- (i) हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने के कार्य को माध्यमिक शिक्षा को नये सिरे से संगठित करने की योजना का एक आवश्यक अंग माना जाय और इस योजना को परम अग्रता दी जाय।
- (ii) राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की जाय कि वे, यदि सब स्कूलों को नहीं तो, अधिक से अधिक हाई स्कूलों को तीसरी आयोजना के अंत तक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दें।
- (iii) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस बात का आश्वासन दे कि दूसरी आयोजना की भांति तीसरी आयोजना की अवधि में भी इन स्कूलों के आवर्ती और अनावर्ती खर्च की 60 प्रतिशत रकम केन्द्रीय सरकार ही देगी, और ऐसे स्कूलों के लिए चौथी आयोजना में भी केन्द्रीय सहायता दी जाती रहेगी, भले ही सहायता में दी जाने वाली रकम पहले की अपेक्षा कुछ कम कर दी जाय।

मंडल ने इस पर भी विचार किया कि नये माध्यमिक स्कूलों के लिए पर्याप्त अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाये जायें। इस सम्बन्ध में मंडल ने सिफारिश की कि :

- (क) उच्चतर माध्यमिक स्कूल में नियुक्त सभी विभागाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं जो एम० ए० या एम० एस० सी० हों, और उनके पास विश्वविद्यालय का इस आशय का डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए कि वे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। दोनों ही श्रेणियों के व्यक्ति बी० टी० के स्तर का प्रशिक्षण पाए हुए होने चाहिएं, जैसा कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अपेक्षित होता है। यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न संस्थाओं से कुछ अध्यापकों को एक-एक वर्ष के लिए किसी विश्वविद्यालय में भेज दिया जाय ताकि विज्ञान के अध्यापक वहा की अनुमोदित प्रयोगशालाओं में और अन्य विषयों के अध्यापक दूसरे अनुमोदित विभागों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
- (ख) एम० ए० डिग्री का पाठ्यक्रम लेने से पहले अध्यापकों को चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों के सम्बन्धित विभाग से अपनी पढ़ाई के बारे में परामर्श ले लें। उन्हें विश्वविद्यालय में एक शैक्षिक वर्ष तक संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद या तो उन्हें कालेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ एम० ए० या एम० एस० सी० की परीक्षा में बैठना चाहिए या ऐसी डिप्लोमा-परीक्षा में बैठना चाहिए जो इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से शुरू की जानी चाहिए। डिप्लोमा पाने के बाद ही वे उच्चतर-माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने के अधिकारी होंगे। अध्यापक को परीक्षाओं में व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप से बैठने की जो सुविधा इस समय दी जाती है उसे भी जारी रखा जाना चाहिए।
- (ग) उम्मीदवार को विश्वविद्यालय की डिप्लोमा या डिग्री परीक्षा में अथवा दोनों परीक्षाओं में बैठने की छूट होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार इनमें से किसी एक परीक्षा में असफल रहे तो उसे यह अनुमति दे दी जानी चाहिए कि वह स्वयं अध्ययन करके दूसरे साल के अन्त में दुबारा परीक्षा में बैठ सकता है। अर्थात् यह होगा कि उच्च अध्ययन के लिए वे ही अध्यापक चुने जाय जिन्हें बी० टी० की योग्यता-प्राप्त है और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त स्कूल में कम से कम 5 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया है। इस प्रकार जितने भी अध्यापक की सिफारिश की जायगी, विश्वविद्यालय उनकी जांच करेगा और यह तय करेगा कि किस वर्ष कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण

दिया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य अध्यापकों की सिफारिशों, सम्बन्धित राज्य सरकारों के जरिये, विश्वविद्यालयों को भेज दी जायगी।

(घ) ये अध्यापक अपनी-अपनी प्रबंध संस्थाओं द्वारा ही भेजे जा सकेंगे। प्रशिक्षण की नियत अवधि के दौरान अध्यापकों को निम्नलिखित वेतन भत्ते आदि दिए जायंगे:—

- (1) वह वेतन जो उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजने की तारीख से पहले मिल रहा था;
- (2) गुजारा भत्ता। इसकी रकम हर राज्य सरकार निश्चित करेगी और यह भत्ता अध्यापकों को प्रशिक्षण-अवधि में दिया जायगा।
- (3) जिस अध्यापक को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाय वह अपनी प्रबंध-संस्था और राज्य सरकार को इस आशय का बंध-पत्र लिखकर देगा कि प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद वह कम से कम 5 वर्ष तक उसकी नौकरी करेगा।

सन् 1954 में जो केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो खोला गया था, उसने प्राथमिक और मिडिल दर्जों के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, समाज-विद्या और विज्ञान के पाठ-विवरण तैयार किए। यह पाठ्य-विवरण बुनियादी और गैर-बुनियादी दोनों ही प्रकार के पाठ्य-विवरणों की विशेषताओं का समावेश करके बनाया गया था और यही इसकी मुख्य विशेषता थी। मूल्यांकन अभ्यास के साथ साथ प्रयोग के रूप में नमूने के 24 पाठ (ट्राइ आउट लेसन्स) भी तैयार किये गये।

केन्द्रीय शिक्षा और व्यवसाय संदर्शन ब्यूरो ने, आलोच्य वर्ष में संदर्शन संस्थाओं, अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और विश्वविद्यालयों को शिक्षा और व्यवसाय संदर्शन सम्बन्धी तकनीकी सहायता दी। ब्यूरो की स्थापना सन् 1954 में की गयी थी। ब्यूरो ने, कुछ चुनी हुई संस्थाओं में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा और व्यावसायिक संदर्शन के विषय पर दो दिन की संगोठियों का भी आयोजन किया। इन संगोठियों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों, अध्यापकों और छात्रों ने भाग लिया था। इनमें अन्य बातों के साथ साथ "स्कूल के कार्यक्रमों में शिक्षा और व्यावसायिक संदर्शन का महत्व" पर विचार किया गया और विशेषतः नीचे लिखे विषयों पर अधिक बदल किया गया:—

- (1) स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक नवप्रशिक्षण (वोकेशनल ओरियंटेशन) देना।
 - (2) "डेल्टा" कक्षा के छात्रों की पाठ्यचर्या में शिप-शिक्षा की व्यवस्था करना।
 - (3) "दायक स्कूलों" (फीडर स्कूल) से हाई स्कूलों में जाने वाले छात्रों को नये सिरे से शिल्प की सामान्य शिक्षा देना।
- ब्यूरो ने, संदर्शन निदेशकों और पार्षदों के लिए दस महीने की अवधि का एक वृत्तिक पाठ्य-क्रम भी आरम्भ किया। इस पाठ्यक्रम में आन्ध्र प्रदेश, आसाम और केरल राज्य की सरकारों द्वारा नामित एक-एक व्यक्ति, कालेजों के 3 प्राध्यापकों और हाई स्कूलों के 4 अध्यापकों ने भाग लिया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में संदर्शन के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष का प्रशिक्षण देना था।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान ने अपने संबद्ध बुनियादी स्कूल को एक स्वतन्त्र उच्च बुनियादी स्कूल का रूप दे दिया। संस्थान के बाल संदर्शन में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया। इस केन्द्र की देख-रेख का काम एक बाल मनोवैज्ञानिक को सौंपा गया है। संस्थान के विस्तार सेवा विभाग में जो-जो विस्तार कार्य हुए उनमें मूल्यांकन गोष्ठी का आयोजन विशेष उल्लेखनीय है। इस का आयोजन ऐसे स्कूल के कर्मचारियों के लाभ के लिए किया गया था जो अपनी आंतरिक परीक्षाप्रणाली में सुधार करना चाहता था।

मुख्य विकास-कार्य

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किये गये कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आंध्र प्रदेश

आलोच्य वर्ष में 9 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया गया। जनवरी, 1959 में निजामाबाद में, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए समाज-विद्याओं पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दूसरी संगोष्ठी नेलोर में 'गणित' पर हुई। सात वर्ष का समन्वित प्रारंभिक पाठ्यक्रम शुरू करने के कारण हाई स्कूल के तीन वर्ष के पाठ्यक्रम का स्थान 4 वर्ष के उच्चतर माध्यमिक और बहुदृशी पाठ्यक्रम ने ले लिया। एस० एस० एल० सी० परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत-संख्या में कमी होने के कारणों की जाच करने और ऐसे उपाय सुझाने के लिए जिनसे लड़के अधिक संख्या में उत्तीर्ण हो, डा० ए० एल० नारायण की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

आसाम

आलोच्य वर्ष में 4 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तथा 3 को बहुदृशी स्कूलों में बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त 41 हाई स्कूलों और 33 मिडिल स्कूलों की शिल्प-शिक्षा आरंभ करने, शिक्षण साधनों में सुधार करने और स्कूल में पुस्तकालय खोलने के लिए अनुदान दिये गये। सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-मान बढ़ाने के लिए भी अनुदान दिये।

बिहार

राज्य सरकार ने भागलपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें 45 मुख्य अध्यापकों और 5 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए पटना में तथा विज्ञान के अध्यापकों के लिए रांची में, दस-दस दिन की दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने के लिए सभी मडलों में डेढ़ महीने के अल्पकालीन प्रशिक्षण क्रमों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त 9 अध्यापकों को हैदराबाद में आयोजित माध्यमिक शिक्षा कार्यगोष्ठी में भेजा गया और 45 अध्यापकों को अल्प-कालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चिरी उच्च प्रशिक्षण स्कूल में भेजा गया।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए विहित पाठ्यविवरण को सर्वोदय स्कूलों में भी भाग लागू किया गया। तय किया गया कि भविष्य में इन स्कूलों की अंतिम परीक्षा की व्यवस्था स्कूल परीक्षा मंडल करेगा।

माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के गिरते हुए स्तर की रोक-थाम करने के लिए माध्यमिक स्तर के आरंभ से ही अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बना दिया गया।

माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान की शिक्षा के लिए आवश्यक साज-सामान, हरिजन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, अध्ययन यात्राओं (स्टडी टूर) और इमारतें आदि बनवाने के लिए अनुदान दिये गये।

बम्बई

राज्य का माध्यमिक शिक्षा सलाहकार मंडल माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन, समन्वय और विस्तार-कार्य के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देता रहा। मंडल की स्थापना सन् 1957-58 में की गयी थी। बम्बई सरकार ने नवम्बर 1958 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सहयोग से मुख्य अध्यापकों और निरीक्षक अधिकारियों के लिए पूना में एक प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में, जिन बातों पर विचार किया गया, उनमें निम्नलिखित भी शामिल थे:—स्कूलों में अनुशासन हीनता, मुख्य अध्यापकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, पूरे साल के काम के लिए आयोजना बनाना और वर्ष में किये गये काम का मूल्यांकन करना तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। संगोष्ठी में 39 मुख्य अध्यापकों और 9 निरीक्षक अधिकारियों ने भाग लिया।

पहले के बम्बई राज्य में जो 70-5-130-6-180-200 रु० का वेतनमान प्रचलित था उसे आलोच्य वर्ष में विदर्भ के इलाके के स्कूलों में भी लागू कर दिया गया। पूना के एस० एस० सी० परीक्षा मंडल को मराठवाडा ज़िले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं लेने का अधिकार दे दिया गया। पहले यह परीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय लेता था। गत वर्ष जो माध्यमिक शिक्षा समेकन समिति बनायी गई थी उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, ताकि यह मालूम किया जा सके कि इस सम्बन्ध में आम जनता और विशेषतः माध्यमिक स्कूलों के क्या विचार हैं। समिति की सिफ़ारिश पर सरकार विचार कर रही है।

जम्मू और कश्मीर

कुछ हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया और स्थानीय वातावरण और व्यवसाय सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से उनमें विशिष्ट पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये। विशिष्ट विषयों की पढ़ाई के लिए सुयोग्य अध्यापकों की व्यवस्था की गई और आवश्यक साज-सामान खरीदने के लिए अनुदान दिये गये।

केरल

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहयोग से गणित के अध्यापकों के लिए त्रिचूर में और सामान्य विज्ञान के अध्यापकों के लिए त्रिवेन्द्रम में, दस-दस दिन की दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन संगोष्ठियों में गणित के 32 अध्यापकों ने तथा सामान्य विज्ञान के 40 अध्यापकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त मुख्य अध्यापकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें 34 मुख्य अध्यापकों ने भाग लिया।

आलोच्य वर्ष में स्कूल पाठ्यक्रम का गठन नये सिरे से किया गया। नयी योजना के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 7 वर्ष के समेकित पाठ्यक्रम के बाद के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः 3 और 4 वर्ष कर दी गयी। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्य-विवरण दो प्रकार के थे : शैक्षिक और बहुमुखी। इन दोनों प्रकारों के पाठ्यक्रमों में पहले वर्ष सामान्य शिक्षा दी जायगी और दोनों पाठ्यक्रम नवीं कक्षा से अलग अलग होने शुरू हो जायंगे।

मध्य प्रदेश

सरकार गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान के बराबर करने की योजना पर काम करती रही। इस काम के लिए गैर-सरकारी सस्थाओं को दी जाने वाली अनुरक्षण अनुदान की रकम बढ़ा दी गई। राज्य सरकार ने 22 रु० प्रति अध्यापक की दर से अनुदान दिये और उन्हें अंशदान निर्वाह निधि योजना की सुविधाएं भी दीं।

आलोच्य वर्ष में 17 सरकारी हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तथा 3 हाई स्कूलों को बहुदेशी स्कूलों में परिवर्तित किया गया।

मद्रास

माध्यमिक शिक्षा के सुधार की योजना के अंतर्गत 8 स्कूलों को विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिए, 54 स्कूलों को आधारभूत विषयों की पढ़ाई में सुधार के लिए, 108 स्कूलों को स्कूल-पुस्तकालयों में सुधार के लिए तथा 36 स्कूलों को शिल्पकी शिक्षा आरम्भ करने के लिए चुना गया। माध्यमिक स्कूलों में 100 बहुमुखी पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया गया और इस प्रणाली के आधार पर 55 स्कूलों को बहुदेशी ढंग के स्कूलों में बदल दिया गया। चौबीस माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान क्लब बनाने के लिए चुना गया। गैर-सरकारी स्कूलों को बहुमुखी पाठ्यक्रम और शिल्प की शिक्षा आरम्भ करने तथा विज्ञान और पुस्तकालय संबंधी वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने के लिए भी सरकार ने अनुदान दिये।

आलोच्य वर्ष में हाई स्कूलों के मुख्य अध्यापकों और मुख्य अध्यापिकाओं तथा विशिष्ट विषयों के अध्यापकों के लिए एक सगोष्ठी का आयोजन किया गया। विधान समिति के शिक्षा विषयक श्वेत-पत्र की सिफारिशों के अनुसार पाठ्य-विवरणों में संशोधन किया गया और यह निर्णय किया गया कि आलोच्य वर्ष से संशोधित पाठ्यविवरणों को एक क्रमिक योजना के अनुसार भिन्न-भिन्न श्रेणियों या कक्षाओं में लागू किया जाय।

सरकार ने सहायक अनुदान सहिता का पुनरीक्षण करने के लिए जो समिति बना दी थी उसने माध्यमिक स्कूलों के विषय में अपनी पहली सिफारिश-सूची पेश की। राज्य सरकार इन पर विचार कर रही थी।

मैसूर

माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के पाठ्यक्रमों को बहुमुखी बनाने की योजना के अंतर्गत लड़कों के 10 हाई स्कूलों को बहुदेशी स्कूलों में परिवर्तित किया गया और उनमें कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी। लड़कियों के 17 हाई स्कूलों में गृह-विज्ञान का पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया गया। दो और हाई स्कूलों में तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये और उन्हें बहुदेशी स्कूलों में परिवर्तित किया गया।

दिसम्बर 1958 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में राज्य के बहुदेशी हाई स्कूलों के मुख्य अध्यापकों की एक सगोष्ठी बगलौर में हुई। बगलौर और मैसूर में क्रमशः गणित और अंग्रेजी की दो विषय-विशिष्ट सगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इनमें प्रत्येक विषय के चालीस-चालीस अध्यापकों ने भाग लिया। ये अध्यापक राज्य के सभी भागों के हाई स्कूलों से बुलाए गये थे। वाई० एम० सी० ए० को परामर्शदाता अध्यापकों की एक सगोष्ठी आयोजित करने के लिए और उच्चतर माध्यमिक तथा बहुदेशी स्कूलों के छात्रों के संदर्शन के लिए 5,000 रु० देना मंजूर किया गया।

उड़ीसा

सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों के अंतर को दूर करने के लिए गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने का निश्चय किया गया। इस योजना में होने वाले खर्च की 50 प्रतिशत रकम केन्द्रीय सरकार ने देनी मंजूर की। शेष 50 प्रतिशत रकम की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया। हालांकि केन्द्रीय सरकार ने अनुदान के सम्बन्ध में अपना नियत अंश दे दिया किन्तु राज्य सरकार अपना अंश देने में असमर्थ रही। इसलिए अध्यापकों के वेतन में जितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था उसका केवल 50 प्रतिशत ही उन्हें दिया जा सका। यह वृद्धि पहली अप्रैल 1958 से की गयी।

हाई स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के पाठ्य-विवरण में शिल्प का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। तदनुसार 45 वर्तमान हाई स्कूलों में शिल्प की शिक्षा आरंभ की गयी और इस काम के लिए दूसरे 8 हाई स्कूलों को अनावर्ती अनुदान दिये गये। आलोच्य वर्ष में 60 एम० ई० स्कूलों में शिल्प की शिक्षा आरंभ की गई।

‘ए’ श्रेणी के हाई स्कूलों के मुख्य अध्यापक के पद का दर्जा बढ़ाकर उसे दूसरी श्रेणी का पद बना दिया गया। उड़ीसा के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की वर्तमान पद्धति में अनुसंधान करने और उसमें सुधार की सिफारिश करने के लिए एक परीक्षा प्रणाली अनुसंधान ब्यूरो भी खोला।

पंजाब

परम्परागत ढंग के 141 हाई स्कूलों को पहली अप्रैल, 1958 से बहुदेशी स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। इन स्कूलों में अतिरिक्त स्थान, फर्नीचर और साज-सामान आदि की व्यवस्था के लिए 7.57 लाख रु० खर्च किये गये। सरकारी स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा आरंभ करने के लिए भी 3,12,977 रु० खर्च किये गये।

राजस्थान

36 सरकारी मिडिल स्कूलों और 5 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के स्तर का बना दिया गया। साथ ही गैर-सरकारी हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए 1.50 लाख रु० के सहायक अनुदान की भी व्यवस्था की गई। विज्ञान की प्रयोग-शालाओं, स्कूल के पुस्तकालयों, साजसामान आदि की अवस्था में सुधार करने के लिए हाई स्कूलों को 3.21 लाख रुपये भी दिये गये।

उत्तर प्रदेश

दूसरी आयोजना की एक योजना के अन्तर्गत 88 उच्च स्कूलों में सामान्य विज्ञान की शिक्षा आरंभ की गयी। इसके लिए राज्य सरकार ने 3,00,000 रु० की रकम मंजूर की। एक दूसरी योजना के अन्तर्गत 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को बहुदेशी स्कूलों में परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम आरंभ किये गये, और इसके लिए उन संस्थाओं में 50,000 रु० प्रति खंड की लागत से अलग से तकनीकी खंड (ब्लॉक) भी बनाये गये।

उच्च बुनियादी स्कूलों में सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए इन विषयों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

पश्चमी बंगाल

माध्यमिक स्कूलों को नये ढंग की शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत लाने और उनका विकास करने के लिए बहुदेशी स्कूल योजना और ऐसी ही अन्य योजनाएँ आलोच्य वर्ष में भी जारी रही। अध्यापकों की अवस्था में सुधार करने की दृष्टि से उनके लिए मकान बनाने की मंजूरी दी गयी तथा उनका वेतन-मान बढ़ाया गया। अध्यापकों की वृत्तिक और शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की गयी और संगोष्ठियों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले अध्यापकों को निवास-स्थान न दिये जाने पर उन्हें विशेष भत्ता देना मंजूर किया गया ताकि गांवों के स्कूलों में अर्हता-प्राप्त अध्यापक आवश्यक संख्या में आ सकें।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

आलोच्य वर्ष में एक हाई स्कूल का स्तर बढ़ा कर उसे उच्चतर माध्यमिक बहुदेशी स्कूल बना दिया गया उसके प्राथमिक अनुभाग को उससे अलग कर दिया गया। लड़कियों के अनुभाग को भी अलग कर दिया गया और उसे भी लड़कियों के उच्चतर माध्यमिक स्कूल का रूप दे दिया गया। उच्चतर माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए द्वीप के भीतर ही एक अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया।

दिल्ली

दस हाई स्कूलों और चौदह मिडिल/उच्च बुनियादी स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का रूप दे दिया गया। माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से संस्थाओं का स्तर ऊंचा उठा कर या उनमें और नये वर्ग खोलने के लिए 8.80 लाख रु० के अनुदान दिये गये। दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मिडिल विभागों में शिष्ट की शिक्षा आरंभ की गई। विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिए 14 स्कूलों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं।

आलोच्य वर्ष में, हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यक्षों के लिए एक संगोष्ठी का तथा रसायन-शास्त्र, अंग्रेजी और ड्राइंग के वरीय अध्यापकों के लिए 3 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

हिमाचल प्रदेश

पच्चीस अवर मिडिल स्कूलों को सब प्रकार से स्वतन्त्र मिडिल स्कूल बना दिया गया।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह

चार प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उन्हें मिडिल स्कूलों का रूप दे दिया गया। द्वीपों में कोई भी हाई स्कूल न होने कारण, लगभग 65 छात्रों को भारत की मुख्य भूमि में ही माध्यमिक शिक्षा दी गयी।

मनिपुर

सहायता-प्राप्त हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान के बराबर कर दिया और स्कूलों में होने वाले घाटे की 90 प्रतिशत रकम उन्हें अनुदान के रूप में देनी शुरू की गयी। 23 हाई स्कूलों को पुस्तकालयों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सुधार करने के लिए 62,944 रु० का अनुदान दिया गया तथा 10 हाई स्कूलों के साज सामान खरीदने और इमारत बनवाने के लिए 60,700 रु० का अनुदान दिया गया।

त्रिपुरा

मिडिल स्कूल में शिल्प की शिक्षा आरम्भ की गई। एक अवर हाई स्कूल के स्तर को बढ़ाकर उसे लड़कियों के हाई स्कूल का रूप दे दिया गया। हाई स्कूलों को पुस्तकालयों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सुधार करने के लिए भी सुविधाएं दी गईं। पांच गैर-सरकारी हाई स्कूलों को 5 रेडियो दिये गये।

पांडीचरी

चार मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों का रूप दे दिया गया। स्कूलों को पढ़ाने के उपकरण, प्रयोगशाला का साज-सामान और पुस्तकालय के लिए पुस्तकें भी दी गईं।

स्कूलों की कक्षा प्रणाली

माध्यमिक शिक्षा में दो अवस्थाएं होती हैं:—मिडिल स्तर और उच्च स्तर (हाई स्टेज)। 'मिडिल' की शिक्षा मिडिल स्कूलों में तथा हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मिडिल विभागों में दी जाती है। इसी प्रकार हाई स्तर की शिक्षा हाई स्कूलों में, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तथा कहीं कहीं कालेजों के साथ संबद्ध इसी कोटि की कक्षाओं में दी जाती है। भिन्न-भिन्न राज्यों में मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षाओं के नाम और संख्या अलग अलग थे, जिसका ब्योरा सारणी XXXVII में दिया गया है। सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि आलोच्य वर्ष में अधिकांश राज्यों में 'मिडिल' स्तर में तीन कक्षाएं थी और कुछ अन्य राज्यों में दो या चार कक्षाएं थीं। जहां तक 'उच्च स्तर' / 'उच्चतर माध्यमिक' स्तर का प्रश्न है, एक राज्य में उसमें पांच कक्षाएं थी जब कि अधिकांश राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर चार कक्षाएं थीं और कुछ राज्यों में दो या तीन कक्षाएं थी। मोटे तौर पर माध्यमिक स्कूलों का सारा पाठ्य-क्रम एक राज्य में 8 वर्ष में, आठ राज्यों में 7 वर्ष में, अन्य आठ राज्यों में 6 वर्ष में तथा 4 राज्यों में 5 वर्ष में पूरा किया जाता था। सन् 1956 में किये गये राज्यों के पुनर्गठन का प्रभाव जिन राज्यों पर अधिक पड़ा था उन राज्यों में माध्यमिक स्तर की अवधि भिन्न भिन्न थी। फिर भी आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, और मैसूर राज्यों में तथा पांडीचरी के संघ राज्य क्षेत्र के स्कूलों में एक ही कक्षा-प्रणाली कर दी गई। फिर भी कुछ थोड़े अन्य राज्यों की कक्षा-प्रणाली में भिन्नता बनी रही।

सारणी XXXVII—माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-प्रणाली (जारी)

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6
मद्रास	माध्यमिक स्कूलों के फार्म I और II और उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों की श्रेणी (स्टैन्डर्ड) VI और VII	2	फार्म III, IV, V और VI	4	6
मैसूर				3	6
(i) पुराना मैसूर राज्य (सिविल क्षेत्र और बेल्लारी जिला)	फार्म I, II, और III	3	फार्म IV, V और VI		
अन्य क्षेत्रों में	I, II III और IV	4	I, II और III	3	7
(ii) पुराने बम्बई राज्य का क्षेत्र	V, VI और VII	3	VIII, IX, X और XI	4	7
(iii) पुराने मद्रास राज्य का और पुराने कुर्ग राज्य का क्षेत्र	माध्यमिक स्कूलों के फार्म I, II और III और उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों की श्रेणी (स्टैन्डर्ड) VI, VII और VIII	3	फार्म IV, V और VI	3	6
(iv) पुराने हैदराबाद राज्य का क्षेत्र	V, VI और VII	3	VIII, IX, X और XI	4	7
उड़ीसा	VI और VII	2	VIII, IX, X, XI और XII	5	7
पंजाब	VI, VII और VIII	3	IX और X	2	5
राजस्थान	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6

सारणी XXXVII—माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-प्रणाली

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	VI, VII और VIII	3	IX और X	2	5
पश्चिमी बंगाल	V, VI, VII और VIII	4	IX, X और XI	3	7
अंडमान और निकोबार] द्वीपसमूह	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6
दिल्ली	VI, VII और VIII	3	IX, X] और XI	3	6
हिमाचल प्रदेश	VI, VII और VIII	3	IX और X	2	5
लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	श्रेणी (स्टैन्डर्ड) VI, VII और VIII	3	कुछ नहीं	3	6
मणिपुर	III, IV, V और VI	4	VII, VIII, IX और X	4	8
त्रिपुरा	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6
नेफ़ा	IV, V और VI	3	VII, VIII, IX और X	4	7
पांडीचरी	फ़ार्म I, II और III	3	फ़ार्म IV, V, VI	3	6

प्रशासन और नियंत्रण

आलोच्य वर्ष में माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध सरकार, स्थानीय मंडल तथा गैर सरकारी संगठनों के ही साथ में रहा। कुछ गैर-सरकारी संगठनों को, अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने के लिए सरकारी निधि से सहायता दी गई। कुल मिलाकर अधिकांश हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के हाथ में था, जब कि अधिकांश मिडिल स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मंडल करते थे। परन्तु जिन माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध गैर-सरकारी संगठनों के साथ में था उन पर भी राज्य के शिक्षा विभाग, निरीक्षण, मान्यता देने की शक्ति

और सहायक अनुदान देने की व्यवस्था के जरिए काफ़ी नियंत्रण रखते रहे। पाठ्यचर्या की दृष्टि से ये हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिक्षा मंडलों के, तथा जिन राज्यों में शिक्षा मंडल नहीं विश्वविद्यालयों के, अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत भी आते थे।

मिडिल स्कूल

सन् 1958-59 में मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूलों की संख्या 39,597 (35,835 लड़कों के लिए और 3,762 लड़कियों के लिए) थी, जब कि गत वर्ष यह संख्या 27,015 (24,141 लड़कों के लिए तथा 2,874 लड़कियों के लिए) थी। इनमें उच्च बुनियादी स्कूलों की संख्या भी शामिल है। इससे पता चलता है कि आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों की संख्या में 46.6 प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि गत वर्ष यह 10.3 प्रतिशत थी। इनमें उच्च बुनियादी स्कूलों की संख्या 12,739 (11,518 लड़कों के लिए तथा 1,221 लड़कियों के लिए) थी। प्रबन्ध की दृष्टि से मिडिल स्कूलों का विभाजन इस प्रकार रहा:—

सारणी XXXVIII—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या

प्रबंध संस्था	1957—58		1958—59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकार	6,807	25.2	7,314	18.5
ज़िला मंडल	10,100	37.4	18,980	47.9
नगरपालिका	828	3.1	2,011	5.1
गैर-सरकारी संस्थाएं				
सहायता-प्राप्त	6,850	25.3	8,623	21.8
जो सहायता-प्राप्त नहीं थी	2,430	9.0	2,669	6.7
जोड़	27,015	100.0	39,597	100.0

संख्या में वृद्धि की दृष्टि से, सभी प्रकार की प्रबन्ध संस्थाओं के अतिरिक्त स्कूलों में वृद्धि हुई; किन्तु प्रतिशतता की दृष्टि से केवल स्थानीय मण्डलों की ही प्रतिशत संख्या बढ़ी। स्कूलों की संख्या बढ़ने का कारण नये स्कूल खोलना और प्राथमिक/अवर बुनियादी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उन्हें मिडिल/उच्च बुनियादी स्कूलों का रूप देना था। सरकारी स्कूलों की संख्या में 7.4 प्रतिशत, ज़िला मण्डलों के स्कूलों में 87.9 प्रतिशत, नगरपालिका के स्कूलों में 142.9 प्रतिशत, सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों में 25.9 प्रतिशत तथा जिन गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता नहीं प्राप्त थी उनकी संख्या में 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

आलोच्य वर्ष में ग्रामीण इलाकों में 32,182 स्कूल थे। इन स्कूलों की संख्या पूरे देश के मिडिल स्कूलों की कुल संख्या का 85.9 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष गावों के मिडिल स्कूलों की संख्या 21,784 या कुल मिडिल स्कूलों की संख्या की 80.6 प्रतिशत थी।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों में जितने मिडिल स्कूल थे, उनकी संख्या सारणी XXXIX में दी गई है। दिल्ली, त्रिपुरा और पांडिचरी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ गयी। दिल्ली और पांडिचरी में स्कूलों की संख्या में कमी मिडिल स्कूलों के स्तर को बढ़ाने के कारण हुई; जब कि त्रिपुरा में इन स्कूलों की संख्या कम हो जाने का कारण यह था कि वहां चार ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया गया जो आर्थिक दृष्टि से संतोषजनक नहीं थे। बम्बई, मद्रास तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में मिडिल स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने का कारण यह था कि वहां उच्च प्रारंभिक स्कूलों को नये सिरे से मिडिल स्कूलों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। अन्य राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि बिहार (312) तथा सबसे कम जम्मू और काश्मीर में (31) हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में मनिपुर का स्थान सबसे पहले आता है जहां 48 स्कूल बढ़े। सबसे कम वृद्धि (1) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हुई।

राज्य	लड़कों के लिए		लड़कियों के लिए	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	552	661	77	83
आसाम	1,305	1,394	151	149
बिहार	3,377	3,675	179	193
बम्बई	4,961	13,139	460	1,225
जम्मू और काश्मीर	212	242	49	50
केरल	1,745	1,876	28	22
मध्य प्रदेश	1,588	1,688	203	208
मद्रास	607	2,722	17	14
मैसूर	1,708	1,860	226	236
उड़ीसा	720	882	54	64
पंजाब	946	1,021	325	337
राजस्थान	934	971	165	169
उत्तर प्रदेश	3,386	3,462	595	618
पश्चिमी बंगाल				
अंडमान और निकोबार	1,643	1,744	258	299
द्वीपसमूह	3	3	..	1
दिल्ली	88	75	46	47
हिमाचल प्रदेश	117	131	9	10
लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह	..	4
मनिपुर	128	171	10	15
त्रिपुरा	82	78	5	5
नेफ्रा	10	12
पांडिचरी	29	24	17	17
भारत	24,141	35,835	2,874	3,762

*इसमें उच्च बुनियादी स्कूलों की

में मिडिल* स्कूलों की संख्या

जोड़		वृद्धि (+) या घटती (-)		
1957—58	1958—59	संख्या	प्रतिशत	सरकारी स्कूल
6	7	8	9	10
629	744	+ 115	+ 18.3	57.8
1,456	1,543	+ 87	+ 6.0	8.0
3,556	3,868	+ 312	+ 8.8	14.4
5,421	14,364	+ 8,943	+165.0	2.7
261	292	+ 31	+ 11.9	94.2
1,773	1,898	+ 125	+ 7.1	28.0
1,791	1,896	+ 105	+ 5.9	61.6
624	2,736	+ 2,112	+338.5	3.0
1,934	2,096	+ 162	+ 8.4	41.6
774	946	+ 172	+ 22.2	26.5
1,271	1,358	+ 87	+ 6.8	88.6
1,099	1,140	+ 41	+ 3.7	85.8
3,981	4,080	+ 99	+ 2.5	4.3
1,901	2,043	+ 142	+ 7.5	5.1
3	4	+ 1	+ 33.3	75.0
134	122	- 12	- 8.9	4.9
126	141	+ 15	+ 11.9	83.0
..	4	+ 4	+100.0	100.0
138	186	+ 48	+ 34.8	..
87	83	- 4	- 4.6	6.0
10	12	+ 2	+ 20.0	100.0
46	41	- 5	- 10.9	100.0
27,015	39,597	+12,582	+ 46.6	18.5

संख्या भी शामिल है।

सारणी XXXIX—विभिन्न राज्यों में मिडिल स्कूलों की संख्या (जारी)

प्रबंध संस्थाओं के अनुसार स्कूलों की प्रतिशत संख्या

राज्य	ज़िला मंडलों के स्कूल	नगरपालिका के स्कूल	गैर-सरकारी	
			सहायता प्राप्त	जो सहायता प्राप्त नहीं है
1	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	17.5	3.1	20.0	1.6
आसाम	34.7	0.3	45.9	11.1
बिहार	32.6	2.1	33.8	17.1
बम्बई	82.3	9.8	4.2	1.0
जम्मू और काश्मीर	5.5	0.3
केरल	71.6	0.4
मध्य प्रदेश	31.0	1.4	4.9	1.1
मद्रास	35.4	6.3	55.1	0.2
मैसूर	48.5	0.4	9.1	0.4
उड़ीसा	5.9	0.6	50.4	16.6
पंजाब	4.0	7.4
राजस्थान	2.3	0.2	9.3	2.4
उत्तर प्रदेश	59.6	4.5	7.3	24.3
पश्चिमी बंगाल	1.5	0.3	78.3	14.8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.0	..
दिल्ली	..	70.5	24.6	..
हिमाचल प्रदेश	17.0	..
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मनिपुर	46.2	0.0	25.8	28.0
त्रिपुरा	33.7	10.9	37.4	12.0
नेफ्रा
पांडिचरी
भारत	47.9	5.1	21.8	6.7

प्रबंध संस्थाओं के आधार पर मिडिल स्कूलों की प्रतिशत संख्या का विभाजन सारणी XXXIX के खाना (10) से खाना (14) तक में दिया गया है। इससे ज्ञात होगा कि 5 राज्यों तथा 5 संघ राज्य-क्षेत्रों और संघ शासित क्षेत्रों में अधिकांश मिडिल स्कूलों का प्रबंध सरकार के हाथ में था। ये इस प्रकार थे : जम्मू और काश्मीर (94.2 प्रतिशत), पंजाब (88.6 प्रतिशत), राजस्थान (85.8 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (61.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (57.8 प्रतिशत), लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (100 प्रतिशत), नेफा (100 प्रतिशत), पाडीचेरी (100 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (83 प्रतिशत) तथा अडमान और निकोबार द्वीपसमूह (50 प्रतिशत)। जिन तीन राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में अधिकांश स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मंडलों के हाथ में था, वे इस प्रकार थे; बम्बई (92.1 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (64.1 प्रतिशत), मैसूर (48.9 प्रतिशत) और दिल्ली (70.5 प्रतिशत)। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मिडिल स्कूलों का प्रबंध मुख्यतया गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। आलोच्य वर्ष में मद्रास के (ग्रामीण इलाकों के) सरकारी स्कूलों को जिला मंडलों और पंचायतों को सौंप दिया गया तथा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के सरकारी स्कूलों को क्षेत्रीय परिषदों को सौंप दिया गया।

छात्र

सन् 1958-59 में, मान्यता-प्राप्त मिडिल स्कूलों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की कुल संख्या 81,69,504 (56,44,638 लड़के और 25,24,866 लड़कियाँ) थी। यह संख्या पिछले वर्ष की संख्या से 31,09,773 अधिक थी। इस प्रकार छात्रों की संख्या 61.5 प्रतिशत बढ़ गयी जब कि मिडिल स्कूलों की संख्या में केवल 46.6 प्रतिशत ही वृद्धि हुई। पिछले वर्ष छात्रों की संख्या केवल 15.2 प्रतिशत बढ़ी थी। मिडिल स्कूलों के कुछ छात्रों में से 27,54,790 छात्र (19,98,775 लड़के और 7,56,015 लड़कियाँ) उच्च बुनियादी स्कूलों में दाखिल थे। विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के स्कूलों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या का विभाजन इस प्रकार था:—

प्रबंध	1957-58		1958-59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	14,87,122	29.4	16,25,091	19.9
जिला मंडल	19,02,756	37.6	35,74,531	43.8
नगरपालिका	3,32,476	6.6	9,89,563	12.1
गैर-सरकारी संस्थाएं :				
सहायता प्राप्त	11,19,782	22.1	17,15,304	21.0
जो सहायता प्राप्त नहीं	2,17,595	4.3	2,65,015	3.2
जोड़	50,59,731	100.0	81,69,504	100.0

प्रबंध संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों के छात्रों की संख्या सभी प्रकार की प्रबंध संस्थाओं के स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी। परन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय वृद्धि स्थानीय मंडलों के स्कूलों के छात्रों की संख्या में हुई। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 241.8 प्रतिशत बढ़ी जब कि गैर सरकारी स्कूलों में 48.1 प्रतिशत तथा सरकारी स्कूलों में केवल 9.3 प्रतिशत छात्र बढ़े। मिडिल स्कूलों में पढ़ने के लिए ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों की संख्या 54,47,241 (40,30,576 लड़के और 14,16,665 लड़कियाँ) थी, जो मिडिल स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या का 66.8 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह संख्या 36,15,243 (28,08,676 लड़के और 8,06,567 लड़कियाँ) और 71.5 प्रतिशत थी।

सारणी XL—विभिन्न राज्यों की मिडिल

राज्य	लड़के		लड़-
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1,24,921	1,46,944	20,851
आसाम	1,36,700	1,53,728	16,404
बिहार	4,39,306	5,86,046	29,627
बंबई	12,46,682	29,17,240	1,54,167
जम्मू और काश्मीर	39,900	43,692	8,363
केरल	5,63,961	6,75,387	8,817
मध्य प्रदेश	3,35,171	3,54,577	43,866
मद्रास	1,77,320	8,77,945	4,094
मैसूर	3,52,044	3,79,652	55,954
उड़ीसा	63,704	77,318	4,358
पंजाब	2,17,473	2,16,754	74,673
राजस्थान	1,84,077	2,11,631	37,861
उत्तर प्रदेश	3,79,314	4,05,641	77,286
पश्चिम बंगाल	1,39,250	1,48,659	22,395
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	439	413	..
दिल्ली	29,997	23,898	15,500
हिमाचल प्रदेश	17,100	17,126	1,267
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन-दीवी द्वीपसमूह	..	1,260	..
मनीपुर	12,182	16,165	877
त्रिपुरा	10,533	9,761	648
नेफ्रा	806	1,320	..
पांडीचरी	8,524	7,170	3,319
भारत	44,79,404	72,72,327	5,80,327

* इसमें उच्च बुनियादी स्कूलों के

स्कूलों में छात्रों की संख्या*

कियां	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)		प्रतिशत
	1958—59	1957—58	1958—59	संख्या	
5	6	7	8	9	
21,676	1,45,772	1,68,620	+	22,848	+ 15.7
17,519	1,53,104	1,71,247	+	18,143	+ 11.9
38,249	4,68,933	6,24,295	+	1,55,362	+ 33.1
4,40,012	14,00,849	33,57,252	+	19,56,403	+139.7
8,792	48,263	52,484	+	4,221	+ 8.7
11,210	5,72,778	6,86,597	+	1,13,819	+ 19.9
45,648	3,79,037	4,00,225	+	21,188	+ 5.6
4,552	1,81,414	8,82,497	+	7,01,083	+386.5
59,881	4,07,998	4,39,533	+	31,535	+ 7.7
4,789	68,062	82,107	+	14,045	+ 20.6
71,833	2,92,146	2,88,587	—	3,559	— 1.2
42,133	2,21,938	2,53,764	+	31,826	+ 14.3
82,589	4,56,600	4 88,230	+	31,630	+ 6.9
26,731	1,61,645	1,75,390	+	13,745	+ 8.5
101	439	514	+	75	+ 17.1
13,889	45,497	37,787	—	7,710	— 16.9
1,476	18,367	18,602	+	235	+ 1.3
..	..	1,260	+	1,260	+100.0
1,857	13,059	18,022	+	4,963	+ 38.0
672	11,181	10,433	—	748	— 6.7
..	806	1,320	+	514	+ 63.8
3,568	11,843	10,738	—	1,105	— 9.3
8,97,177	50,59,731	81,69,504	+	31,09,773	+ 61.5

छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी XLI—मिडिल कक्षाओं में

राज्य	लड़के		लड़- की
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2,53,375	2,63,828	66,158
आसाम	1,23,287	1,38,169	41,864
बिहार	2,15,538	2,78,324	20,928
बम्बई	8,24,561	8,78,657	2,93,590
जम्मू और कश्मीर	48,864	50,798	7,100
केरल	2,83,434	3,10,376	1,98,646
मध्य प्रदेश	2,21,858	2,08,621	38,901
मद्रास	3,61,795	3,95,325	1,49,386
मैसूर	3,09,164	2,09,796	1,20,107
उड़ीसा	43,781	52,818	5,254
पंजाब	2,92,825	2,94,961	59,463
राजस्थान	1,22,008	1,39,978	17,176
उत्तर प्रदेश	5,86,130	6,40,361	82,911
पश्चिमी बंगाल	4,61,537	4,85,487	1,21,078
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	287	271	101
दिल्ली	49,335	59,013	30,343
हिमाचल प्रदेश	10,164	13,180	1,797
लक्कादिव, मिनिकाय और मनीन- दीवी, द्वीपसमूह	..	135	..
मनिपुर	16,205	20,907	4,047
त्रिपुरा	7,747	8,234	2,270
नफा	368	408	27
पांडीचरी	3,627	4,790	1,434
भारत	42,35,890	44,54,437	12,62,581

*इसमें उच्च बुनियादी

छात्रों की संख्या*

क्रियां	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	प्रतिशत
	1958—59	1957—58		
5	6	7	संख्या	8
71,070	3,19,533	3,34,898	+ 15,365	+ 4.8
48,244	1,65,151	1,86,413	+ 21,262	+ 12.9
31,502	2,36,466	3,09,826	+ 73,360	+ 31.0
3,17,057	11,18,151	11,95,714	+ 77,563	+ 6.9
8,186	55,964	58,984	+ 3,020	+ 5.4
2,23,441	4,82,080	5,33,817	+ 51,737	+ 10.7
37,721	2,60,759	2,46,342	- 14,417	- 5.5
1,70,438	5,11,181	5,65,763	+ 54,582	+ 10.7
89,565	4,29,271	2,99,361	- 1,29,910	- 30.3
6,357	49,035	59,175	+ 10,140	- 20.7
64,492	3,52,288	3,59,453	+ 7,165	+ 2.0
19,110.	1,39,184	1,59,088	+ 19,904	+ 14.3
95,331	6,69,041	7,35,692	+ 66,651	+ 9.0
1,36,403	5,82,615	6,21,890	+ 39,275	+ 6.7
111	388	382	- 6	- 1.5
33,491	79,678	92,504	+ 12,826	+ 16.1
2,494	11,961	15,674	+ 3,713	+ 31.0
10	..	145	+ 145	+ 100.0
5,925	20,252	26,832	+ 6,580	+ 32.5
2,543	10,017	10,777	+ 760	+ 7.6
45	395	453	+ 58	+ 14.7
1,683	5,061	6,473	+ 1,412	+ 27.8
13,65,219	54,98,471	58,19,656	+ 3,21,185	+ 5.8

स्कूलों के छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी XLII—ग्यारह से चौदह वर्ष की उम्र के बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

कक्षा VI से लेकर कक्षा VIII में भर्ती होने वाले 11 से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की कुल छात्रों की संख्या जनसंख्या की तुलना में कक्षा VI से लेकर कक्षा VIII में भर्ती छात्रों की प्रतिशत संख्या

राज्य	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2,63,828	71,070	3,34,898	24.0	6.6	15.4
आसाम	1,38,169	48,244	1,86,413	35.6	13.8	25.9
बिहार	3,78,675	39,055	4,17,730	27.2	2.9	15.4
बम्बई	6,74,399	2,29,575	9,03,974	35.3	12.9	24.5
जम्मू और काश्मीर	50,798	8,186	58,984	46.2	8.2	28.1
केरल	3,10,376	2,23,441	5,33,817	60.9	43.0	51.8
मध्यप्रदेश	2,08,621	37,719	2,46,340	21.1	7.3	12.8
मद्रास	3,95,325	1,70,438	5,65,763	38.8	18.3	27.9
संघूर	2,09,796	89,565	2,99,361	28.4	8.9	20.4
उड़ीसा	68,484	7,857	76,341	13.2	1.1	7.4
पंजाब	2,94,961	64,492	3,59,453	44.7	12.6	28.5

राजस्थान	1,39,978	19,110	1,59,088	21.5	3.2	12.8
उत्तर प्रदेश	6,40,361	95,331	7,35,692	27.5	4.5	16.5
पश्चिमी बंगाल	3,25,916	92,516	4,18,432	29.6	8.9	19.6
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	271	111	382	9.0	5.6	7.6
दिल्ली	59,013	33,491	92,504	73.8	41.9	57.8
हिमाचल प्रदेश	13,180	2,494	15,674	43.9	6.2	22.4
लखनौ, मिनाकाय और अमीनदिवी द्वीपसमूह	135	10	145	*	*	*
मन्डिपुर	13,870	4,138	18,008	69.4	20.7	45.0
त्रिपुरा	8,234	2,543	10,777	27.4	8.5	18.0
नेका	408	45	453	*	*	*
पाडीचरी	4,790	1,683	6,473	*	*	*
रत	41,99,588	12,41,114	54,40,702	30.9	9.7	20.7

* उपलब्ध नहीं।

सन् 1957-58 और 1958-59 में मिडिल स्कूलों के छात्रों की संख्या का राज्यवार विभाजन सारणी XL में दिया गया है। सारणी से ज्ञात होगा कि पंजाब, दिल्ली, त्रिपुरा और पाण्डेचरी को छोड़ कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में छात्रों की संख्या बढ़ी। पंजाब, दिल्ली, त्रिपुरा और पाण्डेचरी में छात्रों की संख्या में जो कमी मालूम होती है वह वास्तव में ऐसी नहीं थी—क्योंकि पंजाब में कमी इसलिए हुई कि 4 वर्ष की शिक्षा वाले कुछ प्राथमिक स्कूलों को 5 वर्ष की शिक्षा वाले प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप पाचवीं कक्षा में चढ़ने वाले छात्र, मिडिल स्कूलों में न जाकर, इन्हीं स्कूलों में रह गये। दिल्ली, त्रिपुरा और पाण्डेचरी में मिडिल स्कूलों की संख्या घटने के कारण छात्रों की संख्या कम हो गई। दिल्ली के छात्रों की संख्या में संभवतः इसलिए भी कम हुई क्योंकि कुछ छात्रों ने मिडिल स्कूलों को छोड़कर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में दाखिला ले लिया। बम्बई मद्रास तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में छात्रों की संख्या में जो असाधारण वृद्धि हुई उसका कारण यह था कि इन राज्यों और राज्य क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक स्कूलों को नये सिरे से मिडिल स्कूलों में वर्गीकृत कर दिया गया था। इन राज्यों में छात्रों की संख्या क्रमशः 19,56,403, 7,01,083 और 1,260 बढ़ गयी। अन्य राज्यों में सबसे अधिक छात्र बिहार (1,55,362) में बढ़े इसके बाद केरल (1,13,819) का स्थान आता है। दूसरे राज्यों में 50,000 से कम ही छात्र बढ़े। संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों की संख्या में सबसे अधिक और सबसे कम वृद्धि क्रमशः मनिपुर (4,963) और अडमान और निकोबार द्वीपसमूह (75) में हुई।

प्रत्येक राज्य में “मिडिल शिक्षा” पाने वाले छात्रों की संख्या की प्रगति का अध्ययन करने में पहले यह आवश्यक होगा कि इस संख्या में से मिडिल स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में दाखिल छात्रों की संख्या को अलग कर दिया जाय तथा हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और इन्टर-मीडिएट कालेजों की मिडिल कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को इस संख्या में शामिल कर लिया जाय। इस संबंध में सन् 1958-59 और 1957-58 के लिए जो सारणी बनाई गई है वह इती तथ्य के आधार पर तैयार की गई है। मिडिल स्तर पर छात्रों की संख्या में 3,21,185 की वृद्धि हुई जिससे यह संख्या 58,19,656 हो गई। इसमें 44,54,437 लड़के और 13,65,219 लड़कियां थी। यह संख्या पिछले वर्ष की संख्या की अपेक्षा 5.8 प्रतिशत अधिक है। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की परस्पर तुलना करना लाभकर नहीं होगा, क्योंकि जैसा सारणी XXXVII में दिखाया गया है कि विभिन्न राज्यों में मिडिल स्तर की कक्षाओं के नामों और संख्या में अंतर है। इस सारणी में छठी से लेकर आठवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले 11 से 14 तक की उम्र वाले छात्रों के लिए सब राज्यों में समान रूप से दी गयी सुविधाओं की मात्रा दिखायी गई है हालांकि सब राज्यों की शिक्षा-प्रणाली एक सी नहीं थी। पूरे देश में 11 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों की कुल जनसंख्या की तुलना में इन स्कूलों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या 20.7 प्रतिशत थी।

सह-शिक्षा

मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली कुल 25,24,866 लड़कियों में से 16,84,619 या 66.7 प्रतिशत लड़कियां, आलोच्य वर्ष में, लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थीं। सन् 1957-58 में यह संख्या 59.7 प्रतिशत थी। मिडिल स्कूलों में सह-शिक्षा किस सीमा तक दी जाती थी यह सारणी XLIII में दिखाया गया है। सारणी से ज्ञात होगा कि लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में और नेफा में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं थे। लड़कों के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कियों की सबसे अधिक संख्या (99.0 प्रतिशत) मद्रास में थी। इसके बाद क्रमशः ये राज्य आते हैं—केरल (97.1 प्रतिशत), त्रिपुरा (78.4 प्रतिशत), आसाम (78.4 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (64.3 प्रतिशत), मनिपुर (62.1 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (61.6 प्रतिशत), बिहार (61.3 प्रतिशत), अडमान और निकोबार द्वीपसमूह (57.0 प्रतिशत), उड़ीसा (56.2 प्रतिशत), बम्बई (65.2 प्रतिशत) और मसूर (54.9 प्रतिशत)। अन्य राज्यों में, लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 50.0 प्रतिशत से कम थी। जम्मू और कश्मीर राज्य में यह संख्या सबसे कम (4.2 प्रतिशत) थी।

सारणी XLIII—मिडिल स्कूलों में लड़कियों की संख्या

राज्य	लड़कों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	
				1957-58	1958-59
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	27,881	17,396	45,277	56.4	61.6
आसाम	37,962	15,992	53,954	67.8	70.4
बिहार	56,190	35,515	91,705	54.2	61.3
बम्बई	7,73,621	4,12,168	11,85,789	65.6	65.2
जम्मू और काश्मीर	388	8,792	9,180	5.1	4.2
केरल	2,91,798	8,816	3,00,614	97.1	97.1
मध्य प्रदेश	23,209	45,034	68,243	31.9	34.0
मद्रास	3,30,386	3,467	3,33,853	95.5	99.0
मैसूर	70,569	58,012	1,28,581	52.1	54.9
उड़ीसा	5,982	4,667	10,649	53.6	56.2
पंजाब	15,903	67,214	83,117	16.7	19.1
राजस्थान	13,122	41,214	54,336	22.7	24.1
उत्तर प्रदेश	12,949	76,065	89,014	11.2	14.5
पश्चिमी बंगाल	12,641	26,444	39,085	32.6	32.3
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	134	101	235	100.0	57.0
दिल्ली	3,051	12,597	15,648	23.9	19.5
हिमाचल प्रदेश	2,462	1,366	3,828	65.0	64.3
लक्कादिव, मिनिक्काय और अमिनदीवी द्वीपसमूह	274	..	274	..	100.0
मनीपुर	2,493	1,521	4,014	64.4	62.1
त्रिपुरा	2,344	644	2,988	71.5	78.4
नेफ़ा	150	..	150	100.0	100.0
पांडीचरी	1,110	3,222	4,332	36.9	25.6
भारत	16,84,619	8,40,247	25,24,866	59.7	66.7

सारणी XLIV—मिडिल स्कूलों में

राज्य	पुरुष		महिलाएं	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4,929	5,621	1,322	1,464
आसाम	5,809	6,496	822	900
बिहार	17,803	19,266	1,452	1,567
बम्बई	30,436	65,101	8,410	18,134
जम्मू और काश्मीर	1,223	1,188	608	367
केरल	11,953	14,881	7,700	10,520
मध्य प्रदेश	14,954	15,992	1,918	2,172
मद्रास	4,213	18,038	2,512	11,751
मैसूर	10,514	10,357	2,467	2,590
उड़ीसा	3,316	4,019	230	256
पंजाब	6,277	6,853	2,417	2,436
राजस्थान	8,618	8,830	1,551	1,687
उत्तर प्रदेश	17,514	17,690	3,631	3,884
पश्चिमी बंगाल	7,747	8,233	1,010	1,185
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	11	14	20
दिल्ली	829	755	634	569
हिमाचल प्रदेश	699	903	119	135
लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह	..	29	..	7
मनिपुर	484	774	25	42
त्रिपुरा	445	444	68	68
नेफ़ा	48	87	2	1
पांडीचरी	233	206	107	152
भारत	1,48,054	2,05,774	37,019	59,907

अध्यापकों की संख्या

जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	
1957—58	1958—59		1957—58	1958—59
6	7	8	9	10
6,251	7,085	+ 834	3,563	4,361
6,631	7,396	+ 765	1,895	2,078
19,255	20,833	+ 1,578	10,547	12,460
38,846	83,235	+44,389	26,220	52,495
1,831	1,555	- 276	1,062	950
19,653	25,401	+ 5,748	16,332	21,070
16,872	18,164	+ 1,292	7,337	8,020
6,725	29,789	+23,064	6,311	28,627
12,981	12,947	- 34	8,421	8,417
3,546	4,275	+ 729	1,432	1,716
8,694	9,289	+ 595	7,704	8,348
10,169	10,517	+ 348	4,727	5,245
21,145	21,574	+ 429	16,518	16,934
8,757	9,418	+ 661	1,351	1,401
24	31	+ 7	3	10
1,463	1,324	- 139	1,427	1,280
818	1,038	+ 220	624	844
..	36	+ 36	..	36
509	816	+ 307	61	62
513	512	- 1	222	190
50	88	+ 38	35	63
340	358	+ 18	229	250
1,85,073	2,65,681	+80,608	1,16,021	1,74,857

सारणी XLIV—मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (क्रमशः)

राज्य	अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशत संख्या		प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	57.0	61.6	23	23
आसाम	28.6	28.1	23	23
बिहार	54.8	59.8	24	29
बम्बई	67.5	63.1	36	40
जम्मू और काश्मीर	58.0	61.1	29	33
केरल	83.1	82.9	29	27
मध्य प्रदेश	43.5	44.2	22	22
मद्रास	93.8	96.1	27	29
मैसूर	64.9	65.0	31	33
उड़ीसा	40.4	38.8	19	21
पंजाब	88.6	89.9	34	31
राजस्थान	46.5	49.9	22	24
उत्तर प्रदेश	78.1	78.5	22	22
पश्चिमी बंगाल	15.4	14.9	18	18
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.5	32.3	18	16
दिल्ली	97.6	96.7	31	28
हिमाचल प्रदेश	76.3	81.3	22	17
लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीपसमूह	..	100.0	..	45
मनिपूर	12.0	7.5	26	22
त्रिपुरा	43.3	37.1	22	20
नेफ़ा	70.0	71.6	16	15
पांडिचरी	67.4	69.8	35	30
भारत	62.7	65.8	27	31

अध्यापक

सन् 1958-59 में मिडिल स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या 2,65,481 (205,774 पुरुष और 37,907 महिलाएं) थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 1,85,073 (1,48,054 पुरुष और 37,019 महिलाएं) थी। इससे मालूम होता है कि अध्यापकों की संख्या में 43.6 प्रतिशत (40.0 प्रतिशत पुरुष और 61.8 प्रतिशत महिलाएं) वृद्धि हुई, जब कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या में 38.9 प्रतिशत और छात्रों की संख्या में 61.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या भी 1,16,021 से बढ़कर 1,74,857 हो गई, जो अध्यापकों की कुल संख्या का 65.8 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 62.7 प्रतिशत थी। आलोच्य वर्ष में अध्यापिकाओं की कुल संख्या 20.0 प्रतिशत से बढ़कर अध्यापकों की कुल संख्या का 22.5 प्रतिशत हो गई और प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या 70.0 प्रतिशत से बढ़कर 74.8 प्रतिशत हो गयी।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मिडिल/उच्च बुनियादि स्कूलों में पढाने वाले अध्यापकों की संख्या का ब्योरा सारणी XLIV में दिया गया है। जम्मू और काश्मीर, मैसूर, दिल्ली और त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों की संख्या बढ़ गयी। दिल्ली और त्रिपुरा में अध्यापकों की संख्या में कमी होने का कारण जैसा कि पहले बताया गया है, शिक्षण संस्थाओं की संख्या में कमी होना था। मैसूर में अध्यापकों की संख्या में नाम-मात्र की ही कमी हुई। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि अधिकांश राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों संख्या बढ़ गयी।

जहां तक विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का संबंध है, सबसे अधिक प्रशिक्षित अध्यापक लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में थे। इन द्वीपसमूहों के शत प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित थे। इसके बाद क्रमशः दिल्ली (96.7 प्रतिशत), मद्रास (96.1 प्रतिशत), पंजाब (89.9 प्रतिशत), केरल (82.9 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (81.3 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (78.5 प्रतिशत) और नेफा (71.6 प्रतिशत) आते हैं। अन्य राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 65.0 प्रतिशत (मैसूर) से लेकर 7.5 प्रतिशत (मनिपुर) के बीच रही।

अध्यापकों और छात्रों का अनुपात

सन् 1958-59 में प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या 31 रही। पिछले वर्ष यह संख्या 27 थी। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक स्थिति का विवरण सारणी XLIV में दिया गया है।

अध्यापकों के वेतनमान

केवल उड़ीसा राज्य और मनिपुर में ही अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाए गए। उड़ीसा के गैर-सरकारी और सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के स्वीकृत वेतनमानों के मौजूदा अन्तर को दूर करने के लिए गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान बढ़ा दिया गया। इस प्रकार जो खर्च बढ़ा उसका 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने पहली अप्रैल, 1958 से देना आरंभ कर दिया। किन्तु राज्य सरकार ने अपना 50 प्रतिशत अंश देने में असमर्थता प्रकट की। मनिपुर में सहायता प्राप्त मिडिल स्कूलों को, उनके घाटे के 90.0 प्रतिशत के आधार पर, अनुदान देने की योजना आरम्भ की गयी और इस प्रकार वहां के स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान के बराबर हो गया:—

मुख्य अध्यापक 75—2½—100 (द० रो०) 4—120 रु०

इंटर या मैट्रिक पास नार्मल 75—2½—100 (द० रो०) 4—120 रु०

प्रशिक्षित मैट्रिक पास या मैट्रिक से कम पढ़े हुए प्रशिक्षित 55—2—75—3—90 रु०

मैट्रिक से कम पढ़े हुए 40—65 रु०

अध्यापकों की ग्रहंता और मिडिल और हाई स्कूलों की प्रबंध सस्थाओं के अनुसार अध्यापकों के वेतनमानों का विवरण इस रिपोर्ट के खंड I और II के परिशिष्ट 'ग' और 'घ' में दिया गया है। सरकारी मिडिल स्कूलों के प्रशिक्षित अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान सारणी XLV में दिये गये हैं।

सारणी XLV—सरकारी मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-मान की न्यूनतम और अधिकतम दरें

राज्य/राज्यक्षेत्र	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम वेतन तक पहुंचने में कितने वर्ष लगेगे
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	25	45	20
उड़ीसा	34	44	10
केरल	40	120	17
मंसूर	40	80	15
आंध्र प्रदेश	45	90	20
बिहार	45	75	15
बम्बई	45	80	17
मध्य प्रदेश	45	80	17
मद्रास	45	90	20
पांडीचरी	45	90	20
राजस्थान	50	75	10
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	50	90	15
जम्मू और कश्मीर	55	120	12
पश्चिमी बंगाल	55	130	24
आसाम	60	100	18
पंजाब	60	120	14
हिमाचल प्रदेश	60	120	13
मणिपुर	60	115	13
दिल्ली	68	170	23
त्रिपुरा	70	130	19
नेफ्रा	75	125	15

व्यय

आलोच्य वर्ष में मान्यता-प्राप्त मिडिल स्कूलों पर किए जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय की रकम 20,76,71,967 रु० से बढ़कर 31,83,47,104 रु० हो गई। खर्च की यह रकम 53.3 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी, जब कि पिछले वर्ष यह रकम केवल 21.1 प्रतिशत ही बढ़ी थी। खर्च की गई कुल रकम में 27,97,29,133 रु० लड़कों की शिक्षा पर तथा 3,86,17,971 रु० लड़कियों की शिक्षा पर व्यय हुए थे। सभी संस्थाओं पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में मिडिल स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 11.4 प्रतिशत से बढ़कर 15.7 प्रतिशत हो गया।

विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किए गए खर्च का विभाजन नीचे सारणी XLVI में दिया गया है :-

सारणी XLVI—आयस्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1957-58		1958-59	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकारी निधिया	15,01,10,161	72.3	23,35,13,918	73.3
ज़िला मंडलों की निधियाँ	1,27,25,593	6.1	1,51,28,024	4.8
नगरपालिकाओं की निधियाँ	55,99,135	2.7	2,28,48,784	7.2
फीस	2,52,54,448	12.2	2,74,74,301	8.6
धर्मस्व	48,74,172	2.3	60,82,351	1.9
अन्य आय स्रोत	91,08,258	4.4	1,32,99,726	4.2
जोड़	20,76,71,767	100.0	31,83,47,104	100.0

इससे ज्ञात होगा कि (क) अधिकांश खर्च सरकारी निधि से पूरा किया गया (ख) अन्य आयस्रोतों से पूरे किए गए खर्च की तुलना में नगरपालिका की निधियों से खर्च के लिए दी गयी रकम में 259.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। अन्य आयस्रोतों के खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत इस प्रकार था : सरकारी निधि 55.5 प्रतिशत जिला नगरपालिका की निधि 18.9 प्रतिशत फीस से प्राप्त आय 8.8 प्रतिशत, धर्मस्व 24.8 प्रतिशत और अन्य आय साधन 46.0 प्रतिशत। प्रत्यक्ष खर्च की कुल रकम में से उच्च बुनियादी स्कूलों पर 7,86,33,418 रु० खर्च किए गए।

विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के मिडिल / उच्च बुनियादी स्कूलों पर किए गए कुल प्रत्यक्ष खर्च का विभाजन इस प्रकार था :—

प्रबंध संस्था	1957-58		1958-59	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	7,57,82,451	36.5	8,05,41,480	25.3
ज़िला मंडल	6,22,02,906	30.0	11,46,93,016	36.0
नगरपालिकाएं	1,20,56,495	5.8	4,22,34,583	13.3
गैर-सरकारी संस्थाएं:				
सहायता प्राप्त	4,83,57,794	23.3	7,05,90,154	22.2
जो सहायता प्राप्त नहीं थीं	92,72,121	4.4	1,02,87,871	3.2
जोड़	20,76,71,767	100.0	31,83,47,104	100.0

सारणी XLVII - राज्यों द्वारा मिडिल स्कूलों

राज्य	लड़को के स्कूलो पर	
	1957-58	1958-59
1	2	3
	र०	र०
आंध्र प्रदेश	60,18,222	70,56,753
आसाम	56,75,387	66,06,598
बिहार	1,72,09,953	1,90,09,448
बम्बई	3,90,42,671	9,23,74,883
जम्मू और काश्मीर	12,62,979	15,09,380
केरल	1,78,47,057	2,62,70,519
मध्यप्रदेश	1,67,33,210	1,76,47,495
मद्रास	71,92,971	3,06,18,948
मैसूर	1,34,48,865	1,69,60,257
उड़ीसा	33,71,105	45,40,099
पंजाब	1,07,78,165	1,07,84,464
राजस्थान	1,02,39,959	1,12,30,032
उत्तर प्रदेश	1,77,99,003	1,96,72,644
पश्चिमी बंगाल	95,12,709	1,07,72,620
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	33,280	49,211
दिल्ली	21,11,777	17,70,531
हिमाचल प्रदेश	9,16,361	9,18,213
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	..	50,410
मनिपुर	2,86,858	5,60,146
त्रिपुरा	5,37,464	7,02,271
नेफ़ा	1,08,712	1,98,243
पांडीचरी	5,64,692	4,25,968
भारत	18,06,91,400	27,97,29,133

पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

लड़कियों के स्कूलों पर		जोड़	
1957-58	1958-59	1957-58	1958-59
4	5	6	7
₹०	₹०	₹०	₹०
13,48,007	13,09,795	73,66,229	83,66,548
7,16,614	7,43,374	63,92,001	73,49,972
13,42,170	14,94,442	1,85,52,123	2,05,03,890
54,27,851	1,58,78,113	4,44,70,522	10,82,52,996
3,80,600	3,80,861	16,43,579	18,90,241
3,73,223	3,67,684	1,82,20,280	2,66,38,203
26,82,662	26,03,922	1,94,15,872	2,02,51,417
3,26,714	3,28,455	75,19,685	3,09,47,403
22,06,594	24,37,064	1,56,55,459	1,93,97,321
3,02,767	3,25,427	36,73,872	48,65,526
30,21,333	28,96,400	1,37,99,498	1,36,80,864
16,90,015	18,12,040	1,19,29,974	1,30,42,072
40,96,838	44,40,162	2,18,95,841	2,41,12,806
17,03,197	21,13,751	1,12,15,906	1,28,86,371
..	16,696	33,280	65,907
10,35,043	11,25,447	31,46,820	28,95,978
63,004	77,193	9,79,365	9,95,406
17,354	35,415	3,04,212	50,410
61,059	52,321	5,98,523	5,95,561
..	..	1,08,712	7,54,592
1,85,322	1,79,409	7,50,014	1,98,243
2,69,80,367	3,86,17,971	20,76,71,767	6,05,377
			31,83,47,104

सारणी XLVII—राज्यों द्वारा मिडिल स्कूलों

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (-)		प्रतिशत	सन् 1958-59 में शिक्षा पर किए गए कुल प्रत्यक्ष खर्चों की तुलना में मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रति- शत व्यय
	रकम			
1	8	9	10	
	रु०			
आंध्र प्रदेश	+ 10,00,319	+ 13.6	5.6	
आसाम	+ 9,57,971	+ 15.0	14.5	
बिहार	+ 19,51,767	+ 10.5	17.9	
बम्बई	+ 6,37,82,474	+ 143.4	27.9	
जम्मू और काश्मीर	+ 27,46,662	+ 15.0	15.1	
केरल	+ 84,17,923	+ 46.2	21.6	
मध्यप्रदेश	+ 8,35,545	+ 4.3	16.6	
मद्रास	+ 2,34,27,718	+ 311.6	16.9	
मैसूर	+ 37,41,862	+ 23.9	16.5	
उड़ीसा	+ 11,91,654	+ 32.4	12.8	
पंजाब	- 1,18,634	- 0.9	11.9	
राजस्थान	+ 11,12,098	+ 9.3	18.5	
उत्तर प्रदेश	+ 22,16,965	+ 10.1	9.1	
पश्चिमी बंगाल	+ 16,70,465	+ 14.9	6.4	
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	+ 32,627	+ 98.0	17.5	
दिल्ली	- 2,50,842	- 8.0	4.7	
हिमाचल प्रदेश	+ 16,041	+ 1.6	18.3	
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	+ 50,410	+ 100.0	49.8	
मनिपूर	+ 2,91,349	+ 95.8	16.8	
त्रिपुरा	+ 1,56,069	+ 26.1	12.0	
नेफ़ा	+ 89,531	+ 82.4	20.3	
पांडीचरी	- 1,44,637	- 19.3	26.0	
भारत	+ 11,06,75,337	+ 53.3	15.7	

पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च (क्रमशः)

खर्च का प्रतिशत (1958-59)						प्रति विद्यार्थी पर औसत वार्षिक खर्च	
सरकारी निधियों से	ज़िला बोर्डों की निधियों से	नगरपालिका की निधियों से	फ़ीस से	धर्मस्व से	अन्य आय- स्रोतों से	1957- 58	1958- 59
11	12	13	14	15	16	17	18
77.0	8.5	2.7	4.0	5.6	2.2	50.5	49.6
72.2	0.2	0.5	20.1	5.3	1.7	41.8	42.9
67.2	1.7	1.1	21.1	1.9	7.0	39.6	32.8
72.7	4.2	14.4	3.1	0.2	5.4	31.7	32.2
95.5	1.3	0.6	2.6	34.1	36.0
98.2	0.2	0.1	1.5	31.8	38.8
88.0	6.3	1.2	2.5	0.7	1.3	51.2	50.6
70.5	12.7	9.5	2.3	4.7	0.3	41.5	35.1
83.5	5.9	3.4	1.8	0.9	4.5	38.4	44.1
65.3	0.8	0.3	16.8	10.0	6.8	54.0	59.3
78.3	1.8	0.1	13.9	3.0	2.9	47.2	47.4
91.9	1.4	0.2	1.9	3.3	1.3	53.8	51.4
44.2	10.9	4.3	31.2	2.0	7.4	48.0	49.4
43.0	0.7	0.2	41.3	6.3	8.5	69.4	73.5
65.1	20.5	..	14.4	75.8	128.2
19.5	..	63.2	9.5	1.3	6.5	69.2	76.6
97.0	0.3	2.7	20.7	53.5
100.0	40.0
57.9	..	0.1	28.9	10.8	2.3	23.3	33.0
89.0	5.8	4.8	0.4	53.5	72.3
100.0	134.9	150.2
92.7	3.8	1.1	2.4	63.3	56.4
73.3	4.8	7.2	8.6	1.9	4.2	41.0	39.0

विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सन् 1957-58 और 1958-59 के व्यय का तुलनात्मक विवरण, सारणी XLVII में दिया गया है। पंजाब, दिल्ली और पाडीचरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों में खर्च बढ़ गया। पंजाब में खर्च में 1,18,634 रु० की जो कमी हुई उसका कारण दाखिलों में कमी होना था। दिल्ली में खर्च की कमी का कारण 12 मिडिल स्कूलों का कम हो जाना था। रकम की दृष्टि से सबसे अधिक खर्च अर्थात् 6.38 करोड़ रु० बम्बई में हुआ। इसके बाद, मद्रास के खर्च में भी 2.34 करोड़ रु० की वृद्धि हुई। खर्च में सबसे कम वृद्धि हिमाचल प्रदेश में (16,041 रु०) हुई। प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे अधिक वृद्धि (311.6 प्रतिशत) मद्रास में और तब (143.4) बम्बई में हुई। हिमाचल प्रदेश का स्थान (1.6 प्रतिशत वृद्धि) सबसे नीचे रहा। मद्रास में व्यय में जो असाधारण वृद्धि हुई उसका कारण, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में शामिल कर दिया जाना था। शिक्षा पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में विभिन्न राज्यों में मिडिल स्कूलों पर किए गए कुल व्यय का अनुपात सारणी XLVII के खाना (10) में दिया गया है।

विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किए गए खर्च का प्रतिशत विभाजन सारणी XLVII के खाना (11) से खाना (16) तक में दिया गया है। इससे ज्ञात होगा कि कई राज्यों में 90 प्रतिशत से भी अधिक खर्च सरकार ने पूरा किया। इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं— लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (100.0 प्रतिशत), नेफा (100.0 प्रतिशत), अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (65.1 प्रतिशत), केरल (98.2 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (97.0 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (95.5 प्रतिशत) पाडीचरी (92.7 प्रतिशत) और राजस्थान (91.9 प्रतिशत) जिन राज्यों में सरकार ने 75 से 90 प्रतिशत खर्च की व्यवस्था की, वे इस प्रकार हैं— त्रिपुरा (89.0 प्रतिशत) मध्यप्रदेश (88.0 प्रतिशत), मैसूर (83.5 प्रतिशत), पंजाब (78.3 प्रतिशत) और आंध्र-प्रदेश (77.0 प्रतिशत) अन्य राज्यों में सरकार द्वारा दी गई रकम खर्च के 75 प्रतिशत कम रही। मिडिल स्कूलों पर हुए व्यय में स्थानीय मदलों का अशदान केवल दिल्ली में ही (63.2 प्रतिशत) उल्लेखनीय रहा। अन्य स्थानों में यह रकम खर्च का 25 प्रतिशत भी नहीं हो पाई। विभिन्न प्रान्तों में खर्च के लिए फीस से प्राप्त होने वाली रकम इस प्रकार थी— पश्चिमी बंगाल 41.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 31.2 प्रतिशत, मनिपुर 28.9 प्रतिशत, बिहार 21.1 प्रतिशत, अण्डमान और निकोबार 20.5 प्रतिशत और आसाम 20.1 प्रतिशत। अन्य स्थानों में यह रकम 20 प्रतिशत से भी कम थी। जिन राज्यों में अन्य आयस्रोतों से 10 प्रतिशत से अधिक खर्च पूरा किया गया था वे उड़ीसा (16.8 प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (14.8 प्रतिशत) और मनिपुर (13.1 प्रतिशत) थे।

आलोच्य वर्ष में मिडिल स्कूलों के छात्रों का प्रति छात्र वार्षिक खर्च 41.0 रुपये से घटकर, 39.0 रुपये हो गया। विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था— सरकारी निधियां 28.6 रु०, जिला की निधियां 1.9 रु०, नगरपालिकाओं की निधियां 2.8 रु०, फीस 3.4 रु०, धर्मस्व 0.7 रु०, और अन्य आयस्रोत 1.6 रुपया। इसका राज्यवार विवरण सारणी XLVII के खाना (17) से लेकर खाना (18) तक में दिया गया है।

हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल

आलोच्य वर्ष में मान्यताप्राप्त हाईस्कूलों और उत्तर-बुनियादी स्कूलों समेत उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या 12,639 (10,750 लड़कों के स्कूल, तथा 1,889 लड़कियों के स्कूल) से बढ़कर 14,326 (12,223 लड़कों के स्कूल तथा 2,103 लड़कियों के स्कूल) हो गई। सन् 1957-58 में हुई 7.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में आलोच्य वर्ष में इनकी संख्या 13.3 प्रतिशत बढ़ गयी। इनमें से 3,171 स्कूल (2,592 लड़कों

के और 579 लड़कियों के) उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा 30 स्कूल (28 लड़कों के और 2 लड़कियों के) उत्तर बुनियादी स्कूल थे। किन्तु इन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उत्तर प्रदेश के ऐसे उच्चतर माध्यमिक स्कूल शामिल नहीं किए गए थे जो पूरे नहीं बने थे। उच्चतर माध्यमिक स्कूल, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, मसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और त्रिपुरा में थे, और उत्तर बुनियादी स्कूल आंध्र, बिहार, केरल, मद्रास और उड़ीसा में चलाये जा रहे थे।

विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का विभाजन इस प्रकार था:—

सारणी XLVIII—विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या

प्रबंध संस्था	1957-58		1958-59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	2,402	19.0	2,794	19.5
जिला मंडल	923	7.3	1,022	7.1
नगरपालिका गैर सरकारी संस्थाएं—	356	2.8	412	2.9
सहायता-प्राप्त	7,265	57.5	8,252	57.6
जो सहायता प्राप्त नहीं	1,693	13.4	1,846	12.9
जोड़	12,639	100.0	14,326	100.0

प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार स्कूलों की प्रस्तुत संख्या में और उनकी गत वर्ष की संख्या में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है। नये स्कूल खोलने तथा मौजूदा मिडिल स्कूलों और उच्च बुनियादी स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर का बना देने के कारण सभी प्रबंध-संस्थाओं के हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ गयी। प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार स्कूलों की संख्या इस प्रकार बढ़ी:—सरकारी स्कूल 16.3 प्रतिशत, जिला मंडलों के स्कूल 10.7 प्रतिशत, नगरपालिकाओं के स्कूल 15.7 प्रतिशत, गैर-सरकारी संस्थाओं के सहायता-प्राप्त स्कूल 13.6 प्रतिशत और जो स्कूल सहायता प्राप्त नहीं थे: 9.0 प्रतिशत।

सारणी—XLIX में विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/

राज्य	लड़कों के स्कूल		लड़कियों के स्कूल
	1957-58	1958-59	1957-58
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	798	879	101
आसाम	377	398	56
बिहार	1,056	1,223	52
बम्बई	1,535	2,267	233
जम्मू और काश्मीर	115	128	31
केरल	680	715	129
मध्यप्रदेश	386	466	81
मद्रास	779	827	179
मैसूर	460	516	96
उड़ीसा	290	323	16
पंजाब	1,011	1,033	222
राजस्थान	306	356	34
उत्तर प्रदेश	1,338	1,377	246
पश्चिमी बंगाल	1,370	1,416	324
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	..
दिल्ली	123	146	67
हिमाचल प्रदेश	45	56	5
मनिपुर	39	50	3
त्रिपुरा	25	25	6
नेफा	2	2	..
पांडीचरी	14	19	8
भारत	10,750	12,223	1,889

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या

लड़कियों के स्कूल	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	1958-59	1957-58	1958-59	संख्या प्रतिशत
5	6	7	8	9
113	899	992	+ 93	10.3
61	433	459	+ 26	6.0
66	1,108	1,289	+ 181	16.3
282	1,768	2,549	+ 781	44.2
33	146	161	+ 15	10.3
131	809	846	+ 37	4.6
97	467	563	+ 96	20.6
185	958	1,012	+ 54	5.6
101	556	617	+ 61	11.0
24	306	347	+ 41	13.4
261	1,233	1,294	+ 61	4.7
47	340	403	+ 63	18.5
256	1,584	1,633	+ 49	3.1
342	1,694	1,758	+ 64	3.8
..	1	1
82	190	228	+ 38	20.0
5	50	61	+ 11	22.0
3	42	53	+ 11	26.2
6	31	31
..	2	2
8	22	27	+ 5	22.7
2,103	12,639	14,326	+1,687	13.3

सारणी XLIX— विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या (क्रमशः)

राज्य	प्रबंध सस्याओं के अनुसार हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रतिशत संख्या				
	सरकारी स्कूल	जिला मडलों के स्कूल	नगर-पालिकाओं के स्कूल	गैर-सरकारी संस्थाएं	
				सहायता प्राप्त	जो सहायता प्राप्त नहीं
1	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	24.8	47.0	5.1	22.8	0.3
आसाम	6.3	82.8	10.9
बिहार	4.8	62.0	33.2
बम्बई	10.2	1.8	3.6	78.7	5.7
जम्मू और काश्मीर	86.3	13.0	0.7
केरल	28.3	71.3	0.4
मध्य प्रदेश	45.8	3.9	7.5	39.6	3.2
मद्रास	5.5	38.6	6.1	48.5	1.3
मैसूर	20.7	13.6	14.3	48.6	2.8
उड़ीसा	21.3	..	0.9	54.8	23.0
पंजाब	47.8	..	0.2	26.3	25.7
राजस्थान	75.2	22.6	2.2
उत्तर प्रदेश	8.6	0.3	2.6	72.1	16.4
पश्चिमी बंगाल	2.3	..	0.3	71.4	26.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.0
दिल्ली	53.1	..	4.8	39.5	2.6
हिमाचल प्रदेश	95.1	4.9	..
मनिपुर	17.0	..	54.7	28.3	..
त्रिपुरा	48.4	51.6	..
नेफ्रा	100.0
पांडीचरी	63.0	37.0	..
भारत	19.5	7.1	2.9	57.6	12.9

ग्रामीण इलाकों के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या 5789 से बढ़कर 6,757 हो गई। यह संख्या, हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या का 47.1 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यही संख्या 45.8 प्रतिशत थी।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या सारणी XLIX में दिखाई गई है। इससे ज्ञात होगा कि केवल अरुंधत और निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा तथा नेफा में स्कूलों की संख्या में कोई घटाव नहीं हुआ। शेष सभी राज्यों में स्कूलों की संख्या बढ़ गई। सबसे अधिक नये स्कूल बम्बई में (781) खोले गए। इसके बाद क्रमशः बिहार (181), मध्य प्रदेश (96), आंध्र प्रदेश (93), पश्चिमी बंगाल (64) आते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में से सबसे कम (15) नये स्कूल खुले। सघ राज्यक्षेत्रों में यह संख्या 5 (पांडिचेरी) और 38 (दिल्ली) के बीच रही।

प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रतिशत विभाजन सारणी XLIX में दिखाया गया है। इससे ज्ञात होगा कि निम्नलिखित राज्यों में अधिकांश स्कूलों का प्रबंध सरकार करती थी : अरुंधत और निकोबार द्वीपसमूह (100 प्रतिशत स्कूल), नेफा (100 प्रतिशत स्कूल), हिमाचल प्रदेश (95 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (86.3 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (75.2 प्रतिशत), दिल्ली (53.1 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (45.8 प्रतिशत)। मनिपुर और आंध्र प्रदेश में 50 प्रतिशत से भी अधिक (क्रमशः 54.7 प्रतिशत और 5.21 प्रतिशत) स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मंडल करते थे। शेष राज्यों और सघ राज्यक्षेत्रों में अधिकांश स्कूल गैर-सरकारी प्रबंध संस्थाओं के अधीन थे।

छात्र

अलोक्य वर्ष में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में (जिनमें उत्तर बुनियादी स्कूल भी शामिल हैं) पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 6,09,771 अधिक हो गयी। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 61,71,539 (47,51,766 लड़के और 14,19,773 लड़कियां) हो गयी। इस प्रकार छात्रों की संख्या में 11.0 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि स्कूलों की संख्या में 13.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। इनमें से 16,21,225 छात्र (13,15,320 लड़के और 3,05,905 लड़कियां) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में और 2,806 छात्र (2,617 लड़के और 189 लड़कियां) उत्तर बुनियादी स्कूलों में पढ़ रहे थे।

भिन्न-भिन्न प्रबंध-संस्थाओं के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का विभाजन इस प्रकार रहा :—

प्रबंध-संस्था	1957-58		1958-59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	11,76,958	21.2	13,29,195	21.5
ज़िला मंडल	3,27,398	5.9	3,54,053	5.7
नगरपालिकाएं	2,12,812	3.8	2,32,374	3.8
गैर सरकारी संस्थाएं—				
सहायता प्राप्त	33,07,379	59.4	36,91,624	59.8
जो सहायता प्राप्त नहीं	5,37,221	9.7	5,64,293	9.2
जोड़	55,61,768	100.0	61,71,539	100.0

सभी प्रकार के प्रबन्ध-संस्थाओं के स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ गयी। सरकारी स्कूलों में 12.9 प्रतिशत, जिला मंडलों के स्कूलों में 8.1 प्रतिशत, नगरपालिकाओं के स्कूलों में 9.2 प्रतिशत, गैर-सरकारी संस्थाओं के सहायताप्राप्त स्कूलों में 11.6 प्रतिशत तथा सहायता न पाने वाले स्कूलों में 5.0 प्रतिशत छात्र बढ़े।

ग्रामीण इलाकों के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या 23,75,638 से बढ़कर 24,38,341 हो गई। यह संख्या हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में दाखिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 39.5 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह संख्या 42.7 प्रतिशत थी।

सन् 1957-58 और 1958-59 में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या का राज्यवार विभाजन सारणी L में दिया गया है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों की संख्या बढ़ गयी। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में छात्रों की संख्या में कमी होने का कारण यह था कि लड़कियों के मिडिल अनुभाग को, जो हाई स्कूल का ही अंग था, हाई स्कूल से अलग कर दिया गया। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक छात्र (1,48,156) बम्बई में बढ़े। इसके बाद बिहार (1,01,802) और उत्तर प्रदेश (75,257) आते हैं। अन्य राज्यों में यह वृद्धि 6,982 (उड़ीसा) और 44,547 (मद्रास) के बीच रही। संघ राज्यक्षेत्रों में छात्रों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि (10,771) दिल्ली में और सबसे कम वृद्धि (केवल 15 छात्र) नेफ्रा में हुई। प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों में बम्बई (18.7 प्रतिशत) का स्थान सबसे ऊंचा रहा और पंजाब और पश्चिमी बंगाल (प्रत्येक में 4.2 प्रतिशत) का स्थान सबसे नीचे रहा। संघ राज्य क्षेत्र में पांडीचेरी (30.7 प्रतिशत) का स्थान सबसे ऊंचा और दिल्ली (7.2 प्रतिशत) का स्थान सबसे नीचे रहा।

हाई स्कूल स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की सही-सही संख्या जानने के लिये इस संख्या में से हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राथमिक और मिडिल विभागों के छात्रों की संख्या को अलग-अलग करना होगा और इंटरमीडिएट कालेजों की हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को इसमें शामिल करना होगा। इस संबंध में 1957-58 और 1958-59 के आंकड़े सारणी LI में दिये गए हैं। हाई स्कूल स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के छात्रों की संख्या 24,12,931 (19,84,146 लड़के और 4,28,785 लड़कियाँ) से बढ़कर 26,95,843 (22,14,693 लड़के और 4,81,150 लड़कियाँ) हो गई। इस प्रकार छात्रों की संख्या 11.7 प्रतिशत बढ़ गयी, जब कि पिछले वर्ष केवल 7.0 प्रतिशत छात्र बढ़े थे। इस संबंध में एक राज्य के छात्रों की संख्या की तुलना दूसरे राज्य के छात्रों की संख्या से करना लाभकर नहीं होगा, क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में इस स्तर पर कक्षाओं की संख्या एक समान नहीं थी।

सारणी LII में 14 साल से लेकर 17 साल की उम्र वाले बच्चों की कुल संख्या की तुलना में सभी राज्यों में 9 वीं से लेकर 10 वीं/11 वीं तक की सभी कक्षाओं में भर्ती हुए छात्रों की संख्या दिखायी गई है। उपर्युक्त उम्र वाले औसतन 9.7 प्रतिशत छात्र स्कूलों में पढ़ते थे।

सह शिक्षा

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली 14,19,773 लड़कियों में से 4,86,487 अर्थात् 34·3 प्रतिशत लड़कियाँ लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थी। पिछले वर्ष यह संख्या 32·5 प्रतिशत थी। इन स्कूलों में सह-शिक्षा किस सीमा तक थी यह सारणी LIII में दिखाया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और नेफा में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था। सारणी से ज्ञात होगा कि विभिन्न राज्यों में लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा नेफा (शत-प्रतिशत) और केरल (65·5 प्रतिशत) में 60 प्रतिशत से अधिक बम्बई (50·3 प्रतिशत) में 50 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत के बीच और अन्य राज्यों में 50 प्रतिशत से कम थी। जम्मू और कश्मीर में इस पर सह-शिक्षा सबसे कम थी। यहाँ केवल 2·6 प्रतिशत छात्राएँ लड़कों के स्कूलों में दाखिल थीं।

सारणी L—हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों की संख्या

राज्य	लड़कों के स्कूलों में			लड़कियों के स्कूलों में			जोड़	वृद्धि (+) या कमी(—)
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	3,64,609	3,90,442	51,041	59,855	4,15,650	4,50,297	+ 34,647	+ 8.3
आसाम	1,47,875	1,68,533	22,615	25,661	1,70,490	1,94,194	+ 23,704	+13.9
बिहार	3,08,205	4,04,576	20,023	25,454	3,28,228	4,30,030	+1,01,802	+31.0
बम्बई	6,79,625	8,18,044	1,11,129	1,20,866	7,90,754	9,38,910	+1,48,156	+18.7
जम्मू और काश्मीर	51,865	53,761	15,276	16,699	67,141	70,460	+ 3,319	+ 4.9
केरल	4,46,179	4,83,020	89,545	93,004	5,35,724	5,76,024	+ 40,300	+ 7.5
मध्य प्रदेश	1,45,217	1,53,840	35,333	37,746	1,80,550	1,91,586	+ 11,036	+ 6.1
मद्रास	4,38,640	4,74,910	91,840	1,00,117	5,30,480	5,75,027	+ 44,547	+ 8.4
मैसूर	1,53,759	1,73,352	33,985	38,077	1,87,744	2,11,429	+ 23,685	+12.6

उड़ीसा	75,427	81,381	4,866	5,894	80,293	87,275 +	6,982 +	8.7
पंजाब	5,09,801	5,13,646	1,03,011	1,24,761	6,12,812	6,38,407 +	25,595 +	4.2
राजस्थान	1,16,853	1,36,703	11,367	15,210	1,28,220	1,51,913 +	23,693 +	18.5
उत्तर प्रदेश	6,15,783	6,76,652	1,07,554	1,21,942	7,23,337	7,98,594 +	75,257 +	10.4
पश्चिमी बंगाल	4,85,544	5,03,108	1,18,926	1,26,561	6,04,470	6,29,669 +	25,199 +	4.2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,047	341	1,047	341 -	706 -	67.4
दिल्ली	1,00,187	1,06,777	49,078	53,259	1,49,265	1,60,036 +	10,771 +	7.2
हिमाचल प्रदेश	18,295	24,070	3,059	3,276	21,354	27,346 +	5,992 +	28.1
मनिपूर	13,809	75,898	1,783	1,905	15,592	17,803 +	2,211 +	14.2
त्रिपुरा	7,701	8,476	1,690	1,776	9,391	10,252 +	861 +	9.2
नेका	426	441	426	441 +	15 +	3.5
पण्डीचरी	5,700	8,111	3,100	3,394	8,800	11,505 +	2,705 +	30.7
भारत	46,86,547	51,96,082	8,75,221	9,75,457	55,61,768	61,71,539 +	6,09,771 +	11.0

सोरणी LJ—हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या

राज्य	लड़के					लड़किया					जोड़		वृद्धि(+) या कमी (-)
	1957-58	1958-59	3	4	5	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	संख्या	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
आंध्र प्रदेश	1,45,725	1,49,274	24,656	26,443	1,70,381	1,75,717	+ 5,336	+ 3.1					
आसाम	68,110	79,055	15,422	18,974	83,532	98,029	+ 14,497	+ 17.4					
बिहार	2,48,732	3,31,557	13,839	20,836	2,62,571	3,52,393	+ 89,822	+ 34.2					
बम्बई	3,98,229	4,66,593	1,09,220	1,33,469	5,07,449	6,00,062	+ 92,613	+ 18.3					
जम्मू और काश्मीर	13,387	14,278	2,462	2,458	15,849	16,736	+ 887	+ 5.6					
केरल	1,35,331	1,32,314	80,520	82,268	2,15,851	2,14,582	- 1,269	- 0.6					
मध्य प्रदेश	58,274	64,006	9,487	9,771	67,761	73,777	+ 6,016	+ 8.9					
मद्रास	1,69,459	1,78,595	50,363	55,844	2,19,822	2,34,439	+ 14,617	+ 6.6					
मैसूर	1,06,034	1,12,507	26,623	28,951	1,32,657	1,41,458	+ 8,801	+ 6.6					

सारणी LII—चौदह से सोलह/सत्रह वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं

9 वीं से 10 वीं/11 वीं कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या

14 से 16/17 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की कुल जन संख्या की तुलना में 9 से 11 वीं कक्षाओं में भर्ती छात्रों की प्रतिशत संख्या

राज्य

	1	2	3	4	5	6	7
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
आंध्र प्रदेश		1,49,274	26,443	1,75,717	14.8	2.6	8.7
आसाम		79,055	18,974	98,029	25.5	6.5	16.3
बिहार		2,31,206	13,283	2,44,489	19.1	11.2	10.2
बम्बई		3,03,618	85,130	3,88,748	17.3	5.2	11.4
जम्मू और कश्मीर		14,278	2,458	16,736	14.3	2.7	8.8
केरल		1,32,314	82,268	2,14,582	26.5	16.5	21.5
मध्य प्रदेश		64,006	9,771	73,777	7.0	1.2	4.2
मद्रास		1,78,595	55,844	2,34,439	18.6	5.9	12.3
मैसूर		1,12,507	28,951	1,41,458	16.5	4.3	10.5

उड़ीसा	30,716	2,736	33,452	6.5	0.6	3.7
पंजाब	1,19,442	18,229	1,37,671	20.2	3.1	11.8
राजस्थान	59,958	5,465	65,423	10.0	1.0	5.8
उत्तर प्रदेश	2,88,621	28,957	3,17,578	13.7	1.5	7.9
पश्चिमी बंगाल	1,28,447	30,854	1,59,301	12.2	3.1	7.8
अण्डमान और दीप समूह	88	20	108	4.4	2.0	3.6
दिल्ली	26,876	11,002	37,878	33.6	13.8	23.8
हिमाचल प्रदेश	4,115	519	4,634	13.7	1.7	7.7
मणिपुर	8,400	1,527	9,927	21.0	7.6	24.8
त्रिपुरा	2,372	757	3,129	7.9	2.5	5.2
नेफा	136	10	146	*	*	*
पांडीचरी	1,677	560	2,237	*	*	*
भारत	19,35,701	4,23,758	23,59,459	15.7	3.5	9.7

* प्राप्त नहीं है।

सारणी LIII—हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या *

राज्य	लड़कों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के स्कूलों में पढ़नेवाली लड़कियों की प्रतिशत संख्या	
				1957-58	1958-59
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	39,422	55,382	94,804	41.9	41.6
आसाम	20,672	25,133	45,805	42.6	45.1
बिहार	8,078	25,050	33,128	16.0	24.4
बम्बई	1,19,645	1,18,016	2,37,661	46.5	50.3
जम्मू और कश्मीर	437	16,563	17,000	1.6	2.6
केरल	1,57,218	82,908	2,40,126	63.4	65.5
मध्य प्रदेश	6,336	35,498	41,834	16.1	15.1
मद्रास	63,054	95,309	1,58,363	38.3	39.8
संघ	16,824	35,930	52,754	30.9	31.9

उड़ीसा	4,879	5,809	10,688	48.8	45.6
पंजाब	15,762	1,20,664	1,36,426	12.1	11.6
राजस्थान	2,905	14,382	17,287	20.7	16.8
उत्तर प्रदेश	8,510	1,15,813	1,24,323	6.1	6.8
पश्चिमी बंगाल	9,692	1,25,303	1,34,995	5.4	7.2
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	..	20	100.0	100.0
दिल्ली	7,078	51,773	58,851	10.0	12.0
हिमाचल प्रदेश	2,312	3,276	5,588	प्राप्त नहीं है	41.4
मणिपुर	1,403	1,905	3,308	37.6	42.4
त्रिपुरा	919	1,776	2,695	31.2	34.1
नेफा	96	..	96	100.0	100.0
पांडीचरी	1,225	2,796	4,021	21.9	30.5
भारत	4,86,487	9,33,286	14,19,773	32.5	34.3

* इसमें उत्तर बनियादी स्कूलों के आंकड़े भी शामिल हैं।

सारणी LIV—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या *

राज्य	पुरुष			महिलाएं			जोड़
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	
1	2	3	4	5	6	7	
आंध्र प्रदेश	16,278	17,286	2,850	3,236	19,128	20,522	
आसाम	5,679	6,501	854	1,020	6,533	7,521	
बिहार	12,314	14,053	780	869	13,094	14,922	
बम्बई	25,101	30,374	6,448	7,949	31,549	38,323	
जम्मू और कश्मीर	1,714	1,958	522	545	2,236	2,503	
केरल	12,986	14,150	7,487	8,672	20,473	22,822	
मध्य प्रदेश	6,862	7,629	1,871	2,000	8,733	9,629	
मद्रास	17,535	18,648	5,037	5,552	22,572	24,200	
पंजाब	6,324	6,945	1,525	1,773	7,849	8,718	

उड़ीसा	3,320	3,727	281	316	3,601	4,043
पंजाब	14,875	15,087	3,548	3,818	18,423	18,905
राजस्थान	5,745	6,432	600	772	6,345	7,204
उत्तर प्रदेश	25,865	27,245	4,803	5,219	30,668	32,464
पश्चिमी बंगाल	18,807	20,451	4,366	4,752	23,173	25,203
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	17	21	3	48	20
दिल्ली	3,260	3,635	1,888	2,283	5,148	5,918
हिमाचल प्रदेश	707	806	128	190	835	996
मणिपुर	497	615	29	35	526	650
त्रिपुरा	377	399	57	84	434	483
नेफ़ा	34	36	2	4	36	40
पांडीचरी	185	284	106	185	291	469
भारत	1,78,492	1,96,278	43,203	49,277	2,21,695	2,45,555

* इसमें उत्तर बुनियादी स्कूलों के आकड़े भी शामिल हैं।

सारणी LIV—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या* (क्रमशः)

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (-)		प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या		अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशत संख्या		प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या	
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59
1	8	9	10	11	12	13	14	
आंध्र प्रदेश	+ 1,394	15,164	16,080	79.3	78.4	22	22	22
आसाम	+ 988	1,209	1,286	18.5	17.1	26	26	26
बिहार	+ 1,828	5,088	5,968	38.9	40.0	26	26	29
बम्बई	+ 6,774	19,779	23,552	62.7	61.5	25	25	24
जम्मू और कश्मीर	+ 267	1,327	1,532	59.3	61.2	30	30	28
केरल	+ 2,349	14,946	17,047	73.0	74.7	26	26	25
मध्य प्रदेश	+ 896	3,620	4,482	41.5	46.5	21	21	20
मद्रास	+ 1,628	20,339	21,979	90.1	90.8	24	24	24
पैसूर	+ 869	5,143	5,738	65.5	65.8	24	24	24

उड़ीसा	+	442	1,904	2,116	52.9	52.3	22	22
पंजाब	+	482	14,904	15,512	80.9	82.1	33	34
राजस्थान	+	859	2,839	3,188	44.7	44.3	20	21
उत्तर प्रदेश	+	1,796	19,713	21,508	64.3	66.3	24	25
पश्चिमी बंगाल	+	2,030	7,386	8,428	31.9	33.4	26	25
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	28	24	15	50.0	75.0	22	17
दिल्ली	+	770	4,658	5,468	90.5	92.4	29	27
हिमाचल प्रदेश	+	161	716	837	85.7	84.0	26	27
मनिपुर	+	124	68	68	12.9	10.5	30	27
त्रिपुरा	+	49	149	161	34.3	33.3	22	21
नेफा	+	4	28	30	77.8	75.0	12	11
पांडीचरी	+	178	171	293	58.8	62.5	30	25
भारत	+	23,860	1,39,175	1,55,288	62.8	63.2	25	25

*इसमें उत्तर बुनियादी स्कूलों के आकड़े भी शामिल हैं।

अध्यापक

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या 2,21,695 (1,78,492 पुरुष और 43,203 महिलाएं) से बढ़कर, आलोच्य वर्ष में 2,45,555 (1,96,278 पुरुष और 49,277 महिलाएं) हो गई। इस प्रकार इनकी संख्या 17.7 प्रतिशत बढ़ गयी जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या केवल 7.8 प्रतिशत बढ़ी थी। प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या भी 1,39,175 से बढ़कर 1,55,272 हो गई। हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में इन प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या भी 61.2 प्रतिशत से बढ़कर 63.2 प्रतिशत हो गयी। सन् 1958-59 में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कुल अध्यापकों में 20.1 प्रतिशत अध्यापिकाएं थी। इससे पिछले वर्ष इनकी संख्या 19.5 प्रतिशत थी। इनमें 74.7 प्रतिशत अध्यापिकाएं प्रशिक्षित थी, जब कि 1957-58 में 73.9 प्रतिशत अध्यापिकाएं प्रशिक्षित थी।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की संख्या का तुलनात्मक विवरण सारणी LIV में दिया गया है। केवल अडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अध्यापकों की संख्या बढ़ गयी। अडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अध्यापकों की संख्या कम होने का कारण, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वहां हाई स्कूल से लड़कियों के मिडिल अनुभाग को अलग करना था। आंध्र प्रदेश, आसाम, बम्बई, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, त्रिपुरा और नेफा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बढ़ गयी। नेफा में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में थोड़ी सी ही कमी हुई। सबसे अधिक प्रशिक्षित अध्यापक (92.4 प्रतिशत), दिल्ली में थे। इसके बाद क्रमशः मद्रास (90.8 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (84.0 प्रतिशत) पंजाब (82.1 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (78.4 प्रतिशत), अडमान और निकोबार द्वीपसमूह और नेफा (75.0 प्रतिशत), केरल (74.7 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (66.3 प्रतिशत), मैसूर (65.8 प्रतिशत), पाडीचरी (62.5 प्रतिशत), बम्बई (61.5 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (81.2 प्रतिशत) और उड़ीसा (52.3 प्रतिशत) आदि आते हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या से अधिक थी। मनिपुर के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का अनुपात इस वर्ष भी सबसे कम (10.5 प्रतिशत) रहा।

अध्यापक और छात्रों का अनुपात

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों और छात्रों का अनुपात सारणी LIV के खाना (14) में दिखाया गया है। सन् 1958-59 में इन स्कूलों में प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या 25 थी। पिछले वर्ष भी इनका यही अनुपात था।

अध्यापकों के वेतनमान

उड़ीसा और मनिपुर को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया गया।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उड़ीसा में गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया और इस प्रकार उनके वेतनमान और सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान का अंतर कम कर दिया गया। इस प्रकार होने वाले अधिक खर्च की 50 प्रतिशत रकम केन्द्रीय सरकार ने पहली अप्रैल 1958 से देनी शुरू कर दी, किन्तु राज्य सरकार शेष 50 प्रतिशत भाग की व्यवस्था नहीं कर सकी। मनिपुर में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों को उनके घाटे की 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गयी, जिससे मनिपुर के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान के बराबर हो गया। यह नीचे दे दिया गया है :

मुख्य अध्यापक—200-500 रु०

प्रशिक्षित स्नातक (ग्रेजुएट)—125-275 तथा 50 रु० मासिक विशेष वेतन

अप्रशिक्षित स्नातक (ग्रेजुएट)—100-10-130-द० रो०-6-190-द०रो-10-250

पूर्व स्नातक (अण्डर ग्रेजुएट)—75-125 रु०

अध्यापकों की योग्यता और प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों का विवरण इस रिपोर्ट के खंड II के परिशिष्ट 'ग' और 'घ' में दिया गया है। सरकारी हाई स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमानों की तुलना सारणी LV में दिखायी गई है।

सारणी LV—सरकारी हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनमान की न्यूनतम और अधिकतम दरें

राज्य/राज्यक्षेत्र	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम वेतन तक पहुंचने में कितने वर्ष लगेंगे
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	70	90	4
बम्बई	75	200	21
केरल	80	165	14
आंध्र प्रदेश	85	175	13
मद्रास	85	175	13
मैसूर	85	200	16
पांडीचरी	85	175	13
बिहार	100	190	16
पश्चिमी बंगाल	100	225	24
मनिपुर	100	250	19
त्रिपुरा	100	225	24
मध्यप्रदेश	110	200	20
पंजाब	110	250	16
राजस्थान	110	225	14
हिमाचल प्रदेश	110	250	16
उड़ीसा	120	250	17
उत्तर प्रदेश	120	300	20
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	120	300	20
दिल्ली	120	300	20
आसाम	125	275	17
नेफा	125	275	17

व्यय

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 46,47,01,- 661 रु० से बढ़कर, आलोच्य वर्ष में, 52,51,55,365 रु० हो गया। इस प्रकार कुल व्यय में 130 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि पिछले वर्ष इसमें 11.0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसमें से 43,88,79,748 रु० लड़कों के स्कूलों पर और 8,62,75,617 रु० लड़कियों के स्कूलों पर खर्च किए गए। सभी सस्थाओं पर किए जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किये जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय का अनुपात भी 25.5 प्रतिशत से बढ़कर 25.8 प्रतिशत हो गया।

केवल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर ही किए गए प्रत्यक्ष खर्च की रकम 16,71,89,945 रु० थी। उत्तर-बुनियादी स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय 3,69,285 रु० था।

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किए गये खर्च का व्योरा नीचे सारणी LVI में दिया गया है—

सारणी LVI—आय-स्रोतों के अनुसार हाई स्कूलों और उच्चतर- माध्यमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1957-58		1958-59	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकारी निधियां	20,62,74,725	44.4	24,12,32,444	45.9
जिला मंडलों की निधियां	1,30,48,237	2.8	1,23,64,637	2.4
नगरपालिकाओं की निधियां	77,09,325	1.7	71,62,468	1.4
फ्रीस	19,27,95,475	41.5	21,60,10,799	41.1
धर्मस्व	1,54,23,165	3.3	1,71,68,658	3.3
अन्य आयस्रोत	2,94,50,734	6.3	3,12,16,359	5.9
जोड़	46,47,01,661	100.0	52,51,55,365	100.0

इससे स्पष्ट होगा कि (क) माध्यमिक शिक्षा के खर्च को पूरा करने वाले आय-स्रोतों में फ़ीस से प्राप्त रकम भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जब कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के विषय में फ़ीस का महत्व अधिक नहीं था, और (ख) सरकारी निधियां फ़ीस और अन्य आय-स्रोतों से खर्च के लिए प्राप्त क्रमशः 16.9 प्रतिशत, 12.0 प्रतिशत, 11.3 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत बढ़ गयी, जब कि जिला मंडलों और नगरपालिकाओं की निधियों से खर्च के लिए प्राप्त रकम क्रमशः 5.2 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत कम हो गयी।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सरकारी निधियों, स्थानीय मंडलों की निधियों, फ़ीस, धर्मस्वों और अन्य आय-स्रोतों से पूरे किए गए प्रत्यक्ष व्यय की मात्राएँ क्रमशः 45.9 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत, 41.1 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत, और 5.9 प्रतिशत थी।

विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किये गए कुल प्रत्यक्ष खर्च का विभाजन नीचे की सारणी में दिया गया है।

प्रबंध-संस्था	1957-58		1958-59	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार	10,74,51,273	23.1	12,43,37,734	23.7
जिला मंडल	2,53,75,371	5.5	2,71,86,186	5.2
नगरपालिकाएं गैर-सरकारी संस्थाएं—	1,67,40,508	3.6	1,88,06,088	3.6
सहायता प्राप्त	27,32,45,661	58.8	31,11,15,187	59.2
जो सहायता प्राप्त नहीं	4,18,88,848	9.0	4,37,10,170	8.3
जोड़	46,47,01,661	100.0	52,51,55,365	100.0

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर हुए प्रत्यक्ष व्यय का विवरण सारणी LVII में दिया गया है। सारणी से ज्ञात होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़ कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के व्यय में वृद्धि हुई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में इस व्यय में कमी होने का कारण यह था कि वहां हाई स्कूलों से लड़कियों के मिडिल अनुभाग को अलग कर दिया गया था। व्यय में सबसे अधिक वृद्धि (175.22 लाख रु०) बम्बई में हुई। इसके बाद क्रमशः केरल (70.02 लाख रुपये), उत्तर प्रदेश (65.95 लाख रु०), और पश्चिमी बंगाल (48.22 लाख रु०) आते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम (13,017 रुपये) खर्च बढ़ा। प्रतिशत की दृष्टि से, सबसे अधिक वृद्धि केरल में (26.5 प्रतिशत) तथा सबसे कम हिमाचल प्रदेश में (0.8 प्रतिशत) हुई। अन्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में यह वृद्धि 4.5 प्रतिशत (पंजाब) से लेकर 23.0 प्रतिशत (जम्मू और काश्मीर) तक रही। तमाम शिक्षण संस्थाओं पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर हुए प्रत्यक्ष व्यय का क्या अनुपात रहा, इसे सारणी LVII के खाना (10) में दिखाया गया है।

सारणी LVII—विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक

राज्य	लड़कों के स्कूलों पर		लड़कियों के
	1957-58	1958-59	1957-58
1	2	3	4
	₹०	₹०	₹०
आंध्र प्रदेश	2,95,50,079	3,13,53,503	44,09,487
आसाम	1,01,35,811	1,14,97,717	16,94,332
बिहार	1,95,58,072	2,28,13,483	16,79,871
बम्बई	6,98,57,364	8,62,98,325	1,34,47,203
जम्मू और कश्मीर	27,91,646	34,96,201	7,32,196
केरल	2,18,70,586	2,81,22,024	45,60,829
मध्यप्रदेश	1,38,80,540	1,66,64,086	32,57,820
मद्रास	3,53,57,295	3,83,49,725	75,78,633
मैसूर	1,44,85,333	1,54,53,023	28,28,685
उड़ीसा	57,01,841	63,17,668	4,65,258
पंजाब	3,00,07,508	3,06,01,598	60,08,688
राजस्थान	1,32,25,682	1,50,85,715	17,32,896
उत्तर प्रदेश	6,26,12,905	6,85,74,133	1,21,11,196
पश्चिमी बंगाल	4,25,05,543	4,64,43,598	1,14,55,174
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,37,700	98,250	..
दिल्ली	1,18,15,928	1,39,89,853	51,43,956
हिमाचल प्रदेश	14,81,439	14,96,703	1,80,933
मनिपुर	5,86,380	7,29,365	79,823
त्रिपुरा	9,02,937	9,73,201	1,89,405
नेफ़ा	1,00,340	1,13,721	..
पांडीचरी	3,69,983	4,07,856	2,11,364
भारत	38,69,33,912	43,88,79,748	7,77,67,749

स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

स्कूलों पर	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	1958-59	1957-58	1958-59	प्रतिशत
5	6	7	रकम	9
रु०	रु०	रु०	रु०	
48,92,541	3,39,59,566	3,62,46,044	+22,86,478	+6.7
19,65,233	1,18,30,143	1,34,62,950	+16,32,807	+13.8
20,53,949	2,12,37,943	2,48,67,432	+36,29,489	+17.1
1,45,28,911	8,33,04,567	10,08,27,236	+1,75,22,669	+21.0
8,39,367	35,23,842	43,35,568	+8,11,728	+23.0
53,11,635	2,64,31,415	3,34,33,659	+70,02,244	+26.5
37,16,581	1,71,38,360	2,03,80,667	+32,42,307	+18.9
83,00,915	4,29,35,928	4,66,50,640	+37,14,712	+8.7
32,50,331	1,73,14,018	1,87,03,354	+13,89,336	+8.0
6,48,402	61,67,099	69,66,070	+7,98,971	+13.0
70,46,219	3,60,16,196	3,76,47,817	+16,31,621	+4.5
20,17,318	1,49,58,578	1,71,03,033	+21,44,455	+14.3
1,27,45,307	7,47,24,101	8,13,19,440	+65,95,339	+8.8
1,23,38,980	5,39,60,717	5,87,82,578	+48,21,861	+8.9
..	1,37,700	98,250	- 39,450	-28.6
59,33,322	1,69,59,884	1,99,23,175	+29,63,291	+17.5
1,78,686	16,62,372	16,75,389	+13,017	+0.8
79,501	6,65,203	8,08,866	+1,43,663	+21.6
2,04,966	10,92,342	11,78,167	+85,825	+7.9
..	1,00,340	1,13,721	+13,381	+13.3
2,23,453	5,81,347	6,31,309	+49,962	+8.6
8,62,75,617	46,47,01,661	52,51,55,365	+6,04,53,704	+13.0

सारणी LVII—विभिन्न राज्यों में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक

राज्य	सन् 1958-59 में शिक्षा पर किये गए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में माध्यमिक स्कूलों पर किये गए व्यय का प्रतिशत				
	1	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	24.3	52.0	12.6	3.5	
आसाम	26.5	47.4	0.0	0.0	
बिहार	21.7	31.5	..	0.0	
बम्बई	26.0	36.2	0.2	0.7	
जम्मू और कश्मीर	34.7	95.8	
केरल	27.1	80.6	
मध्य प्रदेश	16.7	67.6	0.7	2.3	
मद्रास	25.5	43.0	14.7	3.2	
मैसूर	15.9	48.5	3.3	5.3	
उड़ीसा	18.3	51.9	0.0	0.5	
पंजाब	32.6	45.1	0.1	0.4	
राजस्थान	24.3	81.8	..	0.0	
उत्तर प्रदेश	30.6	41.2	0.0	0.7	
पश्चिमी बंगाल	29.0	26.5	0.0	0.0	
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	26.2	98.4	
दिल्ली	32.4	53.4	..	7.1	
हिमाचल प्रदेश	30.8	93.7	
मनिपुर	22.8	40.0	
त्रिपुरा	18.7	68.7	
नेफ्रा	11.6	100.0	
पांडीचरी	27.1	58.6	
भारत	25.8	45.9	2.4	1.4	

स्कूलों पर किया गया खर्च (जारी)

पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत

प्रति विद्यार्थी पर औसत वार्षिक खर्च

फ्रीस से	धर्मस्व से	अन्य आय स्रोतों से	1957-58	1958-59
14	15	16	17	18
26.9	4.6	0.4	81.7	80.5
45.4	6.0	1.2	69.4	69.3
57.8	1.6	8.2	64.7	57.8
52.9	1.4	8.6	105.3	107.4
2.0	0.7	1.5	52.5	61.5
16.2	0.2	3.0	49.3	58.0
17.8	4.0	7.6	94.9	106.4
29.8	8.8	0.5	80.9	81.1
33.3	1.5	8.1	92.2	88.5
33.9	8.5	5.2	76.8	79.8
40.0	6.4	8.0	58.8	59.0
8.3	7.0	2.9	116.7	112.6
50.0	1.2	6.9	103.3	101.8
61.9	3.7	7.9	89.3	93.4
1.6	131.5	288.13
30.4	1.0	8.1	113.6	124.5
5.1	0.3	0.9	77.8	61.3
51.1	5.6	3.3	42.7	45.4
26.5	0.6	4.2	116.3	114.9
..	235.6	257.9
32.2	0.1	9.1	66.1	54.9
41.1	3.3	5.9	83.6	85.1

भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न आय-स्रोतों से पूरे किए गए व्यय की प्रतिशत संख्या का ब्योरा सारणी LVII के खाना (11) से लेकर खाना (16) तक में दिखाया गया है। जिन राज्यों में इस खर्च का (90) प्रतिशत से अधिक भाग सरकार ने पूरा किया, उनके नाम हैं : नेफा (100 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश और निकोबार द्वीपसमूह (98.4 प्रतिशत), जम्मू और काश्मीर (95.8 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (93.7 प्रतिशत)। कुछ राज्यों में सरकार ने 75 से लेकर 90 प्रतिशत तक व्यय की। ये राज्य राजस्थान (81.3 प्रतिशत) और केरल (80.6 प्रतिशत) थे। 50 और 75 प्रतिशत के बीच सरकारी सहायता पाने वाले राज्य त्रिपुरा (68.7 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (67.6 प्रतिशत), पांडीचरी (58.6 प्रतिशत), दिल्ली (53.4 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (52.0 प्रतिशत) और उड़ीसा (51.9 प्रतिशत) थे। अन्य राज्यों में सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत से कम रहा। पश्चिमी बंगाल (61.9 प्रतिशत), बिहार (58.7 प्रतिशत), बम्बई (52.9 प्रतिशत), मनिपुर (51.1 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (50.0 प्रतिशत) में। खर्च की 50 प्रतिशत से भी अधिक रकम की व्यवस्था फीस से की गयी। जहाँ तक स्थानीय मंडलों तथा अन्य आय-स्रोतों का संबंध है, इनका सबसे अधिक योगदान 17.9 प्रतिशत (मद्रास) और 14.4 प्रतिशत (पंजाब) रहा।

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रति विद्यार्थी पर किए गए वार्षिक खर्च का औसत आलोच्य वर्ष में 83.6 रुपये से बढ़कर, 85.1 रु० हो गया। विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था. सरकारी निधियां 39.1 रु०, जिला मंडलों की निधियां 2.0 रु०, नगरपालिकाओं की निधियां 1.2 रु०, फीस 35.0 रु० धर्मस्व 2.8 रु०, और अन्य आय-स्रोत 5.0 रुपये। हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1957-58 और 1958-59 में प्रति विद्यार्थी औसत खर्च सारणी LVII के खाना (17) और (18) में दिखाया गया है। केवल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ही प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 103.1 रु० रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 118.4 रु० था।

परीक्षा फल

सन् 1959 की मैट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षाओं में बैठने वाले नियमित और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के कुल संख्या 11,75,706 (9,79,983 लड़के और 1,95,723 लड़कियां) थी। इनमें से 5,30,136 परीक्षार्थी (4,37,318 लड़के और 92,818 लड़कियां) परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वालों की संख्या इस वर्ष 45.1 प्रतिशत रही जब कि गत वर्ष यह संख्या 48.3 प्रतिशत थी। विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परीक्षा फलों का विस्तृत ब्योरा सारणी LVIII में दिया गया है।

फीस-माफी, छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं

राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठन और व्यक्ति माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमन्द और योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं देते रहे। माध्यमिक स्कूलों में अर्ध्यापकों, सैनिकों और राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को फीस-माफी तथा अन्य रियायतें देना जारी रहा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी गयी।

माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1,43,30,003 छात्रों में से 4,03,153 छात्रों को कुल 2,51,02,377 रु० की छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं दी गईं। इसके अतिरिक्त, 10,63,503 छात्रों को 2,62,71,460 रु० की आर्थिक रियायतें दी गईं। कुल मिला कर 15,98,326 विद्यार्थियों की फीस माफ किये जाने के कारण फीस की रकम 5,01,18,371 रु० कम हो गयी।

स्कूलों की इमारतें और साज-सामान

इमारतों की दृष्टि से माध्यमिक स्कूलों की अवस्था बहुत सन्तोषजनक नहीं थी। धन की कमी और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी आदि कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ राज्यों में नई इमारतें और कमरे बनवाने तथा मौजूदा इमारतों और कमरों की मरम्मत आदि करके उन्हें नया रूप देने का प्रयत्न किया गया। स्कूल की इमारतें बनवाने या उनमें सुधार करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को अनावर्ती अनुदान दिए गए। इस संबंध में लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक किए गए श्रमदान, साज-सामान की व्यवस्था के रूप में भी बहुत कुछ सहायता मिली। इमारतों और साज-सामान की कमी के कारण कुछ इलाकों के स्कूलों में पारी-पद्धति भी चालू रही।

आसाम में विकास योजना के अंतर्गत स्कूलों की इमारतों और साज-सामान की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। बहुदेशी स्कूलों की इमारतों, विज्ञान-प्रयोगशालाओं और शिल्प-गृहों का निर्माण किया गया। मैदानी इलाकों, जंगली इलाकों और पहाड़ी इलाकों के माध्यमिक स्कूलों को इमारत, फर्नीचर और साज-सामान के लिए अनुदान दिए गए। बिहार, बम्बई, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों की इमारतें बनवाने और साज-सामान खरीदने के लिए अनुदान दिए गए। राजस्थान में जो नए हाईस्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल या बहुदेशी स्कूल खोले गए, ये उन्होंने काम भी आरम्भ कर दिया, हालांकि उनमें से कई स्कूलों के पास उपकरण और साज-सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और उनकी इमारतें भी उपयुक्त नहीं थीं। उत्तर प्रदेश के देहाती इलाकों में उच्च बुनियादी स्कूलों को कच्चे मकानों में तथा शहरों में किराये के मकानों में चलाया गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थानीय संस्थायें इन स्कूलों के लिए पर्याप्त साज-सामान जुटा सकने की स्थिति में नहीं थीं। मनिपुर में स्कूलों के पुस्तकालयों, विज्ञान के उपकरणों, फर्नीचर और खेल के मैदानों के लिए तथा स्कूल की इमारतों में सुधार के लिए अनुदान दिए गए। स्कूलों को रेडियो, पंखे, मानचित्र और चार्ट दिए गए। पांडीचेरी में नयी इमारतें बनवाई गयीं तथा आवश्यक साज-सामान, प्रयोगशाला के उपकरण और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की व्यवस्था की गई, ताकि शिक्षा को अधिक ग्राह्य बनाया जा सके। त्रिपुरा में, जैसे-जैसे उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती रही, स्कूल की नयी इमारतें भी लगभग उसी अनुपात से बनवाई जाती रहीं।

परीक्षा में बैठने वलों की संख्या

राज्य	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	76,460	10,596	87,056
आसाम	18,693	4,454	23,147
बिहार	88,698	5,183	93,881
बम्बई	1,50,756	37,397	1,88,153
जम्मू और कश्मीर	5,775	909	6,684
केरल	61,330	35,906	97,236
मध्य प्रदेश	41,950	6,184	48,134
मद्रास	67,664	17,510	85,174
मैसूर	53,356	9,709	63,065
उड़ीसा	13,885	895	14,780
पंजाब	84,175	18,679	1,02,854
राजस्थान	42,302	3,971	46,273
उत्तर प्रदेश	1,82,359	16,803	1,99,162
पश्चिमी बंगाल	79,247	23,427	1,02,674
अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	103	7	110
दिल्ली	7,488	2,958	10,446
हिमाचल प्रदेश	1,811	207	2,018
मनिपुर	1,662	255	1,917
त्रिपुरा	1,512	490	2,002
नेफ़ा	8	2	10
पांडीचरी	749	181	930
भारत	9,79,983	1,95,723	11,75,706

समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षा फल

उत्तीर्ण छात्रों की संख्या			उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत	
लड़के	लड़कियां	जोड़	1957-58	1958-59
5	6	7	8	9
27,414	3,797	31,211	30.8	35.9
8,134	1,778	9,912	48.5	42.8
45,991	3,288	49,279	48.3	52.5
68,947	19,836	88,783	48.6	47.2
2,848	589	3,437	52.4	51.4
23,794	12,306	36,100	43.4	37.1
20,456	3,581	24,037	58.6	49.9
23,684	7,145	30,829	45.0	36.2
26,177	5,545	31,722	51.1	50.3
7,354	548	7,902	49.7	53.5
44,083	11,352	58,435	51.7	56.8
20,086	1,921	22,007	45.4	47.6
77,876	10,353	88,229	52.2	44.3
30,630	8,571	39,201	52.0	38.2
24	2	26	19.4	23.6
4,231	1,740	5,971	62.8	57.2
1,152	152	1,304	63.1	64.6
637	106	743	39.3	38.8
565	137	702	39.4	35.1
7	2	9	83.3	90.0
228	69	297	32.8	31.9
4,37,318	92,818	5,30,136	48.3	45.1

विश्वविद्यालय—शिक्षा

इस अध्याय में विश्वविद्यालयों, कालेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली उच्च शिक्षा-सामान्य, वृत्तिक और विशेष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रमुख विकासों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। विश्वविद्यालय-स्तर की वृत्तिक शिक्षा के कुछ प्रकारों का विस्तृत वर्णन बाद के अध्यायों में किया गया है। इन अध्यायों के शीर्षक हैं: "अध्यापको का प्रशिक्षण (अध्याय-7)" और "वृत्तिक तथा तकनीकी शिक्षा (अध्याय-8)"।

आलोच्य अवधि में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर और विद्यार्थियों की संख्या दोनों में ही प्रगति हुई। बम्बई विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष सभी विश्वविद्यालयों ने तीन वर्ष के डिग्रीपाठ्यक्रम को लागू करने की योजना को सिद्धान्तः मान लिया है। 1958-59 तक लगभग 20 विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम को आरम्भ कर दिया था और दूसरे विश्वविद्यालय इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आरम्भ करने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी कालेजों में इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को 23,20,000 रुपयों की केन्द्रीय सहायता दी थी। गैर-सरकारी कालेजों में इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को 66,34,098 रुपये दिये।

सन् 1958-59 में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने छात्रावास और कर्मचारियों के मकान बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को 26.66 लाख रुपयों की मंजूरी दी। इसके अलावा, राज्यों के शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए भी राज्यों को 5,45,000 रुपये की रकम मंजूर की गई।

दूसरी आयोजना में केन्द्रीय पुर्नवास मन्त्रालय ने पंजाब विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना के लिए 65 लाख रुपयों की व्यवस्था की थी। बाद में जब यह प्रयोजना शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत आ गयी तो शिक्षा मन्त्रालय ने उक्त विश्वविद्यालय को 25.0 लाख रुपयों का तदर्थ अनुदान तब तक के लिए मंजूर कर दिया जब तक कि विश्वविद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं हो जाता।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने चार सायंकालीन कालेज खोलने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया था उसे आलोच्य वर्ष में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और इस प्रयोजना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को सहायता देने का निर्णय किया। विश्वविद्यालय को 45,695 रुपये की सहायता दी गयी।

अनुदान के विषय में कालेजों को भी अपने देख रेंख में लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो विनियम बनाए थे उन्हें केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया है। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो जो सहायक अनुदान देता है उन्हें पाने के सम्बन्ध में आयोग ने 718 कालेजों को इन नये विनियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों का अंग मान लिया। आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने आयोजना में आने वाली और आयोजना में न आने वाली विभिन्न मदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 5,95,00,000 रुपये सौंपे थे:—

आयोजना की मदें 4,56,00,000 रु०

आयोजना से बाहर की मदें 1,39,00,000 रु०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को इनमें से 5.93 करोड़ रु० (आयोजना में आने वाली प्रायोजना के लिए 4.42 करोड़ रु० और आयोजना से बाहर की प्रायोजनाओं के लिए 1.51 करोड़ रुपये) दे दिये हैं। इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को, आयोजना के अन्तर्गत आने वाली प्रायोजनाओं के लिए दी गई 0.65 करोड़ रुपयों की रकम और आयोजना से बाहर की प्रायोजनाओं के लिए दी गई 1.51 करोड़ रुपयों की रकम भी शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों की सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए प्रयत्न करता रहा। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के बतनमान बढ़ाने के लिए आयोग ने 9,67,229 रुपये और आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त संबद्ध कालेजों के शिक्षकों के बतनमान में सुधार करने के लिए 17,00,259 रुपये अनुदान के रूप में दिये। आयोग ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने के लिए विनियम भी बनाये।

आयोग ने शिक्षकों को ऐसी सामग्री आदि के लिये सहायता देने के विषय में भी विचार किया, जिससे शिक्षकगण अध्यापन-कार्य और अच्छी तरह कर सकें। शिक्षकों को, विशेषकर विज्ञान के शिक्षकों को, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उत्साहित किया गया। विज्ञान के शिक्षकों और प्रयोगशालाओं तथा कर्मशालाओं (वर्कशाप्स) में काम करने वाले प्राविधिज्ञों (टेक्नीशियनो) को यात्रा अनुदान दिये गये ताकि वे उन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जायें तथा काम करें जिनमें उस विषय का गहन और विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। एक ही विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों और अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं के लाभार्थ संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता दी गई ताकि वे स्तूहयोग और परस्पर आदान-प्रदान के जरिये विचारों का संवर्धन कर सकें। अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिये विज्ञान के वरीय शिक्षकों को यात्रा अनुदान दिये गए। कालेजों के शिक्षकों के शैक्षिक सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिये भी आयोग ने अनुदान दिये। मद्रास विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय अग्रेजी शिक्षा सम्मेलन के लिए, केरल विश्वविद्यालय को भारतीय इतिहास काँग्रेस के लिये और कर्नाटक विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन का आयोजन करने के लिए अनुदान दिये गये।

आलोच्य वर्ष में आयोग ने मानव विद्याओं और समाज-विज्ञानों की तथा भौतिक विज्ञान के विकास की योजनाओं पर स्वीकृति दी। मानवविद्याओं और समाजविज्ञानों के विकास की योजनाओं की अनुमानित लागत 1.63 करोड़ रुपये और भौतिक-विज्ञानों की योजनाओं की अनुमानित लागत 1.98 करोड़ रुपये होगी। इन योजनाओं से कुछ पुराने विश्वविद्यालयों को अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं को दुबारा व्यवस्थित करने और कुछ नये विश्वविद्यालयों को इन विषयों में नये विभाग खोलने में सहायता मिली है।

विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के विकास के लिये पुस्तकालयों में सुधार करना और उनका विस्तार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तकालयों की इमारतें बनाने और साज-सामान खरीदने के लिये 24,60,550 रुपये तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ खरीदने के लिये 10,95,000 रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं। पुस्तकालयों की इमारतों की रूप-रेखा, साज-सज्जा और फर्नीचर, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का प्रबन्ध, पुस्तकाध्यक्ष का प्रशिक्षण आदि से संबंधित मानक निर्धारित करने और इस सम्बन्ध में सिद्धान्त बनाने के बारे में सलाह देने के लिये डा० ए० एस० आर० रंगनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के विकास और उनके प्रबन्ध में सुधार करने की दृष्टि से पुस्तकालयों 'कार्य-चालन' (वर्क फ्लो) पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इलाहाबाद, बड़ौदा, कलकत्ता, मद्रास, पटना और पूना विश्वविद्यालयों में प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व के संयुक्त विभाग खोलने के लिये सहायता देने का निश्चय किया। आलोच्य वर्ष में बड़ौदा विश्वविद्यालयों को इस काम

पर होने वाले प्रारम्भिक खर्च के रूप में 45,200 रुपये दिये गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्षों में बढ़ीदा और कलकत्ता विश्वविद्यालयों को मंग्रह-विद्या (म्यूजिओलाजी) का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये सहायता दी गयी। यह सहायता प्रतिवर्ष 46,000 रु० की अनुमानित अनावर्ती राशि और 21,000 रु० की आवर्ती राशि के रूप में दी गयी थी।

आयोग ने आठ विश्वविद्यालयों को बाल-अपराध, बाल-कल्याण, नैतिक और सामाजिक सदाचार और स्वास्थ्य की समस्याओं, उनके सामाजिक-आर्थिक पहलुओं और समाज कल्याण पर अनुसंधान करने के लिये भी अनुदान दिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया कि वे दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करें। इस योजना के अन्तर्गत अलीगढ़, बनारस, बम्बई, दिल्ली और सागर विश्वविद्यालयों को इस काम के लिए 3 लाख रुपये दिये गये।

अप्रैल 1958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें इस बात पर चर्चा की गयी थी कि देश की भावनात्मक एकता को बढ़ाने में विश्व-विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है। इस संगोष्ठी में जो सिफारिशें की गयीं, उनकी जानकारी सभी विश्वविद्यालयों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को करायी गयी।

छात्र-कल्याण के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण किया गया। आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों को बहुत सी योजनाओं के लिये सहायता दी, जैसे छात्र सहायता निधि बनाना तथा अ-वासी छात्र केन्द्रों और छात्र स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की स्थापना करना।

आयोग विश्वविद्यालयों को जो सहायता देता है, उसका उनके शिक्षा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मूल्यांकन करने के लिये आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय-शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समीक्षा समितियाँ नियुक्त की गई थी। इन समितियों को निम्नलिखित कार्य सौंपा गया था : (क) इस बात की जाँच करना कि प्रत्येक निर्दिष्ट क्षेत्र में कहाँ तक प्रगति हुई है और उस पर रिपोर्ट देना; (ख) यह बताना कि अब तक कितने अनुसंधान हों चुके हैं और उनकी उपयोगिता क्या है; (ग) विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले अनुसंधान की गतिविधियों का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना कि प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएँ; (घ) यह बताना कि विभिन्न कक्षाओं के पाठ्य विवरणों और परीक्षाओं में कौन-कौन से सुधार अपेक्षित हैं, और आदर्श पाठ्य विवरण बनाने के संबंध में सिफारिशें करना; और (ङ) विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण व अनुसंधान केन्द्रों में समन्वय स्थापित करने के तरीकों के बारे में सुझाव देना।

आलोच्य वर्ष में 11 ग्रामीण उच्च संस्थानों के कार्यों में प्रगति हुई। इन संस्थानों को अनुदान के रूप में 27.40 लाख रुपये दिये गए। इसके अलावा 711 विद्यार्थियों को वृत्ति-कार्य देने के लिए इन संस्थानों को 1,67,522 रुपये दिये गए।

सन् 1958-59 का वर्ष भारत के लिए गहूँ ऋण के शैक्षिक विनियम कार्यक्रम का पाँचवाँ और अन्तिम वर्ष था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को विज्ञान के साज-सामान, पुस्तकें, अमरीकी सलाहकार और शिक्षकों तथा पुस्तकालयों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में पर्याप्त सहायता दी गई।

शिक्षा कर्मचारी विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत दस-दस भारतीय शिक्षाविदों की बी टोलियाँ सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों के आयोजन और परीक्षा-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अमरीका के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में भेजी गयीं थीं। अमरीका के चार सामान्य शिक्षा सलाहकार भी भारत में आए। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। अक्टूबर 1958 में मैसूर में सामान्य शिक्षा के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया

गया जिसमें अमरीकी सलाहकारों और भारतीय अध्ययन दल के सदस्यों ने भाग लिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों के शिक्षण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का फैसला किया। अर्लर, द विश्वविद्यालय की सामान्य शिक्षा की योजना और इस सम्बन्ध में पठनीय सामग्री तैयार करने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए आलोच्य वर्ष में 64,000 रुपये की मजूरी दी।

भारत में गृह विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए भारत सरकार और अमेरिका के तकनीकी सहयोग मिशन में एक करार हुआ था जिसकी अवधि 31 मई, 1958 तक थी। इस करार की अवधि को 30 सितम्बर 1958 तक बढ़ा दिया गया। प्रायोजना के कार्यक्षेत्र और अवधि को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। प्रायोजना को बढ़ाने के लिए जो अनुपूरक करार किया गया उसमें यह निर्धारित किया गया था कि तकनीकी सहयोग मिशन 9 अमरीकी टेक्नीशियनों की सेवाओं की, 16 भारतीय गृह-विज्ञान शिक्षकों और प्रशासकों के लिए अमरीका में प्रशिक्षण सुविधाओं की और 40,700 डालर की कीमत की पुस्तकों और साज-सामान की व्यवस्था करेगा।

शैक्षिक विनियम कार्यक्रम के बारे में भारत और अमरीका में जो करार हुआ था उसके अन्तर्गत 9 भारतीय प्राध्यापक और अनुसंधान कर्ता, 15 स्कूल-अध्यापक और 77 विद्यार्थी 1958-59 में अमरीका भेजे गये। इसी अवधि में अमरीका के 23 प्राध्यापक और अनुसंधानकर्ता, 2 स्कूल अध्यापक, और 16 विद्यार्थी भी भारत में आये।

शिक्षा मन्त्रालय, सामुदायिक विकास और सहवर्तिता मंत्रालय के साथ मिलकर और फोर्ड फाउंडेशन से जो ग्राम शिक्षिता योजना (विलेज एप्रेंटिस स्कीम) चला रहा था वह 31 मार्च 1959 को समाप्त हो गई। इस योजना में 6,000 शिक्षितवृत्तियों (एप्रेंटिसशिप्) देने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से आलोच्य वर्ष के अन्त तक 4,000 शिक्षितवृत्तियाँ वास्तव में दी गईं। छात्रों और शिक्षकों में समाज सेवा की भावना का विकास करने और उन्हें ग्राम पुर्ननिर्माण की समस्याओं को समझाने में इन योजना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्य विकास

भारत के विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा के संबंध में जो मुख्य-मुख्य विकास हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

ग्राम प्रवेश

निम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किए गये:—

- (क) विश्वविद्यालयगत कालेज—कला, विज्ञान और वाणिज्य में आनर्स डिग्री का चार वर्षवाला पाठ्यक्रम और इंजीनियरी प्रौद्योगिकी और औषधनिर्माण (फार्मसी) में पूर्ववृत्तिक पाठ्यक्रम।
- (ख) संबद्ध कालेज—कला, विज्ञान और वाणिज्य में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम तथा कृषि, आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी में पूर्ववृत्तिक पाठ्यक्रम। रसायन प्रौद्योगिकी के बी० एस० सी० (आनर्स) तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के स्थान पर रसायन इंजीनियरी में चार वर्ष का बी० टेक० पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

कला और विज्ञान में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम और इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान तथा पशुचिकित्सा-विज्ञान में पूर्व-वृत्तिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

उरुगानिया विश्वविद्यालय

(क) प्रौद्योगिक, कृषि, शरीर-क्रिया-विज्ञान, जीव-रसायन, नेत्रविज्ञान, औषधप्रभाव-विज्ञान, में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और बाल स्वास्थ्य, लाक्षणिक रोगनिदान, कर्णविज्ञान और कण्डविज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया।

(ख) पूर्व-वृत्तिक पाठ्यक्रम के स्थान पर पूर्व-कृषि विज्ञान, पूर्व-इजीनियरी, पूर्व-प्रौद्योगिकी, पूर्व-आयुर्विज्ञान और पूर्व पशुचिकित्सा के अलग-अलग पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए।

आसाम

गोहाटी विश्वविद्यालय

विश्व विद्यालय के दो नये विभागों में आसाम की संस्कृति और मह्यता तथा राजनीति-विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम गुरु किये गये।

बिहार

बिहार विश्वविद्यालय

सांख्यिकी में एम० ए० और एम० एस० सी० पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए।

पटना विश्वविद्यालय

इजीनियरी में पी-एच० डी० करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

बम्बई

बड़ौदा विश्वविद्यालय

(क) निम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किये गये:-

- (i) शिक्षा और मनोविज्ञान संकाय में सदृशन तथा परामर्श का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
- (ii) लोक स्वास्थ्य इजीनियरी में एम० ई० (सिविल)।
- (iii) हिन्दी में एम० ए०।

(ख) शिक्षा और मनोविज्ञान संकाय ने सामान्य विज्ञान और भ्रमाज-विद्याओं के लिए मूल्यांकन कार्यगोष्ठी का आयोजन किया।

बम्बई विश्वविद्यालय

(क) औषध-निर्माण में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किये गये।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा और संघीय लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कक्षाएँ चालू की गईं।

गुजरात विश्वविद्यालय

(क) विश्वविद्यालय ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि किसी कालेज में 1,500 से अधिक विद्यार्थियों और किसी कक्षा में 100 से अधिक विद्यार्थियों को दाखिला न दिया जाए।

(ख) एम० ए० और पी-एच० डी० परीक्षाओं के लिए हिन्दी और गुजराती को भी माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

कर्नाटक विश्वविद्यालय

(क) गणित और रसायन (अज्ञेय) के अलग अध्यापन विभाग खोले गये।

(ख) कला, विज्ञान, और वाणिज्य संकायों में पूर्व विश्वविद्यालय कक्षाओं के लिए पुनरीक्षित पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया।

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय

इस विश्वविद्यालय ने ६६ संबद्ध कालेजों को लेकर अपना काम आरम्भ कर दिया।

नागपुर विश्वविद्यालय

(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये.—

- (i) कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम ।
- (ii) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान और औषधिनिर्माण (फार्मसी) में पूर्व-वृत्तिक पाठ्यक्रम ।
- (iii) पशुचिकित्सा-विज्ञान में चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम ।
- (iv) सस्यविज्ञान, कृषि-वनस्पति शास्त्र, कृषि-रसायन, कृषि-अर्थशास्त्र, कृषि-कीटविज्ञान कृषि-विस्तार, बागवानी और पौधा-रोग निदान में एम० ए० सी० (कृषि) ।
- (ख) एल० एल० एम० की नियमित कक्षाये चलाने का भी फैसला किया गया ।

पूना विश्वविद्यालय

(क) पुस्तकालय-विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

(ख) यह निर्णय किया गया कि तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में सामान्य शिक्षा का एक प्रश्नपत्र शामिल कर लिया जाए । इस प्रश्नपत्र का नाम 'आधुनिक सभ्यता' रखा जाए ।

एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय

समाज-शास्त्र में एक स्नातकोत्तर विभाग खोला गया ।

सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ

विद्यापीठ में के स्नातकोत्तर अध्यापन का कार्य कालेजों से लेकर अपने हाथ में ले लिया और कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में 13 अध्यापन विभाग खोले ।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय

हिन्दी, उर्दू और गणित में नये अध्यापन विभाग खोले गये ।

केरल

केरल विश्वविद्यालय

निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किए गए :—

- (i) (क) बिजली के यंत्रों की डिजाइन, (ख) द्रव इंजीनियरी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा (ग) निर्माण इंजीनियरी इन तीनों में एम० ए० सी० (इंजीनियरी) ।
- (ii) एम० ए० ।
- (iii) एम० डी० ।
- (iv) लाक्षणिक रोग निदान और प्रसव विज्ञान तथा स्त्रीरोग विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ।
- (v) बी० डी० ए० ।
- (vi) बी० ए०-सी० (गृह विज्ञान)
- (vii) समुद्री-जीव विज्ञान और सागरवर्णना (ओसीनोग्राफी)

मध्य प्रदेश

जबलपुर विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय ने यह फैसला किया कि सन् 1960-61 (शैक्षिक वर्ष) में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि और गृह-विज्ञान में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाये । इस योजना में उपशिक्षण की भी व्यवस्था होगी ।

सागर विश्वविद्यालय

(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किए गए :

- (i) औषध प्रभाव-विज्ञान और अणुजीव-विज्ञान में बी० एम-सी० ।
- (ii) औषध प्रभाव-विज्ञान, अणुजीव-विज्ञान, और जीव रसायन में एम० एस-सी० ।
- (iii) प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में एम० ए० ।
- (iv) भारतीय-यूनानी विद्या, ध्वनि-विज्ञान और भाषा शास्त्र और भाषा विज्ञान में एम० ए० ।

(ख) कला, विज्ञान और वाणिज्य की डिग्री कक्षाओं के लिए हिंदी निबन्ध अनिवार्य कर दिया गया और जिन विद्यार्थियों की माँ भाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए "सुगम हिंदी" नामक "अनुपूरक हिंदी" पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

मद्रास

अन्नमलाई विश्वविद्यालय

(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किए गए :—

- (i) कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्राच्य विद्या, (औरिएण्टल लर्निंग) और संगीत के लिए तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम ।
- (ii) भौतिकी में एम० एससी० ।
- (iii) कृषि में पूर्व वृत्तिक पाठ्यक्रम ।

(ख) एम० एससी० (सागरसंगम जीव विज्ञान) के स्थान पर एम० एससी० (समुद्री जीव विज्ञान) पाठ्यक्रम चालू किया गया ।

मद्रास विश्वविद्यालय

(क) गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर अध्यापन विभाग खोले गये ।

(ख) बाल स्वास्थ्य, लाक्षणिक रोग निदान, विकलांग-विज्ञान, संवेदनाहरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए ।

मैसूर

मैसूर विश्वविद्यालय

कला और विज्ञान में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम, पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रम और दन्त विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रम चालू किया गया ।

उड़ीसा

उत्कल विश्वविद्यालय

(क) विश्व विद्यालय के अध्यापन विभागो मे मानव-विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और साँख्यिकी में स्नातकोत्तर कक्षाएं चालू की गईं ।

(ख) नये विषय के रूप में बी० ए० में राजनीति विज्ञान और एल० एल० बी० में विधि सिद्धान्त और न्यायशास्त्र का शिक्षण आरम्भ किया गया ।

पंजाब

पंजाब विश्वविद्यालय

(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये :

(i) बी० एस-सी० (रसायन इंजीनियरी),

(ii) संवेदनाहरण विज्ञान मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा,

(iii) सामान्य विज्ञान शिक्षण में डिप्लोमा,

(iv) दन्त विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री,

(v) शारीरिक शिक्षा में बी० ए० ।

(ख) यह निर्णय किया गया कि 1960 से तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किये जाएँ ।

(ग) रत्न और भूषण शिक्षाओं में संस्कृत का एक अतिरिक्त स्वैच्छिक प्रश्नपत्र भी शामिल किया गया ।

(घ) बी० बी० एस-सी० और ए० एच० परीक्षाओं में सामुदायिक विकास को भी शामिल कर लिया गया । परन्तु इसे परीक्षा का विषय नहीं बनाया गया ।

(ङ) यह निर्णय किया गया कि विधि की अनुपूरक परीक्षा को सन् 1960 से समाप्त कर दिया जाए ।

उत्तर प्रदेश

आगरा विश्वविद्यालय

(क) विश्वविद्यालय ने होमियोपैथी के लिए एक नया संकाय खोलने का निश्चय किया ।

(ख) समाज विज्ञान संस्थान और हिन्दी विद्यापीठ में क्रमशः एम० एस-सी० (साँख्यिकी) और एम० ए० (भाषा विज्ञान) के नये पाठ्यक्रम चालू किये गये ।

(ग) यह फैसला किया गया कि हिन्दी विद्यापीठ में तुलनात्मक साहित्य में एम० ए० का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए ।

(घ) जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय या कालेज की सीमा के भीतर या बाहर अनुशासन भंग करते हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए एक नया अध्यादेश बनाया गया ।

(ङ) सभी विषयों में उपशिक्षण कक्षाएँ अनिवार्य कर दी गईं ।

(च) यह निर्णय किया गया कि जो विद्यार्थी किसी प्रथम या अन्तिम परीक्षा में अनुपूरक परीक्षाओं के द्वारा उत्तीर्ण हो उन्हें कोई भी श्रेणी (डिवीजन) न दी जाए ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

(क) निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम चालू किये गये :—

- (i) सांख्यिकी में एम० ए० और एम० एस-सी०,
- (ii) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा,
- (iii) पुस्तकालय विज्ञान में बी० ए० की डिग्री,
- (iv) तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम,
- (v) शीघ्र आशुलेखन और टाईपिंग डिप्लोमा ।

(ख) एल एल० एम० के दो वर्षों के पाठ्यक्रम के लिए नियमित कक्षाये शुरू की गईं ।

(ग) बी० ए० और बी० काम की प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अंग्रेजी, हिन्दी या उर्दू में उत्तर देने की छूट दी गई ।

लखनऊ विश्वविद्यालय

के० जी० एम० कालेज के आयुर्विज्ञान विभाग में बाल संदर्शन निदानालय और मनो-विकार-विज्ञान केन्द्र खोले गये ।

रुड़की विश्वविद्यालय

(क) फोटोग्रामितीय इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

(ख) यह निर्णय किया गया कि इंजीनियरी के तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के स्थान पर चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम और दो वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जगह तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाए ।

पश्चिमी बंगाल

जादवपुर विश्वविद्यालय

भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया गया ।

दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय

यह तय किया गया कि संगीत और ललित कलाओं के नये संकाय के अधीन दो विभाग खोले जायें :—

- (i) संगीत विभाग और
- (ii) ललित कला विभाग, जिसमें चित्रकला और मूर्तिकला भी शामिल है ।

संस्थायें

(क) विश्वविद्यालय

औरंगाबाद, वाराणसी और खैरागढ़ में क्रमशः मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय नामक तीन नये विश्वविद्यालय खोले गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में साँविधिक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। विभिन्न राज्यों में इन विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार थी :

बम्बई और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 8, मध्य प्रदेश में 4 आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 3, बिहार, मद्रास, मैसूर और पंजाब, प्रत्येक में 2, आसाम, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली प्रत्येक में 1।

विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके पुनर्गठन का वर्ष, क्षेत्राधिकार, संकायों के प्रकार तथा शिक्षा/परीक्षा के माध्यम का निर्देश सारणी LIX में किया गया है। विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार थी :

आवासिक और अध्यापन	11
अध्यापन और संबद्धक	26
अध्यापन और संघीय	2
संबद्धक	1

उपर्युक्त 40 विश्वविद्यालयों के अलावा, भारतीय कुंषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त संसद् के अधिनियमों के अधीन आलोच्य वर्ष में विशिष्ट संस्थाओं का एक नया वर्ग बनाया गया। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनोलॉजी) खडगपुर भी शामिल है। इन संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित किया गया। यह एक अभूतपूर्व कार्य था और इससे उक्त स्वतन्त्र संस्थाओं को विशिष्ट क्षेत्रों में अधिकाधिक अनुसंधान करने और अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिला।

सारणी LIX-भारत के विश्वविद्यालय-क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय

नाम और पता	स्थापना पुनर्गठन का वर्ष	क्षेत्राधिकार	प्रकार	संकाय	शिक्षा/परीक्षा का माध्यम
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र					
आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्डेअर	1926	पूर्वी गोदावरी, गुंटुर जिला, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विशाख- पत्तनम, पश्चिमी गोदावरी ।	अध्यापन और संबंधक	कला, विज्ञान कृषि, आयुर्वेद, वाणिज्य, इंजीनियरी, ललित कलाएं, विधि, आयुर्विज्ञान, प्राच्यविद्याएं अध्यापन और पशु चिकित्सा विज्ञान ।	अंग्रेजी
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1918/ 1947/ 1950/ 1959	भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के तेलं- गाना के जिले ।	अध्यापन और संबंधक	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजिनियरी, आयुर्विज्ञान विधि, धर्म और संस्कृति तथा पशुचिकित्सा विज्ञान ।	अंग्रेजी और हिं स्तानी (फार और देवनाग लिपियों में) ।
श्री वेंकटेश्वर विश्व- विद्यालय, तिरुपति	1954	आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर, कूडप्पाह, कुन्नूल और नेलोर जिले ।	अध्यापन और संबंधक	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजी- नियरी, आयुर्विज्ञान, प्राच्य विद्याएं अध्यापन और पशु चिकित्सा विज्ञान ।	अंग्रेजी
आसाम					
गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी	1948	आसाम राज्य और मनिपुर का सब राज्यक्षेत्र ।	अध्यापन और संबंधक	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, विधि, और आयुर्विज्ञान ।	अंग्रेजी

बिहार

बिहार विश्वविद्यालय, पटना	1952	बिहार राज्य (पटना नगर निगम को छोड़कर)।	अध्यापन और संबंधक	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरी, ललित कला, विधि, आयु-विज्ञान खनिज विज्ञान, व्यावहारिक भौतिकी तथा पशु चिकित्सा विज्ञान।	आई०ए०, बी०ए०, बी०एस-सी० में हिन्दी और दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
पटना विश्वविद्यालय, पटना	1917/ 1952	पटना नगर निगम क्षेत्र।	आवासिक और अध्यापन	कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, और आयुर्विज्ञान।	आई०ए०, बी०ए०, आई०एस-सी०, आई०एस-सी०, काम०, बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०काम० में हिंदी और दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा	1949	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 10 मील की परिधि तक	आवासिक और अध्यापन	कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा और मनोविज्ञान, ललित कलाएँ, गृह-विज्ञान, आयुर्विज्ञान, समाज-कार्य और (इंजीनियरी सहित) प्रौद्योगिकी।	आई०ए०, आई०एस-सी०, में अंग्रेजी, हिंदी या गुजराती और दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	1857/ 1928/ 1953	बृहत् बम्बई।	अध्यापन और सहायक	कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंतजाम, विधि, आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी।	अंग्रेजी

सारणी LIX—भारत के विश्वविद्यालय-क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय (जारी)

6

5

4

3

2

1

गुजरात [विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	1949	भूतपूर्व सौराष्ट्र और कच्छ की रियासतें बम्बईराज्य के अहमदा- बाद, अमरेली, बनसकंठा, बड़ौदा, (बड़ौदा विश्वविद्यालय क्षेत्र को छोड़कर) भड़ोच, कैरा, (आनन्द तालुका में वल्लभ विद्या- नगर, सरदार बल्लभ विद्यानगर और सरदार बल्लभ भाई विद्या- पीठ के क्षेत्रों को छोड़कर) मेह- साना, पंचमहल, साबरकण्ठ, और सूरत जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला (शिक्षा सहित), विज्ञान, कृषि, आयुर्वेदिक चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, आयुर्विज्ञान, और (इंजिनियरी सहित) प्रौद्योगिकी।	आई० ए०, आई० एस०सी०, आई० काम०, बी० ए०, बी०एस०सी, कृषि, बी० काम, बी० एड, एम० एड, बी०फार्मसी, बी० ई०और एम०बी० बी० एस० में गुज- राती और हिन्दी तथा दूसरी कक्षा- ओं में अंग्रेजी।
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	1923	बम्बई राज्य में अकोला, अमरा- वती, भंडारा, बुलढाना, चांदा, नागपुर, वर्धा और यवतमाल के जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजी- नियरी शिक्षा, विधि और आयुर्विज्ञान।	आई० ए०, आई० एस०सी०, बी० ए०, बी० एस० सी०, में अंग्रेजी हिंदी और मराठी, आई० काम, बी० काम०, बी० टी० और डिप० टी० में हिंदी और मराठी तथा अन्य कक्षा- ओं में अंग्रेजी।

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	1958	बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद, भीर, नांडेड, उस्मानाबाद और परभानी जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, विधि, आयुर्विज्ञान और अध्यापन।	अंग्रेजी।
पूना विश्वविद्यालय, पूना	1949	बम्बई राज्य के अहमदाबाद, पूर्वी खानदेश, कोलाबा, कोल्हापुर, नासिक, उत्तरी सतारा, पन्ना, रत्नागिरि, शोलापुर, दक्षिणी सतारा, थाना और पश्चिमी खानदेश जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, आयुर्वेदिक चिकित्सा, इंजीनियरी, विधि, चिकित्सा और मानसिक, नैतिक तथा समाज विज्ञान	आई० ए०, आई० एस० सी०, आई० काम, बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम० में अंग्रेजी और मराठी तथा अन्य विषयों में अंग्रेजी।
सरदार बल्लभ भाई विद्या-पीठ, बल्लभ विद्यानगर	1955	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 5 मील की परिधि के भीतर।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान कृषि, वाणिज्य और (इंजीनियरी सहित) प्रौद्योगिकी।	अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती।
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई	1951*	सीमा निर्धारित नहीं।	अध्यापन और संबंधक।	कला।	बी० एस० सी० (परिचर्या) में अंग्रेजी, आधुनिक भारतीय भाषाओं में विद्यार्थी की मातृभाषा और अन्य कक्षाओं में विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी।

* इसकी स्थापना 1916 में की गयी थी। 1949 में बम्बई सरकार ने एक अधिनियम पारित करके 1951 में इसे एक सांविधिक विश्वविद्यालय दिया।

सारणी LIX—भारत के विश्वविद्यालय-क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय (जारी)

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर					
जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय, श्री-नगर	1948	जम्मू और कश्मीर राज्य ।	अध्यापन और संबंधक ।	कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, प्राच्य विद्या, और सामाजिक विज्ञान ।	अंग्रेजी ।
केरल					
केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	1937/ 1957	केरल राज्य ।	अध्यापन और संधात्मक ।	कला, विज्ञान, कृषि, आयुर्वेद, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान और प्राच्य विद्याए ।	अंग्रेजी ।
मध्यप्रदेश					
इंदिरा कला संगीत विद्यालय, खैरागढ़	1956	निर्धारित नहीं ।	अध्यापन और संबंधक ।	ललित कलाएँ	अंग्रेजी और हिंदी ।
जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	1957	जबलपुर जिले के भीतर के इलाके ।	अध्यापन और संबंधक ।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरी, गृह विज्ञान, विधि, अध्यापन और पशुचिकित्सा विज्ञान ।	

सागर विश्वविद्यालय, सागर	1946	मध्यप्रदेश के बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, छत्तरपुर, छिंदवाडा, दतिया, दुर्ग, दमोह, होशंगाबाद, मांडला, नरसिंहपुर, निमाड़, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, सीधी, सहडोल, सरगुजा और टीकमगढ़ जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, शिक्षा, इंजीनियरी और विधि।	बी० बी० एस-सी०, बी० ई० (आनर्स), बी० ए० ए० एम० एल, जी० ए० ए० एम० एल, एम० ई०, एम० फार्मसी, एम० एड० में अंग्रेजी और दूसरी कक्षाओं में हिंदी।
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1956/ 1957	मध्यप्रदेश के भिंड, देवास, घर, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, भंडसौर, मुरेना, निमाड़, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सिहोर, शाजपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशाई जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजी- नियरी विधि, आयुर्विज्ञान अध्यापन और पशुचिकित्सा विज्ञान।	अंग्रेजी और हिंदी
मद्रास विश्वविद्यालय, अन्नमलाई नगर	1929	विश्वविद्यालय के दीक्षांत-भवन से 10 मील की परिधि के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, इंजीनियरी और ब्राह्मोगिकी ललित कलाएं और प्राच्यविद्याएं।	अंग्रेजी।
मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	1857/ 1904/ 1923/ 1929	भूतपूर्व मद्रास राज्य (अन्नमलाई विश्वविद्यालय के क्षेत्र को छोड़कर)।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजी- नियरी, आयुर्विज्ञान, ललित कला, विधि, प्राच्य विद्या, अध्यापन, ब्राह्मोगिकी और पशुचिकित्सा विज्ञान।	अंग्रेजी।

मद्रास

अन्नमलाई विश्वविद्यालय,

अन्नमलाई नगर

मद्रास विश्वविद्यालय,

मद्रास

सारणी LIX—भारत के विश्वविद्यालय-क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय (जारी)

1	2	3	4	5	6
मंसूर कनाटिक विश्वविद्यालय, धारवाड	1949	मंसूर राज्य के बेलागांव, बीजापुर, धारवाड, गुलबर्गा उत्तर कनारा, रायचूर दक्षिणी कनारा के जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, इंजीनियरी, विधी, आयुर्विज्ञान और समाज- विज्ञान।	अंग्रेजी।
मंसूर विश्वविद्यालय, मंसूर	1916	मंसूर राज्य के बंगलौर, बेलरी, चौकमगलूर, चित्रदुर्ग, कुर्ग, हस्त, कोलार, मांड्य, मंसूर, शिमागा, दक्षिण कनारा, और तांबकूर जिले।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी और औद्योगिकी विधि, तथा आयुर्विज्ञान।	अंग्रेजी और कन्नड़।
उड़ीसा उत्कल विश्वविद्यालय, कटक	1943	उड़ीसा राज्य।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान और पशुचिकित्सा विज्ञान।	अंग्रेजी।
पंजाब पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	1947	पंजाब राज्य (कुरुक्षेत्र विश्वविद्या- लय के क्षेत्र को छोड़कर) और हिमाचल प्रदेश का संघीय क्षेत्र।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, डेरी उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान, प्राच्य-विद्या और पशु- चिकित्सा विज्ञान।	आई० ए०, बी० ए० और बी० काम० में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या पंजाबी तथा अन्य कक्षा- ओं में अंग्रेजी।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	1956	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 10 मील की परिधि के भीतर।	आवासिक और अध्या- पन।	भाषाएँ।	अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत।

सारणी LIX—भारत में विश्वविद्यालय-क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय (जारी)

1	2	3	4	5	6
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1916	विश्वविद्यालय के मुख्य मंदिर से 15 मील की परिधि के भीतर ।	आवासिक और अध्यापन ।	कला, विज्ञान, विधि, आयुर्विज्ञान और शल्यचिकित्सा (आयुर्वेद), संगीत और ललितकलाएं प्राच्य विद्याएं, प्रौद्योगिकी और धर्मशास्त्र ।	आई० ए०, आई० एस-सी०, आई० काम, बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० काम०, बी० एड०, एम० ए०, एम० काम०, एम० एड०, एल० एल० बी० और आयुर्वेद में अंग्रेजी तथा हिंदी; संगीत, ललित कला तथा प्राच्य विद्याओं में संस्कृत और हिंदी; अन्य कक्षाओं में अंग्रेजी ।
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1957	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच जिले ।	अध्यापन और संबंधक ।	कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि ।	अंग्रेजी और हिंदी ।
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1921	विश्वविद्यालय के दीक्षांत भवन से 10 मील की परिधि के भीतर ।	आवासिक और अध्यापन ।	कला, विज्ञान, आयुर्वेद, वाणिज्य, विधि और आयुर्विज्ञान ।	बी० ए०, बी० एस-सी० और बी० काम० में हिंदी तथा अन्य कक्षाओं में अंग्रेजी ।

रङ्गकी विश्वविद्यालय, रङ्गकी	1949	निर्धारित नहीं।	आवासिक और अध्यापन।	इंजीनियरी और वास्तु शिल्प।	अंग्रेजी।
वाराणसेय संस्कृत विद्या- लय, वाराणसी	1958	भारत और नेपाल।	अध्यापन और संबंधक।	संस्कृत।	संस्कृत।
मडिचमी बंगाल					
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	1857/ 1951/ 1954	पश्चिमी बंगाल (जादवपुर और विश्वभारती विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों को छोड़कर) तथा त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, ललितकलाएं और संगीत पत्रकारिता, विधि, प्रौद्यो- गिकी तथा पशु चिकित्साविज्ञान।	अंग्रेजी।
जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर	1955	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 2 मील की परिधि के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी।	अंग्रेजी।
विश्वभारती विश्वविद्या- लय, शांतिनिकेतन	1951*	पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले का शांतिनिकेतन क्षेत्र।	आवासिक और अध्यापन।	विषय निर्धारित नहीं है।	अंग्रेजी, हिंदी और बंगला।
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	1922/ 1952	दिल्ली संघ राज्य।	अध्यापन और संबंधक।	कला, विज्ञान, कृषि, वन-विज्ञान, शिक्षा, विधि, आयुर्विज्ञान, समाज- विज्ञान, और प्रौद्योगिकी।	अंग्रेजी।

* उसकी स्थापना 1921 में हुई थी। 1951 में संसद् ने एक अधिनियम पारित करके इसे एक सांविधिक विश्वविद्यालय का रूप दिया।

(ख) मंडल

गत वर्ष के समान आलोच्य वर्ष में भी शिक्षा मण्डलों (बोर्डों) की संख्या 15 ही थी इन मण्डलों के नाम और उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. बिहार स्कूल परीक्षा मण्डल, पटना—माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र, शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र, समाज शिक्षा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र।
2. लोक परीक्षा मण्डल, त्रिवेन्द्रम—माध्यमिक स्कूल का प्रमाणपत्र।
3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली—हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक प्राविधिक (टैकनीकल), रत्न, भूषण और प्रभाकर।
4. बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद—हाई स्कूल, हाई स्कूल (प्राविधिक), इन्टरमीडिएट, इन्टरमीडिएट (प्राविधिक)।
5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद—माध्यमिक स्कूल का अन्तिम प्रमाणपत्र, उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र और बहुद्देशी और उच्चतर माध्यमिक स्कूल का अन्तिम प्रमाण पत्र।
6. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यभारत क्षेत्र, ग्वालियर (म० प्र०)—हाई स्कूल इन्टरमीडिएट।
7. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मद्रास—माध्यमिक स्कूल का अन्तिम प्रमाणपत्र।
8. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, उड़ीसा, कटक—हाई स्कूल प्रमाणपत्र।
9. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जयपुर—हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक और इन्टरमीडिएट।
10. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता—माध्यमिक स्कूल की अन्तिम परीक्षा।
11. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अजमेर—हाई स्कूल प्रमाणपत्र और इन्टरमीडिएट।
12. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, महाकौशल, जबलपुर—माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र उच्चतर माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र।
13. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मैसूर राज्य, बंगलौर—माध्यमिक स्कूल का अन्तिम प्रमाण पत्र।
14. माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा मण्डल, पूना—माध्यमिक स्कूल का प्रमाणपत्र।

15. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विदर्भ, नागपुर—माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र, उच्चतर माध्यमिक स्कूल (बहुद्देशी पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र), माध्यमिक स्कूल (प्राविधिक) प्रमाणपत्र. कृषि हाई स्कूलों के लिए माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र, व्यावसायिक हाई स्कूलों के लिए माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र।

(ग) कालेज

आलोच्य वर्ष में कालेजों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं की संख्या में 133 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इन की कुल संख्या 1,630 हो गई। इन नये कालेजों में से 60 कालेज सामान्य शिक्षा के लिए, 53 वृत्तिक शिक्षा के लिए और 20 विशिष्ट शिक्षा के लिए थे। विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के अनुसार 1,630 कालेजों का संख्या-विभाजन इस प्रकार था : कला और विज्ञान के 120 कालेज (इनमें 42 अनुसंधान संस्थायें भी शामिल हैं) वृत्तिक शिक्षा के 542 कालेज और विशिष्ट शिक्षा के 168 कालेज थे। इनमें 194 महिला कालेज भी शामिल थे। महिला कालेजों में सामान्य शिक्षा के 124, वृत्तिक पाठ्यक्रमों के 43 और विशिष्ट विषयों के लिए 17 कालेज थे। इन कालेजों की संख्या कालेजों की कुल संख्या का 11.9 प्रतिशत थी, जब कि पिछले वर्ष इनकी प्रतिशत संख्या 13.6 थी।

देहाती क्षेत्रों में 137 कालेज थे। इसमें 6 महिला कालेज भी शामिल हैं। महिला कालेजों में सामान्य शिक्षा के लिए 5 कालेज और वृत्तिक शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा के लिए 1 कालेज था।

वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेज कई प्रकार के थे। सबसे अधिक संख्या (234)। अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों की थी इसके बाद क्रमशः आयुर्विज्ञान (110), इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी (63), वाणिज्य (35), विधि (32), कृषि (29), पशु-चिकित्सा विज्ञान (17), और शारीरिक शिक्षा के (15) कालेज थे। अन्य प्रकार के कालेजों में वन विज्ञान के 3, व्यावहारिक कला के 2 और सहकारिता प्रशिक्षण तथा डेरी उद्योग के एक-एक कालेज थे।

विशिष्ट शिक्षा के 168 कालेजों में से संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के 45, प्राच्य-विद्या के 102, समाजविज्ञान के 7 और अन्य विषयों के 14 कालेज थे। अन्य विषयों के कालेजों में गृहविज्ञान के 3, लोक प्रशासन का 1, योग तथा संस्कृति संश्लेषण का 1 कालेज था और शेष, ग्रामीण संस्थायें थी।

सारणी LX में प्रबंध के अनुसार कालेजों की संख्या दी गई है। 1958-59 में लगभग वही स्थिति थी जो 1957-58 में थी। दो तिहाई से भी कुछ अधिक कालेजों का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। शेष कालेज मुख्यतया सरकारी थे। अगर हम विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रबंध की दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञात होगा कि सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के लगभग तीन चौथाई कालेज गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते थे और वृत्तिक शिक्षा के करीब आधे कालेजों का प्रबंध सरकार के हाथ में था।

सारणी LXI में कालेजों का राज्यवार विभाजन दिखाया गया है। आसाम, राजस्थान दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कला और विज्ञान का एक-एक कालेज और खोला गया। आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में दो-दो कालेज, उड़ीसा और पंजाब में तीन-तीन कालेज, केरल और पश्चिमी बंगाल में चार-चार कालेज, बम्बई में 7, बिहार में 8, उत्तर प्रदेश में 10 और मध्य प्रदेश में 13 कालेज और खोले गये। अन्य राज्यों और सघ राज्यक्षेत्रों में कला और विज्ञान के कालेजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। मद्रास, उड़ीसा और दिल्ली में एक-एक वृत्तिक कालेज और खुला। अन्य राज्यों में वृत्तिक कालेजों की संख्यामें इस प्रकार वृद्धि हुई:—आसाम में 2, आन्ध्र प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में प्रत्येक में तीन-तीन, मैसूर में 7, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में सात-सात तथा बम्बई में 21 कालेज और खोले गये। केवल पांडीचेरी में एक कालेज से कम हो जाने की सूचना मिली है। राज्यों और सघ राज्यक्षेत्रों में कालेजों की संख्या वही रही जो पिछले साल की रिपोर्ट में दी गयी थी।

सारणी LX—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार कालेजों की संख्या

	कला और विज्ञान के कालेज*		वृत्तिक शिक्षा के कालेज										विशिष्ट शिक्षा के कालेज		जोड़	
			1957-58		1958-59		1957-58		1958-59		1957-58		1958-59			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
सरकारी	203	218	246	257	39	42	488	32.5	517	31.7						
स्थानीय मंडल	3	3	3	3	1	1	7	0.5	7	0.4						
गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त,	561	598	166	191	94	101	821	54.9	890	54.6						
जिन्हें सहायता नहीं दी गयी	93	101	74	91	14	24	181	12.1	216	13.3						
भारत	860	920	489	542	148	168	1,497	100.0	1,630	100.0						

* इसमें अनुसंधान संस्थाएँ भी शामिल हैं।

राज्य	कला और विज्ञान के कालेज*		वृत्तिक शिक्षा के कालेज	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	55	57	24	27
आसाम	28	29	8	9
बिहार	69	77	27	27
बम्बई	107	114	116	137
जम्मू और कश्मीर	12	12	3	3
केरल	41	45	23	26
मध्यप्रदेश	64	77	31	34
मद्रास	58	58	34	35
मैसूर	51	53	56	62
उड़ीसा	16	19	16	17
पंजाब	78	81	33	33
राजस्थान	55	56	19	19
उत्तर प्रदेश	85	95	45	52
पश्चिमी बंगाल	113	117	38	45
दिल्ली	19	20	10	11
हिमाचल प्रदेश	3	4	1	1
मनिपुर	2	2
त्रिपुरा	2	2	2	2
पाण्डिचरी	2	2	3	2
भारत	860	920	489	542

* इनमें अनुसंधान संस्थायें

राज्यवार संख्या

विशिष्ट शिक्षा के कालेज		जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)	
1957—58	1958—59	1957—58	1958—59	संख्या	प्रतिशत
6	7	8	9	10	11
22	23	101	107	+6	+5.9
1	1	37	39	+2	+5.4
7	6	103	110	+7	+6.8
11	13	234	264	+30	+12.8
10	10	25	25
7	8	71	79	+8	+11.3
14	25	109	136	+27	+24.8
20	21	112	114	+2	+1.8
7	7	114	122	+8	+7.0
4	6	36	42	+6	+16.7
1	1	112	115	+3	+2.7
18	18	92	93	+1	+1.1
10	11	140	158	+18	+12.9
12	12	163	174	+11	+6.7
8	4	31	35	+4	+12.9
..	..	4	5	+1	+25.0
1	1	3	3
1	1	5	5
..	..	5	4	-1	-20.0
148	168	1,497	1,630	+133	+8.9

भी शामिल है।

जहां तक विशिष्ट शिक्षा के कालेजों का संबंध है, बिहार में ऐसे एक कालेज के कम होने की सूचना मिली है। अन्य राज्यों में इन कालेजों की संख्या या तो बढ़ गई या उतनी ही रही जितनी पिछले वर्ष थी। परन्तु मध्य प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा के 11 नये कालेज खोले गये हैं।

छात्र

सन् 1958-59 में विश्वविद्यालयों और कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 72,372 या 9.0 प्रतिशत बढ़कर 8,76,314 हो गई। इसमें 7.8 प्रतिशत लड़कियां थी, जब कि पिछले वर्ष में इनकी संख्या 6.9 प्रतिशत थी। आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रतिशत-संख्या के हिसाब से सबसे अधिक वृद्धि (22.2 प्रतिशत) केरल में हुई। इसके बाद जिन-जिन राज्यों के नाम आते हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हैं—मध्य प्रदेश (18.9 प्रतिशत), उड़ीसा (16.8 प्रतिशत) और आसाम (16.3 प्रतिशत)। सबसे कम वृद्धि मसूर में (2.6 प्रतिशत) हुई। संघ राज्य क्षेत्रों में से हिमाचल प्रदेश में (25.7 प्रतिशत) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में अधिक व्योरे सारणी LXII में दिये गये हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के 8,76,314 विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 64,150 विद्यार्थी विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में, 2,954 विद्यार्थी अनुसंधान संस्थाओं में, 6,47,211 विद्यार्थी कला और विज्ञान कालेजों में, 1,39,876 विद्यार्थी वृत्तिक तथा तकनीकी कालेजों में और 22,123 विद्यार्थी विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में अध्ययन कर रहे थे।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी संस्थाएं 2,12,871 (24.3 प्रतिशत), स्थानीय मण्डल 2,419 (0.3 प्रतिशत) और गैर-सरकारी संस्थाएं 6,61,024 (75.4 प्रतिशत)। उपर्युक्त विवरण में केवल विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या का ही उल्लेख किया गया है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के शैक्षिक स्तर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है परन्तु सारणी में केवल विश्वविद्यालय और कालेज स्तर की शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की ही संख्या दी गयी है; अर्थात् जहां कालेजों के साथ स्कूल भी सम्बद्ध हैं वहां उस सारणी में दी गयी संख्या में स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है। सारणी से स्पष्ट होगा कि मेट्रिक के बाद सामान्य, वृत्तिक तकनीकी और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 8,62,075 से बढ़कर 9,57,651 हो गई। इस प्रकार पिछले वर्ष की 7.7 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले में आलोच्य वर्ष में 11.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। विश्वविद्यालय स्तर के कुल विद्यार्थियों में से 7,34,637 (76.7 प्रतिशत) विद्यार्थी कला और विज्ञान की शिक्षा, 2,01,689 (21.1 प्रतिशत) विद्यार्थी वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा तथा 21,325 (2.2 प्रतिशत) विद्यार्थी विशिष्ट शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इन पाठ्यक्रमों को लेने वाले छात्रों में सबसे अधिक वृद्धि (18.8 प्रतिशत) विशिष्ट शिक्षा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में हुई, जब कि सामान्य शिक्षा और वृत्तिक शिक्षा पाने के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः 11.0 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत ही वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालयों में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या की 23 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष भी इनकी यही प्रतिशत संख्या लगभग रही थी।

आलोच्य वर्ष में वृत्तिक पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्र वाणिज्य शिक्षा पाने के लिए भर्ती हुए। इन छात्रों की संख्या 66,582 थी। इसके बाद दूसरा स्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम (35,255 छात्र) और तीसरा स्थान आयुर्विज्ञान (32,950 छात्र) का है। प्रतिशत के आधार पर, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पाने के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या में सबसे अधिक (24.2 प्रतिशत) वृद्धि हुई। इसके बाद क्रमशः कृषि (16.8 प्रतिशत), शारीरिक शिक्षा (14.4 प्रतिशत) और अध्यापक प्रशिक्षण (10.8 प्रतिशत) आते हैं। अन्य

पाठ्यक्रमों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में 9.2 प्रतिशत (वनविज्ञान) से लेकर 6.3 प्रतिशत (पशुचिकित्सा विज्ञान) के बीच वृद्धि हुई। विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तरों और अध्ययन पाठ्य-क्रमों का ब्योरा सारणी LXIII में दिया गया है।

सहशिक्षा

कला और विज्ञान के कालेजों में पढनेवाली लड़कियों की कुल संख्या 1,21,714 थी। इसमें से 62,640 लड़कियां या 51.5 प्रतिशत लड़कियां लड़कों की संस्थाओं में पढ़ रही थी। वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में 51,119 लड़कियां (66.2 प्रतिशत) लड़कों के कालेजों में पढ़ रही थी। इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्योरे सारणी LXV में दिये गये हैं। हम देखते हैं कि बम्बई राज्य में लड़कों के कला और विज्ञान कालेजों में लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक (76.0 प्रतिशत) था। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (63.8 प्रतिशत), उड़ीसा (62.9 प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (56.5 प्रतिशत) और आसाम (54.8 प्रतिशत) आते हैं। अन्य राज्यों में अधिकांश लड़कियां लड़कियों की संस्थाओं में ही पढ़ती थी। आसाम और उड़ीसा में तो वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा पाने वाली सभी लड़कियां केवल लड़कों की संस्थाओं में ही पढ़ रही थी। अन्य राज्यों में लड़कियों की संख्या 5.7 प्रतिशत (जम्मू और कश्मीर) से लेकर 12.2 प्रतिशत (बम्बई) के बीच रही।

अध्यापक

आलोच्य वर्ष में कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में शिक्षकों की कुल संख्या 51,273 थी। इसमें 45,374 पुरुष और 5,899 महिलाएं थी। सन् 1957-58 में यह संख्या 45,208 (40,081 पुरुष और 5,127 महिलाएं) थी। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में अध्यापकों की कुल संख्या में 13.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि 1957-58 में 6.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अध्यापकों की कुल संख्या में से 4,755 अध्यापक विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में, 30,484 अध्यापक सामान्य शिक्षा के कालेजों में और 16,034 अध्यापक वृत्तिक तथा विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में पढ़ा रहे थे। इन शिक्षकों का राज्यवार ब्योरा सारणी LXVI में दिया गया है।

सारणी LXII—विश्वविद्यालयों और

राज्य	लड़के		लड़कियाँ	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	53,246	47,930	2,172	2,463
आसाम	18,522	21,563	1,193	1,375
बिहार	68,103	76,685	2,125	2,374
बम्बई	1,19,856	1,32,249	5,397	5,564
जम्मू और कश्मीर	5,635	6,134	2,157	2,506
केरल	27,634	33,499	4,057	5,222
मध्य प्रदेश	36,441	43,579	3,857	4,339
मद्रास	45,816	48,962	5,511	6,339
मैसूर	41,780	43,065	4,189	4,082
उड़ीसा	8,852	10,326	277	338
पंजाब	50,306	56,114	6,275	6,836
राजस्थान	37,627	38,715	3,604	4,708
उत्तर प्रदेश	88,141	93,712	3,860	4,437
पश्चिमी बंगाल	1,22,641	1,31,825	9,801	14,038
दिल्ली	16,636	18,348	3,057	3,339
हिमाचल प्रदेश	534	671
मणिपुर	1,669	1,937
त्रिपुरा	1,617	1,661	6	14
पांडीचरी	1,348	1,365
भारत	7,46,404	8,08,340	57,538	67,974

कालेजों में छात्रों की संख्या

जोड़		वृद्धि (+) या कमी (—)	
1957—58	1958—59	संख्या	प्रतिशत
6	7	8	9
55,418	50,393	— 5,025	— 9.1
19,715	22,938	+ 3,223	+16.3
70,228	79,059	+ 8,831	+12.6
1,25,253	1,37,813	+12,560	+10.0
7,792	8,640	+ 848	+10.9
31,691	38,721	+ 7,030	+22.2
40,298	47,918	+ 7,620	+18.9
51,327	55,301	+ 3,974	+ 7.7
45,969	47,147	+ 1,178	+ 2.6
9,129	10,664	+ 1,535	+16.8
56,581	62,950	+ 6,369	+11.3
41,231	43,423	+ 2,192	+ 5.3
92,001	98,149	+ 6,148	+ 6.7
1,32,442	1,45,863	+13,421	+10.1
19,693	21,687	+ 1,994	+10.1
534	671	+ 137	+25.7
1,669	1,937	+ 268	+16.1
1,623	1,675	+ 52	+ 3.2
1,348	1,365	+ 17	+ 1.3
8,03,942	8,76,314	+72,372	+ 9.0

सारणी LXIII—विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य, वृत्तिक

राज्य	सामान्य शिक्षा				
	लड़के		लड़कियां		जोड़
	1957— 58	1958— 59	1957— 58	1958— 59	1957— 58
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	36,624	30,660	4,516	4,618	41,140
आसाम	13,929	16,448	2,664	3,022	16,593
बिहार	53,016	60,566	3,663	4,204	56,679
बम्बई	64,062	70,705	18,502	21,422	82,564
जम्मू और कश्मीर	4,973	5,464	1,109	1,293	6,082
केरल	17,727	21,561	7,740	9,590	25,467
मध्य प्रदेश	13,996	18,963	2,889	3,721	16,885
मद्रास	29,044	29,894	6,082	6,780	35,126
मैसूर	25,472	23,612	5,271	5,495	30,743
उड़ीसा	5,910	6,745	735	912	6,645
पंजाब	38,708	43,072	7,554	8,271	46,262
राजस्थान	12,615	14,346	2,646	3,008	15,261
उत्तर प्रदेश	1,44,329	1,65,552	18,195	21,435	1,62,524
पश्चिमी बंगाल	82,085	88,396	21,488	26,600	1,03,573
दिल्ली	9,534	10,675	3,410	3,776	12,944
हिमाचल प्रदेश	388	496	98	129	486
मनिपुर	1,290	1,468	119	159	1,409
त्रिपुरा	1,223	1,176	189	256	1,412
पांडीचरी	154	116	26	31	180
भारत	5,55,079	6,09,915	1,06,896	1,24,722	6,61,975

और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या

सामान्य शिक्षा			वृत्तिक शिक्षा			
जोड़	लड़के		लड़कियां		जोड़	
1958— 59	1957— 58	1958— 59	1957— 58	1958— 59	1957— 58	1958— 59
7	8	9	10	11	12	13
35,278	12,050	12,197	693	920	12,743	13,117
19,470	2,985	3,291	68	101	3,053	3,392
64,770	12,565	13,448	296	321	12,861	13,769
92,127	32,671	35,453	3,494	4,023	36,165	39,476
6,757	216	270	87	79	303	349
31,151	4,642	5,745	849	892	5,491	6,637
22,684	10,158	12,288	544	633	10,702	12,921
36,674	11,668	13,448	1,032	1,302	12,700	14,750
29,107	11,397	13,755	1,245	1,386	12,642	15,141
7,657	1,931	2,182	124	151	2,055	2,333
51,343	6,025	6,549	1,892	2,010	7,917	8,559
17,354	9,315	10,705	197	242	9,512	10,947
1,86,987	25,699	27,363	1,446	1,682	27,145	29,045
1,14,996	22,790	24,566	1,325	1,457	24,115	26,023
14,451	3,733	4,025	577	641	4,310	4,666
625	47	34	1	12	48	46
1,627	128	186	3	4	131	190
1,432	141	145	1	8	142	153
147	91	134	27	41	118	175
7,34,637	1,68,252	1,85,784	13,901	15,905	1,82,153	2,01,689

सारणी LXIII—विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य वृत्तिक और

राज्य	विशिष्ट शिक्षा				
	लड़के		लड़कियां		जोड़
	1957— 58	1958— 59	1957— 58	1958— 59	1957— 58
1	14	15	16	17	18
आन्ध्र प्रदेश	903	1,106	130	156	1,033
आसाम	34	12	34
बिहार	2,775	2,549	107	49	2,882
बम्बई	520	948	346	578	866
जम्मू और कश्मीर	66	68	174	157	240
केरल	338	429	199	221	537
मध्य प्रदेश	351	1,132	276	1,182	627
मद्रास	2,102	2,217	486	651	2,588
मैसूर	414	403	50	70	464
उड़ीसा	403	441	18	55	421
पंजाब	146	126	30	30	176
राजस्थान	905	1,025	11	21	916
उत्तर प्रदेश	2,435	2,716	533	683	2,968
पश्चिमी बंगाल	1,593	1,501	1,459	1,602	3,052
दिल्ली	632	674	499	501	1,131
हिमाचल प्रदेश
मनिपुर	6	4	..	4	6
त्रिपुरा	2	2	4	12	6
पांडीचरी
भारत	13,625	15,353	4,322	5,972	17,947

विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या (जारी)

विशिष्ट शिक्षा		कुल जोड़				
जोड़	लड़के		लड़कियां		जोड़	
1958— 59	1957— 58	1958— 59	1957— 58	1958— 59	1957— 58	1958— 59
19	20	21	22	23	24	25
1,262	49,577	43,963	5,339	5,694	54,916	49,657
12	16,948	19,751	2,732	3,123	19,680	22,874
2,598	68,356	76,563	4,066	4,574	72,422	81,137
1,526	97,253	1,07,106	22,342	26,023	1,19,595	1,33,129
225	5,255	5,802	1,370	1,529	6,625	7,331
650	22,707	27,735	8,788	10,703	31,495	38,438
2,314	24,505	32,383	3,709	5,536	28,214	37,919
2,868	42,814	45,559	7,600	8,733	50,414	54,292
473	37,283	37,770	6,566	6,951	43,849	44,721
496	8,244	9,368	877	1,118	9,121	10,486
156	44,879	49,747	9,476	10,311	54,355	60,058
1,046	22,835	26,076	2,854	3,271	25,689	29,347
3,399	1,72,463	1,95,631	20,174	23,800	1,92,637	2,19,431
3,103	1,06,468	1,14,463	24,272	26,659	1,30,740	1,44,122
1,175	13,899	15,374	4,486	4,918	18,385	20,292
..	435	530	99	141	534	671
8	1,424	1,658	122	167	1,546	1,825
14	1,366	1,323	194	276	1,560	1,599
..	245	250	53	72	298	322
21,325	7,36,956	8,11,052	1,25,119	1,46,599	8,62,075	9,57,651

सारणी LXIV—विश्वविद्यालयों के

शिक्षास्तर/विषय	लड़के		लड़कियां
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
सामान्य शिक्षा :			
इंटरमीजिएट	3,75,342	4,11,700	63,432
बी० ए०/बी०एस्सी०	1,52,125	1,65,814	37,344
एम० ए०/एम० एस्सी०	24,828	29,176	5,642
अनुसंधान	2,784	3,225	478
जोड़	5,55,079	6,09,915	1,06,896
वृत्तिक शिक्षा :			
कृषि	9,242	10,766	62
वाणिज्य	62,712	66,002	494
इंजिनियरी और प्रौद्योगिकी	28,329	35,112	62
वनविज्ञान	512	559	..
विधि	22,117	23,458	481
आयुर्विज्ञान	25,072	26,950	5,245
शारीरिक शिक्षा	535	607	116
अध्यापक प्रशिक्षण	14,644	16,200	7,407
पशु-चिकित्सा विज्ञान	4,803	5,108	29
अन्य	286	1,012	5
जोड़	1,68,252	1,85,784	13,901
			विशिष्ट
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलायें	1,672	2,661	2,100
प्राच्य विद्याएं	8,308	8,640	721
अन्य विषय	3,645	4,052	1,501
जोड़	13,625	15,353	4,322
कुल जोड़	7,36,956	8,11,052	1,25,119

छात्रों की संख्या का विभाजन

जोड़			वृद्धि (+) या कमी (-)	
1958—59	1957—58	1958—59	संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9
75,166	4,38,774	4,86,866	+48,092	+ 11.0
42,260	1,89,469	2,08,074	+18,605	+ 9.8
6,688	30,470	35,864	+ 5,394	+ 11.8
608	3,262	3,833	+ 571	+ 17.5
1,24,722	6,61,975	7,34,637	+72,662	+ 11.0
95	9,304	10,871	+ 1,567	+ 16.8
580	63,206	66,582	+ 3,376	+ 5.3
143	28,391	35,255	+ 6,864	+ 24.2
..	512	559	+ 47	+ 9.2
597	22,598	24,055	+ 1,457	+ 6.4
6,000	30,317	32,950	+ 2,633	+ 8.7
138	651	745	+ 94	+ 14.4
8,222	22,051	24,422	+ 2,371	+ 10.8
29	4,832	5,137	+ 305	+ 6.3
101	291	1,113	— 822	+282.5
15,905	1,82,153	2,01,689	+19,536	+ 10.7
3,452	3,772	6,113	+ 2,341	+ 62.1
781	9,029	9,421	+ 392	+ 4.3
1,739	5,146	5,791	+ 645	+ 12.5
5,972	17,947	21,325	+ 3,378	+ 18.8
1,46,599	8,62,075	9,57,651	+95,576	+ 11.1

सारणी LXV—उच्च शिक्षा पानेवाली

कला और विज्ञान के कालेजों में*

राज्य	लड़कों के कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के कालेजों में पढ़नेवाली लड़कियों की प्रतिशत संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2,317	2,360	4,677	49.5
आसाम	1,667	1,375	3,042	54.8
बिहार	1,906	2,321	4,227	45.1
बम्बई	16,493	5,208	21,701	76.0
जम्मू और कश्मीर	177	1,121	1,298	13.6
केरल	4,689	5,028	9,717	48.3
मध्य प्रदेश	1,925	2,823	4,748	40.5
मद्रास	1,436	5,861	7,297	19.7
मैसूर	2,247	3,315	5,562	40.4
उड़ीसा	574	338	912	62.9
पंजाब	3,820	6,377	10,197	37.5
राजस्थान	986	4,651	5,637	17.5
उत्तर प्रदेश	6,774	3,837	10,611	63.8
पश्चिमी बंगाल	15,539	11,962	27,501	56.5
दिल्ली	1,462	2,497	3,959	36.9
हिमाचल प्रदेश	129	..	129	100.0
मनिपुर	163	..	163	100.0
त्रिपुरा	256	..	256	100.0
पांडीचेरी	80	..	80	100.0
भारत	62,640	59,074	1,21,714	51.5

*इसमें अध्यापन विभागों और अनुसन्धान

लड़कियों की संख्या

वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में

लड़कों के कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के कालेजों में पढ़नेवाली लड़कियों की प्रतिशत संख्या
6	7	8	9
917	103	1,020	89.9
104	..	104	100.0
258	53	311	83.0
4,231	56	4,586	92.2
7	1,231	1,305	5.7
852	194	1,046	81.5
2,004	700	2,704	74.1
1,281	478	1,759	72.8
907	767	1,674	54.2
356	..	356	100.0
1,357	459	1,816	74.7
276	40	316	87.3
1,130	590	1,720	65.7
1,054	1,913	2,967	35.5
199	842	1,041	19.1
12	..	12	100.0
42	..	42	100.0
25	12	37	67.6
41	..	41	100.0
15,119	7,738	22,857	66.2

संस्थाओं के छात्रागण भी शामिल हैं।

सारणी LXVI—विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों

राज्य	विश्वविद्यालयों के प्राध्यापन विभागों में		सामान्य शिक्षा के कालेजों में	
	पुरुष	महिलायें	पुरुष	महिलायें
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	298	14	2,164	304
आसाम	112	5	585	70
बिहार	243	9	2,008	149
बम्बई	191	15	3,590	661
जम्मू और कश्मीर	17	..	273	38
केरल	20	5	1,344	424
मध्य प्रदेश	143	3	1,695	188
मद्रास	313	9	2,093	634
मैसूर	33	1	1,595	219
उड़ीसा	27	3	397	37
पंजाब	96	1	1,935	289
राजस्थान	27	..	1,466	229
उत्तर प्रदेश	1,737	141	2,501	257
पश्चिमी बंगाल	1,019	49	3,655	517
दिल्ली	198	26	795	138
हिमाचल प्रदेश	57	5
मनिपुर	48	2
त्रिपुरा	62	4
पांडीचरी	42	14
भारत	4,474	281	26,305	4,179

और कालेजों में अध्यापकों की संख्या

वृत्तिक शिक्षा के कालेजों में		विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में		कुल जोड़		
पुरुष	महिलायें	पुरुष	महिलायें	पुरुष	महिलायें	कुल छात्रों की संख्या
6	7	8	9	10	11	12
912	101	185	9	3,559	428	3,987
206	..	5	..	908	75	983
716	17	64	..	3,031	175	3,206
2,906	182	166	15	6,853	873	7,726
27	3	65	52	382	93	475
398	59	61	9	1,823	497	2,320
743	50	168	34	2,749	275	3,024
1,069	178	159	18	3,634	839	4,473
919	101	1,075	91	3,622	412	4,034
220	6	80	1	724	47	771
679	110	7	..	2,717	400	3,117
391	4	209	1	2,093	234	2,327
692	88	158	9	5,088	495	5,583
1,547	90	299	42	6,520	698	7,218
353	131	27	35	1,373	330	1,703
9	66	5	71
..	..	9	2	57	4	61
15	..	10	..	87	4	91
46	1	88	15	103
11,848	1,121	2,747	318	45,374	5,899	51,273

अध्यापकों के वेतनमान

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को छोड़कर, किसी भी विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय	पुराना वेतनमान	नया वेतनमान
बड़ौदा	र०	र०
प्राध्यापक (लेक्चरर)	200-20-500	250-20-500
प्रवाचक (रीडर)	400-25-650	500-20-800
आचार्य (प्रोफेसर)	700-50-1000	800-50-1250
गौहाटी		
प्राध्यापक (लेक्चरर)	250-25/2-600	250-20-450-25-600
प्रवाचक (रीडर)	500-50/2-700	500-25-800
आचार्य (प्रोफेसर)	700-50/2-1000	800-40-1000-50-1250
जबलपुर		
प्रवाचक (रीडर)	400-25-550 र० 25-800	500-30-800
आचार्य (प्रोफेसर)	800-40-1000	800-50-1250
केरल		
प्राध्यापक (लेक्चरर)	150-10-240-15-300-20-400	250-25-500
प्रवाचक (रीडर)	400-30-600	500-50-800
आचार्य (प्रोफेसर)	500-50-800	800-50-1000

अलग अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न वेतनमान पूर्ववत् रहे और कहीं-कहीं एक ही राज्य में विभिन्न प्रबन्ध संस्थाओं के अधीन कालेजों के वेतनमान भिन्न-भिन्न रहे। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, प्रवाचकों और आचार्यों के विभिन्न वर्गों के वेतनमान सारणी LXVII—में दिये गये हैं।

सायंकालीन कालेज

इस वर्ष 61 कालेजों में सायं शिक्षा जारी रही। इनमें से 45 कालेज विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध थे। इन कालेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 26,138 थी। इनमें 1,932 लड़कियाँ थी। इन कालेजों में 1,083 अध्यापक (1,048 पुरुष और 35 महिलाएँ) थे। इन कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी LXVIII—में दिये गये हैं।

सारणी LXVII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में शिक्षकों के वेतनमान

विश्वविद्यालय	प्राध्यापक (लेक्चरर)	रीडर (प्रवाचक)	आचार्य (प्रोफेसर)
	र०	र०	र०
आगरा*	300-20-500-दक्षता रोष 25-800	..	800-50-1,250
अलीगढ़	250-20-350-25 -550	500-25-800	800-50-1,250
इलाहाबाद	300-20-500-दक्षता रोष 25-800	500-25-800	800-50-1,250
आन्ध्र *	210-15/2-300	(i) 400-40/2- 600 (ii) 300-30/2- 420-40/2- 500	(i) 750-50/2- 1,000 (ii) 500-40/2- 700
अन्नमलई	(i) 180-10- 300 (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी)	250-15-400- 20-500	(i) 400-25-700- दक्षता रोष 40-900 (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी)
	(ii) 150-10-300 (अन्य)	..	(ii) 400-20-700 (अन्य)
बनारस *	(i) 300-20-600 (प्रौद्योगिकी, खनिज विज्ञान, धातु- विज्ञान, इंजीनियरी)	(i) 600-40- 1,000 (प्रौद्योगिकी, खनिज वि- ज्ञान और धातु-विद्या)	(i) 1,000-50- 1,750 (प्रौद्यो- गिकी, खनिज विज्ञान, धातु-वि- ज्ञान, इंजीनियरी)
	(ii) 250-20- 450-25-600 (अन्य)	(ii) 500-25- 800 (अन्य)	(ii) 800-50- 1,250 (अन्य)
	(iii) 200-15- 410-20- 450 (इंटर- मीजिएट अनुभाग)		
बड़ौदा*	250-20-500	500-20-800	800-50-1,250

* ये वेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों के हैं।

सारणी LXVII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में
शिक्षकों के वेतनमान (जारी)

विश्वविद्यालय	प्राध्यापक (लेक्चरर)	रीडर (प्रवाचक)	आचार्य (प्रोफेसर)
	₹० †	₹० †	₹० †
बिहार			
बम्बई	300-25-600	500-25-800	800-50-1,250
कलकत्ता*	250-25-500- 25-600	500-50/2- 700	(i) 800-40- 1,000-50- 1,250 (ii) 600-25-800
इंदिरा कला संगीत विद्यालय	225-225-250- 20-350 दक्षता रोध 20-470-485- 500	400-25-550	800-40-1,000
दिल्ली	250-25-500-30- 560	500-25-800	800-50-1,250
गौहाटी	250-20-450- 25-600	500-25-800	800-40-1,000- 50-1,250
गोरखपुर	300-20-500 दक्षता रोध 25-800	..	800-50-1,250
गुजरात	250-25-500	500-25-800	800-50-1,250
जबलपुर	250-25-500	500-30-800	800-50-1,250
जादवपुर	(i) 300-25-750 (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी)	500-25-800	(i) 1,000-50- 1,250 (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी)
	(ii) 250-25-500	..	(ii) 600-40- 1,000 (iii) 800-50- 1,250 सामान्य शिक्षा के कालेज

†पद के अनुसार शिक्षकों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। वे प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की सेवा में नियुक्त किये जाते हैं।

प्रथम श्रेणी 350-25-650-दक्षता रोध-35-1,000 रुपये।

द्वितीय श्रेणी 200-20-220-25-320-दक्षता रोध-25-670-दक्षता रोध-20-750।

*ये वेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों के हैं।

सारणी LXVII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में
शिक्षकों के वेतनमान (जारी)

विश्वविद्यालय	प्राध्यापक (लेक्चरर)	रीडर (प्रवाचक)	आचार्य (प्रोफेसर)
	रु०	रु०	रु०
जम्मू और कश्मीर	250-25-600	500-40-800	800-50-1,250
कर्नाटक	250-20-500	500-25-800	800-50-1,250
केरल	250-25-500	500-50-800	800-50-1,000
कुरुक्षेत्र	(i) 300-25-650 (ii) 250-20-450- 25-650	500-30-800	..
लखनऊ	350-25-600 (आयुर्विज्ञान) 300-20-500- 25-800 (अन्य)	(i) 600-30-900 (ii) 500-30- 800 (आयुर्विज्ञान) (iii) 500-25-800 (अन्य)	(i) 1,100-40- 1,340 (ii) 900-40- 1,140 (आयुर्विज्ञान) (iii) 800-50- 1,250 (अन्य)
मद्रास	(i) 200-15-350- 20-450-25- 500 (ii) 150-10-250	400-25-600	750-50-1,000
मैसूर	200-10-250- 20-450	250-20-350- 25-500	(i) 700-40-900- 50-1,000 (ii) 400-25-550- 30-700-40- 820
नागपुर	225-225-250- 15-400	400-50-600- 40-800	800-40-1,000- 50-1,250
उस्मानिया	250-20-450- दक्षता रोध-25-550	400-25-550- दक्षता रोध- 30-700	600-40-1,000 -दक्षता रोध- 50-1,200
पंजाब	(i) 250-20-450- 25-650 (ii) 200-10-300	500-30-800	800-50-1,250

सारणी LXVII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में
शिक्षकों के वेतनमान (जारी)

विश्वविद्यालय	प्राध्यापक (लेक्चरर)	प्रवाचक (रीडर)	आचार्य (प्रोफेसर)
	रु०	रु०	रु०
पटना	(i) 350-20- 370-25- 445-दक्षता रोध -25-720-दक्षता रोध-40-800	(i) 600-40- 840-40- 1,000 (इंजीनियरी)	(i) 850-50- 1,250
	(ii) 250-15- 325-दक्षता रोध- 15-400-20- 450-दक्षता रोध- 30-750 (आयुर्विज्ञान)	(ii) 350-25- 650 -दक्षता रोध- 35-1,000	(ii) 600-40- 840 -दक्षता रोध- 40-1,000
	(iii) 200-20- 200-25- 320-दक्षता रोध 25-670- दक्षता रोध- 20-750	(iii) 350-15- 380-25- 480-दक्षता रोध- 30-750 (आयुर्विज्ञान)	(iii) 350-25- 650-दक्षता रोध 35-1,000 (गणित और विधि)
पूना	250-20-500	500-25-800	800-50-1,250
राजस्थान	250-20-450- दक्षता रोध- 25-600	500-30-800	800-50-1,250
रुड़की	250-25-400- दक्षता रोध-30- 700-दक्षता रोध- 50-850	500-50-1,000- दक्षता रोध- 50-1,200	(i) 2,000-100-2 2,500 (ii) 1,350-50- 1,750 (इंजीनियरी)
सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ	..	500-25-800	800-50-1,250
सागर	(i) 300-25-600- दक्षता रोध-30- 900	..	(i) 900-50- 1,350 (ii) 500-30-800- दक्षता रोध-30- 860-40- 900

सारणी LXVII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में
शिक्षकों के वेतनमान (जारी)

विश्वविद्यालय	प्राध्यापक (लेक्चरर)	(प्रवाचक रीडर)	आचार्य (प्रोफेसर)
	₹	₹	₹
एस० एन० डी० टी०*	(i) 200-15-350 (ii) 150-15-250	..	(i) 300-20-500 (ii) 250-20-450
श्री वेंकटेश्वर	250-25-500	400-25-600	700-50-1,000
उत्कल	(i) 300-20-500 (भाषायें)	300-320-25- 420-30-570- दक्षता रोध-30- 690-30-780- दक्षता रोध-40- 860	(i) 800-50- 1,250
	(ii) 360-25-435- दक्षता रोध 25- 610-दक्षता रोध 30-700 (मानव- विज्ञान)		(ii) 600-40-960
	(iii) 260-25-435- दक्षता रोध 25- 610-दक्षता रोध- 30-700		
	(iv) 200-15- 260-दक्षता रोध- 25-435- दक्षता रोध 610-30- 700 (भौमिकी)		
वाराणसेय संस्कृत विद्यालय	(i) 300-20-500- दक्षता रोध-25- 800	..	800-50-1,250
	(ii) 200-10- 250-10- 310-दक्षता रोध -14-450
विक्रम	250-20-500	..	800-50-1,250

*ये वेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों के हैं।

सारणी LXVII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में शिक्षकों के वेतनमान (जारी)

विश्वविद्यालय	प्राध्यापक (लेक्चरर)	प्रवाचक) (रीडर	आचार्य (प्रोफेसर)
	₹०	₹०	₹०
विश्व-भारती	(i) 200-20-400-दक्षता रोध-25-450 (ii) 150-15-270-दक्षता रोध-15-300-दक्षता रोध-20-400	400-25-700	700-50-1,000-50-1,250

सारणी LXVIII—सायंकालीन कालेजों के आंकड़े

राज्य	कालेजो की संख्या	भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या			अध्यापकों की संख्या		
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	2	394	1	395	22	..	22
आसाम	9	2,716	8	2,724	141	1	142
बिहार	5	1,144	16	1,160	59	2	61
बम्बई	1	439	11	450	10	..	10
मध्यप्रदेश	5	403	2	405	26	..	26
मैसूर	1	22	3	25	12	1	13
उत्तर प्रदेश	16	2,107	798	2,905	129	10	139
पश्चिमी बंगाल	16	15,683	1,051	16,734	600	18	618
दिल्ली	4	581	..	581	27	1	28
मनिपुर	2	717	42	759	22	2	24
जोड़	61	24,206	1,932	26,138	1,048	35	1,083

खर्च

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में होने वाला प्रत्यक्ष खर्च 41,82,56,468 रुपये था। यह रकम कुल प्रत्यक्ष खर्च की 20.6 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष विश्वविद्यालयों और कालेजो पर जो रकम खर्च की गई थी उसकी अपेक्षा आलोच्य वर्ष में 15.1 प्रतिशत अधिक खर्च हुआ। खर्च की गयी कुल रकम में से 2,21,30,348 रुपये या 5.3 प्रतिशत रकम लड़कियों की संस्थाओं पर खर्च की गयी थी।

विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर खर्च की गयी रकम का विभाजन इस प्रकार है : विश्वविद्यालय 11,55,84,305 रुपये (27.6 प्रतिशत), कला और विज्ञान के कालेज 18,37,19,353 रुपये (43.9 प्रतिशत), वृत्तिक शिक्षा के कालेज 11,19,25,693 रुपये (26.8 प्रतिशत) और विशिष्ट शिक्षा के कालेज 70,30,117 रुपये (1.7 प्रतिशत) ऊपर बतायी गयी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का खर्च पिछले वर्ष के खर्च की अपेक्षा क्रमशः 17.8, 7.7, 26.5, और 14.2 प्रतिशत बढ़ गया ।

आय के स्रोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई राशि का विभाजन नीचे सारणी संख्या LXIX में दिया गया है :

सारणी LXIX— आयस्रोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों पर प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1957—58		1958—59	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकारी निधियां	18,50,85,802	51.0	21,58,81,392	51.6
स्थानीय मंडलों की निधियां	10,13,191	0.3	13,56,013	0.3
फ्रीस	13,84,01,248	38.1	15,00,91,081	35.9
धर्मस्व	1,13,63,414	3.1	1,39,70,633	3.4
अन्य आयस्रोत	2,73,70,290	7.5	3,69,60,349	8.8
जोड़	36,32,33,945	100.0	41,82,59,468	100.0

इस खर्च में सरकारी निधी का अंश 51.6 प्रतिशत था । इस खर्च को पूरा करने का दूसरा प्रधान स्रोत विद्यार्थियों की फ्रीस के रूप में था जो कुल रकम का 35.9 प्रतिशत था । धर्मस्व और अन्य साधनों से प्राप्त होनेवाली रकम क्रमशः 3.4 और 8.8 प्रतिशत थी । स्थानीय मण्डलों का अंशदान प्रायः नगण्य (0.3 प्रतिशत) रहा ।

खर्च की गयी कुल रकम में से 13,76,43,763, रुपये (कुल खर्च का 32.9 प्रतिशत) सरकारी संस्थाओं पर, 17,88,112 रुपये (0.4 प्रतिशत) स्थानीय मण्डलों के कालेजों पर, और, 27,88,27,593 रुपये (66.7 प्रतिशत) गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चालित संस्थाओं पर खर्च किये गए थे । सन् 1957-58 में खर्च का प्रतिशत मान क्रमशः 33.9, 0.4, और 65.7 था ।

सन् 1957-58 और 1958-59 में इन विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई प्रत्यक्ष रकम सारणी LXX न दी गई है । दिल्ली को छोड़कर, आलोच्य वर्ष में छह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों और कालेजों में खर्च के बढ़ने की सूचना मिली है ।

सारणी LXX—विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों और

राज्य	विश्वविद्यालय		कला और विज्ञान
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
	₹०	₹०	₹०
आन्ध्र प्रदेश	60,79,504	82,74,463	1,13,49,198
आसाम	24,31,236	20,80,345	25,62,932
बिहार	43,14,488	48,66,036	1,06,11,521
बम्बई	1,27,16,970	1,50,38,455	2,76,08,171
जम्मू और कश्मीर	5,18,022	7,89,154	13,81,839
केरल	17,62,371	19,68,812	65,26,408
मध्य प्रदेश	21,29,625	32,92,238	80,24,553
मद्रास	70,11,291	81,45,724	1,15,00,346
मैसूर	21,61,310	30,09,344	92,70,247
उड़ीसा	6,92,809	8,86,878	29,26,390
पंजाब	81,24,982	92,57,440	1,10,15,877
राजस्थान	14,09,549	15,04,830	77,65,335
उत्तर प्रदेश	3,41,63,397	4,06,21,281	2,08,61,948
पश्चिमी बंगाल	1,05,67,535	1,15,29,410	1,95,21,465
दिल्ली	39,68,419	43,19,895	1,89,01,285
हिमाचल प्रदेश	2,02,186
मनिपुर	1,92,913
त्रिपुरा	3,18,908
पांडीचेरी	65,000
भारत	9,80,51,508	11,55,84,305	17,06,05,522

कालेजों में किया गया प्रत्यक्ष खर्च

के कालेज	वृत्तिक शिक्षा के कालेज		विशिष्ट शिक्षा के कालेज
	1958—59	1957—58	1957—58
5	6	7	8
र०	र०	र०	र०
1,11,41,884	51,25,961	73,19,158	4,89,123
33,82,433	16,99,014	22,69,271	6,788
1,17,41,988	56,25,763	64,34,303	2,47,867
2,91,04,825	1,84,81,314	2,26,41,210	13,33,544
14,95,601	2,29,165	2,54,479	1,49,546
80,07,255	19,90,154	27,52,222	1,77,527
96,21,901	48,95,297	83,98,656	6,65,959
1,29,64,621	84,78,484	1,03,50,763	4,93,517
1,07,76,213	48,75,614	56,82,555	2,64,588
28,81,304	14,14,057	16,73,333	96,907
1,16,82,317	53,00,961	73,03,423	20,653
85,77,439	29,70,279	38,65,051	4,85,229
2,40,98,157	63,51,687	77,93,882	5,40,311
2,30,89,658	1,37,57,153	1,57,37,702	7,58,654
1,42,30,194	69,90,496	89,67,359	4,03,041
2,64,523	38,479	54,190	..
2,30,397	15,223
3,51,215	72,223	81,242	7,240
77,428	1,25,097	3,46,894	..
18,37,19,353	8,84,21,198	11,19,25,693	61,55,717

सारणी LXX—विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों

राज्य	विशिष्ट शिक्षा के कालेज		कुल जोड़
	1958—59	1957—58	1958—59
1	9	10	11
	₹०	₹०	₹०
आंध्र प्रदेश	4,97,159	2,30,43,786	2,72,32,664
आसाम	7,269	66,99,970	77,39,318
बिहार	2,26,384	2,07,99,639	2,32,68,711
बम्बई	15,75,275	6,01,39,999	6,83,59,765
जम्मू और कश्मीर	1,70,828	22,78,572	27,10,062
केरल	1,66,033	1,04,55,460	1,28,94,322
मध्य प्रदेश	8,28,954	1,57,15,434	2,21,41,749
मद्रास	5,10,284	2,74,83,638	3,19,71,392
मैसूर	2,48,895	1,65,71,759	1,97,17,007
उड़ीसा	1,72,286	51,30,163	56,13,801
पंजाब	18,853	2,44,62,473	2,82,62,033
राजस्थान	5,19,997	1,26,30,392	1,44,67,317
उत्तर प्रदेश	6,90,762	6,19,17,343	7,32,04,082
पश्चिमी बंगाल	8,05,685	4,46,04,807	5,11,62,455
दिल्ली	5,67,693	3,02,63,241	2,80,85,141
हिमाचल प्रदेश	..	2,40,665	3,18,713
मनिपुर	14,081	2,08,136	2,44,478
त्रिपुरा	9,679	3,98,371	4,42,136
पांडीचेरी	..	1,90,097	4,24,322
भास्त	70,30,117	36,32,33,945	41,82,59,468

और कालेजों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी)

(संख्या रुपये में)

वृद्धि (+) या कमी(-)	शिक्षा पर किए गये कुल प्रत्यक्ष खर्च की प्रतिशत संख्या				(1958-59) में खर्च की वह प्रतिशत जो इन मदोंसे पुरी की गई		
	रकम	प्रतिशत	1957-58	1958-59	सरकारी निधियाँ	स्थानीय मंडलों की निधियाँ	फीस
	12	13	14	15	16	17	18
+	41,88,878	+18.2	13.7	18.2	52.2	0.4	26.7
+	10,39,348	+15.5	10.1	15.3	53.0	..	42.6
+	24,69,072	+11.9	13.4	20.3	48.3	..	40.5
+	82,19,766	+13.7	13.3	17.6	35.8	1.5	49.4
+	4,31,490	+18.9	16.6	21.8	68.2	..	21.9
+	24,38,862	+23.3	10.5	10.5	31.4	..	63.8
+	64,26,315	+40.9	11.8	18.1	69.3	0.3	22.6
+	44,87,754	+16.3	11.9	17.5	42.1	0.2	41.0
+	31,45,248	+19.0	13.2	16.8	52.1	0.2	42.3
+	4,83,638	+9.4	9.6	14.8	72.2	..	22.8
+	37,99,560	+15.5	18.8	24.5	37.5	0.2	50.9
+	18,36,925	+14.5	16.8	20.5	70.8	..	19.3
+	1,12,86,739	+18.2	20.3	27.6	56.4	..	23.8
+	65,57,648	+14.7	16.7	25.3	55.2	..	39.9
-	21,78,100	-7.2	37.6	45.6	76.5	..	15.4
+	78,048	+32.4	3.9	5.9	71.3	..	27.8
+	36,342	+17.5	6.1	6.9	36.5	..	59.5
+	43,765	+11.0	3.5	7.0	61.9	..	36.6
+	2,34,225	+12.3	5.9	18.2	93.4	..	6.6
+	5,50,25,523	+15.1	15.1	20.6	51.6	0.3	35.9

सारणी LXX—विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों और कालेजों पर
किया गया प्रत्यक्ष खर्च (जारी)

राज्य	(1958-59) में खर्च की वह प्रतिशत जो इन मदों से पुरी की गई		हर विद्यार्थी पर औसत वार्षिक खर्च (1958-59) में		
	धर्मस्व	अन्य आय स्रोत	कला और विज्ञान कालेजों में	वृत्तिक शिक्षा के कालेजों में	विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में
1	19	20	21	22	23
आन्ध्र प्रदेश	7.0	13.6	299.3	793.2	528.9
आसाम	1.5	2.9	173.3	6,166.7	605.8
बिहार	0.6	10.6	181.3	655.0	496.5
बम्बई	0.6	12.7	317.7	548.1	712.8
जम्मू और कश्मीर	4.5	5.4	226.2	807.9	111.4
केरल	..	4.8	241.0	587.7	243.5
मध्य प्रदेश	1.7	6.1	282.0	1,025.5	215.5
मद्रास	15.8	0.9	339.8	923.2	248.7
मैसूर	1.4	4.0	357.5	391.1	155.9
उड़ीसा	3.2	1.8	361.5	867.5	291.5
पंजाब	9.3	2.1	258.2	908.2	192.4
राजस्थान	8.0	1.9	239.0	824.1	238.2
उत्तर प्रदेश	1.3	18.5	433.3	1,005.8	318.2
पश्चिमी बंगाल	0.8	4.1	194.3	1,285.5	265.1
दिल्ली	1.0	7.1	902.2	2,438.1	982.2
हिमाचल प्रदेश	..	0.9	423.2	1,178.0	..
मणिपुर	3.4	0.6	126.8	..	117.3
त्रिपुरा	0.1	1.4	224.1	864.3	691.4
पांडिचेरी	65.1	1,982.3	..
भारत	3.4	8.8	282.3	800.2	317.8

प्रतिशत के हिसाब से खर्च में सबसे अधिक वृद्धि मध्यप्रदेश (40.9 प्रतिशत) में हुई। इसके बाद क्रमशः केरल (21.5 प्रतिशत) था। सबसे कम वृद्धि उड़ीसा (9.4 प्रतिशत) में हुई। संघ राज्यक्षेत्रों में वृद्धि की मात्रा 11.0 प्रतिशत (त्रिपुरा) से लेकर 32.4 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) तक थी।

आलोच्य वर्ष के कुल प्रत्यक्ष खर्च में से विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च की गई रकम की प्रतिशत के आंकड़े सारणी LXX के खाना (15) में दिये गये हैं। राज्यों में यह रकम 10.5 प्रतिशत (केरल) से लेकर 27.6 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश) प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) तक और संघ राज्यक्षेत्रों में 5.6 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) से लेकर 45.6 प्रतिशत (दिल्ली) के बीच रही।

उच्च शिक्षा संस्थाओं पर खर्च की गयी रकम को प्रतिशत और उसके आयस्रोत का विवरण सारणी LXX के खाना (18) से लेकर (22) तक में दिया गया है। इसमें सरकारी निधिका अंश सबसे अधिक उड़ीसा में (72.2 प्रतिशत) और उसके बाद राजस्थान में (70.8 प्रतिशत) था। सरकारी निधि में से सबसे कम रुपया (31.4 प्रतिशत) केरल में दिया गया। स्थानीय मण्डलों द्वारा दी गयी रकम हर जगह नगण्य ही रही। केरल में 63.8 प्रतिशत खर्च की पूर्ति फ्रीस के द्वारा की गयी जब कि राजस्थान में फ्रीस से 19.3 प्रतिशत खर्च की ही व्यवस्था की गयी। धर्मस्वों और अन्य आयस्रोतों से प्राप्त की गई रकम में मद्रास और उत्तरप्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मद्रास में 15.8 प्रतिशत खर्च और उत्तर प्रदेश में 18.5 प्रतिशत खर्च की व्यवस्था क्रमशः, धर्मस्व और अन्य स्रोतों से की गयीं। संघीय और अन्य राज्यक्षेत्रों में पाण्डीचेरी में 93.4 प्रतिशत दिल्ली में 76.5 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 71.3 प्रतिशत खर्च सरकार ने किया। मनिपुर में 59.5 प्रतिशत खर्च की व्यवस्था फ्रीस द्वारा की गयी।

विभिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रत्येक विद्यार्थी पर किए गए वार्षिक खर्च का औसत सारणी के LXX खाना 23 से लेकर 25 तक से ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी पर जो औसत खर्च हुआ, वह इस प्रकार था: कला और विज्ञान के कालेजों में 282.3 रुपये, वृत्तिक कालेजों में 800.2 रुपये, और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में 317.8 रुपये। स्पष्ट होगा कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के आंकड़ों में हमेशा की भांति परस्पर काफ़ी भिन्नता है।

परीक्षाफल

सन् 1957-58 और 1958-59 में ली गयी इन्टरमीडिएट, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का परिणाम नीचे की सारणी में दिया गया है:—

परीक्षाफल

परीक्षाएं	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या		उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या		उत्तीर्ण प्रतिशत	
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59
1	2	3	4	5	6	7
*आई० ए०	2,05,042	2,05,451	84,850	80,894	41.4	39.4
आई० एस-सी०	96,484	90,847	41,322	39,337	42.8	43.3
बी. ए० (पास/आनर्स)	1,10,640	1,20,770	54,201	54,774	49.0	45.3

*आंध्र प्रदेश और मद्रास में आई० एस-सी० भी शामिल है।

1	2	3	4	5	6	7
बी.एस-सी० (पास/ आनर्स)	40,285	40,531	18,978	20,888	47.1	51.5
एम. ए०	14,162	17,476	11,502	14,076	81.2	80.5
एम. एस-सी०	3,761	4,430	2,982	3,558	79.3	80.2
वृत्तिक विषय†	74,237	79,856	43,994	47,956	60.6	61.7

आई० ए० और आई० एस-सी०, बी० एस-सी०, एम० ए० और एम० एस-सी० और वृत्तिक डिग्री पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का राज्यवार विभाजन सारणी LXXI में दिया गया है।

† डिग्री और समकक्ष परीक्षाएं।

सारणी LXXI—विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की राज्यवार संख्या (जारी)

राज्य	एम० ए. और एम. एस-सी०			अनुसंधान (इस में वृत्तिक विषय भी शामिल है)			वृत्तिक (केवल डिग्री और उसके समक्षक डिप्लोमा)		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश	322	99	421	12	2	14	3,027	267	3,294
आसाम	145	17	162	1	..	1	341	27	368
बिहार	1,578	98	1,676	13	..	13	2,810	107	2,917
बम्बई	1,557	438	1,995	81	18	99	6,961	865	7,826
जम्मू और कश्मीर	23	6	29	164	77	241
केरल	199	71	270	4	..	4	1,931	482	2,413
मध्यप्रदेश	791	131	922	10	..	10	2,357	193	2,550
महाराष्ट्र	426	121	547	15	1	16	3,394	493	3,887

संसूच	278	47	325	3	..	3	1,644	152	1,796
उड़ीसा	89	14	103	2	..	2	361	38	399
पंजाब	1,299	359	1,658	10	..	10	3,023	1,127	4,150
राजस्थान	752	149	901	16	1	17	1,815	79	1,894
उत्तर प्रदेश	5,256	1,382	6,638	156	17	173	8,487	907	9,394
पश्चिमी बंगाल	952	477	1,429	64	7	71	6,426	533	6,959
दिल्ली	380	178	558	35	6	41	961	168	1,129
हिमाचल प्रदेश
मनिपुर	9	..	9
त्रिपुरा	23	..	24
पांडिचेरी
भारत	14,047	3,587	17,634	422	52	474	43,734	5,516	49,250

सातवां अध्याय

अध्यापकों का प्रशिक्षण

किसी भी देश में शिक्षा के पुनर्गठन और विकास के लिए अध्यापकों के पर्याप्त प्रशिक्षण से बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा चालू किये जाने के परिणामस्वरूप स्कूल की पाठ्यचर्या का विस्तार होने और हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक और बहुदृशी स्कूलों में बदलने तथा स्कूलों में सामुदायिक कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों का आयोजन होने के कारण अध्यापकों के प्रशिक्षण का महत्त्व और भी बढ़ गया है। इस नई स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने और प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न कर रही हैं।

अलोक्य वर्ष में अध्यापकों के प्रशिक्षण के विकास की गति बनी रही। नई प्रशिक्षण संस्थायें खोलने और पुराने ढंग की प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी शिक्षा की प्रशिक्षण संस्थाओं में बदलने के अलावा बुनियादी शिक्षा के अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रम भी आयोजित किये गये। राज्य सरकारों और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों संगोष्ठियों द्वारा सम्मेलनों और अध्ययन मडलों का आयोजन किया। इनमें अध्यापक एक दूसरे से मिले और उन्होंने सामान्य समस्याओं पर चर्चा की तथा एक दूसरे के विचारों और अनुभवों की जानकारी प्राप्त की।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने एक और विस्तार सेवा विभाग खोला और इस प्रकार इन विभागों की संख्या इस वर्ष 53 हो गई। इन विभागों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलती रही। इसके अलावा परिषद् ने प्रधानाध्यापकों और शिक्षा-अधिकारियों के लिए 8 संगोष्ठियों अनुवर्ती कार्य सम्बन्धी 3 वर्कशापो, विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों की 16 संगोष्ठियों और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 4 संगोष्ठी सह प्रशिक्षण क्रमों का आयोजन किया।

केन्द्रीय शिक्षा मण्डल ने 15 और 16 जनवरी 1959 को मद्रास में अपनी 26वीं बैठक में विभिन्न क्षत्रों में अध्यापकों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में अपनी पिछले वर्ष की सिफारिशों पर फिर जोर दिया और विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे अध्यापकों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं दें। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने नय ढंग के माध्यमिक स्कूलों के लिए अध्यापकों की व्यवस्था के बारे में जो उपाय सुझाए थे, मण्डल ने सामान्यतः उन्हें स्वीकार कर लिया। परिषद् ने जो उपाय सुझाए थे, उनमें ये सम्मिलित थे—विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण डिप्लोमा को मान्यता देनी चाहिए; प्रौद्योगिकी, कृषि, वाणिज्य जैसे व्यावहारिक विषयों में खास तौर पर अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रमों का आयोजन करना चाहिए, भाषाओं, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव-विज्ञान और गृह-विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने की सुविधाएं विशेषरूप से अध्यापकों को दी जानी चाहिए; अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों में शिक्षा की फीस नहीं ली जानी चाहिए और प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों, विशेषतः अध्यापिकाओं को उदारतापूर्वक वजीफें दिये जाने चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालयों से परामर्श करके इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई की।

17 अक्टूबर 1958 को हैदराबाद में केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान के मुख्य कार्य अंग्रेजी के अध्यापन के स्तर को सुधारना, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था करना, अंग्रेजी के अध्यापन के बारे में अनुसंधान का प्रबंध करना, अंग्रेजी में उच्च पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा उन्हें चलाने के लिए सुविधाएं देना तथा सम्मेलन, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना है।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली ने अपने उपयोगी क्रियाकलाप जारी रखें और उनमें विस्तार करता रहा। इनमें अप्रशिक्षित कला-शिक्षकों के लिए कला की शिक्षण-प्रणाली के अल्पकालीन और प्रकृष्ट पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, सबद्ध बुनियादी स्कूलों को पूरी तरह से उच्च बुनियादी स्कूलों में बदलना, मनोरंजनार्थ अध्ययन, प्रायोजना की दूसरी अवस्था का काम शुरू करना, विस्तार सेवा विभाग के क्रियाकलापों को जारी रखना और वर्कशापों आदि का आयोजन करना शामिल था।

मुख्य क्रियाकलाप

अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हुए हैं, उनका संक्षिप्त व्योरा नीचे दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश

पिछले वर्ष आन्ध्र प्रदेश में एक वर्ष का जो माध्यमिक स्तर का प्रशिक्षण-क्रम चालू किया गया था, वह आलोच्य वर्ष में 16 सरकारी प्रशिक्षण स्कूलों में चलता रहा और अधिक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षणक्रम में दाखिले के लिए निर्धारित अंकों में उनको 5 प्रतिशत की रियायत दी गई। प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों को 18 रुपये प्रतिमास की बढ़ी हुई दर से वजीफा दिया जाता रहा। तेलगना क्षेत्र में अध्यापिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण-क्रम फिर से शुरू किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सरकारी अध्यापिकाओं को पूरा वेतन और भत्ते दिये गये जब कि गैर सरकारी-उम्मीदवारों को 20 रुपये का मासिक वजीफा दिया गया।

पुरुषों के सरकारी प्रशिक्षण कालेज, राजामुदरी में 1957-58 में जो एम० एड० का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था उसे इस वर्ष फिर से आरम्भ किया गया और चालू रखा गया। इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को मुप्त शिक्षा की सुविधा के अलावा 50 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियां भी दी गईं।

आसाम

एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कालेज खोलकर, राज्य के प्रीमियर कालेज में विज्ञान के अध्यापकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करके और वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थान बढ़ाकर प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि की गई। प्रतिनियुक्ति (डप्युटशन) द्वारा या वजीफ़ देकर स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा का 1 वर्ष का संक्षिप्त पाठ्यक्रम लेने और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने की सुविधाएं अध्यापकों को दी गईं।

बिहार

अवर प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई। जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों को नौकरी सात साल की हो चुकी थी उनके प्रशिक्षण की अवधि 5 मास से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई।

माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए डेढ़ महीने तक सभी मंडलों में अल्पकालीन प्रशिक्षण संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। विक्रम और छींद के उच्च प्रशिक्षण-स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का प्रकृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए 62 अध्यापकों को चुना गया। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण देने के लिए एक लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। राज्य सरकार ने "नयें सिरे से प्रशिक्षण देने" की योजना स्वीकृत की। इस पर लगभग 24 हजार रुपये खर्च होंगे।

बम्बई

राज्य के नये क्षेत्रों के अध्यापकों को एस० टी० सी० परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाने के फलस्वरूप राज्य में बहुत सी एस० टी० सी० प्रशिक्षण संस्थाएं खुल गईं, ताकि विभिन्न केन्द्रों की आवश्यकता पूरी की जा सके। नये क्षेत्रों की संस्थाओं में भी संशोधित पाठ्यविवरण शुरू किया गया। इस पाठ्यविवरण का उद्देश्य यह है कि छात्र-शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ वृत्तिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकें।

जम्मू और कश्मीर

अध्यापकों को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए आलोच्य वर्ष में श्रीनगर और जम्मू में प्रकृष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण स्कूलों में स्थान बढ़ा दिये गये।

केरल

राज्य के प्रशिक्षण स्कूलों का पुनर्गठन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिश के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (टी० टी० सी०) पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई और प्रशिक्षण का स्वरूप भी बुनियादी कर दिया गया।

अप्रैल 1958 में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान के तत्वावधान में त्रिचुर के सरकारी प्रशिक्षण कालेज में छः सप्ताह के लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया गया। इसमें बारह अध्यापकों ने भाग लिया।

मध्य प्रदेश

इस वर्ष उर्दू और मराठी के अध्यापकों के लिए बुरहानपुर में उर्दू और मराठी एक मिला-जुला नार्मल स्कूल खोला गया। दरबार कालेज, रीवा की बी० टी० कक्षा एक पूरे प्रशिक्षण कालेज में बदल दी गई।

सिवनी के बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र में पुराने ढंग का प्रशिक्षण पाये हुए प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को नये सिरे से बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण देने का काम चलता रहा। प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षकों को नये सिरे से प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य मंडल और ज़िला स्तरों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

मद्रास

अध्यापकों के तीन और अध्यापिकाओं के चार प्रशिक्षण स्कूलों को बुनियादी शिक्षा-पद्धति के अनुरूप कर दिया गया। राज्य सरकार ने कन्याकुमारी ज़िले के प्रारंभिक स्तर के अध्यापकों को माध्यमिक स्तर या उच्च बुनियादी प्रशिक्षण में व्यक्तिगत उम्मीदवारों के रूप में बैठने की इजाजत दे दी है। आलोच्य वर्ष में अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, सैदा पेठ, में शिल्प-शिक्षणक्रम चालू रहा।

मैसूर

शिमोगा के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान में बदलने के अलावा हस्सन में एक नया बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान भी खोला गया।

इस वर्ष रायचुर मंडल के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में 50 अतिरिक्त अध्यापकों को प्रशिक्षण देना जारी रहा। धारवाड़ डिवीजन में अल्पसंख्यकों की भाषाओं अर्थात् मराठी और उर्दू के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दो अतिरिक्त अनुभाग क्रमशः जामरखंडी और कारवार के सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में खोले गये। प्रत्येक अनुभाग में चालीस-चालीस शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इस वर्ष बुनियादी प्रशिक्षण कालेज, कुडिगे में 80 शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी रहा।

उड़ीसा

प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए इस वर्ष 10 प्रारंभिक प्रशिक्षण स्कूल और एक माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूल खोला गया। हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापको और प्रधानाध्यापिकाओं की एक संगोष्ठी का और सामाजिक अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान, संस्कृत तथा उड़िया के अध्यापन के लिए 5 पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

पंजाब

पंजाब, विश्वविद्यालय ने एक ही कालेज में बी० टी० और बी० एड० (बुनियादी) को साथ-साथ पढ़ाये जाने की व्यवस्था को खतम करने का निश्चय किया। उसने यह भी निश्चय किया कि कला के कालेजों के साथ बी० एड० (बुनियादी) या बी० टी० की कक्षाएँ जोड़ने की अनुमति न दी जाय। ये निर्णय इसलिए किये गये थे कि प्रशिक्षण कालेजों की भरमार न हो जाय।

अवर बुनियादी प्रशिक्षणक्रम की अवधि दो वर्ष बढ़ जाने के कारण इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए भीड़ कम हो गई और प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा हो गया। अवर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों की एक संगोष्ठी हुई। यह संगोष्ठी चार दिनों तक चली। अध्यापन के तरीकों को सुधारने के विषय में विचार विमर्श करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी की सिफारिशों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश

चुनी गई विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देने की जो योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी, वह चालू रही। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देने के अलावा बहुत से प्रशिक्षण स्कूलों में 3 मास के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये गये। इस वर्ष 14 बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये।

आलोच्य वर्ष में रानीखेत में गर्मी में तीन संगोष्ठियों और लखनऊ के सरकारी रचनात्मक प्रशिक्षण कालेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा विभिन्न विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए 10-10 दिन की दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इनमें से एक संगोष्ठी हिन्दी के अध्यापकों की थी जो मथुरा में हुई। दूसरी संगोष्ठी गोरखपुर में सामान्य विज्ञान के अध्यापकों के लिए हुई थी।

पश्चिमी बंगाल

प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये और पुराने केन्द्रों में स्थान बढ़ा दिये गये। इसके अलावा आलोच्य वर्ष में ऐसे अल्पकालीन या संक्षिप्त प्रशिक्षण-क्रम भी जारी रखे गये जो पिछले वर्ष शुरू किये गये थे।

विशेष विषयों में अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण की विशेष सुविधाएँ देने की नीति का पालन करते हुए कला और शिल्प की अध्यापिकाओं के लिए एक नई प्रशिक्षण संस्था खोली गई। स्कूल मदर्स के प्रशिक्षण की वर्तमान संस्थाएं भी चलती रहीं।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अवर बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल खोला गया।

दिल्ली

आलोच्य वर्ष में बेला रोड का लड़कों का अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थान, दरियागंज के लड़कियों के बुनियादी अध्यापिका प्रशिक्षण संस्थान के साथ मिला दिया गया। प्रशिक्षण क्रम की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई।

मनिपुर

आलोच्य वर्ष में 100 स्कूल मदरों (mothers) को और एक अध्यापक वाले स्कूलों के 30 शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

त्रिपुरा

एक नया बुनियादी प्रशिक्षण कालेज खोलने की आवश्यकता महसूस की गई और बुनियादी स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए उस प्रकार की सस्था खोलने की कार्यवाही की गई। आलोच्य वर्ष में शिल्प-अध्यापन के सक्षिप्त प्रशिक्षण-क्रम भी चलते रहे।

नेफ़ा

इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण सस्था का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन में स्थानीय भाषाओं और जनजातियों की कलाओं के प्रशिक्षण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया।

प्रशिक्षण स्कूल

संस्थाएँ

आलोच्य वर्ष में देश के प्रशिक्षण स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 974 (735 पुरुषों के लिए और 239 महिलाओं के लिए) हो गई; जब कि यह संख्या 1957-58 में 901 (657 पुरुषों के लिए और 244 महिलाओं के लिए) थी। इसके अलावा कुछ माध्यमिक स्कूलों और प्रशिक्षण कालेजों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक-प्रशिक्षण की सुविधाये थीं। प्रशिक्षण स्कूलों की कुल संख्या में से 591 (60.7 प्रतिशत) सरकार द्वारा 15 (1.5 प्रतिशत) स्थानीय मण्डलों द्वारा और 368 (37.8 प्रतिशत) गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाय जा रहे थे। 368 गर सरकारी स्कूलों में से 292 स्कूल सहायता-प्राप्त थे। 1957-58 में इन स्कूलों का विभाजन इस प्रकार था: सरकार द्वारा चालित 60.3 प्रतिशत स्थानीय, मण्डलों द्वारा चालित 1.7 प्रतिशत और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चालित 38.0 प्रतिशत।

सन् 1957-58 और 1958-59 में जितने प्रशिक्षण स्कूल थे उनका राज्यवार और तुलनात्मक विभाजन सारणी सं० LXXII में दिखाया गया है। इस वर्ष अनेक राज्यों में प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। जिन राज्यों में प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वे हैं:—आन्ध्र प्रदेश (20), उत्तर प्रदेश (17), बम्बई (12), उड़ीसा (11) केरल (10) और मध्य प्रदेश (6), मैसूर (1) और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (1)। जिन राज्यों में यह संख्या कम हुई है वे हैं:—पंजाब (2), बिहार (1), पश्चिमी बंगाल (1) और दिल्ली (1)। यह संख्या वास्तव में घटी नहीं है, केवल ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। पंजाब में लड़कियों के तीन बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों को हाई स्कूलों में मिला दिया गया और लड़कों के लिए एक नया स्कूल खोला गया। पश्चिमी बंगाल में एक प्रशिक्षण स्कूल को पूर्व स्नातक प्रशिक्षण कालेज बना दिया गया और दिल्ली में लड़कियों के एक प्रशिक्षण स्कूल को लड़कों के प्रशिक्षण स्कूल में मिला दिया गया। बिहार में 1958-59 में एक बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल कम हो गया। दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या उतनी ही बनी रही जितनी कि वह पिछले वर्ष थी। लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह, पाण्डीचेरी तथा नागा पहाड़ी तुएनसांग क्षेत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई स्थानीय सुविधाये नहीं थी। सारणी संख्या LXXII के खाना (9) से (12) में प्रबन्ध के अनुसार प्रशिक्षण स्कूलों का विभाजन दिखाया गया है। जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर तथा नेफ़ा में सारे प्रशिक्षण स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। आसाम, बम्बई और केरल को छोड़कर दूसरे राज्यों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। देश में स्थानीय मंडलों के प्रबन्ध में चलने वाले जो 15 स्कूल थे, उनमें से 12 आसाम में थे और बम्बई तथा केरल में गैर-सरकारी प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या बहुत अधिक थी।

छात्रों की भर्ती

सन् 1957-58 में प्रशिक्षण स्कूलों और अन्य सस्थाओं से सबद्ध प्रशिक्षण-कक्षाओं में जो अध्यापक प्रशिक्षण पा रहे थे उनकी संख्या 84,192 (60,422 अध्यापक और 23,770 अध्यापिकाएं) थी। 1958-59 में इस संख्या में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह संख्या बढ़कर 89,514 (64,708 अध्यापक और 24,806 अध्यापिकाएं) हो गई। 1957-58 में 48,427 अध्यापकों (36,917 अध्यापक और 11,510 अध्यापिकाएं) ने प्रशिक्षण पूरा किया था। इसके मुकाबले में 1958-59 में 49,319 अध्यापकों (37,229 अध्यापकों और 12,090 अध्यापिकाओं) ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

सारणी LXXII—अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या

राज्य	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए		जोड़		1958-59 में विभिन्न संस्थाओं द्वारा चालित स्कूल						
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	वृद्धि(+) या कमी (—)	सरकारी	स्थानीय मंडल	सहायता जो प्राप्त ता प्राप्त नहीं है	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	59	70	27	36	86	106	+20	71	..	34	1	34	1
आसाम	29	29	5	5	34	34	..	16	12	5	1	5	1
बिहार	73	70	15	17	88	87	—1	63	..	23	1	23	1
बम्बई	108	132	67	55	175	187	+12	56	1	94	36	94	36
जम्मू और काश्मीर	6	6	2	2	8	8	..	8
केरल	31	44	13	10	44	54	+10	22	..	31	1	31	1

मध्य प्रदेश	44	50	8	8	58	+6	55	..	2	1
मद्रास	79	79	58	58	137	..	70	..	65	2
मैसूर	19	20	4	4	24	+1	14	..	10	..
उड़ीसा	45	55	2	3	47	+11	56	..	2	..
पंजाब	13	14	11	8	24	-2	15	..	4	3
राजस्थान	26	26	2	2	28	..	27	1
उत्तर प्रदेश	74	88	17	20	91	+17	72	1	6	29
पश्चिमी बंगाल	45	45	11	10	56	-1	39	1	15	..
अण्डमान और निकोबार द्विपसमूह	..	1	1	+1	1
दिल्ली	1	1	2	1	3	-1	1	..	1	..
हिमाचल प्रदेश	2	2	2	..	2
मणिपुर	2	2	2	..	2
नेफा	1	1	1	..	1
भारत	657	735	244	239	901	+73	591	15	292	76

† सारणी LXXIII—अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों में

राज्य	पुरुष		महिलायें	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	5,565	6,528	1,301	2,212
आसाम	1,900	1,812	331	377
बिहार	5,915	5,978	996	1,069
बम्बई	11,614	12,613	5,857	6,167
जम्मू और काश्मीर	426	260	120	99
केरल	3,235	2,320	3,136	1,882
मध्य प्रदेश	4,940	5,616	576	731
मद्रास	10,317	10,692	6,962	7,232
मैसूर	2,667	2,821	691	670
उड़ीसा	2,298	2,884	82	100
पंजाब	2,334	2,453	1,979	2,202
राजस्थान	2,447	2,308	164	147
उत्तर प्रदेश	4,931	6,499	813	1,060
पश्चिमी बंगाल	1,456	1,482	445	523
अण्डमान और दीपसमूह	..	15	..	5
दिल्ली	122	108	237	259
हिमाचल प्रदेश	150	150	48	46
मनिपुर	94	85	8	5
त्रिपुरा	43	59	20	17
नेफा	68	25	4	3
भारत	60,422	64,708	23,770	24,806

† इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वाले

* इसमें प्राइवेट विद्यार्थियों

विद्यार्थियों की संख्या†

जोड़			उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या*		
1957—58	1958—59	वृद्धि (+) या कमी (-)	पुरुष	महिलाएं	जोड़
6	7	8	9	10	11
6,866	8,740	+1,874	4,077	836	4,913
2,231	2,189	-42	1,078	218	1,296
6,911	7,047	+136	3,123	506	3,629
17,371	18,780	+1,409	5,942	2,638	8,580
546	359	-187	249	91	340
5,371	4,202	-2,169	488	396	844
5,516	6,347	+831	5,174	608	5,782
17,279	17,924	+645	5,322	3,332	8,654
3,358	3,491	+133	1,444	338	1,782
2,380	2,984	+604	1,127	33	1,160
4,313	4,655	+342	2,623	1,692	4,315
2,611	2,455	-156	2,299	148	2,447
5,744	7,559	+1,815	2,545	458	3,003
1,901	2,005	+104	1,444	589	2,033
..	20	+20	13	4	17
359	367	-8	..	137	137
198	196	-2	134	43	177
102	90	-12	81	5	86
62	76	+13	54	15	69
72	28	-44	12	3	15
84,192	89,514	+5,322	37,229	12,090	49,319

विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है।
की संख्या भी शामिल है।

सारणी सं० LXXIII में विभिन्न राज्यों में उन अध्यापकों की संख्या दी गई है जो 1957-58 और 1958-59 में प्रशिक्षण पा रहे थे। जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नेफा को छोड़कर दूसरे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापक प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि आन्ध्र प्रदेश में (1,874) हुई। इसके बाद क्रमशः उत्तरप्रदेश (1,815), बम्बई (1,409), मध्य प्रदेश (706), मद्रास (645) और उड़ीसा (604) में वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों में यह वृद्धि 342 (पंजाब) से 13 (त्रिपुरा) तक हुई है। केरल में 34 प्रतिशत की कमी होने का यह कारण था कि प्रशिक्षण-क्रम की अवधि बढ़कर दो वर्ष कर दी गई और अध्यापकों की प्रशिक्षण कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 40 कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर में इस संख्या में कमी होने का यह कारण था कि मिडिल पास लोगो को प्रवेश नहीं दिया गया और राजस्थान तथा नेफा में कमी होने का कारण यह था कि सरकार ने कम शिक्षको को प्रशिक्षण के लिए भेजा।

खर्च

सन् 1957-58 में प्रशिक्षण स्कूलों का प्रत्यक्ष खर्च 2,26,59,925 रुपये था। 1958-59 में इसमें 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह खर्च 2,54,28,767 रुपये हो गया। इसमें से 2,05,38,295 रुपये पुरुषों की संस्थाओं पर और 48,90,472 रुपये महिलाओं की संस्थाओं पर खर्च किये गये। सरकारी स्कूलों पर 77.8 प्रतिशत, गैर-सरकारी स्कूलों पर 20.1 प्रतिशत और स्थानीय मण्डलों के स्कूलों पर 2.1 प्रतिशत खर्च किया गया। 1957-58 में खर्च का यह प्रतिशत क्रमशः 76.6, 21.2 और 2.2 था।

विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार खर्च की कुल रकम का विभाजन नीचे की सारणी में दिया गया है:—

विभिन्न आयस्रोतों द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण-स्कूलों पर किया गया खर्च

आयस्रोत	1957-58		1958-59	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकारी निधियां	1,96,06,581	86.5	2,23,56,360	87.9
स्थानीय मण्डलों की निधियां	75,712	0.3	72,694	0.3
फीस	11,15,770	4.9	11,22,722	4.4
धर्मस्व	8,81,432	3.9	8,41,551	3.3
अन्य आयस्रोत	9,80,430	4.4	10,35,440	4.1
जोड़	2,26,59,925	100.0	2,54,28,767	100.0

सारणी से ज्ञात होगा कि खर्च का $\frac{7}{8}$ भाग सरकारी निधियों से और शेष फ्रीस तथा अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया था और उनका अनुपात 3:5 था ।

सारणी संख्या LXXIV में अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च दिया गया है । जम्मू और कश्मीर, केरल, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में खर्च बढ़ गया । केरल में, खर्च में 24.9 प्रतिशत की जो कमी हुई वह छात्रों की संख्या में 34 प्रतिशत कमी हो जाने के कारण थी । अन्य तीन राज्यों में खर्च में अधिक कमी नहीं हुई । जो कुछ कमी हुई उसका कारण संस्थाओं अथवा प्रशिक्षार्थियों की संख्या का कम हो जाना था ।

इस सारणी के खाना (11) से (15) तक में जो आकड़े दिये गये हैं उनमें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न आयस्रोतों द्वारा किया गया खर्च बताया गया है । सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, नेफ्रा के प्रशिक्षण स्कूलों का पूरा खर्च, और असाम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान का लगभग शत-प्रतिशत खर्च वहन किया । सरकार द्वारा दी गयी अंशदान की रकम कहीं भी 70 प्रतिशत से कम नहीं रही ।

प्रशिक्षण स्कूलों में प्रत्येक छात्र पर सालाना खर्च की जाने वाली औसत रकम 293.0 रुपये से घटकर 282.6 रुपये (पुरुषों के स्कूलों में 317.4 रुपये और महिलाओं के स्कूलों में 193.5 रुपये) हो गई । इस खर्च की व्यवस्था विभिन्न आयस्रोतों से इस प्रकार की गयी:— सरकारी निधियों से 248.4 रुपये, स्थानीय मण्डलों की निधियों से 0 8 र०, फ्रीस 12.4 रुपये, धर्मस्व से 9 4 रुपये और अन्य स्रोतों से 11.6 रुपये ।

फ्रीस और वृत्तिकाएं

सरकारी और स्थानीय मण्डलों के स्कूलों तथा कुछ गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रायः निशुल्क ही थी । सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षार्थी— अध्यापकों की सामान्यतया तो वृत्तिकाएं दी गयी या फिर उन्हें उनका सामान्य वेतन मिलता रहा । गैर-सरकारी प्रशिक्षण स्कूलों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की फ्रीस की अदायगी सरकार ही करती रही ।

प्रशिक्षण कालेज

आलोच्य वर्ष में अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों की संख्या 203 (पुरुषों के 142 कालेज और महिलाओं के 61 कालेज) से बढ़कर 234 (पुरुषों के 194 और महिलाओं के 40) हो गई । इनमें 109 पूर्व स्नातक कालेज भी शामिल हैं जिनमें मिडिल स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता था । इसके अलावा विश्वविद्यालयों के 9 अध्यापन शिक्षा विभागों और 36 कला और विज्ञान कालेजों से सबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधायें दी जाती रहीं । पुरुषों के अधिकांश कालेजों में महिलाएं भी दाखिल हो सकती थी । सन् 1958-59 में इन कालेजों की संख्या 234 थी । इनमें से 98 कालेजों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में, 94 का सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में और 42 कालेजों का प्रबन्ध गैर-सरकारी बिना सहायता-प्राप्त संस्थाओं के हाथ में था ।

सारणी LXXIV—अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों

राज्य	पुरुषों के स्कूलों पर		महिलाओं के
	1957—58	1958—59	1957—58
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	17,71,896	21,24,790	2,32,919
आसाम	9,12,141	10,36,265	63,035
बिहार	18,37,734	20,11,976	2,17,223
बम्बई	28,53,334	32,50,416	15,99,565
जम्मू और कश्मीर	3,58,983	3,80,453	63,290
केरल	6,03,889	4,28,429	1,02,456
मध्यप्रदेश	19,03,624	25,81,819	2,72,871
मद्रास	15,10,348	16,83,698	9,72,365
मैसूर	10,52,908	11,89,788	1,31,784
उड़ीसा	2,72,968	3,61,048	26,898
पंजाब	3,56,910	3,67,656	2,96,408
राजस्थान	15,50,981	16,82,614	99,500
उत्तर प्रदेश	21,34,875	26,62,589	5,50,291
पश्चिमी बंगाल	4,54,589	4,58,720	1,75,761
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	..	9,019	..
दिल्ली	27,472	1,10,686	89,713
हिमाचल प्रदेश	62,403	71,161	..
लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह
मनिपुर	17,698	23,747	..
त्रिपुरा
नेफा	83,093	1,03,421	..
भारत	1,77,65,846	2,05,38,295	48,94,079

पर किया गया राज्यवार खर्च

के स्कूलों पर	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (-)
1958—59	1957—58	1958—59	राशि
5	6	7	8
3,10,591	20,04,815	24,35,381	+ 4,30,566
62,020	9,75,176	10,98,285	+ 1,23,109
3,06,454	20,54,957	23,18,430	+ 2,63,473
14,47,041	44,52,899	46,97,457	+ 2,44,558
32,078	4,22,273	4,12,531	— 9,742
1,02,015	7,06,345	5,30,444	— 1,75,901
3,41,203	21,76,495	29,23,022	+ 7,46,527
9,81,486	24,82,713	26,65,184	+ 1,82,471
1,34,676	11,84,692	13,24,464	+ 1,39,772
23,202	2,99,866	3,84,250	+ 84,384
2,71,796	6,53,318	6,39,452	— 13,866
83,258	16,50,481	17,65,872	+ 1,15,391
6,25,908	26,85,166	32,88,497	+ 6,03,331
1,44,435	6,30,350	6,03,155	— 27,195
..	..	9,019	+ 9,019
24,309	1,17,185	1,34,995	+ 17,810
..	62,403	71,161	+ 8,758
..
..	17,698	23,747	+ 6,049
..
..	83,093	1,03,421	+ 20,328
48,90,472	2,26,59,925	2,54,28,767	+27,68,842

सारणी LXXIV—अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूलों पर

				निम्नलिखित
राज्य	प्रतिशत	प्रत्येक छात्र पर सालाना औसत खर्च	सरकारी निधि	
1	9	10	11	
आन्ध्र प्रदेश	+ 21.5	278.6	92.8	
आसाम	+ 12.6	343.2	98.2	
बिहार	+ 12.8	328.9	96.1	
बम्बई	+ 5.5	250.1	72.7	
जम्मू और कश्मीर	— 2.3	1149.1	97.7	
केरल	— 24.9	1126.2	85.7	
मध्यप्रदेश	+ 34.3	470.5	98.7	
मद्रास	+ 7.4	148.7	71.3	
मैसूर	+ 11.8	379.4	92.9	
उड़ीसा	+ 28.1	128.8	98.0	
पंजाब	— 2.1	137.4	86.1	
राजस्थान	+ 7.0	719.3	97.4	
उत्तर प्रदेश	+ 22.5	435.0	92.0	
पश्चिमी बंगाल	— 4.3	300.8	85.6	
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	+100.0	451.0	100.0	
दिल्ली	+ 15.2	378.1	82.0	
हिमाचल प्रदेश	+ 14.0	363.1	100.0	
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	
मणिपुर	+ 34.2	263.9	100.0	
त्रिपुरा	
.	+ 24.5	3,693.6	100.0	
भारत	+ 12.2	282.6	87.9	

किया गया राज्यवार खर्च (जारी)

आयस्रोतों से पूरी की गई खर्च की रकम का प्रतिशत (1958-59)			
स्थानीय मंडलों की निधि	फीस	धर्मस्व	अन्य आयस्रोत
12	13	14	15
..	0.9	5.6	0.7
..	0.2	0.5	1.1
..	0.2	..	3.7
0.5	13.5	1.1	12.2
..	2.3
..	9.7	..	4.6
..	0.4	..	0.9
..	1.5	22.5	4.7
..	4.9	0.5	1.7
..	2.0
..	10.0	0.4	3.5
..	0.7	0.6	1.3
0.4	5.4	0.2	2.0
6.2	2.2	3.4	2.6
..
..	18.0
..
..
..
..
..
0.3	4.4	3.3	4.1

सारणी LXXV—अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों की संख्या*

राज्य	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए		जोड़		(1958—59) में निम्न लिखित संस्थाओं द्वारा चलाए गये कालेजों की संख्या		गैर सरकारी संस्थाएँ		सरकारी सहायता जो सहायता प्राप्त नहीं है		
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	वृद्धि(+)	या	कमी(-)	9	10	11	प्राप्त नहीं है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
आन्ध्र प्रदेश	.	.	.	1	1	7	7	5	2
आसाम	2	2	2
बिहार	.	.	.	1	1	5	5	3	2
बम्बई	.	.	.	24	1	51	68	11	26	31	31	31	31
जम्मू और कश्मीर	2	2	2
केरल	.	.	.	2	2	12	13	4	9
मध्यप्रदेश	.	.	.	1	1	8	9	8	1
मद्रास	.	.	.	4	4	16	16	7	9

मंसूर	.	.	.	22	26	11	11	33	37	+ 4	17	10	10
उड़ीसा	.	.	.	10	11	10	11	+ 1	11
पंजाब	.	.	.	13	13	4	4	17	17	..	5	12	..
राजस्थान	.	.	.	4	4	4	4	..	2	2	..
उत्तर प्रदेश	.	.	.	11	11	9	10	20	21	+ 1	11	9	1
पश्चिमी बंगाल	.	.	.	7	12	4	5	11	17	+ 6	5	12	..
अरुन्धमान और निकोबार द्वीपसमूह
दिल्ली	.	.	.	1	1	1	1	..	1
हिमाचल प्रदेश	.	.	.	1	1	1	1	..	1
लक्कादीव, मिनिक्काय और अमीन्दिवी द्वीपसमूह
मनिपूर
त्रिपुरा	.	.	.	2	2	2	2	..	2
नेफा
पाण्डिचेरी	.	.	.	1	1	1	1	..	1
भारत													
	.	.	.	142	194	61	40	203	234	+ 31	98	94	42

*इसमें विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभाग और कला और विज्ञान के कालेजों से सम्बद्ध कक्षाएं शामिल नहीं हैं।

सन् 1957-58 और 1958-59 में प्रशिक्षण कालेजों की संख्या का राज्यवार विभाजन सारणी LXXV में दिया गया है। इन कालेजों की संख्या में 31 की जो वृद्धि हुई, उनमें से केवल बम्बई में ही 17 कालेज अधिक खुले थे। इसका मुख्य कारण प्रशिक्षण स्कूलों को नये सिरे से पूर्व स्नातक कालेजों के रूप में वर्गीकृत करना था। पश्चिमी बंगाल में 6 और कालेज खोले गये। इसके बाद क्रमशः मैसूर (4), केरल, मध्यप्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में (1) आते हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, मनिपुर और नेफ्रा के सब राज्य क्षेत्रों में उनका अपना कोई प्रशिक्षण कालेज नहीं था। शेष राज्यों और राज्य क्षेत्रों में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या पिछले वर्ष की संख्या के ही समान बनी रही।

छात्र

सन् 1957-58 में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षा अध्यापन विभागों और कला तथा विज्ञान कालेजों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं में अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 22,051 (14,644 पुरुष और 7,407 महिलाएँ) थी। सन् 1958-59 में यह संख्या बढ़कर 24,422 (16,200 पुरुष और 8,222 महिलाएँ) हो गई—अर्थात् कुल संख्या में 10.8 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई। (पुरुषों की संख्या में 10.6 प्रतिशत और महिलाओं की संख्या में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष 14,363 छात्र (10,148 पुरुष और महिलायें 4,215) डिग्री और उसके समकक्ष डिप्लोमा परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे, जब कि आलोच्य वर्ष में यह संख्या 15,208 (10,845 पुरुष और 4,363 महिलायें) थी। अध्यापन समाप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी 5,293 (3,491 पुरुष और 1,802 महिलायें) से बढ़कर आलोच्य वर्ष में 7,906 (5,486 पुरुष और 2,420 महिलायें) हो गई।

सन् 1957-58 और 1958-59 में अध्यापकों का प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों की संख्या का राज्यवार विभाजन सारणी LXXVI में दिया गया है। आलोच्य वर्ष में छात्रों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश में (844) हुई। इसके बाद क्रमशः बम्बई (655), मैसूर (535), पश्चिमी बंगाल (355) और मध्य प्रदेश (215) आते हैं। अन्य राज्यों में प्रत्येक राज्य में 100 से कम ही छात्र बढ़े। सबसे कम छात्र (14) पांडीचेरी में बढ़े। आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में छात्रों की संख्या कम हो गई। पंजाब में छात्रों की संख्या कम होने का कारण यह था कि वहाँ के कला और विज्ञान कालेजों से संबद्ध बी०टी० / बी०एड० की सभी कक्षाएँ वन्द कर दी गयीं। शेष राज्यों में छात्रों की संख्या में जो कमी हुई वह प्रायः नगण्य ही थी।

खर्च

आलोच्य वर्ष में प्रशिक्षण कालेजों का (कला और विज्ञान कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा अध्यापन विभागों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं को छोड़कर) कुल प्रत्यक्ष खर्च 1,03,39,025 रुपये से बढ़कर 1,19,11,870 रुपये हो गया। इस प्रकार खर्च में 15.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। खर्च की कुल रकम में से पुरुषों की संस्थाओं पर 1,01,19,426 रुपये और महिलाओं की संस्थाओं पर 17,92,444 रुपये खर्च किये गये। खर्च की कुल रकम की 70.5 प्रतिशत रकम सरकारी प्रशिक्षण कालेजों पर 27.7 सहायता प्राप्त और-सरकारी प्रशिक्षण कालेजों पर और

शेष 1.8 प्रतिशत रकम गैर-सरकारी और बिना सहायता प्राप्त प्रशिक्षण कालेजों पर खर्च की गई। सन् 1957-58 और 1958-59 में किये गये कुल खर्च का विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार विभाजन नीचे सारणी में दिया गया है:—

सारणी LXXVII—आयस्रोतों के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों पर क्रिया गया प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1957-58		1958-59	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	₹०		₹०	
सरकारी निधियां	76,11,486	73.6	90,37,257	75.9
फ्रीस	17,02,139	16.5	17,64,875	14.8
धर्मस्व	5,17,060	5.0	4,63,296	3.9
अन्य आयस्रोत	5,08,340	4.9	6,46,442	5.4
जोड़	1,03,39,025	100.0	1,19,11,870	100.0

सन् 1958-59 में खर्च का तीन चौथाई से भी अधिक भाग सरकारी निधियों से पूरा किया गया, लगभग 1.7 भाग फ्रीस से पूरा किया गया और शेष भाग अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया।

प्रशिक्षण कालेजों पर होने वाले खर्च का राज्यवार ब्योरा सारणी LXXVIII में दिया गया है। बिहार और उड़ीसा को छोड़कर शेष राज्यों में प्रशिक्षण कालेजों के खर्च में वृद्धि हुई है। बिहार और उड़ीसा के खर्च की रकम क्रमशः 5,424 रुपयों और 26,723 कम हो गई। खर्च में सबसे ज्यादा वृद्धि मध्यप्रदेश में (4,63,999 रुपये) हुई। इसके बाद पश्चिमी बंगाल (2,76,093 रुपये) मंसूर (1,87,461 रुपये) और बम्बई (1,55,314 रुपये) आते हैं। अन्य राज्यों और राज्यक्षेत्रों में खर्च में 4,355 रुपये (पांडिचेरी) से लेकर 82,632 रुपये (आसाम) तक वृद्धि हुई।

आसाम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पांडुचेरी में सरकार ने प्रशिक्षण कालेजों का शत-प्रतिशत खर्च पूरा किया। बिहार, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में सरकार ने 95 से 100 प्रतिशत तक, और मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में 90 से 95 प्रतिशत तक खर्च पूरा किया। केवल तीन राज्यों—अर्थात् बम्बई, केरल और पंजाब में सरकार ने खर्च की 50 प्रतिशत से कम की व्यवस्था की।

अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में प्रत्येक छात्र पर किया जाने वाला सालाना औसत खर्च 541.4 रुपये से बढ़कर 555.9 रुपये (पुरुषों के कालेजों में 555.8 रुपये और महिलाओं के कालेजों में 556.5 रुपये) हो गया। विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार खर्च का विभाजन इस प्रकार था : सरकार 421.9 रुपये, फ्रीस 82.3 रुपये, धर्मस्व 21.7 रुपये और अन्य आयस्रोत 30.0 रुपये। विभिन्न राज्यों में ये आंकड़े भिन्न-भिन्न थे।

सारणी LXXVI—अध्यापको के प्रशिक्षण कालेजों

राज्य	पुरुष		महिलाये		जोड़
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश . . .	767	707	156	207	923
आसाम . . .	98	132	19	18	117
बिहार . . .	544	562	87	90	631
बम्बई . . .	1,996	2,329	1,565	1,887	3,561
जम्मू और कश्मीर . . .	154	143	87	79	241
केरल . . .	880	1,004	492	465	1,372
मध्य प्रदेश . . .	903	1,107	275	286	1,178
मद्रास . . .	851	816	324	355	1,175
मैसूर . . .	2,016	2,485	939	1,005	2,955
उड़ीसा . . .	722	671	32	39	754
पंजाब . . .	2,382	1,960	1,581	1,674	3,963
राजस्थान . . .	387	363	67	74	454
उत्तर प्रदेश . . .	1,903	2,589	987	1,145	2,890
पश्चिमी बंगाल . . .	831	1,126	640	700	1,471
दिल्ली . . .	103	121	139	159	242
हिमाचल प्रदेश . . .	47	34	1	12	48
त्रिपुरा . . .	29	10	1	8	30
पांडीचेरी . . .	31	41	15	19	46
भारत	14,644	16,200	7,407	8,222	22,051

† इसमें विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों, कला और विज्ञान के परन्तु इसमें अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की (स्कूल स्तर की)

* उपलब्ध नहीं है ।

** इसमें प्राइवेट छात्र भी शामिल हैं ।

में छात्रों की संख्या†

1958-59 वृद्धि (+) या कमी (—)		उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों की संख्या**						
		डिग्री या उसके समकक्ष डिप्लोमा			प्रमाणपत्र			
7	8	9	10	11	12	13	14	
914	—	9	607	183	790	10	60	70
150	+	33	55	17	72	11	2	13
652	+	21	834	88	922
4,216	+	655	1,007	482	1,489	2,015	973	2,988
222	—	19	147	77	224
1,469	+	97	920	415	1,335
1,393	+	215	801	148	949	146	66	212
1,171	—	4	759	342	1,101	28	4	32
3,490	+	535	324	128	452	2,770	824	3,594
710	—	44	133	20	153	257	6	263
3,634	—	329	2,006	1,065	3,161	107	270	377
437	—	17	365	71	436
3,734	+	844	1,840	811	2,651	102	132	234
1,826	+	355	827	416	1,243	..	16	16
280	+	38	127	99	226	..	45	45
46	—	2	*	*	*	*	*	*
18	—	12	3	1	4	7	7	14
60	+	14	33	15	48
24,422	+	2,371	10,845	4,363	15,208	5,486	2,420	7,906

कालेजों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं के विद्यार्थी भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण कक्षाओं के विद्यार्थी शामिल नहीं हैं।

सारणी LXXVIII—अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों पर

राज्य	पुरुषों के कालेज	
	1957-58	1958-59
	1	3
	₹०	₹०
आन्ध्र प्रदेश	4,22,531	4,87,908
आसाम	81,290	1,63,922
बिहार	2,92,710	2,78,375
बम्बई	12,31,971	14,90,091
जम्मू और कश्मीर	1,98,385	2,14,775
केरल	4,48,529	5,08,535
मध्य प्रदेश	8,61,501	13,04,748
मद्रास	7,48,459	7,54,269
मैसूर	11,00,591	12,40,855
उड़ीसा	7,73,512	2,46,789
पंजाब	7,87,722	8,41,987
राजस्थान	4,32,145	5,08,039
उत्तर प्रदेश	9,60,645	9,83,858
पश्चिमी बंगाल	5,28,230	6,45,501
दिल्ली	2,27,547	2,97,092
हिमाचल प्रदेश	38,479	54,190
त्रिपुरा	72,223	81,242
पांडीचेरी	12,885	17,250
	₹०	₹०
जोड़	87,19,355	1,01,19,426

किया गया राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च

महिलाओं के कालेज		जोड़	
1957-58	1958-59	1957-58	1958-59
4	5	6	7
₹०	₹०	₹०	₹०
38,591	4,34,008	4,61,122	5,21,916
..	..	81,290	1,63,922
33,027	41,938	3,25,737	3,20,313
1,73,976	71,170	14,05,947	15,61,261
..	..	1,98,385	2,14,775
60,233	61,752	5,08,762	5,70,287
71,091	91,843	9,32,592	13,96,591
2,68,905	2,81,556	10,17,364	10,35,825
1,77,643	2,24,840	12,78,234	14,65,695
..	..	2,73,512	2,46,789
1,77,928	1,96,820	9,65,650	10,38,807
..	..	4,32,145	5,08,039
3,96,595	4,08,014	13,57,240	13,91,872
2,21,681	3,80,503	7,49,911	10,26,004
2,27,507	3,17,140	2,27,547	2,97,092
..	..	38,479	54,190
..	..	72,223	81,242
..	..	12,885	17,250
16,19,670	17,92,444	1,03,39,025	1,19,11,870

सारणी LXXVIII—अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों पर

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (-)	
	रकम	प्रतिशत
	8	9
	र०	र०
आन्ध्र प्रदेश	+ 60,794	+ 13.2
आसाम	+ 82,632	+ 101.6
बिहार	— 5,424	— 1.7
बम्बई	+ 1,55,314	+ 11.1
जम्मू और कश्मीर	+ 16,390	+ 8.3
केरल	+ 61,525	+ 12.1
मध्य प्रदेश	+ 4,63,999	+ 49.8
मद्रास	+ 18,461	+ 1.8
मैसूर	+ 1,87,461	+ 14.7
उड़ीसा	— 26,723	— 9.8
पंजाब	+ 73,157	+ 7.6
राजस्थान	+ 75,894	+ 17.6
उत्तर प्रदेश	+ 34,632	+ 2.6
पश्चिमी बंगाल	+ 2,76,092	+ 36.8
दिल्ली	+ 69,545	+ 30.6
हिमाचल प्रदेश	+ 15,711	+ 40.8
त्रिपुरा	+ 9,019	+ 12.5
पांडीचेरी	+ 4,365	+ 33.9
भास्त	+ 15,72,845	+ 15.2

किया गया राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च (जारी)

प्रत्येक विद्यार्थी पर सालाना औसत खर्च	(1958—59) में विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किये गये खर्च की प्रतिशत			
	सरकारी निधियाँ	फ्रीस	धर्मस्व	अन्य आयस्रोत
10	11	12	13	14
₹०				
680.5	76.9	3.3	2.8	17.0
2,643.9	100.0
506.8	99.4	0.6
400.0	43.8	35.2	0.1	20.9
1,142.4	100.0
390.9	39.1	59.2	..	1.7
1,016.4	93.8	2.2	3.7	0.3
711.9	76.2	4.6	18.2	1.0
352.8	83.6	9.3	..	7.1
347.6	97.3	..	0.2	2.5
368.0	46.6	40.0	8.4	5.0
971.4	76.2	11.3	12.5	..
813.0	89.5	8.2	..	2.3
750.0	89.8	3.6	5.5	1.1
2,285.3	92.9	7.1
1,178.0	100.0
864.3	99.6	0.4
..	100.0
555.9	75.9	14.8	3.9	5.4

वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा

इस अध्याय में स्कूल और कालेज स्तरों पर दी जाने वाली वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा का विवरण दिया गया है। इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण के विषय को छोड़ दिया गया है क्योंकि उस पर पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वतन्त्रता के बाद जो प्रगति हुई है उसे आलोच्य वर्ष में केवल बनाये ही नहीं रखा गया अपितु आगे भी बढ़ाया गया। देश के विभिन्न भागों में नई संस्थाएँ खोली गईं और वर्तमान संस्थाओं का विस्तार किया गया ताकि उनमें और अधिक छात्र भर्ती हो सकें। शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए अध्ययन-क्रमों में संशोधन किया गया और प्रयोग-शालाओं तथा कार्यशालाओं आदि की व्यवस्था में यथोचित सुधार किये गये। भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थान, बम्बई ने जुलाई 1959 में काम करना शुरू कर दिया। यह संस्थान उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्थानों की श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। जुलाई, 1958 में संस्थान में सबसे पहले छात्रों को इन पाच पाठ्यक्रमों में दाखिल किया गया :—

(क) स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम

(i) विद्युत इंजीनियरी

(ii) यान्त्रिक इंजीनियरी

(iii) रसायन इंजीनियरी

(iv) सिविल इंजीनियरी

(v) धातुकर्म इंजीनियरी

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

(i) इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी

(ii) निर्वात प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उत्पादन।

संस्थान की स्थापना और विकास में, यूनेस्को ने तकनीकी सहायता के विस्तीर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत, रूस संस्थान की सहायता कर रहा है।

राज्यों की दूसरी-पंचवर्षीय आयोजनाओं में आयोजना की अवधि के भीतर 8 इंजीनियरी कालेजों और 37 पोलिटेक्नीक संस्थाओं को स्थापित करने की व्यवस्था की गई। एक को छोड़ कर सभी कालेजों में काम आरम्भ कर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार ने भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों पर, तीन इंजीनियरी कालेजों (एक केरल, एक मैसूर और एक आन्ध्र प्रदेश में) और 11 पोलिटेक्नीक संस्थाओं (ये सब संस्थाएँ दक्षिण भारत में और-सरकारी संस्थाओं द्वारा खोली गईं) की स्थापना का अनुमोदन किया।

दूसरी आयोजना के कार्यों के लिए जितने अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों का अनुमान इंजीनियरी कर्मचारी समिति ने लगाया था, उतनी संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए चन्द्रकान्त-घोष समिति ने निम्नलिखित उपाय सुझाए:—(क) कुछ चुनी हुई वर्तमान संस्थाओं का विस्तार किया जाय और (ख) नई संस्थाएँ खोली जायें। केन्द्रीय सरकार ने पहली सिफारिश को स्वीकार कर लिया, और वर्तमान 19 इंजीनियरी कालेजों की और 50 पोलिटेक्नीक संस्थाओं की प्रशिक्षण-क्षमता को बढ़ाने की एक योजना मंजूर की। इस योजना से डिग्री पाठ्यक्रम के लिए लगभग 2,570 अतिरिक्त सीटें और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 4,890 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। नई संस्थाएँ खोलने की योजना के अन्तर्गत 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, 27 पोलिटेक्नीक संस्थाएँ और दिल्ली में एक इंजीनियरी कालेज खोलना मंजूर किया गया। ये

क्षेत्रीय कालेज मंगलौर (मैसूर), भोपाल (मध्य प्रदेश), दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल), जमशेदपुर (बिहार), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में खोले जाने थे। 27 पोलीटेक्नीक संस्थाओं को विभिन्न राज्यों में स्थापित करना स्वीकार किया गया।

जब ये योजना और पहले स्वीकृत किये गये अन्य कार्यक्रम पूरे हो जायेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के अन्त तक डिग्री पाठ्यक्रमों में 13,000 से अधिक स्थान और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लगभग 25,000 स्थान प्राप्त हो जायेंगे।

उद्योगों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देशव्यापी प्रयत्नों को उचित दिशा देने का काम जारी रखा। अखिल भारतीय परिषद और अन्तर विश्वविद्यालय मंडल की एक संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा की नयी प्रणाली को और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय अध्ययन के लिए आधारभूत विज्ञानों में वैज्ञानिक तैयारी के उच्चतर स्तर को दृष्टि में रख कर, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पहले डिग्री-पाठ्यक्रम के स्थान पर पांच वर्ष का एक एक समेकित पाठ्यक्रम चलाया जाय और इसमें कम से कम छ महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाय। इस समेकित पाठ्यक्रम में वे ही छात्र दाखिल किये जायें जिन्होंने भौतिकी, रसायन और गणित या तकनीकी विषयों को लेकर उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। अखिल भारतीय परिषद ने इस सिफारिश को मंजूर किया और अपने अध्ययन मंडल से प्रार्थना की कि वह प्रस्तावित समेकित डिग्री पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों और इस पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण संबंधी अतिरिक्त आवश्यक सुविधाओं के व्योरे तैयार करे।

अखिल भारतीय परिषद की समन्वय समिति ने यह सिफारिश की कि वाणिज्य स्नातकों (कामर्स ग्रेजुएट्स) के रोजगार की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाई जाय, जो यह सुझाव दे कि विभिन्न स्तरों पर वाणिज्य शिक्षा का समेकित रूप कैसा हो। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनायी। इस समिति का काम देश में वाणिज्य शिक्षा की मौजूदा हालत की जांच करना और वाणिज्य शिक्षा के अधिकाधिक विकास के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना था। इस समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उद्योग, वाणिज्य, आदि विभिन्न संस्थाओं के सोलह प्रतिनिधि थे। चौदह वर्ष की उम्र के छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने तथा कुशल युवक कारीगरों का एक दल तैयार करने के लिए अवर-तकनीकी स्कूलों की एक योजना बनाई गई और उसे मंजूरी दी गयी। अवर तकनीकी स्कूलों का लक्ष्य है, सामान्य शिक्षा के एक समेकित त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम और प्रारम्भिक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना तथा इंजीनियरी के विशिष्ट व्यावसायिक विषयों में तकनीकी शिक्षा देना। केन्द्रीय सरकार ने भी तकनीकी स्कूलों की स्थापना में सहायता देना और खर्च का 60 प्रतिशत अंश देना स्वीकार किया।

फोरमेंटों और अधीक्षकों को राष्ट्रीय प्रमाणपत्र स्तर पर यांत्रिक इंजीनियरी का प्रशिक्षण देने के लिए अन्तर्वर्ती पाठ्यक्रमों की एक योजना बनायी गयी। अखिल भारतीय परिषद की क्षेत्रीय समितियों ने औद्योगिक संस्थाओं के सहयोग से इस योजना को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित करने के विषय में विचार किया। आलोच्य वर्ष में ऐसी दो संस्थाओं के लिए स्वीकृति दी गई। इनमें से एक का प्रस्ताव मद्रास सरकार ने अपने क्षेत्र की गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से और दूसरी का प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल सरकार ने किया था।

वैज्ञानिक मानव-शक्ति समिति की मूल सिफारिशों के अनुसार जो व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना, अनुसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय अनुसंधान अधिछात्रवृत्ति योजनाएं चलाई गयी थी वे आलोच्य वर्ष में भी जारी रहीं और दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में

इन योजनाओं के लिए और भी अधिक व्यवस्था की गयी। अलोच्य वर्ष में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 1800 स्थानों की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीय-अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियों में 40 की वृद्धि करना मंजूर किया गया। इस प्रकार, अधिछात्रवृत्तियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई। अलोच्य वर्ष में 30 उम्मीदवारों की एक नयी टोली अधिछात्रवृत्तियों के लिए चुनी गई।

अलोच्य वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकारों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि को तकनीकी शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए 263 लाख रु० का सहायता अनुदान देना स्वीकार किया। छात्रावासों के निर्माण के लिए भी 106 लाख रु० का ऋण बिना व्याज के देने की मंजूरी दी गयी। यह अनुमान लगाया गया था कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से 3,500 से अधिक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जा सकेगी।

मुख्य विकास कार्य

विभिन्न राज्यों में किये गये विकास-कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आन्ध्र प्रदेश

उस्मानिया मेडिकल कालेज को तकनीकी सहयोग मिशन से 10,000 डालर के मूल्य का साज-सामान प्राप्त हुआ और कालेज के 4 अध्यापक उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमरीका गये। आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखपट्टम में सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों और प्रयोगशाला सहायकों के लिए प्रशिक्षणक्रम आरंभ किये गये। गुण्टूर मेडिकल कालेज में एक ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र और अनुसंधान करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला खोली गयी।

आसाम

राज्य सरकार ने बुनाई का प्रशिक्षण देने के लिए गोहाटी में आसाम वस्त्रोद्योग संस्थान (आसाम टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट) नामक संस्था की स्थापना की।

बम्बई

विकास प्रायोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में बहूदेशी ग्राम सेवकों के रूप में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, परभनी, शिन्दवाही, जूनागढ़, अमरावती और बुलडाना में बुनियादी स्कूल खोले गये। इन स्कूलों में कृषि तथा सम्बन्धित विषयों में एक साल का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।

अलोच्य वर्ष में अकोला, अमरावती और रत्नागिरि में 3 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये। इनमें कुल मिलाकर 392 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पा सकते थे। एक और वनपाल प्रशिक्षण स्कूल खोला गया और वन-सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अट्टूर (जि० डंगस) में एक विशेष कक्षा चलायी गई। इस कक्षा में चार महीने का प्रशिक्षण-क्रम चलाया गया और 21 प्रशिक्षार्थी दाखिल किये गये।

अलोच्य वर्ष में बम्बई में औषधिनिर्माण विज्ञान का एक कालेज और खोला गया। इस प्रकार राज्य में ऐसे दो कालेज हो गये।

मध्य प्रदेश

रायपुर के राजकीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज में सिविल, यान्त्रिक और बिजली इंजीनियरी के पाठ्यक्रम शुरू किये गये।

यह प्रस्ताव किया गया कि लक्ष्मीबाई शारीरिक-शिक्षा कालेज को विक्रम विश्वविद्यालय में संभल कर दिया जाय।

मद्रास

आलोच्य वर्ष में पांच नए पोलिटेक्नीक संस्थान खोले गये । इसके अतिरिक्त प्रादेशिक मुद्रण-स्कूलों को एक पृथक संस्थान का रूप दे दिया गया । ये स्कूल अब तक मद्रास के केन्द्रीय पोलिटेक्नीक विद्यालय के अंग के रूप में काम कर रहे थे ।

उड़ीसा

उड़ीसा में एक इंजीनियरी स्कूल और तीन औद्योगिक स्कूल खोले गये । इसके अतिरिक्त उड़ीसा के पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु-पालन कालेज में चतुर्थ वर्ष की कक्षा भी खोल दी गई । विश्वविद्यालय ने नई कक्षा को संबद्ध करने की स्वीकृति दे दी । उत्कल-कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने आलोच्य वर्ष में पहली बार कृषि-स्नातक (बैचलर आफ एग्रीकल्चर) की परीक्षा दी ।

पंजाब

राज्य में इंजीनियरी शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पंजाब इंजीनियरी कालेज चंडीगढ़ का विस्तार किया गया ।

उत्तर प्रदेश

दस राजकीय उच्चतर-माध्यमिक स्कूलों की इंटरमीडिएट कक्षाओं में सामान्य इंजीनियरी का नया विषय आरंभ किया गया ।

राज्य में तकनीकी शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं खोली गयीं और वर्तमान संस्थाओं में स्थान बढ़ा दिये गये ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने लखनऊ विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के लगभग सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान कर दी । इसी विश्वविद्यालय के दन्त-चिकित्सा विज्ञान के कालेज (डेंटल कालेज) ने दन्त-चिकित्सक अधिनियम के भाग 'ख' के अधीन रजिस्टर किये गये दन्त-चिकित्सकों के प्रशिक्षण का काम भी आरम्भ कर दिया ।

पश्चिमी बंगाल

आलोच्य वर्ष में, डिप्लोमा पाठ्य-क्रम चलाने वाली इंजीनियरी संस्थाओं और अवर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले अवर तकनीकी स्कूलों में पहले से काफी अधिक छात्र भर्ती हुए । माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना के अधीन माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये । 64.21 लाख रुपये के पूंजीगत व्यय से बहुमुखी पाठ्यक्रम चालू करने के लिए 89 हाई स्कूल चुने गये ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

पोर्ट ब्लेयर में एक व्यवसायिक स्कूल खोला गया जिसमें 18 विद्यार्थियों को बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, विद्युत-इंजीनियरी और मोटर यान्त्रिकी का प्रशिक्षण दिया गया ।

बिस्ली

आलोच्य वर्ष में राजकीय औद्योगिक विद्यालय (गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल स्कूल) दरियामंज में रेडियो तथा विद्युत यान्त्रिकी का प्रशिक्षण आरम्भ किया गया ।

देहली स्कूल आफ सोशल वर्क्स ने पहले की ही भांति पहले और दूसरे सत्र के बीच की छुट्टियों में वरीय छात्रों के लिए अध्ययन-दौरे और कनीस छात्रों के लिए ग्राम शिविर की व्यवस्था की ।

हिमाचल प्रदेश

प्रशासन विभाग ने सिविल, विद्युत और यान्त्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए सुन्दर नगर में एक पोलिटेक्नीक विद्यालय खोलने का निर्णय किया।

लक्कादीव, मिनिकाय और श्रीमोनदीवी द्वीपसमूह

इन राज्य क्षेत्रों में कोई वृत्तिक या तकनीकी संस्थान नहीं था। द्वीप के एक विद्यार्थी को केरल के महाराजा कालेज, एनकुलम में पूर्व-इंजीनियरी पाठ्यक्रम में दाखिला दिया गया और उसे 60 रुपये की वृत्तिका दी गई।

त्रिपुरा

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कला और दस्तकारी की सुविधाओं का विस्तार किया गया। ग्रामीण लोगों में प्रसूति-विज्ञान की जानकारी बढ़ाने के लिए उपचर्या प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिले के सम्बन्ध में गांवों की दाइयों को प्राथमिकता दी गयी। आलोच्य वर्ष में कृषि-प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार किया गया।

पाण्डीचेरी

स्कूल आफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स (कला और दस्तकारी विद्यालय) के स्तर को बढ़ाकर उसे अवर तकनीकी स्कूल का रूप देने के लिए अधिक अतिरिक्त साज-सामान दिये गये। इस काम के लिए नौ अतिरिक्त अर्हता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों को भर्ती किया गया।

व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल संस्थाएं

विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों के आंकड़े सारणी LXXIX में दिए गये हैं। सन् 1958-59 में 3563 व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल थे, जब कि इससे पहले वर्ष इनकी संख्या 3232 थी। इस प्रकार इन स्कूलों की संख्या 10.2 प्रतिशत बढ़ गयी जब कि 1957-58 में इनकी संख्या केवल 6.9 प्रतिशत बढ़ी थी। स्कूलों की कुल संख्या में से 1444 या 40.5 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सरकार, 42 या 1.2 प्रतिशत का स्थानीय मंडल, 1030 या 28.9 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सहायता-प्राप्त गैर सरकारी संस्थाएं तथा 1048 या 29.4 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं करती थी जो सहायता-प्राप्त नहीं थीं। विभिन्न प्रकार के स्कूलों की संख्या इस प्रकार थी—कृषि सम्बन्धी स्कूल 118, वन-विज्ञान संबंधी स्कूल 5, नौ-प्रशिक्षण संबंधी स्कूल 5, आयुर्विज्ञान के स्कूल 124, शारीरिक शिक्षा के स्कूल 38, अध्यापक-प्रशिक्षण स्कूल 974, पशु-चिकित्सा संबंधी स्कूल 10, तकनीकी तथा औद्योगिक स्कूल 833 और "अन्य" स्कूल 14। कुछ तकनीकी और औद्योगिक स्कूलों में इंजीनियरी की शिक्षा की भी व्यवस्था थी।

कृषि, शारीरिक शिक्षा और वन-विज्ञान के स्कूलों को छोड़कर, सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या बढ़ी। वन-विज्ञान के स्कूलों की संख्या में कोई घटा-बढ़ी नहीं हुई जब कि कृषि और शारीरिक शिक्षा के स्कूलों की संख्या में क्रमशः 3 और 1 की कमी आ गई। कृषि और शारीरिक शिक्षा के स्कूलों की संख्या में कमी आने का कारण यह था कि बिहार और मैसूर में कुछ कृषि-स्कूलों को और आंध्र प्रदेश में शारीरिक शिक्षा के एक स्कूल को बन्द कर दिया गया। सबसे अधिक वृद्धि (89) वाणिज्य स्कूलों की संख्या में हुई इसके बाद क्रमशः तकनीकी और औद्योगिक स्कूल (82), अध्यापक-प्रशिक्षण स्कूल (73), कला और दस्तकारी स्कूल (62), इंजीनियरी के स्कूल (18), आयुर्विज्ञान के स्कूल (9), कृषि-स्कूल (3), अन्य स्कूल (3); और नौ-प्रशिक्षण स्कूल (1) आते हैं।

छात्र

व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों में तथा अन्य संस्थाओं से संबद्ध इस प्रकार की कक्षाओं में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या में आलोच्य वर्ष में 35719 की वृद्धि हुई और उनकी कुल संख्या 3,42,448 (2,72,331 लड़के और 70,119 लड़कियां) हो गई। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 11.6 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई। स्कूलों में भरती किये गये छात्रों का विषयवार विभाजन नीचे दिखाया गया है:—

व्यवसाय	1957-58		1958-59	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
कृषि	8,184	2.7	7,411	2.2
कला तथा दस्तकारी	12,845	4.2	15,696	4.6
वाणिज्य	85,169	27.78	98,754	28.8
इंजीनियरी	39,803	13.0	47,216	13.9
वन-विज्ञान	201	0.1	237	0.1
नौ-प्रशिक्षण	1,785	0.6	1,951	0.6
आयुर्विज्ञान	8,281	2.7	10,688	3.1
शारीरिक शिक्षा	3,100	1.0	3,639	1.1
अध्यापक प्रशिक्षण	84,192	27.4	89,514	26.1
तकनीकी और औद्योगिक	60,644	19.7	64,705	18.8
पशु-चिकित्सा	1,346	0.4	1,093	0.3
अन्य	1,179	0.4	1,544	0.4
जोड़	3,06,729	100.0	3,42,448	100.0

सारणी LXXIX—विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और

प्रकार	संस्थाओं की संख्या*		छात्रों की	
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59 लड़के
1	2	3	4	5
कृषि . . .	105	102	8,154	7,358
कलाएं और शिल्प . . .	312	374	2,271	3,685
वाणिज्य . . .	877	966	73,997	85,266
इंजीनियरी . . .	100	118	39,719	47,118
वनविज्ञान . . .	5	5	201	237
नौ-प्रशिक्षण . . .	4	5	1,785	1,951
आयुर्विज्ञान . . .	115	124	4,188	5,349
शारीरिक शिक्षा . . .	39	38	2,736	3,204
अध्यापक प्रशिक्षण . . .	901	974	60,422	64,708
तकनीकी तथा औद्योगिक . . .	752	833	47,438	50,859
पशु-चिकित्सा विज्ञान . . .	11	10	1,346	1,093
अन्य . . .	11	14	1,147	1,503
भारत	3,232	3,563	2,43,404	2,72,331

*सामान्य शिक्षा से सम्बद्ध

†सामान्य शिक्षा से सम्बद्ध

तकनीकी स्कूलों के आंकड़े

संख्यां		व्यय		विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत (1958-59)
1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	
लड़कियां				सरकारी निधियां
6	7	8	9	10
30	53	₹ 33,87,351	₹ 36,22,912	84.0
10,574	12,011	15,41,580	17,82,764	47.3
11,172	13,488	32,69,150	37,86,731	5.5
84	98	1,17,34,237	1,42,27,623	72.0
..	..	1,52,637	1,22,046	100.0
..	..	12,93,505	15,07,350	93.6
4,093	5,339	28,55,815	28,92,670	61.9
364	435	3,67,101	3,58,300	35.0
23,770	24,806	2,26,59,925	2,54,28,767	87.9
13,206	13,846	2,38,73,349	2,72,87,534	79.8
..	..	2,51,002	3,04,619	99.8
32	41	7,41,829	7,79,087	96.6
63,325	70,117	7,21,30,481	8,21,00,403	76.7

कक्षाएं शामिल नहीं हैं।

तथा कालेजों में स्कूल शिक्षा पानेवाले छात्र भी शामिल हैं।

सारणी LXXIX—विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों के आंकड़े
(क्रमशः)

प्रकार	विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किए गए खर्च का प्रतिशत (1958—59)				प्रतिछात्र वार्षिक औसत खर्च	
	स्थानीय मंडलों की निधियां	फीस	धर्मस्व	अन्य आय-स्रोत	1957—58	1958—59
1	11	12	13	14	15	16
					रु०	रु०
कृषि	..	1.0	..	15.0	413.9	488.9
कलाएं और शिल्प	1.5	22.9	6.1	22.2	119.9	188.9
वाणिज्य	..	86.8	2.2	5.5	38.6	38.6
इंजीनियरी	0.5	24.0	1.0	2.5	443.9	446.4
वन-विज्ञान	759.4	515.0
नौ-प्रशिक्षण	..	3.9	1.7	0.8	724.7	674.4
आयुर्विज्ञान	7.3	15.9	4.1	10.8	363.5	311.4
शारीरिक शिक्षा	2.1	34.7	13.2	15.0	140.6	113.3
अध्यापक प्रशिक्षण	0.3	4.4	3.3	4.1	293.0	282.6
तकनीकी तथा औद्योगिक	1.7	8.9	3.5	6.1	362.3	379.7
पशु-चिकित्सा विज्ञान	..	0.2	231.1	300.4
अन्य	..	3.4	853.6	618.3
	1.1	13.8	2.8	5.6	249.0	252.4

सारणी LXXX—विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक और

राज्य	छात्रों की संख्या		व्यय
	लड़कियां		खर्च
	1957—58	1958—59	1957—58
1	6	7	8
			₹०
आंध्र प्रदेश	2,225	3,486	46,02,242
आसाम	781	854	26,82,055
बिहार	1,682	1,922	57,08,296
बम्बई	21,081	22,854	1,66,34,492
जम्मू तथा कश्मीर	120	199	4,22,273
केरल	3,691	4,113	16,16,869
मध्य प्रदेश	1,194	1,313	50,10,480
मद्रास	12,290	13,132	66,55,252
मैसूर	3,337	3,842	42,46,425
उड़ीसा	420	418	13,79,912
पंजाब	3,931	4,525	40,52,368
राजस्थान	181	164	20,08,977
उत्तर प्रदेश	3,085	6,391	86,16,977
पश्चिमी बंगाल	7,902	8,730	72,73,151
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	..	5	..
दिल्ली	740	625	7,30,757
हिमाचल प्रदेश	63	46	1,32,008
मनीपुर	9	22	61,033
त्रिपुरा	449	338	1,71,740
नेफा	4	3	83,093
पाण्डीचेरी	140	135	42,131
	63,325	70,117	7,21,30,481

तकनीकी स्कूलों के आंकड़े

सन् 1958—59 में निम्नलिखित आयस्रोतों से पूरे खर्च	सन् 1958—59 में निम्नलिखित आयस्रोतों से पूरे किये गए खर्च की प्रतिशत				
	सरकारी निधियां	स्थानीय मण्डलों की निधियां	फीस	धर्मस्व	अन्य आय-स्रोत
1958—59	10	11	12	13	14
र०					
58,90,750	81.9	0.3	9.7	7.0	1.1
31,77,868	90.7	0.2	7.7	0.4	1.0
63,15,454	95.2	0.5	2.2	..	2.1
1,91,07,097	70.3	1.5	17.2	1.1	9.9
4,12,531	97.7	2.3
20,67,801	77.7	..	16.3	0.2	5.8
57,22,378	97.7	..	1.2	0.2	0.9
68,81,072	51.3	1.7	21.8	18.6	6.6
47,97,154	76.1	..	18.7	0.4	4.8
21,62,912	88.9	..	7.5	1.3	2.3
49,09,877	74.4	0.1	14.9	4.1	6.5
24,44,098	95.4	..	2.8	8	1.0
81,13,135	73.3	1.6	18.6	0.1	6.4
85,66,506	67.8	2.9	20.9	1.4	7.0
18,255	100.0
9,76,254	95.1	..	2.5	..	2.4
71,161	100.0
1,15,095	99.3	2.7
2,05,719	70.8	..	1.0	..	28.2
1,03,421	100.0
41,865	69.0	..	31.0
8,21,00,403	76.7	1.1	13.8	2.8	5.6

कृषि को छोड़ कर, शेष सभी विषयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। कृषि पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आने का कारण कृषि स्कूलों की संख्या में कमी होता था। छात्रों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि वाणिज्य-स्कूलों में (13,585) हुई। इसके बाद क्रमशः इंजीनियरी स्कूल (7,413) अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल (5,327) और तकनीकी और औद्योगिक स्कूल (4,061) आते हैं। अन्य विषयों में छात्रों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई।

व्यय

व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों पर (संबद्ध कक्षाओं पर किये गये व्यय को छोड़कर) किया गया प्रत्यक्ष व्यय 721,30,481 रु० से बढ़कर 82,100,403 रु० हो गया। इस प्रकार इस व्यय में 13.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह रकम सभी प्रकार की मस्थाओं पर किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यय का 4.0 प्रतिशत थी। इस खर्च के लिए सरकार से 76.7 प्रतिशत, स्थानीय मंडलों से 1.1 प्रतिशत, फीस से 13.8 प्रतिशत, धर्मस्वों से 2.8 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोतों से 5.6 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई थी। पिछले वर्ष यही राशि क्रमशः 75.1, 1.0, 14.2, 3.3 और 6.4 प्रतिशत थी। खर्च की कुल रकम में से सबसे अधिक व्यय तकनीकी तथा औद्योगिक स्कूलों पर (33.1 प्रतिशत) किया गया। इसके बाद अध्यापक प्रशिक्षण-स्कूलों पर 31.1 प्रतिशत, और इंजीनियरी के स्कूलों पर 17.3 प्रतिशत रकम खर्च की गयी। अन्य प्रकार के स्कूलों में प्रत्येक पर कुल खर्च के 5 प्रतिशत से कम खर्च किया गया। यदि हम सब प्रकार के स्कूलों को एक साथ ले तो प्रत्येक छात्र पर किया जाने वाला वार्षिक औसत खर्च 249 0 रु० से बढ़कर 252.4 रु० हो गया। सबसे अधिक खर्च (674 4) रु० नौ-प्रशिक्षण स्कूलों में और सबसे कम खर्च (113 3 रु०) शारीरिक शिक्षा स्कूलों में था।

सारणी LXXX—में विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक तथा तकनीकी स्कूलों के आंकड़े दिये गये हैं।

अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों को छोड़कर (जिनका विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है) शेष सभी प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

कृषि-स्कूल

आलोच्य वर्ष में 3 कृषि स्कूलों के कम हो जाने से इनकी संख्या 102 रह गयी। बम्बई में 6 स्कूल और खोले गये, जब कि बिहार में 4 और मैसूर में एक स्कूल बन्द हो गया। उड़ीसा के तीन स्कूलों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्कूलों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में पंजाब के एक स्कूल के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके। जिन अन्य राज्यों में कृषि स्कूल थे उनके नाम आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा हैं। इन राज्यों में कृषि स्कूलों की संख्या में कोई घटाव नहीं हुआ। कुल स्कूलों में से 88 स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में 11 का प्रबन्ध सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में और 3 स्कूलों का प्रबन्ध ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था जो सहायता प्राप्त नहीं थी। इन स्कूलों में और इनसे संबद्ध कक्षाओं में छात्रों की संख्या 8,184 से घटकर 7,411 रह गयी। इसका कारण, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुछ स्कूलों का बन्द होना था। फिर भी इन स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष-व्यय 33,87,351 रु० से बढ़कर 36,22,912 रु० हो गया। इसका 84.0 प्रतिशत खर्च सरकारी निर्धियों से, 1.0 प्रतिशत फीस से और 15.0 प्रतिशत खर्च अन्य आय-स्रोतों से पूरा किया गया। आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 488.9 रुपये रहा।

इन स्कूलों के आंकड़े सारणी LXXXI—में दिये गये हैं।

कला और दस्तकारी के स्कूल

पिछले वर्ष के कला और दस्तकारी के 312 स्कूलों की तुलना में आलोच्य वर्ष में 374 स्कूल थे। मध्यप्रदेश, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में इन स्कूलों की संख्या में क्रमशः 1.3 और 3 की कमी हो गई। दूसरे राज्यों में कला और दस्तकारी के स्कूलों की संख्या या तो बढ़ गयी या पिछले वर्ष के ही समान रही। इन स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि केरल (52) में हुई। इसके बाद मैसूर (10) का नाम आता है। अन्य राज्यों में 1 या 2 स्कूल ही बढ़े। प्रबंध संस्थाओं के अनुसार इन स्कूलों का विभाजन इस प्रकार है:—सरकारी स्कूलों की संख्या 105 और गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूलों की संख्या 269। इन स्कूलों में 15,696 छात्र (3,685 लड़के और 12,011 लड़कियां) भर्ती हुए, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 12,845 (2,271 लड़के और 10,574 लड़कियां) थी।

सारणी LXXXI—कृषि स्कूलों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या†			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़कियां	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
					₹०	₹०
आसाम	1	92	..	92	60,891	662.8
बिहार	17	1,427	48	1,475	7,10,587	481.8
बम्बई	43	3,507	3	3,510	19,80,187	564.2
मध्य प्रदेश	21	592	2	594	1,09,757	184.8
मैसूर	7	341	..	341	2,06,296	605.0
उड़ीसा	1	28	..	28	7,146	255.2
राजस्थान	1	107	..	107	33,070	309.1
उत्तर प्रदेश	8	1,027	..	1,027	4,17,370	406.4
पश्चिमी बंगाल	2	166	..	166	82,966	499.8
त्रिपुरा	1	71	..	71	14,642	206.2
जोड़	102	7,358	53	7,411	36,22,912	488.9

† इसमें संबद्ध कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी LXXXII—कला और दस्तकारी के स्कूलों के आंकड़े

राज्य	छात्रों की संख्या*							प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
	संस्थाओं की संख्या	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	व्यय	रु०	रु०	
1	2	3	4	5	6	7	7	
आंध्र प्रदेश	74	74	700.4	
आसाम	2	10	16	26	18,211	..	264.4	
बिहार	21	226	211	437	1,15,554	..	97.7	
बम्बई	168	1,017	7,583	8,600	8,40,471	..	62.5	
केरल	62	684	1,850	2,534	1,55,357	..	121.9	
मध्य प्रदेश	17	176	266	442	53,832	..	134.4	
मद्रास	15	10	760	770	1,10,742	..	227.9	
सैसूर	40	975	361	1,336	1,79,378	..	175.4	
उड़ीसा	17	49	150	199	34,906	..	179.9	
पंजाब	1	110	..	110	11,153	..	100.4	
राजस्थान	2	84	7	91	91,854	..	69.0	
पश्चिमी बंगाल	7	41	462	503	31,820	..	243.0	
त्रिपुरा	22	303	271	574	1,39,486	..	118.9	
भारत	374	3,685	12,011	15,696	17,82,764	..		

*इसमें संबद्ध कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी शामिल है।

इन स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष खर्च 15,41,580 रु० से बढ़कर 17,82,764 रु० हो गया। इसमें से 47.3 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा, 1.5 प्रतिशत खर्च स्थानीय मण्डलों द्वारा, 22.9 प्रतिशत फीस से, 6.1 प्रतिशत धर्मस्व से और 22.6 प्रतिशत अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया। प्रति छात्र पर किया गया औसत वार्षिक खर्च 118 9 रु० रहा, जो कि पिछले वर्ष के 119.9 रु० से थोड़ा ही कम था।

इन स्कूलों के राज्यवार आकड़े सारणी LXXXII में दिए गए हैं।

वाणिज्य स्कूल

आलोच्य वर्ष में वाणिज्य स्कूलों की संख्या में 89 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 166 हो गई। मध्य प्रदेश और उड़ीसा को छोड़ कर सभी राज्यों में इन स्कूलों की संख्या बढ़ गयी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इनकी संख्या वही बनी रही। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर-प्रदेश और किसी भी संघ राज्यक्षेत्र में कोई भी वाणिज्य स्कूल नहीं था। वाणिज्य स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि (32) आन्ध्र प्रदेश में और सबसे कम (1) बिहार में हुई। कुल स्कूलों में से केवल सात स्कूलों का प्रबन्ध सरकार करती थी। शेष स्कूलों का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था, जिनमें से 137 संस्थाएं सहायता-प्राप्त थीं। इन स्कूलों और सामान्य शिक्षा के स्कूलों से संबद्ध वाणिज्य कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 85,169 (73,997 लड़के और 11,172 लड़कियां) से बढ़कर 98,754 (85,266 लड़के और 13,488 लड़कियां) हो गई। जिन-जिन राज्यों में ये स्कूल थे उन सभी राज्यों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। वाणिज्य स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष खर्च भी 32,96,150 रु० से बढ़ कर 37,86,631 रु० हो गया। विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार खर्च का विभाजन इस प्रकार था :—सरकार 5.5 प्रतिशत, फीस—86.8 प्रतिशत, धर्मस्व—2.2 प्रतिशत और दूसरे आयस्रोत—5.5 प्रतिशत। इसमें स्थानीय मंडलों का अंशदान नगण्य रहा। इन स्कूलों में प्रति विद्यार्थी औसत खर्च पिछले वर्ष के समान ही (38.6 रु०) रहा।

विभिन्न राज्यों के वाणिज्य स्कूलों का व्योरा सारणी LXXXIII में दिया गया है।

इंजीनियरी स्कूल

आलोच्य वर्ष में 18 इंजीनियरी स्कूल और खोले गए। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़कर 118 हो गयी जिससे 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में और दिल्ली, मनिपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में इंजीनियरी स्कूल थे। किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में इन स्कूलों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। आलोच्य वर्ष में राजस्थान और त्रिपुरा में पहली बार इंजीनियरी स्कूल खोले गए।

कुल स्कूलों में से 66 स्कूलों का प्रबन्ध सरकार और शेष 52 स्कूलों का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी। इंजीनियरी स्कूलों और विभिन्न तकनीकी स्कूलों से संबद्ध इंजीनियरी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 47,216 (47,118 लड़के और 98 लड़कियां) थीं। जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 39,803 (39,719 लड़के तथा 84 लड़कियां) थी। इन स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष-व्यय भी 1,17,34,237 रु० से बढ़कर 1,42,27,623 रु० हो गया। इसमें से 72.0 प्रतिशत खर्च सरकार, 0.5 प्रतिशत स्थानीय मंडलों, 24.0 प्रतिशत फीस, 1.0 प्रतिशत धर्मस्व और 2.5 प्रतिशत खर्च अन्य आयस्रोतों द्वारा पूरा किया गया।

आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 443 9 रु० से बढ़कर 446.4 रु० हो गया।

विभिन्न राज्यों के इंजीनियरी स्कूलों के विस्तृत आकड़े सारणी LXXXIV में दिए गए हैं।

सारणी: LXXXIII—वाणिज्य स्कूलों के आंकड़े 1958-59

राज्य	संस्थाओं की संख्या		छात्रों की संख्या			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
	लड़के	लड़कियाँ	लड़कियाँ	जोड़	रु०		
1	2	3	4	5	6	7	रु०
आंध्र प्रदेश	157	8,564	723	9,287	4,30,772	46.4	
आसाम	23	2,616	267	2,883	1,66,024	57.6	
बिहार	19	2,160	43	2,203	94,370	42.8	
बम्बई	190	20,131	4,081	24,212	9,29,185	38.9	
केरल	11	745	215	960	49,992	53.8	
मध्य प्रदेश	1	31	..	31	3,231	104.2	
मद्रास	367	23,160	4,647	27,807	8,44,598	30.4	
सैसूर	129	12,979	1,913	14,892	4,17,574	28.0	
उड़ीसा	2	46	3	49	5,611	114.5	
पंजाब	..	209	..	209	
पश्चिमी बंगाल	67	14,625	1,596	16,221	8,45,374	52.4	
भारत	966	85,266	13,488	98,754	37,86,731	38.6	

सारणी LXXXIV—इंजीनियरी स्कूलों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या†			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़किया	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
					र०	र०
आंध्र प्रदेश	11	4,405	..	4,405	10,76,191	383·9
आसाम	3	1,036	..	1,036	7,54,069	727·9
बिहार	14	3,020	..	3,020	15,33,610	507·8
बम्बई	4	7,977	8	7,985	3,54,692	478·7
केरल	9	3,093	46	3,139	7,89,724	361·4
मध्य प्रदेश	10	1,666	..	1,666	13,69,308	821·9
मद्रास	2	3,363	..	3,363	2,14,559	2·91
मैसूर	3	4,782	..	4,782	2,43,563	434·2
उड़ीसा	5	1,454	..	1,454	6,06,084	424·4
पंजाब	6	2,816	..	2,816	4,56,560	281·3
राजस्थान	3	540	..	540	2,87,068	897·1
उत्तर प्रदेश	24	5,639	44	5,683	25,37,235	577·0
पश्चिमी बंगाल	20	6,004	..	6,004	33,58,525	340·3
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	..	8	..	8
दिल्ली	2	1,209	..	1,209	5,15,977	381·6
मनिपुर	1	46	..	46	83,442	1,127·6
त्रिपुरा	1	60	..	60	47,016	783·6
भारत	118	47,118	98	47,216	1,42,27,623	446·4

† इसमें संबद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

वन-विज्ञान के स्कूल

वन-विज्ञान के स्कूलों की संख्या पिछले वर्ष की भांति 5 ही रही। ये स्कूल आसाम, बम्बई और मध्य प्रदेश में थे। इन सब स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। इन स्कूलों में पहले वर्ष 237 छात्र (सभी लड़के) थे जब कि पिछले वर्ष केवल 201 (छात्र.) थे। इन विद्यालयों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष खर्च 1,52,637 रु० में घट कर 1,22,046 रु० हो गया। और यह सारा खर्च सरकारी निधि से पूरा किया गया। खर्च में कमी आने का कारण यह था कि आलोच्य वर्ष में दी गई वृत्तिकारों के खर्च को फिर से अप्रत्यक्ष खर्च मान लिया गया था। प्रति छात्र आमतौर पर वार्षिक खर्च 515.0 रु० रहा।

इन स्कूलों के राज्यवार आकड़े सारणी LXXXV में दिए गए हैं।

सारणी LXXXV—वन-विज्ञान स्कूलों के आकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़किया	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आसाम	1	20	..	20	32,871	1,643.6
बम्बई	3	98	..	98	21,758	222.0
मध्य प्रदेश	1	119	..	119	67,417	566.5
भारत	5	237	..	237	1,22,046	515.0

नौ-प्रशिक्षण स्कूल

नौ-प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। आलोच्य वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में एक और स्कूल खोला गया। इन में से चार स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में और एक स्कूल का प्रबन्ध एक गैर-सरकारी संगठन के हाथ में था। पिछले वर्ष के 1,795 छात्रों की तुलना में आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों में 1,951 छात्र (सभी लड़के) भर्ती हुए। इन स्कूलों पर होने वाला कुल प्रत्यक्ष व्यय 12,92,505 रु० से बढ़ कर 15,07,350 रु० हो गया; किन्तु प्रति छात्र औसत खर्च 724.7 रु० से घटकर 674.4 रु० रह गया। कुल प्रत्यक्ष व्यय में से 93.6 प्रतिशत

सरकारी निधियों से, 3.9 प्रतिशत फीस से, 1.7 प्रतिशत धर्मस्वों से और 0.8 प्रतिशत अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया। इन स्कूलों के राज्यवार आंकड़े नीचे मारणी LXXXVI में दिए गए हैं—

सारणी LXXXVI—नौ-प्रतिशत स्कूलों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़कियां	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
					₹०	₹०
आन्ध्र प्रदेश	2	619	..	619	3,79,180	612.6
बम्बई	2	733	..	733	6,83,614	672.2
पश्चिमी बंगाल	1	599	..	599	4,44,556	742.2
जोड़	5	1951	..	1951	15,07,350	674.4

आयुर्विज्ञान के स्कूल

आयुर्विज्ञान के स्कूलों की संख्या में 9 की वृद्धि होने से इनकी कुल संख्या 124 हो गयी। बम्बई में 5, मध्य प्रदेश में 1 और पंजाब में 3 और स्कूल खोले गये। कुल स्कूलों में से 60 स्कूलों का प्रबन्ध सरकार, 6 स्कूलों का प्रबन्ध स्थानीय मंडल, 33 का सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 25 स्कूलों का प्रबन्ध वे गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी जो सहायता-प्राप्त नहीं थी। इन स्कूलों में और आयुर्विज्ञान कालेजों से संबद्ध स्कूल स्तर की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 8,281 (4,188 लड़के और 4,093 लड़कियां) से बढ़कर 10,688 (5,349 लड़के और 5,339 लड़कियां) हो गयी। पिछले वर्ष के 28,55,815 ₹० के खर्च की तुलना में 1958-59 में आयुर्विज्ञान स्कूलों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय की कुल रकम 28,92,670 ₹० रही। विभिन्न आयु-स्रोतों के अनुसार खर्च का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 61.9 प्रतिशत, स्थानीय मंडलों की निधियां 7.3 प्रतिशत, फीस 15.9 प्रतिशत, धर्मस्व 4.1 प्रतिशत और अन्य आयु-स्रोत 10.8 प्रतिशत। प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 311.4 ₹० रहा, जब कि पिछले वर्ष में यही रकम 363.5 ₹० थी।

आयुर्विज्ञान के स्कूलों के राज्यवार आंकड़े सारणी LXXXVII में दिए गए हैं।

शारीरिक शिक्षा के स्कूल

सन् 1958-59 में शारीरिक शिक्षा के 38 स्कूल थे, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 39 थी। आन्ध्र-प्रदेश में एक स्कूल बन्द हो जाने के कारण एक स्कूल कम हो गया। कुल स्कूलों में से, 2 स्कूलों का प्रबन्ध सरकार, 1 का प्रबन्ध स्थानीय मंडल, 32 का सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं, और 3 स्कूलों का प्रबन्ध, ऐसी गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी, जो सहायता प्राप्त नहीं थीं। इन स्कूलों में और शारीरिक शिक्षा के कालेजों के स्कूल स्तर की कक्षाओं में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3,100 (2,736 लड़के और 364 लड़कियां) से बढ़कर 3,639 (3,204 लड़के और 435 लड़कियां) हो गई। आलोच्य वर्ष में शारीरिक शिक्षा कालेजों पर कुल मिला कर 3,58,300 ₹० का प्रत्यक्ष व्यय हुआ। जब कि 1957-58 में यह खर्च 3,67,101 ₹० था। इसमें से 35.0 प्रतिशत खर्च सरकारी निधियों से, 2.1 प्रतिशत स्थानीय मंडलों की निधियों

सारणी LXXXVII—आयुर्विज्ञान के स्कूलों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या		छात्रों की संख्या †				व्यय	प्रति छात्र वार्षिक औसत खर्च
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
आंध्र प्रदेश	.	407	2	409			₹.	₹.
बम्बई	85	1,877	4,026	5,903	15,90,110	269.4		
केरल	.	161	31	192				
मध्य प्रदेश	5	128	94	222	1,37,685	740.2		
मद्रास	.	110	5	115				
मेसूर	12	511	440	951	3,10,037	326.0		
पंजाब	7	713	215	928	3,75,466	404.5		
राजस्थान	.	105	10	115				
उत्तर प्रदेश	2	129	8	137	13,697	351.2		
पश्चिमी बंगाल	10	764	303	1,067	3,55,116	332.8		
दिल्ली	1	399	153	552	1,05,984	692.7		
मनिपुर	1	45	2	47				
त्रिपुरा	1	.	50	50	4,575	91.5		
भारत	124	5,349	5,339	10,688	28,92,670	311.4		

† इसमें संबद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

से, 34.7 प्रतिशत खर्च फ्रीस से, 13.2 प्रतिशत धर्मस्व से और 15.0 प्रतिशत खर्च अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया। शारीरिक शिक्षा स्कूलों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 113 3 रु० रहा, जब कि पिछले वर्ष यह 140.6 रु० था।

इन स्कूलों के राज्यवार विस्तृत आंकड़े नीचे सारणी LXXXVIII में दिए गए हैं :—

सारणी LXXXVIII—शारीरिक शिक्षा के स्कूलों आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या*			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश	1	62	..	62	28,194	454.7
बिहार	2	179	..	179	10,630	59.4
बम्बई	14	801	204	1,005	1,87,198	186.3
मध्य प्रदेश	2	179	59	238	24,426	102.6
मद्रास	1	397	110	507	33,146	390.0
मैसूर	17	1,491	62	1,553	61,625	40.0
उड़ीसा	1	40	..	40	13,081	327.0
राजस्थान	..	26	..	26
उत्तर प्रदेश	..	29	..	29
जोड़	38	3,204	435	3,639	3,58,300	113.3

* इस में सम्बद्ध कक्षाओं में भरती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

तकनीकी और औद्योगिक स्कूल

आलोच्य वर्ष में तकनीकी और औद्योगिक स्कूलों की संख्या में 81 या 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 833 हो गई। केरल, राजस्थान और पाण्डीचेरी में इन स्कूलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्रमशः 12 और 1 स्कूल कम हो गए। शेष सभी राज्यों में इन स्कूलों की संख्या बढ़ गयी। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या में कमी होने का कारण यह था कि कुल स्कूलों ने राज्य सरकार को अपने आंकड़े नहीं दिए थे। दिल्ली में एक स्कूल बन्द होने से वहाँ उनकी संख्या कम हो गई। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल-प्रदेश, लङ्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, त्रिपुरा और नेफा के संघ राज्य क्षेत्रों में कोई भी औद्योगिक और तकनीकी स्कूल नहीं था। सबसे अधिक नये स्कूल (54) बम्बई में खुले। इसके बाद क्रमशः मैसूर (8), पंजाब (7), पच्छिमी बंगाल (7), मध्यप्रदेश (5), मद्रास (4), उड़ीसा (3), आसाम (2), बिहार (2), अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और मनिपुर (हरेके में 1) के नाम आते हैं। इन स्कूलों में से 503 का प्रबन्ध सरकार, 20 का प्रबन्ध स्थानीय भंडल, 284 का सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 26 स्कूलों का प्रबन्ध ऐसी गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी जो सहायता प्राप्त नहीं थीं। स्कूलों की संख्या में 10.8 प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि इनमें भरती होने वाले छात्रों की संख्या में 6.1 प्रतिशत वृद्धि हुई—अर्थात् इनके छात्रों की संख्या 60,644 (47,438 लड़के और 13,206 लड़कियाँ) से बढ़कर 64,705 (50,859 लड़के और 13,846 लड़कियाँ), हो गयी। इन स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 2,38,73,349 रु० से बढ़कर 2,72,87,534 रु० हो गया अर्थात् इसकी

मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 14.0 प्रतिशत अधिक हो गयी। खर्च की रकम में विभिन्न आय-स्रोतों का अंशदान इस प्रकार रहा : सरकार 80.0 प्रतिशत, स्थानीय मंडल 1.7 प्रतिशत, फ्रीस 8.7 प्रतिशत, धर्मस्व 3.5 प्रतिशत और दूसरे आय-स्रोत 6.1 प्रतिशत। प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च भी 362.3 रु० से बढ़कर 379.7 रु० हो गया।

औद्योगिक और तकनीकी स्कूलों के राज्यवार व्योरे सारणी LXXX में दिए गए हैं।

पशु-चिकित्सा विज्ञान के स्कूल

आलोच्य वर्ष में पशु-चिकित्सा विज्ञान का एक स्कूल कम हो गया। इस प्रकार इनकी संख्या 10 रह गयी। इस कमी का कारण पंजाब और बिहार, दोनों राज्यों में एक-एक स्कूल का बन्द होना और बम्बई में एक और स्कूल का खोला जाना था। उन दसों स्कूलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था। इन स्कूलों में और पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेजों से संबद्ध स्कूल स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1,346 में घट कर 1093 (सभी लड़के) रह गई, और इन पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 2,51,002 रु० से बढ़ कर 3,04,619 रु० हो गया।

पशु-चिकित्सा विज्ञान के स्कूलों पर किये गए कुल प्रत्यक्ष खर्च में से 99.8 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा दिया गया और शेष 0.2 प्रतिशत खर्च फ्रीस से पूरा किया गया। प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 231.1 रु० से बढ़ कर आलोच्य वर्ष में 300.4 रु० हो गया।

वृत्तिक और तकनीकी कालेज

सन् 1958-59 में देश में वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेजों की संख्या कुल मिलाकर 542 थी, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 489 थी। इस प्रकार इनकी संख्या में 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि 1957-58 में 22.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। उपर्युक्त संख्या में विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों की और कला और विज्ञान के कालेजों से संबद्ध वृत्तिक और तकनीकी कक्षाओं की संख्या को शामिल नहीं किया गया है। प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा देने वाले कालेजों की संख्या का विभाजन इस प्रकार था :—सरकार 257, स्थानीय मंडल 3, सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं 192, सहायता न पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं 87। विषयों के अनुसार इनका विभाजन इस प्रकार था :—कृषि 21, वाणिज्य 35, इंजीनियरी 54, वन-विज्ञान 3, विधि 32, आयुर्विज्ञान 110, शारीरिक शिक्षा 15, अध्यापक प्रशिक्षण 234, प्रौद्योगिकी 9, पशु-चिकित्सा-विज्ञान 17 और अन्य विषय 4। आलोच्य वर्ष में वनविज्ञान के कालेजों को छोड़ कर शेष सब विषयों के कालेजों की संख्या बढ़ गयी। वन-विज्ञान के कालेज की संख्या पिछले वर्ष की संख्या के समान रही। अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या में सबसे अधिक (30) वृद्धि हुई। इसके बाद क्रमशः कृषि (4), इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा-विज्ञान (हरेक में 3), वाणिज्य और प्रौद्योगिकी (हरेक में 2), विधि, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य (हरेक में 1) विषय आते हैं।

छात्र

वृत्तिक और तकनीकी कालेजों, विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यापन विभागों, अनुसन्धान संस्थाओं और वृत्तिक शिक्षा की संबद्ध कक्षाओं में आलोच्य वर्ष में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 1,82,153 (1,68,252 लड़के और 13,901 लड़कियाँ) से बढ़कर 2,01,689 (1,85,784 लड़के और 15,905 लड़कियाँ) हो गई। इस प्रकार इनकी संख्या 10.7 प्रतिशत बढ़ गयी, जब कि पिछले वर्ष इस संख्या में 12.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इन कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय स्तर पर दाखिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या 21.1 प्रतिशत थी। अन्य वर्षों के समान ही सबसे अधिक छात्र (66,582) वाणिज्य का अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद अन्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः इस प्रकार थी : आयुर्विज्ञान (32,950), इंजीनियरी (31,820), अध्यापक प्रशिक्षण (24,422), विधि (24,055), कृषि (10,871), पशु-चिकित्सा-विज्ञान (5,137), प्रौद्योगिकी (3,435), अन्य विषय (1,113), शारीरिक शिक्षा (745), और वन-विज्ञान (559)।

सारणी LXXXIX—तकनीकी और औद्योगिक स्कूलों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या †			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च	
	संस्थाओं की संख्या	लड़के	लड़कियाँ			
आंध्र प्रदेश	32	3,449	475	3,924	14,22,879	271.2
आसाम	25	1,138	194	1,332	10,47,517	826.1
बिहार	29	3,899	551	4,450	14,26,812	327.3
बम्बई	237	11,419	773	12,192	74,95,729	472.8
जम्मू तथा कश्मीर	100	100
केरल	8	954	89	1,043	5,42,284	278.0
मध्य प्रदेश	44	1,168	158	1,326	5,24,561	395.6
मद्रास	68	6,546	378	6,924	30,12,843	344.6
मैसूर	42	2,659	396	3,055	20,54,217	280.7
उड़ीसा	26	1,531	165	1,696	11,11,834	655.6
पंजाब	82	5,050	2,108	7,158	34,14,812	447.7
राजस्थान	2	487	..	487	2,66,234	546.7
उत्तर प्रदेश	82	3,110	2,279	5,389	18,56,336	378.8
पश्चिमी बंगाल	149	8,558	5,846	14,404	28,44,994	282.4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	10	..	10	9,236	513.1
दिल्ली	3	687	213	900	2,19,298	311.1
मनिपुर	1	53	15	68	7,906	197.7
पांडिचेरी	2	141	106	247	30,042	121.6
भारत	833	50,859	13,846	64,705	2,72,87,534	379.7

† इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

पशु-चिकित्सा विज्ञान के स्कूलों के विस्तृत राज्यवार आंकड़े सारणी XC—में दिए गए हैं।

सारणी XC—पशु-चिकित्सा विज्ञान स्कूलों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	2	422	..	422	1,18,153	280.0
बिहार	1	153	..	153	1,05,461	689.3
बम्बई	5	252	..	252	68,571	272.1
पंजाब	2	187	..	187	12,434	66.5
राजस्थान	..	76	..	76
पश्चिमी बंगाल	..	3	..	3
भारत	10	1,093	..	1,093	3,04,619	300.4

व्यय

आलोच्य वर्ष में वृत्तिक और तकनीकी कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 8,84,21,198 रु० से बढ़कर 11,19,25,693 रु० हो गया। इस प्रकार व्यय में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह रकम विश्वविद्यालयों और कालेजों पर किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यय का 26.5 प्रतिशत और सब प्रकार की संस्थाओं पर किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यय का 7.5 प्रतिशत थी। खर्च के लिए विभिन्न आयस्रोतों का अंशदान इस प्रकार था : सरकार 67.9 प्रतिशत, स्थानीय मंडल 8.7 प्रतिशत, फ्रीस 22.5 प्रतिशत, धर्मस्व 3.4 प्रतिशत और अन्य आयस्रोत 5.5 प्रतिशत। व्यय का सबसे अधिक भाग (39.4 प्रतिशत) आयुर्विज्ञान के कालेजों पर खर्च हुआ। इसके बाद क्रमशः इंजीनियरी कालेज (27.9 प्रतिशत), अध्यापक प्रशिक्षण कालेज (10.6 प्रतिशत), कृषि कालेज (8.6 प्रतिशत), वाणिज्य कालेज (4.2 प्रतिशत), पशु-चिकित्सा विज्ञान के कालेज (4.1 प्रतिशत), विधि-कालेज (2.0 प्रतिशत), प्रौद्योगिकी कालेज (1.5 प्रतिशत), वन-विज्ञान के कालेज (0.7 प्रतिशत), और शारीरिक शिक्षा के कालेज (0.6 प्रतिशत) आते हैं। शेष कालेजों पर खर्च की गयी रकम वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेजों पर किये गये खर्च की 0.4 प्रतिशत रही। सारणी के (10) से (14) तक के खानों में विभिन्न प्रकार के कालेजों पर किये गये खर्च का आयस्रोतों के अनुसार विभाजन दिखाया गया है। वाणिज्य, वन-विज्ञान और विधि को छोड़ कर शेष सभी प्रकार के कालेजों पर खर्च की गयी रकम का उल्लेखनीय अंश सरकारी निधियों से प्राप्त हुआ, और वाणिज्य, वन-विज्ञान और विधि के कालेजों का खर्च मुख्यतया फ्रीस से प्राप्त आय से पूरा किया गया। स्थानीय मंडलों ने केवल वाणिज्य, आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कालेजों को चलाने के लिए अंशदान दिया, परन्तु उनके अंशदान की रकम भी बहुत ही मामूली थी। जहाँ तक धर्मस्व और अन्य आय-स्रोतों का संबंध है, उनसे प्राप्त रकम केवल प्रौद्योगिकी कालेजों (25.7 प्रतिशत) के सम्बन्ध में ही उल्लेखनीय रही।

सभी प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च पिछले वर्ष के 710 4 रु० की तुलना में 800 2 रु० था। यह खर्च सबसे अधिक वन-विज्ञान के कालेजों में (1506.4 रु०) और सबसे कम विधि कालेजों में (158.8 रु०) रहा। अन्य कालेजों में यह खर्च 190.6 रु० (वाणिज्य के कालेज) से लेकर 1462.6 रु० (अन्य कालेज) के बीच रहा।

उत्तीर्ण छात्र

वृत्तिक डिग्रियों और समकक्ष डिप्लोमों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या आलोच्य वर्ष में 43,994 (38,735 लड़के और 5,259 लड़कियाँ) से बढ़कर 49,250 (43,734 लड़के और 5,516 लड़कियाँ) हो गई। सबसे अधिक छात्र (15,208) अध्यापक-प्रशिक्षण ग्रेजुएट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे इसके बाद क्रमशः वाणिज्य (14,527), विधि (6,498), इंजीनियरी (4,561), आयुर्विज्ञान (4,083) और कृषि (2,159) के नाम आते हैं। शेष व्यवसायों में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी।

सभी प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी XCII—में सिलसिलेवार दे दिये गये हैं।

अध्यापक-प्रशिक्षण कालेजों को छोड़कर (जिनकी चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है) कालेज-स्तर की विभिन्न प्रकार की वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा का संक्षिप्त विवरण, नीचे दिया जा रहा है:—

कृषि कालेज

आलोच्य वर्ष में कृषि कालेजों की संख्या 24 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें विश्वविद्यालयों के कृषि अध्यापन विभागों और अन्य विषयों के कालेजों से संबद्ध कृषि कक्षाओं की संख्या शामिल नहीं की गयी है। कृषि के कालेज जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष सब राज्यों में मौजूद थे। संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली में ही एक कृषि कालेज था। केवल उत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश राज्यों में ही कृषि कालेजों की संख्या बढ़ी। कुल कालेजों में से 23 का प्रबंध सरकार और

सारणी XCI—विभिन्न प्रकार के वृत्तिक

विषय	संस्थाओं की संख्या *		छात्रों की	
			लड़के	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	2	3	4	5
कृषि	25	29	9,242	10,776
वाणिज्य	33	35	62,712	66,002
इंजिनियरी	50	54	25,380	31,710
वन-विज्ञान	3	3	512	559
विधि	31	32	22,117	23,458
आयुर्विज्ञान	106	110	25,072	26,950
शारीरिक शिक्षा	14	15	535	607
अध्यापक प्रशिक्षण	203	234	14,644	16,200
प्रौद्योगिकी	7	8	2,949	3,402
पशु-चिकित्सा	14	17	4,803	5,108
अन्य	3	4	286	1,012
जोड़	489	542	1,68,252	1,85,784

* इसमें विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभाग तथा सामान्य शिक्षा के कालेजों से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभाग तथा सामान्य शिक्षा के कालेजों से सम्बद्ध कक्षाओं

और तकनीकी कालेजों के आंकड़े

संख्या †		व्यय		1958-59 में किए गये व्यय का प्रतिशत
लड़कियां				सरकारी निधियां
1957—58	1958—59	1957—58	1958—59	
6	7	8	9	10
		₹०	₹०	
62	95	75,05,276	96,68,781	76.7
494	580	39,43,338	46,18,560	16.2
53	110	2,36,91,771	3,12,59,013	66.2
..	..	7,85,481	7,80,311	18.3
481	597	20,41,205	22,49,992	5.0
5,245	6,000	3,32,71,580	4,40,61,062	72.9
116	138	6,63,086	7,14,489	75.1
7,407	8,222	1,03,39,025	1,19,11,870	76.0
9	33	11,69,465	16,57,817	62.8
29	29	41,13,198	45,40,131	83.0
5	101	8,97,773	4,63,667	76.0
13,901	15,905	8,84,21,198	11,19,25,693	67.9

कक्षाएं सम्मिलित नहीं की गई हैं।
के छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी XCI—विभिन्न प्रकार के वृत्तिक

विषय	1958—59 में किए गए व्यय का प्रतिशत			
	स्थानीय मण्डलों की निधियां	फ्रीस	धर्मस्व	अन्य आय-स्रोत
1	11	12	13	14
कृषि	..	11.3	0.9	11.1
वाणिज्य	..	75.5	2.6	5.7
इंजिनियरी	..	25.4	3.0	5.4
वन-विज्ञान	..	81.7
विधि	..	91.4	..	3.6
आयुर्विज्ञान	1.9	16.2	4.9	4.1
शारीरिक शिक्षा	..	16.2	5.8	2.9
अध्यापक प्रशिक्षण	..	14.7	3.9	5.4
प्रौद्योगिकी	..	11.5	3.0	22.7
पशु-चिकित्सा	..	12.8	..	4.2
अन्य	..	24.0
जोड़	0.7	22.5	3.4	5.5

और तकनीकी कालेजों के आंकड़े (जारी)

प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च		(डिग्री और समकक्ष डिप्लोमा परीक्षा) में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या		
1957—58	1958—59	लड़के	लड़कियां	जोड़
15	16	17	18	19
1,173.4	1,213.6	2,151	8	2,159
189.2	190.6	14,359	168	14,527
814.8	951.3	4,560	1	4,561
1,636.4	1,506.4	106	..	106
153.4	158.8	6,311	187	6,498
1,175.0	1,442.5	3,381	702	4,083
609.5	611.7	402	80	482
541.4	555.1	10,845	4,363	15,208
1,322.9	1,290.1	696	2	698
851.8	931.5	823	2	825
587.5	1462.6	100	3	103
710.4	800.2	43,734	5,516	49,250

सारणी XCII—वृत्तिक और तकनीकी

राज्य	संस्थाओं की संख्या*		छात्रों की	
			लड़के	
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59
1	2	3	4	5
आन्ध्रप्रदेश . . .	24	27	12,050	12,197
आसाम	8	9	2,985	3,291
बिहार	27	27	12,565	13,448
बम्बई	116	137	32,671	35,453
जम्मू तथा कश्मीर	3	3	216	270
केरल	23	26	4,642	5,745
मध्य प्रदेश	31	34	10,158	12,288
मद्रास	34	35	11,668	13,448
मैसूर	56	62	11,397	13,755
उड़ीसा	16	17	1,931	2,182
पंजाब	33	33	6,025	6,549
राजस्थान	19	19	9,315	10,705
उत्तर प्रदेश	45	52	25,669	27,363
पश्चिमी बंगाल	38	45	22,790	24,566
दिल्ली	10	11	3,733	4,025
हिमाचल प्रदेश	1	1	47	34
मनिपुर	128	186
त्रिपुरा	2	2	141	145
पाण्डिचेरी	3	2	91	134
भारत	489	542	1,68,252	1,85,784

*विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग तथा सामान्य शिक्षा के कालेजों से सम्बद्ध कक्षाएं शामिल
 †विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग तथा सामान्य शिक्षा के कालेजों से सम्बद्ध कक्षाओं

कालेजों के राज्यवार आंकड़े

संख्या†	व्यय				1958-59
	लड़कियां				में किये गये
	1957—58	1958—59	1957—58	1958—59	खर्च का प्रतिशत
6	7	8	9	10	
			₹०	₹०	
693	920	51,25,961	73,19,158	70.4	
68	101	16,99,014	22,69,271	87.1	
296	321	56,25,763	64,34,303	72.5	
3,494	4,023	1,84,81,314	2,26,41,210	50.3	
87	79	2,29,165	2,54,479	93.0	
849	892	19,90,154	27,52,222	61.1	
544	633	48,95,297	83,98,656	82.2	
1,032	1,302	84,78,484	1,03,50,763	62.3	
1,245	1,386	48,75,614	56,82,555	54.6	
124	151	14,14,057	16,73,333	87.0	
1,892	2,010	53,00,961	73,03,423	51.8	
197	242	29,70,279	38,65,051	73.3	
1,446	1,682	63,51,687	77,93,882	72.3	
1,325	1,457	1,37,57,153	1,57,37,702	79.9	
577	641	69,90,496	89,67,359	85.4	
1	12	38,479	54,190	100.0	
3	4	
1	8	72,223	81,242	99.6	
27	41	1,25,097	3,46,894	92.0	
13,901	15,905	8,84,21,198	11,19,25,693	67.9	

नहीं।

के छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी XCII--वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकड़े (जारी)

1958-59 में किए गये खर्च का प्रतिशत

राज्य	स्थानीय बोर्डों की निधि	शुल्क	धर्मस्व	अन्य स्रोत
1	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	17.4	0.6	11.6
आसाम	11.7	..	0.8
बिहार . . .	0.0	23.4	0.5	3.6
बम्बई . . .	3.7	36.4	0.2	9.4
जम्मू तथा कश्मीर	7.0
केरल	37.2	..	1.7
मध्य प्रदेश . . .	0.0	13.0	0.8	4.0
मद्रास	24.0	12.1	1.6
मैसूर	42.6	0.0	2.8
उड़ीसा	9.4	0.1	3.5
पंजाब	21.5	25.4	1.3
राजस्थान	17.8	7.4	1.5
उत्तर प्रदेश . . .	0.0	17.4	1.7	8.6
पश्चिमी बंगाल . . .	0.0	14.9	0.4	4.8
दिल्ली	7.5	0.6	6.5
हिमाचल प्रदेश
मणिपुर
त्रिपुरा	0.4
पाण्डीचरी	8.0
भारत	0.7	22.5	3.4	5.5

शेष का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। कृषि कालेजों में और संबद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 9,304 से बढ़कर 10,871 हो गई। दिल्ली को छोड़कर, जहाँ छात्रों की संख्या में कमी हो गयी, शेष सब राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषि-कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 75,05,276 रु० से बढ़कर 96,68,781 रु० हो गया। इस प्रकार इसमें 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस खर्च का 76.5 प्रतिशत सरकार ने पूरा किया, जब कि शेष आय-स्रोतों से प्राप्त रकम इस प्रकार थी : फ़ीस 11.3 प्रतिशत, धर्मस्व 0.9 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 11.3 प्रतिशत। कृषि कालेज में पिछले वर्ष की (1,173.4 रु०) की तुलना में आलोच्य वर्ष में कृषि कालेज में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 1,213.6 रु० था। कृषि में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 1,900 और 259 थी। इन कालेजों का राज्यवार विवरण सारणी XCIII में दिया गया है।

वाणिज्य के कालेज

सन् 1958-59 में वाणिज्य-कालेजों की संख्या 33 से बढ़कर 35 हो गई। आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल दोनों में एक-एक नया कालेज खोला गया। कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और सामान्य शिक्षा के कालेजों से संबद्ध कक्षाओं में भी वाणिज्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। कुल कालेजों में से, केवल 6 कालेजों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था, जब कि शेष 29 कालेज गैर-सरकारी संस्थाओं के नियन्त्रण में थे। इन कालेजों में और संबद्ध कक्षाओं में छात्रों की संख्या 3,376 बढ़ गयी और 66,582 (66,002 लड़के और 580 लड़कियां) हो गई। आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष सब राज्यों में छात्रों की संख्या बढ़ी। इन कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 39,43,338 रु० से बढ़कर 46,18,560 रु० हो गया—अर्थात् उसमें 17.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस खर्च का लगभग दो-तिहाई (75.5 प्रतिशत) फ़ीस से पूरा किया गया और सरकार से 16.2 प्रतिशत, धर्मस्व से 2.6 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोतों से 5.7 प्रतिशत मिला। इस सम्बन्ध में स्थानीय मंडलों का अंशदान नगण्य था। प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च में थोड़ी सी (189.2 रु० से बढ़कर 190.6 रु०) वृद्धि हुई। इस वर्ष 12,751 छात्रों (12,618 लड़के और 133 लड़कियां) को वाणिज्य की स्नातक डिग्री और उसके समकक्ष डिप्लोमा तथा 1,776 छात्रों (1,741 लड़के और 35 लड़कियां) को स्नातकोत्तर डिग्री दी गई।

इन कालेजों का राज्यवार विवरण सारणी XCIV में दिया गया है।

इंजीनियरी कालेज

पिछले वर्ष के 50 कालेजों की तुलना में 1958-59 में देश में इंजीनियरी के 54 कालेज थे। इस वृद्धि का कारण यह था कि केरल में दो नये कालेज और मद्रास, बम्बई तथा मैसूर में एक-एक नया कालेज खोला गया। दिल्ली में एक इंजीनियरी कालेज कम हो गया, क्योंकि दिल्ली के 'स्कूल आफ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर' को आलोच्य वर्ष में वास्तुशिल्प का कालेज मान लिया गया था। कुल कालेजों में से 27 कालेजों का प्रबन्ध सरकार, 21 कालेजों का सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 6 कालेजों का प्रबंध ऐसी गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी जो सहायता प्राप्त नहीं थी। इन कालेजों के अतिरिक्त अलीगढ़, अन्नमलई, बनारस, रुड़की, उत्कल विश्वविद्यालयों में, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में, और प्रौद्योगिकी के कुछ कालेजों में भी इंजीनियरी की शिक्षा की व्यवस्था की गई। कालेजों, विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 25,433 से बढ़कर 31,820 हो गई। उत्तर प्रदेश को छोड़कर छात्रों की संख्या सभी राज्यों में बढ़ी।

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या†			व्यय
		लड़के	लड़कियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6
					रु०
आंध्र प्रदेश . . .	2	603	21	624	10,14,320
आसाम . . .	1	208	..	208	3,85,153
बिहार . . .	2	537	..	537	7,77,012
बम्बई . . .	5	1,683	7	1,690	20,58,753
केरल . . .	1	297	17	314	1,96,816
मध्य प्रदेश . . .	4	1,013	..	1,013	8,42,162
मद्रास . . .	1	856	19	875	5,17,178
मैसूर . . .	2	758	1	759	6,87,105
उड़ीसा . . .	1	171	..	171	2,00,200
पंजाब . . .	1	784	..	784	6,83,131
राजस्थान . . .	2	550	..	550	6,53,472
उत्तर प्रदेश . . .	5	2,814	23	2,837	12,34,157
पश्चिमी बंगाल . . .	1	217	3	220	3,02,494
दिल्ली . . .	1	285	4	289	1,16,828
जोड़	29	10,776	95	10,871	96,68,781

† इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

कालेजों के आंकड़े

प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
	स्नातक			स्नातकोत्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
7	8	9	10	11	12	13
र०						
1,625.5	126	4	130
1,851.7	13	..	13
1,446.9	148	..	148	32	..	32
1,261.5	218	..	218	20	..	20
834.0	73	..	73
831.4	184	..	184	24	..	24
1,014.1	129	3	132
1,045.8	113	..	113	9	..	9
1,170.8	25	..	25
1,588.7	124	..	124	19	..	19
1,488.5	58	..	58
916.9	611	..	611	146	..	146
2,749.9	24	1	25	9	..	9
2,163.5	46	..	46
1,213.6	1,892	8	1,900	259	..	259

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या†			व्यय
		लड़के	लड़कियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश . .	2	3,661	15	3,676	१,११,५३१
आसाम	1,374	11	1,385	..
बिहार . .	2	6,284	..	6,284	३,९०,५००
बम्बई . .	16	13,786	397	14,183	२५,२१,७३६
जम्मू तथा कश्मीर . .	1	127	..	127	३९,७०४
केरल . .	1	1,726	40	1,766	१८,८७३
मध्य प्रदेश . .	2	5,026	7	5,033	२,६७,५६९
मद्रास	2,395	4	2,399	..
मैसूर . .	4	3,720	38	3,758	३,३८,५५७
उड़ीसा	404	..	404	..
पंजाब . .	2	205	..	205	१,२४,४८७
राजस्थान . .	2	6,615	14	6,629	२,४७,३३४
उत्तर प्रदेश	8,639	..	8,639	..
पश्चिमी बंगाल . .	2	10,534	47	10,581	२,५२,३७९
दिल्ली . .	1	1,185	3	1,188	३,०५,८९०
मनिपुर	186	4	190	..
त्रिपुरा	135	..	135	..
भारत	35	66,002	580	66,582	४६,१८,५६०

† इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होनेवाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

कालेजों के आंकड़े

प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
	स्नातक			स्नातकोत्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
7	8	9	10	11	12	13
रु० 212·0	883	5	888	56	1	57
..	130	..	130	17	..	17
145·7	665	..	665	112	..	112
429·3	1,858	92	1,950	195	12	207
312·6	17	..	17
91·6	561	21	582
249·1	729	..	729	162	22	184
..	948	1	949
131·6	259	6	265	7	..	7
..	95	..	95
723·8	46	1	47	2	..	2
214·5	591	..	591	155	..	155
..	2,245	..	2,245	695	..	695
138·2	3,276	7	3,283	325	..	325
389·2	286	..	286	15	..	15
..	9	..	9
..	20	..	20
190·6	12,618	133	12,751	1,741	35	1,776

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या†			व्यय
		लड़के	लड़किया	जोड़	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	4	2,327	..	2,327	14,74,535
आसाम	1	380	..	380	4,56,181
बिहार	5	2,717	..	2,717	30,56,325
बम्बई	10	5,384	37	5,421	67,69,071
केरल	3	1,262	39	1,301	6,25,234
मध्य प्रदेश	4	1,952	2	1,954	22,55,401
मद्रास	7	3,964	4	3,968	33,16,425
मैसूर	7	3,748	7	3,755	12,58,516
उड़ीसा	1	272	..	272	2,93,530
पंजाब	3	1,106	..	1,106	17,83,578
राजस्थान	2	988	..	988	12,10,083
उत्तर प्रदेश	2	2,821	3	2,824	8,56,856
पश्चिमी बंगाल	4	3,928	12	3,940	64,48,322
दिल्ली	1	861	6	867	14,54,956
भारत	54	31,710	110	31,820	3,12,59,013

† इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

कालेजों के आंकड़े

प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
	स्नातक			स्नातकोत्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
7	8	9	10	11	12	13
रु० 698·8	377	..	377
1,200·5
1,125·7	301	..	301	1	..	1
808·7	1,043	..	1,043	13	..	13
581·6	110	..	110
1,154·2	125	..	125	5	..	5
939·0	467	..	467	53	1	54
337·5	510	..	510	34	..	34
1,079·2
943·7	55	..	55	3	..	3
1,078·5	149	..	149	4	..	4
1,240·0	462	..	462
2,075·4	669	..	669	101	..	101
760·6	78	..	78
951·3	4,346	..	4,346	214	1	215

इंजीनियरी के कालेजों पर कुल मिलाकर 3,12,59,013 रु० का प्रत्यक्ष खर्च हुआ जब कि पिछले साल 2,36,91,771 रु० खर्च किये गये थे। इसके लिए विभिन्न आयस्रोतों से प्राप्त होने वाली रकम इस प्रकार थी : सरकार 66.2 प्रतिशत, फीस 25.4 प्रतिशत, धर्मस्व 3.0 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 5.4 प्रतिशत। प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 814.8 रु० से बढ़कर 951.3 रु० हो गया। इंजीनियरी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री लेने वाले छात्रों की कुल संख्या पिछले वर्ष के क्रमशः 4,062 (4,061 लड़के और 1 लड़की) और 146 (सभी लड़के) छात्रों की तुलना में आलोच्य वर्ष में क्रमशः 4,346 (सभी लड़के) और 215 (214 लड़के और 1 लड़की) हो गयी। इन कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी XCV में दिये गये हैं।

वन-विज्ञान के कालेज

वन-विज्ञान के कालेजों की संख्या पिछले वर्ष की भांति 3 ही रही। ये तीनों संस्थाएं सरकारी थीं। इन कालेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आलोच्य वर्ष में 512 से बढ़कर 559 (सभी लड़के) हो गई। इन कालेजों पर किया जाने वाला कुल प्रत्यक्ष व्यय 7,85,481 रु० से घट कर 7,80,311 रु० हो गया। इस खर्च का 81.7 प्रतिशत फ्रीम द्वारा प्राप्त होने वाली आय से पूरा किया गया और शेष रकम की व्यवस्था सरकारी निधियों से की गयी। प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 1,636.4 रु० से घट कर 1,506.4 रु० हो गया। आलोच्य वर्ष में 144 छात्रों (सभी लड़के) ने रेंजर पाठ्य-क्रम और 106 छात्रों ने वन अधिकारियों के उच्च पाठ्यक्रम में सफलता प्राप्त की।

वन-विज्ञान कालेजों के विस्तृत राज्यवार आंकड़े सारणी XCVI में दिये गये हैं।

विधि कालेज

आलोच्य वर्ष में एक नया विधि-कालेज खुलने से इनकी संख्या 32 हो गई। बम्बई और उत्तर प्रदेश में एक-एक कालेज बढ़ा, जब कि पाण्डिचेरी में एक विधि-कालेज बन्द हो गया। जम्मू और कश्मीर तथा किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र में कोई भी विधि-कालेज नहीं था। इन कालेजों के भ्रलावा, कला और विज्ञान के कुछ कालेजों में और कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में भी विधि की अध्ययन की व्यवस्था थी। 32 कालेजों में से 6 कालेजों का प्रबन्ध सरकार द्वारा, 7 का सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा और 19 कालेजों का प्रबन्ध ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था जो सहायता प्राप्त नहीं थीं।

सारणी XCVI—वन-विज्ञान कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या		व्यय	प्रति छात्र औसत		उत्तीर्ण छात्र		उच्च कृषिधिकारी			
		लड़के	लड़कियां		जोड़	वार्षिक खर्च	रेजर	लड़के		लड़कियां		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मद्रास	1	179	..	179	₹ 3,27,439	₹ 1 829.3	75	..	75	37	..	37
उत्तर प्रदेश	2	380	..	380	4,52,872	1,335.9	69	..	69	69	..	69
	3	559	..	559	7,80,311	1,506.4	144	..	144	106	..	106

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़	
1	2	3	4	5	6
					र०
आंध्र प्रदेश . . .	1	1,796	31	1,827	1,25,600
आसाम	1	371	3	374	26,745
बिहार	3	1,073	4	1,077	1,74,947
बम्बई	12	5,814	279	6,093	10,95,442
केरल	2	315	27	342	1,28,579
मध्य प्रदेश	3	1,008	9	1,017	38,880
मद्रास	1	931	17	948	1,64,255
मैसूर	5	1,065	34	1,099	2,00,336
उड़ीसा	1	201	2	203	32,878
पंजाब	1	743	7	750	1,36,369
राजस्थान	941	12	953	..
उत्तर प्रदेश	1	4,914	59	4,973	62,900
पश्चिमी बंगाल . . .	1	3,442	85	3,527	63,061
दिल्ली	844	28	872	..
भारत	32	23,458	597	24,055	22,49,992

इसमें सम्बद्ध कक्षाओं के छात्रों

के आंकड़े

प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
	स्नातक			स्नातकोत्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
7	8	9	10	11	12	13
र०						
89.1	489	9	498	5	1	6
71.5	46	..	46
194.6	254	2	256	1	..	1
164.7	1,536	101	1,637	20	..	20
376.0	96	10	106	1	..	1
121.5	167	2	169
173.3	457	5	462	2	..	2
182.3	269	10	279
162.0	48	1	49
181.8	332	1	333
..	267	1	268	5	..	5
115.2	1,564	25	1,589	5	..	5
100.1	384	8	392
..	363	11	374
158.8	6,272	186	6,458	39	1	40

की संख्या भी शामिल है ।

विधि-कालेजों, एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और संबन्ध कक्षाओं में छात्रों की संख्या 22,598 (22,117 लड़के और 481 लड़कियाँ) से बढ़कर 24,055 (23,458 लड़के और 597 लड़कियाँ) हो गई। आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और दिल्ली को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन छात्रों की संख्या बढ़ गयी। आलोच्य वर्ष में विधि कालेजों पर 22,49,992 रु० का प्रत्यक्ष व्यय हुआ जब कि पिछले वर्ष यह रकम 20,41,205 रु० थी। लक्षों का सबसे बड़ा भाग (91.4 प्रतिशत) फ्रीस से और शेष भाग सरकार (5.0 प्रतिशत) और अन्य आय-स्रोतों (3.6 प्रतिशत) से पूरा किया गया।

प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 153.4 रु० से बढ़कर 158.8 रु० हो गया। विधि की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 6,458 (6,272 लड़के और 186 लड़कियाँ) और 40 (39 लड़के और 1 लड़की) रही। विभिन्न राज्यों के विधि कालेजों के विस्तृत आंकड़े सारणी XCVII में दिये गये हैं।

आयु विज्ञान के कालेज

आलोच्य वर्ष में आयुर्विज्ञान के कालेजों (जिनमें औपध निर्माण विज्ञान के कालेज भी सम्मिलित हैं) की संख्या 110 थी जब कि पिछले वर्ष यही संख्या 106 थी। इसके अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में और अनुसन्धान संस्थाओं में भी आयुर्विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था थी। कालेजों की संख्या बढ़ने का कारण आंध्र प्रदेश, बम्बई और दिल्ली में एक-एक और कालेज का खोला जाना था। मध्य प्रदेश राज्य में भी एक और कालेज खुला। कुल 110 कालेजों में से, 61 कालेजों का प्रबंध सरकार, 3 का स्थानीय मंडलों, 37 का सहायताप्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं और 9 कालेजों का प्रबंध ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था जो सहायता प्राप्त नहीं थीं। आयुर्विज्ञान कालेजों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन-विभागों में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 30,317 (25,072 लड़के और 5,245 लड़कियाँ) से बढ़कर आलोच्य वर्ष में 32,950 (26,950 लड़के और 6,000 लड़कियाँ) हो गई। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह संख्या बढ़ी। पश्चिमी बंगाल में आयुर्विज्ञान के कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में कमी आने का कारण यह था कि वहाँ के संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में छात्रों की भर्ती बंद कर दी गयी थी। आयुर्विज्ञान के कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 1957-58 के 3,32,71,580 रु० की तुलना में 1958-59 में बढ़कर 4,40,61,062 रु० हो गया।

सन् 1958-59 में इस खर्च के लिए विभिन्न आय-स्रोतों से प्राप्त रकम इस प्रकार थी : सरकार 72.9 प्रतिशत, स्थानीय मंडल 1.9 प्रतिशत, फ्रीस 16.2 प्रतिशत, धर्मस्व 4.9 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 4.1 प्रतिशत। आयुर्विज्ञान के कालेजों में प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 1,442.5 रु० रहा। आलोच्य वर्ष में 3,666 छात्रों (3,004 लड़के और 662 लड़कियाँ) ने स्नातक डिग्री और 417 छात्रों (377 लड़के और 40 लड़कियाँ) ने स्नातकोत्तर डिग्री में सफलता प्राप्त की।

आयुर्विज्ञान कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी XCVIII में दिये गये हैं।

शारीरिक शिक्षा के कालेज

शारीरिक शिक्षा का एक नया कालेज खुलने से इनकी संख्या 15 हो गई। आलोच्य वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में एक और कालेज खोला गया। इनमें से 10 कालेजों का प्रबंध सरकार और शेष 5 कालेजों का प्रबंध सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। आलोच्य वर्ष में इन कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 651 (535 लड़के और 116 लड़कियाँ) से बढ़कर 745 (607 लड़के और 138 लड़कियाँ) हो गई। बिहार और राजस्थान को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। परन्तु इन शेष राज्यों में भी भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में अधिक कमी नहीं हुई। शारीरिक शिक्षा के कालेजों पर किया कुल प्रत्यक्ष व्यय 6,63,086 रु० से बढ़कर 7,14,489 रु० हो गया, जिसका 75.1 प्रतिशत सरकारी निधियों से पूरा किया गया। इसके बाद फ्रीस धर्मस्व और अन्य आय-स्रोतों से प्राप्त होने वाला अंश क्रमशः 16.2

सारणी XCVIII—आयुर्विज्ञान कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या		छात्रों की संख्या		व्यय		प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च		उत्तीर्ण छात्र		सनातकोत्तर	
	संस्था	संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़	रु०	रु०	रु०	लड़के	लड़कियां	जोड़	रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	8	2,164	636	2,800	37,22,647	1,183.6	246	59	305	30	1	31
आसाम	2	509	51	560	9,82,289	1,754.1	70	10	80
बिहार	7	1,541	215	1,756	13,65,768	846.2	228	15	243	46	2	48
बम्बई	20	5,156	1,379	6,535	77,06,216	1,218.0	571	146	717	98	14	112
केरल	3	732	244	976	9,10,484	961.4	93	26	119
मध्य प्रदेश	9	1,563	325	1,888	30,06,539	1,631.3	67	18	85	28	3	31
मद्रास	6	3,115	883	3,998	44,03,742	1,204.2	293	117	410	38	9	47
मैसूर	5	1,816	300	2,116	15,14,062	732.8	105	8	113
उड़ीसा	2	318	110	428	7,35,994	1,719.6	52	17	69
पंजाब	5	1,075	319	1,394	31,47,875	2,269.6	164	50	214	19	2	21
राजस्थान	7	947	142	1,089	8,58,825	817.9	102	7	109	19	..	19
उत्तर प्रदेश	15	3,418	405	3,823	27,51,040	1,247.6	429	40	469	88	6	94
पश्चिमी बंगाल	14	3,975	534	4,509	59,90,854	1,355.4	584	94	678	9	..	9
दिल्ली	6	528	435	963	66,35,083	8,495.6	..	55	55	2	3	5
पाण्डिचेरी	1	93	22	115	3,29,644
भारत	110	26,950	6,000	32,950	4,40,61,062	1,442.5	3,004	662	3,666	377	40	417

इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत रहा। प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च पिछले वर्ष के 609.5 रुपये से बढ़ कर 611.7 रु० हो गया। आलोच्य वर्ष में 402 लड़कों और 80 लड़कियों ने शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किये।

शारीरिक शिक्षा के कालेजों के राज्यवार विस्तृत आंकड़े सारणी XCIX में दिये गये हैं।

प्रौद्योगिकी के कालेज

प्रौद्योगिकी के दो नये कालेज और खोले जाने से इनकी संख्या 9 हो गयी। इनमें से 6 का प्रबंध सरकार के द्वारा, 1 का सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा और 2 कालेजों का प्रबंध ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था जो सहायता प्राप्त नहीं थी। इन कालेजों के अतिरिक्त आन्ध्र, अन्नमलई, बनारस, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, उस्मानिया और पंजाब विश्व-विद्यालयों के अध्यापन-विभागों और अखिल भारतीय स्तर के 3 अनुसंधान संस्थानों में भी प्रौद्योगिकी के शिक्षण की व्यवस्था की गयी। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में भी प्रौद्योगिकी के शिक्षण की व्यवस्था की गई। आलोच्य वर्ष में कालेजों, विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और अन्य संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 2,958 (2,949 लड़के और 9 लड़कियां) से बढ़कर 3,435 (3,402 लड़के और 33 लड़कियां) हो गई। बम्बई को छोड़कर शेष सभी राज्यों में छात्रों की संख्या बढ़ गयी। बम्बई में भी छात्रों की संख्या में अधिक कमी नहीं हुई।

सन् 1958-59 में प्रौद्योगिकी के कालेजों पर कुल मिलाकर 16,57,817 रु० का प्रत्यक्ष खर्च हुआ जब कि पिछले साल 11,69,465 रु० खर्च किये गये थे। कुल प्रत्यक्ष खर्च का 62.8 प्रतिशत खर्च सरकारी निधियों से, 11.5 प्रतिशत फ्रीस से, 3.0 प्रतिशत धर्मस्व से और 22.7 प्रतिशत अन्य आय-स्रोतों से पूरा किया गया। स्थानीय मंडलों का अग्रदान बहुत ही मामूली था। प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 1,322.9 रु० से 1,290.1 रु० हो गया। प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं (इनमें समकक्ष डिप्लोमा परीक्षाएं भी शामिल हैं) में सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 514 (512 लड़के और 2 लड़कियां) और 184 (सभी लड़के) थी।

प्रौद्योगिकी के कालेजों का राज्यवार विवरण सारणी C—में दिया गया है।

पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेज

आलोच्य वर्ष में पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेजों की संख्या 14 से बढ़कर 17 हो गयी। बम्बई, मैसूर और उत्तर प्रदेश में हरेक में एक-एक नया कालेज खोला गया। आन्ध्र प्रदेश के एक कालेज के अलावा, जिसका प्रबंध उस्मानिया विश्वविद्यालय करता था, शेष सभी कालेजों का प्रबंध सरकार करती थी। जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में इस प्रकार कालेज थे। सन् 1958-59 में किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कालेज नहीं था। आलोच्य वर्ष में इन कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 5,137 (5,108 लड़के और 29 लड़कियां) थी, जब कि गत वर्ष यह संख्या 4,832 (4,803 लड़के और 32 लड़कियां) थी। बिहार, केरल और पंजाब को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन छात्रों की संख्या बढ़ गयी। बिहार में इनकी संख्या में कमी आने का कारण यह था कि वहां दूसरी पारी की डिग्री कक्षाओं और डिप्लोमा कक्षाओं को बंद कर दिया गया था। शेष राज्यों में छात्रों की संख्या में बिल्कुल मामूली कमी हुई थी। पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय आलोच्य वर्ष में 41,13,198 रु० से बढ़कर 45,40,131 रु० हो गया। कुल खर्च का 83.0 प्रतिशत सरकार द्वारा, 12.8 प्रतिशत फ्रीस द्वारा और 4.2 प्रतिशत अन्य आयस्रोतों द्वारा पूरा किया गया। धर्मस्व से प्राप्त होने वाली रकम बिल्कुल मामूली थी। इन कालेजों में प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 931.5 रु० रहा जब कि पिछले वर्ष यह रकम 851.8 रु० थी। स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां पाने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 813 (811 लड़के और 2 लड़कियां) और 12 (सभी लड़के) थी।

पशु-चिकित्सा-विज्ञान के कालेजों के राज्यवार विस्तृत आंकड़े सारणी CI—में दिये गये हैं

सारणी C—प्रौद्योगिकी के

राज्य	मंस्थानों की संख्या	छात्रों की संख्या†			व्यय
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़	
1	2	3	4	5	6
					₹०
आन्ध्र प्रदेश	..	235	..	235	..
आसाम	1	44	18	62	58,562
बम्बई	1	519	8	527	2,10,826
मद्रास	..	524	..	524	..
मैसूर	1	75	..	75	1,61,303
पंजाब	1	193	..	193	1,30,462
उत्तर प्रदेश	1	786	1	787	2,08,860
पश्चिमी बंगाल	4	839	6	845	8,87,804
दिल्ली	..	187	..	187	..
भारत	9	3,402	33	3,435	16,57,817

† इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले

कालेजों के आंकड़े

प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
	स्नातक			स्नातकोत्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
	7	8	9	10	11	12
₹०						
..	38	..	38	15	..	15
464.8
1,849.4	175	2	177	13	..	13
..	86	..	86	4	..	4
989.6	14	..	14
728.8	47	..	47
779.3	55	..	55	42	..	42
2,040.9	53	..	53	110	..	110
..	44	..	44
1,290.1	512	2	514	184	..	184

छात्रों की संख्या भी शामिल है।

राज्य	सस्याओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय
		लड़के	लड़किया	जोड़	
1	2	3	4	5	6
					रु०
आन्ध्र प्रदेश	2	612	4	616	3,21,162
आसाम	1	235	..	235	1,96,419
बिहार	1	634	..	634	2,87,597
बम्बई	2	325	1	326	3,13,769
केरल	1	272	11	283	2,51,069
मध्य प्रदेश	2	567	3	570	5,00,665
मद्रास	1	625	7	632	4,39,457
मैसूर	1	88	1	89	56,981
उड़ीसा	1	145	..	145	1,63,942
पंजाब	1	362	..	362	2,02,413
राजस्थान	1	281	..	281	3,67,377
उत्तर प्रदेश	2	665	..	665	7,10,607
पश्चिमी बंगाल	1	297	2	299	7,28,673
भारत	17	5,108	29	5,137	45,40,131

†इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले

के कालेजों के आंकड़े

प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
	स्नातक			स्नातकोत्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
7	8	9	10	11	12	13
र०						
521.4	129	..	129
835.8	10	..	10
453.6	140	..	140
962.5	64	..	64
887.2	37	2	39
878.4	65	..	65
970.1	77	..	77	1	..	1
640.2
1,130.6	8	..	8
559.2	78	..	78
1,029.1	80	..	80
1,415.6	86	..	86	11	..	11
2,412.8	37	..	37
931.5	811	2	813	12	..	12

छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सन् 1958-59 में समाज-शिक्षा की बुनियादी मुद्दों को धारण करने के लिए अनेक कार्य किये गए। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों का सक्षिप्त वर्णन नीचे किया जा रहा है—

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल का 26वां प्रतिवेदन 15 और 16 जनवरी 1958 को मद्रास में हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश में सामाजिक शिक्षा की जो संकल्पना सामने आई है, उसे मान्यता देने हुए मंडल ने यह सिफारिश की कि मधुदाय विकास कार्यक्रमों में समाज-शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये। परन्तु मंडल ने यह बात फिर कही कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों और केन्द्र के स्तर पर समाज-शिक्षा की आयोजना बनाने और उसका समन्वय आदि करने का काम एक ही विभाग को सौंप देना चाहिए; और अधिक अच्छा यह होगा कि राज्य स्तर पर यह काम शिक्षा विभाग को और केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाए। मंडल ने यह भी सलाह दी कि जिन राज्यों में जिला समाज-शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, वहाँ उन्हें शीघ्र नियुक्त किया जाए।

राष्ट्रीय आधारभूत केन्द्र ने आलोच्य वर्ष में जिला समाज-शिक्षा आयोजकों को प्रशिक्षण देने का काम अपने हाथ में ले लिया और कुछ अनुसंधान प्रायोजनाएं आरम्भ की। यह केन्द्र समाज-शिक्षा के प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन की राष्ट्रीय संस्था के रूप में काम करता रहा। पहला प्रशिक्षण-क्रम 7 अप्रैल, 1958 से आरम्भ हुआ था। उसमें विभिन्न राज्यों के 16 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। दूसरे प्रशिक्षण-क्रम में, जो कि 17 नवम्बर, 1958 को शुरू किया गया था, 22 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय आधारभूत केन्द्र को यूनेस्को से 8 850 डालरों की कीमत के राज-सामान और उपकरण प्राप्त हुए और साथ ही यूनेस्को के दो विशेषज्ञ—प्रोफेसर चार्ल्स मैज और श्री ए० जे० हाल्स—की सेवाएँ भी प्राप्त हुईं। श्री मैज और हाल्स दृश्य-श्रव्य शिक्षा के क्रमशः अनुसंधान और मूल्यांकन कार्यों के विशेषज्ञ हैं। केन्द्र को 1958-59 में तकनीकी सहयोग मिशन से भी दृश्य-श्रव्य सामग्री, पुस्तकों, पत्रिकाओं, फिल्मों और मोटर-गाड़ियों के रूप में 17,452.77 डालर की सहायता प्राप्त हुई और साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ डा० हॉमर डेम्फर की सेवाएँ भी प्राप्त हुईं। दो अनुसंधान अधिष्ठात्रों के कार्यभार ग्रहण कर लेने में मामुदायिक केन्द्र संबंधी अनुसंधान प्रायोजना पर क्षेत्रीय कार्य आरम्भ किया गया। "ग्राम मित्र-स्थानों" पर एक प्रायोगिक जांच का काम भी पूरा किया गया। केन्द्र में विभिन्न देशों के 22 विद्यार्थी भी भारत में सामाजिक शिक्षा के कार्य का अध्ययन के करने के लिए आए और एक दिन से लेकर सात दिन तक केन्द्र में रहे।

समाज-शिक्षा संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता देने की योजना के अनुसार 1958-59 में 170 संस्थाओं को 4,95,889 रु० की मंजूरी दी गई।

आलोच्य वर्ष में कामगारों के लिए एक शिक्षा संस्थान खोलने की योजना को भी अन्तिम रूप दिया गया। संस्थान जिन उद्देश्यों के लिए काम करेगा उनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

- (i) श्रमिक वर्ग में ज्ञान-प्राप्ति की लालसा जगाना।
- (ii) उनमें नागरिक और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना।
- (iii) उनके लिए सामान्य शिक्षा की सुविधाएँ की व्यवस्था करना।
- (iv) अधिकाधिक विषयों में उनकी रुचि बढ़ाना।
- (v) उनके लिए मनोरंजन के स्वस्थ साधनों की व्यवस्था करना।

जामिया मिल्लिया के अनुसन्धान, प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र ने प्रौढ़ों के स्कूलों के पाठ्य-विवरणों, पाठ्य-पुस्तकों और अनुपूरक सामग्री पर अनुसन्धान करने के लिये जो योजना बनाई थी उसके अनुसार केन्द्र ने प्रौढ़-शिक्षा की पाठ्य-चर्चा को चार क्रमिक स्तरों में बांट दिया। योजना की पहली अवस्था में पाठ्य-विवरण बनाया गया था। तब केन्द्र ने योजना की दूसरी अवस्था पर काम करना आरम्भ किया और चार अनुसंधान एककों और दो स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से प्रौढ़ों के लिये 38 नये स्कूल खोले। इन चारों एककों के प्रादेशिक अध्यक्षों को इसी केन्द्र में प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण के बाद वे अपनी अपनी संस्थाओं में वापस चले गए और वहाँ उन्होंने प्रशिक्षण की अवधि में तैयार किए गए पाठ्य-विवरण और आयोजना के अनुसार कुछ परीक्षण कक्षाएं खोलने में अपनी-अपनी संस्थाओं की सहायता की।

समाज-शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिये साहित्य निर्माण करने की योजना के अधीन, इदारा-ए-तालीम-ओ-तरक्की, जामिया मिल्लिया को समाज-शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए पांच संदर्शिकाएं (हैंडबुक) तैयार करने का काम सौंपा गया। इदारे ने इसमें से तीन पुस्तकों की पाण्डुलिपिया आलोच्य वर्ष में प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन विषयों पर भी पुस्तिकाएं तैयार की गईं : (i) युवक क्लब कैसे बनायें; (ii) किसानों के मेलों का आयोजन और (iii) ग्राम जीवन और मनोरंजन।

प्रौढ़ों के लिए आदर्श पुस्तकें तैयार करवाने की योजना के अंतर्गत "ज्ञान सरोवर" नामक हिन्दी विश्वकोश का दूसरा खंड प्रकाशित किया गया। इस विश्वकोश में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए विभिन्न विषयों पर सरल भाषा में मनोरंजक सामग्री दी गयी है। इसके अतिरिक्त सर्वश्री हिन्दी विश्व भारती लखनऊ को भी दस जिल्दों में एक सस्ता हिन्दी-विश्वकोश तैयार करने के लिये आर्थिक सहायता दी गई।

आलोच्य वर्ष में शिक्षा मंत्रालय ने नये पाठकों के लिए सर्वोत्तम पुस्तकें लिखने वाले भारतीय लेखकों को (लगभग) 2,280 रु० के 10 पुरस्कार देने की यूनैस्को की एक योजना को अन्तिम रूप दिया। इस योजना में पुरस्कार देने के अतिरिक्त हर पुरस्कार-प्राप्त पुस्तक की 1500 प्रतियां खरीदने की भी व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय ने भी नव-साक्षरों के लिए लिखी गई पुस्तकों की पांचवीं प्रतियोगिता में विविध भारतीय भाषाओं की हरेक पुस्तक पाण्डुलिपि पर 500 रु० के 37 पुरस्कार दिए। पुरस्कार प्राप्त करने वाली हर पुस्तक की 1,500 प्रतियां भी विभिन्न राज्यों के विकास-खण्डों में बांटने के लिए खरीदी गईं। कम कीमत का अच्छा साहित्य तैयार करने के काम को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) को 75,000 रु० का अनुदान देना मंजूर किया गया।

लेखकों को नव-साक्षरों और बच्चों के लिये पुस्तकें लिखने की प्रविधियों का प्रशिक्षण देने के लिए साहित्य रचनालयों, (लिट्रेरी वर्कशाप) का आयोजन करने की योजना आलोच्य वर्ष में भी चालू रही। मद्रास, पंजाब और बिहार में तीन साहित्य रचनालयों का आयोजन किया गया।

धीरे पढ़ने वाले लोगों को उत्तम साहित्य की जानकारी कराने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने बाजार से इस प्रकार की पुस्तकों को खरीदने की एक योजना बनाई। हिन्दी प्रकाशकों से कहा गया कि वे 1956 से लेकर 1958 के पहले ढाई महीनों तक की अवधि में प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तकें मंत्रालय को भेजे। आलोच्य वर्ष में 328 पुस्तकें प्राप्त हुईं, और उन्हें समीक्षकों के पास भेज दिया गया। इस योजना के अधीन, पुस्तकों की 50 प्रतिशत कीमत राज्य-सरकारों द्वारा दी जाएगी और उन्हें ये पुस्तकें उनकी आवश्यकता के अनुसार भेजी जाएंगी।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा मंडल का पुनर्गठन किया गया। इसकी तीसरी बैठक 5 और 6 जनवरी 1959 को नई दिल्ली में हुई। आलोच्य वर्ष के अन्त में राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान ने काम करना प्रारंभ कर दिया।

सामुदायिक विकास और आधारभूत शिक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाले दृश्य साधनों पर राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में 8 से 27 नवम्बर 1958 तक यूनेस्को की प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में दक्षिण-पूर्व एशिया के तेरह देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस संगोष्ठी का उद्देश्य था : आधारभूत शिक्षा और समुदायिक विकास के लिए दृश्य साधनों के उत्पादन और प्रयोग के विषय में अपने-अपने अनुभवों और जानकारी का आदान-प्रदान करना।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा के विकास के लिए उपभोगी फिल्में बनाने की योजना के अन्तर्गत 1958-59 में निम्न लिखित 5 फिल्में बनाने का निश्चय किया गया :

- (i) राष्ट्रीय अनुशासन योजना,
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष,
- (iii) दिल्ली, के सात नगर,
- (iv) धाराएं और ज्वार-भाट, और
- (v) भारतीय खनिज-मैंगनीज।

गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं को भी उत्तम रूपक-फिल्में तैयार करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। दूसरी आयोजन में सरकारी क्षेत्र में दृश्य-श्रव्य योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी गई।

फिल्मों के आदान-प्रदान के संबंध में कनाडा के राष्ट्रीय-फिल्म मंडल से किए गए समझौते के अन्तर्गत, आलोच्य वर्ष में कनाडा से सात फिल्में प्राप्त हुईं। तकनीकी सहयोग मिशन से भी 'लिटरेसी फॉर प्रोग्राम' (कार्यक्रम के लिए साक्षरता की आवश्यकता) और "द स्कूल-सेकेण्डरी एजुकेशन" (स्कूल : माध्यमिक शिक्षा) नामक दो फिल्मों की 129 प्रतियां और "ट्रेनिंग द रूरल टीचर्स (गांव के अध्यापकों का प्रशिक्षण) फिल्म की 37 प्रतियां प्राप्त हुईं। इनमें से कुछ प्रतियां राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्रों और ग्राम-संस्थानों को दे दी गयी।

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान के लिए 48,723 रुपये 69 नये पैसे की फिल्में, फिल्म-पट्टियां, फिल्म उपकरण और अन्य दृश्य-श्रव्य साधन खरीदे गए। पुस्तकालय में 488 फिल्में और 54 फिल्म-पट्टियों आई और 89 नयी शैक्षिक और अन्य प्रकार की संस्थाओं ने पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण की, जिससे पुस्तकालय के सदस्यों की कुल संख्या 1,220 हो गई। इन सदस्यों को आलोच्य वर्ष में 9,719 फिल्में और 96 फिल्म-पट्टियां उपयोग के लिये दी गईं। आलोच्य वर्ष के अन्त तक 38 फिल्म-पट्टियों पर हिन्दी में टिप्पणियां भी तैयार की गईं। संस्थाओं में भेजते समय फिल्म-पट्टियों के साथ ये टिप्पणियां भी बराबर भेजी गईं। संस्थान के चलते फिरते सिनेमा एकक ने आलोच्य वर्ष में 121 फिल्में दिखाई और 48 पूर्वेक्षण सभाएं कीं। इसके अतिरिक्त, अन्य वर्षों की तरह आलोच्य वर्ष में भी दृश्य-श्रव्य शिक्षा पत्रिका के चार अंक प्रकाशित किए गए।

दृश्य साधन निर्माण एकक ने स्कूलों के लिए सामाजिक शिक्षा संबंधी आधे दर्जन चार्ट और पोस्टर तैयार किए। एकक ने दृश्य-श्रव्य शिक्षा में मुख्य-मुख्य विषयों पर एक विषयी निबन्ध पर पुस्तिकाएं और विवरणिकार्य तैयार करने की एक प्रायोजना भी चलाई ताकि अध्यापकों और शिक्षकों को दृश्य-श्रव्य साधनों का सही उपयोग करने के संबंध में जानकारी दी जा सके।

शिक्षा-मंत्रालय के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य मंत्रालय भी अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे थे। सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के निदेशानुसार पहली और दूसरी अवस्थाओं वाले विकास खण्डों में समाज शिक्षा आयोजकों को नियुक्त किया गया। आलोच्य वर्ष में सामुदायिक विकास मंत्रालय ने समाज-शिक्षा आयोजकों के प्रशिक्षण-विवरण में संगोधन करने का प्रयत्न किया। संशोधित पाठ्य-विवरण में इस बात पर बल दिया गया कि ग्रामों में युवक-संगठन, कृषक-संगठन, महिला-संगठन, पंचायत-संगठन आदि सामुदायिक संगठनों को उन्नत किया जाय और इन संगठनों के द्वारा सामाजिक शिक्षा से संबंधित कार्यों का आयोजन किया जाए। ग्राम-नेताओं के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। क्योंकि प्रशिक्षण के बाद वं सामाजिक शिक्षा के कार्यों में सहायक सिद्ध होते थे।

विभिन्न राज्यों में सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

आन्ध्र-प्रदेश

नव-साक्षरों की जानकारी बढ़ाने की सुविधाएँ देने के लिये राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की व्यवस्था की गई। जनता कालेज, दोनकाण्डे (ज़िला निजामाबाद) में आलोच्य वर्ष में 48 ग्राम-युवकों के प्रशिक्षण पर 21,901 रुपये खर्च किए गए। अन्य सुविधाओं के साथ उस रकम में से हर प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 25 रु० की वृत्तिका भी दी गई।

आसाम

एक साहित्य रचनालय का आयोजन किया गया और उसमें 15 लेखकों को बाल-साहित्य तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। कुछ चार्ट और दो पोस्टर भी छपवाए गए और उन्हें पुस्तकालयों और केन्द्रों में भेजा गया। इसके अतिरिक्त, समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 18 प्रशिक्षण केन्द्र खोल गए जिनमें 522 समाज-शिक्षा कार्यकर्ताओं को कृषि-पशु-पालन, कुटीर-उद्योग आदि विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।

बिहार

राज्य सरकार ने 'नव प्रशिक्षण' क्रम की एक योजना को स्वीकृति दी। इस योजना पर 14,000 रु० खर्च होने का अनुमान है। यह तय किया गया कि इस योजना पर विक्रम-खण्ड में काम किया जाय। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रशिक्षित करने के संबंध में भी एक योजना स्वीकृत की गयी। इस योजना पर 11,000 रुपये खर्च होने का अनुमान था। इसके अतिरिक्त राज्य में समाज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 9,125 रु० दिए गए।

बम्बई

आलोच्य वर्ष में 37 अल्पकालीन प्रशिक्षण क्रमों का आयोजन किया गया और उनमें 1,130 समाज-शिक्षा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित किया गया। इन पर कुल मिलाकर 27,701 रु० खर्च हुए। समुदाय-विश्वास प्रायोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में काम करने वाले समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिये पाठ्यक्रमों, शिबिरों, सगोष्ठियों और सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। सरकार ने गावों के स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की एक योजना भी मंजूर की ताकि ये अध्यापक गावों में समाज शिक्षा से संबंधित कार्य कर सकें।

उड़ीसा

उड़ीसा में राज्य दृश्य-श्रव्य शिक्षा मंडल बनाया गया और अन्य कार्यों के साथ-साथ राज्य में दृश्य-श्रव्य माधन तैयार करवाने का काम भी उसे सौंप दिया गया। आलोच्य वर्ष में समाज की चुनिंदा समस्याओं पर अनेक रंगों वाले पोस्टर, फ़िल्म-पट्टियाँ और ग्रामोफ़ोन रिकार्ड भी तैयार किए गए। अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में दृश्य-श्रव्य शिक्षा आरंभ की गयी और इस संबंध में आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए उन्हें अनुदान दिए गए। राज्य के तीन सुसंहृत क्षेत्रों में प्रौढ़ (समाज) शिक्षा केन्द्र खोले गए और प्रत्येक क्षेत्र की देख-रेख का काम ज़िला समाज शिक्षा आयोजक को सौंप दिया गया। नव साक्षरों के लिए अनुवर्ती साहित्य के रूप में 8 पुस्तकें भी तैयार की गयीं और वे लगभग सभी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में भेजी गयीं।

पंजाब

सामुदायिक प्रायोजनओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य में समाज शिक्षा का विकास किया गया। आलोच्य वर्ष में विभिन्न विकास खण्डों में 1,843 युवक कृषक क्लब, महिला संगठन, और बच्चों के पार्क बनाए गए। खण्ड-क्षेत्रों के पुस्तकालयों और वाचनालयों का काम भी जारी रहा। सरकार ने सामाजिक शिक्षा के कार्यों में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिए।

गवर्नमेन्ट जनता कालेज, दुजौर में आलोच्य वर्ष में 49 व्यक्तियों को ग्राम-नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया गया। आलोच्य वर्ष में इन प्रशिक्षित व्यक्तियों ने 38 गाँवों में काम किया।

उत्तर प्रदेश

नव साक्षरों के लिए साहित्य निर्माण की योजना के अन्तर्गत सात फ़िल्में, 4 फ़िल्म-पट्टियाँ और 6 पुस्तकें तैयार की गयीं। पहले की तरह 9,159 में भी जनवरी-फरवरी के महीनों में माघ मेले के मैदान में एक समाज-शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एक बहुत अच्छे पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई जिससे अनेकों व्यक्तियों ने लाभ उठाया।

आलोच्य वर्ष में जुलाई, 1958 में राज्य दृश्य-श्रव्य शिक्षा मंडल की दो बैठके हुईं और उसकी उप समिति की एक बैठक हुई। मंडल ने अपनी बैठक में इन दो बातों पर विचार किया : (i) शिक्षा संस्थाओं में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के शुल्क को एक आने से बढ़ाकर दो आना या इससे अधिक करने का प्रश्न, और (ii) प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) उपकरणों की खरीद के लिए विभाग द्वारा दिये गए 4000 रु० को अनुदान की रकम के लगभग बराबर अनुदान जुटाने की समस्या। यह कठिनाई जिला दृश्य-श्रव्य शिक्षा समिति के सामने एक समस्या बनकर खड़ी हो गयी थी। राज्य फ़िल्म संग्रहालय से फ़िल्में लेने की कठिनाईयों पर भी विचार किया गया और फ़िल्मों को उधार लेने के नियमों में संशोधन करके उन्हें राज्य-सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया। विभाग के फिल्म अनुभाग ने 1958-59 में जिन फ़िल्मों और फ़िल्म-पट्टियों के निर्माण का प्रस्ताव किया था, मंडल ने उनकी सूची को देखा और उसे स्वीकृति दी।

पश्चिमी बंगाल

नये ग्राम पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय खोले गये और जनता में अधिक-आधिक लोकप्रिय होने वाले वर्तमान पुस्तकालयों को अनुदान दिए गये।

आलोच्य वर्ष में 6 जिला समाज शिक्षा अधिकारियों को नई दिल्ली के राष्ट्रीय आचार-भूत शिक्षा के द्वारा चलाए गए 5 महीने के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेजा गया। समाज-शिक्षा आयोजकों को प्रशिक्षण देने वाले विभिन्न केन्द्रों में 52 समाज-शिक्षा आयोजकों ने अपना प्रशिक्षण-क्रम पूरा किया। पहले, समाज-शिक्षा आयोजकों को उन के कर्तव्य के स्वल्प और सीमा के विषय में स्पष्ट निदेशन न होने के कारण बड़ी कठिनाई होती थी। अब उनके काम के विशिष्ट और समेकित नियमों को स्पष्ट करने के लिए एक अनुदेशावली तैयार कर ली गयी है जिससे यह कठिनाई बहुत हद तक दूर हो गई है।

डेविड हेयर ट्रेनिंग कालेज से सबद्ध अनुसन्धान एकक ने प्रौढ़ नव-साक्षरो और बच्चों के लिए दो शब्दमालाए तैयार की। सामाजिक शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए बनीपुर के पोस्ट-ग्रेजुएट त्रेनिक ट्रेनिंग कालेज (स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज) और पीपुल्स कालेज ने मिल कर छह हफ्ते के एक प्रशिक्षण-क्रम का आयोजन किया, जिस में 100 समाज शिक्षा अध्यापकों ने भाग लिया।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

आलोच्य वर्ष में चार साक्षरता केन्द्र खोले गए। साहित्य और दृश्य-श्रव्य साधनों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 16 मि० भी० का एक प्रोजेक्टर और मैजिक लालटेन खरीदी गई।

दिल्ली

नव-साक्षरों के लिए साहित्य-निर्माण की योजना के अन्तर्गत, नव-साक्षर साहित्य की रचना करने वाले सर्वोत्तम लेखकों को पुरस्कार दिए गए और उनकी पुस्तकें भी खरीदी गयीं और बाँटी गयी।

निदेशालय ने सचल यानों (मोबाइल वान) के द्वारा दृश्य-श्रव्य शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था की और साथ ही स्कूलों के 20 अध्यापकों की एक टोली को दृश्य-श्रव्य साधन तैयार करने और उनका प्रयोग करने का प्रशिक्षण देने का भी निश्चय किया।

निदेशालय "हमारा गाँव" और "हमारा शहर" पाक्षिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन यथावत् करता रहा।

हिमाचल प्रदेश

अध्यापकों को दृश्य-श्रव्य साधनों से काम लेने का प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा-विभाग में एक दृश्य-श्रव्य शिक्षा एकक खोला गया। एकक ने विभिन्न संस्थाओं फ़िल्म-पट्टी प्रक्षेपी (फ़िल्मस्विट्स प्रोजेक्टर) और दृश्य-श्रव्य साहित्य दिया। दृश्य-श्रव्य साधनों के उपयोग पर सोलन में आलोच्य वर्ष में जो संगोष्ठी हुई थी उसमें 45 अध्यापकों ने भाग लिया।

सक्कादीब, मिनीकाय और मीनोदीबो द्वीपसमूह

आलोच्य वर्ष में एक समाज शिक्षा आयोजक को नियुक्त करके समाज शिक्षा के विकास का काम शुरू कर दिया गया। प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र पहले की भाँति ही काम करते रहे।

मनिपुर

एक दृश्य-श्रव्य शिक्षा एकक खोला गया। एकक ने विभिन्न मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों को 25 ब्रायोफ़ोन और 25 रेडियो दिये। आलोच्य वर्ष में बच्चों और प्रौढ़ नव-साक्षरों के लिए दो अलग-अलग पुस्तक प्रतियोगिताएं भी की गईं।

त्रिपुरा

आलोच्य वर्ष में एक समाज शिक्षा निरीक्षक की नियुक्ति की गई और राज्य-क्षेत्र के समाज-शिक्षा केन्द्रों के नियंत्रण, देखरेख और प्रशासन का सारा काम उसे सौंप दिया गया। सन् 1958-59 के अन्त तक समाज-शिक्षा आयोजकों के 24 पदों में से 22 पदों पर आयोजकों की नियुक्ति कर दी गयी। राज्य प्रशासन विभाग ने नव-साक्षरों के लिए पुस्तकें आदि भी तैयार करायी।

आलोच्य वर्ष में शिक्षा-निदेशालय में एक दृश्य-श्रव्य एकक खोला गया। एकक ने फिल्म प्रक्षेपी, मजिक लालटेनों, कठपुतली-नृत्यो, माडलों; चाटों और पोस्टर्स आदि के माध्यम से अनेक दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम किए।

स्कूल/कक्षाएं/केंद्र

सामाजिक शिक्षा देने वाले स्कूलों, कक्षाओं और केन्द्रों की कुल संख्या 2,027 से बढ़कर आलोच्य वर्ष में 47,988 (41,957 पुरुषों के लिए और 6,031 स्त्रियों के लिए) हो गई। इनमें से 11,930 का प्रबन्ध सरकार, 1,280 का प्रबन्ध स्थानीय मंडल और 34,778 का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं। इनमें पढ़ने वाले प्रौढ़ों की कुल संख्या 12,06,630 (10,58,912 पुरुष और 1,47,718 महिलाएं) से बढ़कर 12,57,721 (10,80,131 पुरुष और 1,77,590 महिलाएं) ही गई। इनमें से 5,52,564 पुरुषों और 88,772 महिलाओं को साक्षरता प्रमाणपत्र प्रदान दिये गये। इन केन्द्रों/कक्षाओं पर खर्च की गई कुल रकम 90,51,535 रु० से बढ़कर 63,86,950 रु० हो गयी। इस खर्च का लगभग 80.8 प्रतिशत सरकारी निधियों से 3.5 प्रतिशत स्थानीय मंडलों की निधियों से और 7.7 प्रतिशत अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया।

सन् 1957-58 और 1958-59 में विभिन्न राज्यों के समाज शिक्षा से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य मांकके सारणी CII—में दिखाये गये हैं।

राज्य	स्कूलों / कक्षाओं / केंद्रों की संख्या			भर्ती प्रौढ़ों की	
			वृद्धि (+) या कमी (-)	पुरुष	
	1957-58	1958-59		1957-58	1958-59
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1,898	1,869	- 29	52,362	52,000
आसाम	722	717	- 5	24,939	21,945
बिहार	6,302	6,617	+ 315	2,20,655	2,07,833
बम्बई	18,548	19,218	+ 670	2,93,380	3,12,224
केरल	573	134	- 439	8,170	3,578
मध्य प्रदेश	3,046	1,113	- 1,933	53,796	31,137
मद्रास	1,529	1,422	- 107	37,860	35,13 ₁
मैसूर	5,260	6,251	+ 991	92,085	91,967
उड़ीसा	1,777	2,798	+ 1,021	55,329	80,303
पंजाब	281	837	+ 555	8,122	11,239
राजस्थान	1,340	1,340	..	23,016	25,317
उत्तर प्रदेश	575	534	- 41	11,776	11,38 ²
पश्चिमी बंगाल	3,254	3,901	+ 647	1,49,943	1,70,912
अन्धमान और निको- बार द्वीपसमूह	..	4	+ 4	..	75
दिल्ली	194	198	+ 4	4,816	3,832
हिमाचल प्रदेश	177	64	- 113	4,068	621
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	5	5	..	132	122
मनिपुर	57	121	+ 64	1,302	1,717
त्रिपुरा	381	403	+ 22	16,361	17,426
पांडिचरी	42	40	- 2	800	1,209
भारत	45,961	47,586	+1,625	10,58,912	10,80,070

के आंकड़े

संख्या

महिलाएं		कुल व्यक्ति		वृद्धि (+) या कमी (-)
1957-58	1958-59	1957-1958	1958-59	
7	8	9	10	11
3,730	4,527	56,092	56,527	+ 435
2,587	3,026	27,526	24,971	- 2,555
27,230	26,678	2,47,885	2,34,511	-13,374
34,887	59,019	3,48,267	3,71,243	+22,976
499	354	8,669	3,932	- 4,737
5,429	1,231	59,225	32,368	-26,857
5,672	6,442	43,532	41,573	- 1,959
6,690	9,647	98,775	1,01,614	+ 2,839
2,722	8,690	58,051	89,093	+31,042
4,171	12,166	12,293	23,405	+11,112
4,936	5,428	27,952	30,745	+ 2,793
3,145	2,922	14,921	14,304	- 617
18,162	26,081	1,68,105	1,96,993	+28,888
..	6	..	81	+ 81
3,946	5,450	8,762	9,282	+ 520
59	41	4,127	662	- 3,465
..	..	132	122	- 10
244	1,053	1,546	2,770	+ 1,224
3,469	4,632	19,830	22,058	+ 2,228
140	197	940	1,506	+ 566
1,47,718	1,77,690	12,06,630	12,57,760	+51,130

राज्य	साक्षर होने वाले प्रौढ़ों की संख्या			अध्यापकों की संख्या	समाज-शिक्षा पर 1957-58
	पुरुष	महिलाएं	जोड़		
1	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	28,955	3,241	32,196	2,104	3,98,784
आसाम	15,935	2,387	18,322	717	1,50,011
बिहार	1,73,443	19,828	1,93,271	6,566	11,81,497
बम्बई	1,09,297	22,770	1,32,067	13,816	10,21,028
केरल	3,578	354	3,932	147	32,063
मध्य प्रदेश	21,374	616	21,990	1,002	6,62,137
मद्रास	*	*	..	1,804	4,16,060
मैसूर	40,518	4,727	45,245	6,251	1,29,356
उड़ीसा	61,183	6,604	67,787	2,968	3,59,743
पंजाब	8,258	6,510	14,768	741	5,86,759
राजस्थान	20,143	3,850	23,993	1,340	4,49,574
उत्तर प्रदेश	6,580	1,133	7,713	610	95,744
पश्चिमी बंगाल	43,012	7,335	50,347	4,917	23,45,921
अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह	68	6	74	4	..
दिल्ली	3,157	4,304	7,461	198	4,43,800
हिमाचल प्रदेश	621	41	662	64	4,421
लक्कादीव, मिनि-काय अमीनदीवी द्वीपसमूह	60	..	60	5	..
मनिपुर	1,145	814	1,959	121	6,850
त्रिपुरा	14,509	4,084	18,593	620	7,56,360
पांडीचेरी	767	168	935	40	11,427
भारत	5,52,603	88,772	6,41,375	44,039	90,51,535

*यह शून्य-क्रम तीन वर्ष का है। 1958-59

के आंकड़े--(जारी)

दिया गया कुल व्यय		शिक्षा पर हुए कुल व्यय की तुलना में		व्यय का प्रतिशत			
1958-59	वृद्धि (+) या कमी(-)	समाज-शिक्षा पर व्यय की गई रकम का प्रतिशत	सरकारी निधियों का प्रतिशत	जिला मंडलो पालि-काओं की निधियां	नगर आय-स्रोत	अन्य आय-स्रोत	
	रकम में	प्रतिशत में					
17	18	19	20	21	22	23	24
3,11,766 —	87,018 —	21.8	0.2	98.1	0.9	0.5	0.5
1,44,922 —	5,089 —	33.9	0.2	100.0
11,98,275 —	16,778 +	1.4	0.7	86.5	3.5
11,22,237 —	1,01,209 +	9.9	0.2	74.5	..	5.5	20.0
47,875 +	15,812 +	49.3	0.0	92.6	7.4
4,70,223 —	1,91,914 —	28.9	0.3	97.0	..	0.0	3.0
3,99,541 —	16,519 —	4.0	0.2	97.3	2.7
1,83,408 —	54,052 +	41.8	0.1	100.0
3,40,709 —	19,034 —	5.3	0.6	92.9	7.1
4,64,280 —	1,22,479 —	20.9	0.3	93.6	..	4.6	1.8
5,32,000 +	82,426 +	18.3	0.6	100.0
1,19,335 +	23,591 +	24.6	0.0	94.0	0.3	3.0	2.7
26,77,168 +	3,31,247 +	14.1	0.9	85.4	..	0.4	14.2
2,140 +	2,140 +	100.0	0.4	100.0
4,56,800 +	13,000 +	2.9	0.6	49.4	..	50.6	..
7,769 +	3,348 +	75.7	0.4	100.0
740 +	740 +	100.0	0.3	100.0
12,489 +	5,639 +	82.3	0.3	100.0
8,83,399 +	1,27,039 +	16.8	7.6	98.7	1.3
11,874 +	447 +	30.9	0.3	98.3	1.3
93,86,950 +	3,35,415 +	3.7	0.4	88.8	0.0	3.5	7.7

में कोई परीक्षा नहीं ली गई ।

दसवां अध्याय

विविध विषय

1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

वर्ष के दौरान पूर्व-प्राथमिक और पूर्व-बुनियादी स्कूलों की संख्या में समान रूप से वृद्धि होती रही। इनकी संख्या में 262 की वृद्धि होने पर कुल संख्या 1,190 हो गई। इन स्कूलों के अतिरिक्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ मलगन कक्षाओं में भी इस प्रकार की शिक्षा दी जाती रही। ऐसी कक्षाओं की संख्या मालूम नहीं है। कुल स्कूलों में से 81.9 प्रतिशत गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रबंध में थे (60.9 प्रतिशत सहायता प्राप्त और 21.0 प्रतिशत गैर-सहायता प्राप्त) 13.0 प्रतिशत स्थानीय मंडलों और शेष 5.1 प्रतिशत सरकार के प्रबंध में थे।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ मलगन कक्षाओं को मिला कर पूर्व-प्राथमिक और पूर्व-बुनियादी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या 1,37,698 (75,093 लड़के और 62,605 लड़कियाँ) थी, जब कि इससे पिछले वर्ष यह संख्या 1,11,391 (61,898 लड़के और 49,493 लड़कियाँ) थी। इसमें 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि उनके अतिरिक्त पिछले वर्ष 12.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

पूर्व-प्राथमिक और पूर्व-बुनियादी स्कूलों पर सीधे खर्च की गई रकम 32,99,544 रुपये से बढ़कर 45,10,081 रुपये हो गई। आमदनी के विभिन्न जरूरतों से किये गये इस व्यय का व्योरा इस प्रकार था: सरकार 27.4 प्रतिशत, स्थानीय मंडल 9.1 प्रतिशत, फ़ीस 36.1 प्रतिशत और दूसरे जरूरतों में 27.4 प्रतिशत।

इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 29.98 हो गई जिसमें से 2,100 प्रशिक्षित अध्यापक थे। आठवें वर्ष में कुल अध्यापकों में 86.5 प्रतिशत महिलाएँ थीं। आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्थाएँ की गईं।

सारणी CIII—में 1957-58 और 1958-59 के विषय में विभिन्न राज्यों के पूर्व-प्राथमिक स्कूलों से सम्बन्धित आँकड़े दिये गये हैं।

2. सौंदर्य बोध शिक्षा

सौंदर्य बोध शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों के क्रिया-कलापों में निरन्तर विस्तार होता रहा है। इस शिक्षा में चित्रकला, शिल्प, संगीत और नृत्य की शिक्षा शामिल थी। ड्राइंग अधिकांश राज्यों में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अनिवार्य और हाई स्कूलों में वैकल्पिक विषय था। संगीत और शिल्प (क्राफ्ट) प्रायः लड़कियों के स्कूलों में पढ़ाये जाते थे। बहुविध-पाठ्य-क्रमों से शिल्प-अध्यापन के विकास में सहायता मिली है।

सौंदर्य बोध शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के काय-कलापों का व्योरा नीचे दिया जा रहा है:—

संग्रहालयों के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने, जिसकी स्थापना 1956 में संग्रहालयों के पुनः संगठन और विकास संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देने और विभिन्न संग्रहालयों के बीच निकट संपर्क स्थापित करने के लिए की गई थी, दिसम्बर, 1957 में अपनी बैठक में बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। मंडल की सिफारिशों के अनुसार संग्रहालयों का पुनर्गठन और विकास करने के लिए 1958-59 के बजट प्राक्कलन में 9.4 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत का निर्माणकार्य लगभग पूरा हो रहा है। इस संग्रहालय का स्तर ऊंचा करने के लिए एक डिप्टी कीपर को संहालय विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया। कलाकृतियों की परिरक्षण विधि में प्रशिक्षण पाने के लिए एक रसायन सहायक को इटली भेजने का भी विचार था। इसके अतिरिक्त भारतीय गृह ऋण शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदर्शन संबंध व्यवस्था के लिए एक अमरीकी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गईं। बजट में संग्रहालयों के विकास के लिए 5.72 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता की प्रस्तावित अग्नि-सह इमारत का निर्माण आलोच्य वर्ष में शुरू कर दिया गया। वर्ष के दौरान संग्रहालय ने बिहार में सिहभूम जिले के चाइवाना और चक्रधरपुर से प्रागैतिहासिक पत्थर के औजार और कलकत्ता के श्री बी० बी० चटर्जी से बेंदोलॉन के दो मिट्टी की मुद्राएं और एक कीलाकार लेख-पट्टी प्राप्त की। संग्रहालय के रख-रखाव के लिए बजट में 1.28 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

31 जनवरी, 1959 को नागार्जुन सागर संग्रहालय का शिलान्यास किया गया और नालदा संग्रहालय को नये सरे से व्यवस्थित करने का काम शुरू किया गया। रुपर, लोथल और कोणार्क में संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई। विकटोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के सुधार के लिए 1.42 लाख रुपये और आधुनिक कला की राष्ट्रीय विधि के लिए कला-कृतियाँ खरीदने के लिए 1.85 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

संग्रहालयों के लिए कलाकृतियाँ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो कलाकृति क्रय समिति बनाई थी उसका पुनर्गठन किया गया। अब दो समितियाँ बना दी गई हैं जिनमें से एक राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए और दूसरी आधुनिक-कला की राष्ट्रीय विधि के लिए है। इन दोनों संस्थाओं के लिए कलाकृतियाँ खरीदने के लिए बजट में 4 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद को सरकार ने आलोच्य वर्ष में अपने अधिकार में ले लिया। इसमें ऐतिहासिक महत्व की कला कृतियाँ बहुत भारी संख्या में हैं। इसको दक्षिणी प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप देने का विचार है और इस काम के लिए बजट में 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

भारत सरकार का विचार था कि भारतीय विद्या समिति द्वारा अनुमोदित 20 विरल पांडुलिपियों को प्रकाशित किया जाय। इनमें से कुछ पांडुलिपियों को अनुसंधान संस्थाओं को सहायता अनुदान देकर प्रकाशित कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। इस काम के लिए 94,000 रुपये की व्यवस्था की गई।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने का काम जारी रहा।

भारत सरकार में देश ने सांस्कृतिक क्रिया कलाप को बढ़ावा देने के विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों को अनुदान दिये। स योजना के अन्तर्गत 4.95 लाख रुपये रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान, कलकत्ता और जलियानवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास, अमृतसर को स्मारक बनाने के लिए मंजूर किये गये। निर्धन उत्कृष्ट विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत 209 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई।

सारणी CIII—पूर्व-प्राथमिक

राज्य	छात्रों की संख्या*				
	स्कूलों की संख्या		लड़के		
	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59	1957-58
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	32	38	2,013	2,225	1,426
आसाम	24	25	600	3,322	670
बिहार	9	10	380	496	240
बंबई	482	685	29,296	37,594	19,720
जम्मू और कश्मीर	2,949	3,027	7,245
केरल	13	13	543	752	577
मध्य प्रदेश	111	120	3,960	4,136	3,349
मद्रास	30	28	1,400	1,291	1,319
मैसूर	119	139	3,830	5,046	3,499
उड़ीसा	5,743	4,435	2,760
पंजाब	2	3	338	430	288
राजस्थान	7	8	1,082	1,136	892
उत्तर प्रदेश	43	51	3,224	3,610	2,236
पश्चिमी बंगाल	36	41	3,215	3,349	2,992
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	477	582	312
दिल्ली	5	8	2,115	2,399	1,436
हिमाचल प्रदेश	2	2	31	34	23
मनिपुर	1	1	12	18	8
त्रिपुरा	1	1	22	27	22
पांडीचेरी	11	17	668	1,184	479
भारत	928	1,190	61,898	75,093	49,493

*इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध कक्षाओं में

स्कूलों के आंकड़े

जोड़			व्यय	
1958-59	1957-58	1958-59	1957-58	1958-59
7	8	9	10	11
			₹०	₹०
2,047	3,439	4,272	72,425	1,04,111
3,320	1,270	6,642	40,657	7,632
349	620	845	61,565	52,432
27,073	49,016	64,667	15,44,931	22,62,587
7,761	10,194	10,788
787	1,120	1,539	29,447	26,045
3,944	7,309	8,080	4,43,643	5,31,709
1,193	2,719	2,484	1,60,368	1,60,939
4,396	7,329	9,442	2,04,494	2,46,575
2,299	8,503	6,734
252	626	682	12,824	14,610
967	1,974	2,103	46,574	84,691
2,519	5,460	6,129	3,37,936	5,31,429
3,013	6,207	6,362	2,78,448	3,25,005
401	789	983
1,406	3,551	3,805	29,146	49,874
36	54	70	4,697	3,094
..	20	18	3,770	3,720
22	44	49	22,819	21,968
820	1,147	2,004	5,800	15,160
62,605	1,11,391	1,37,698	32,99,544	45,10,081

भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी CIV—संगीत, नृत्य और

राज्य	संस्थाओं की संख्या	संगीत के स्कूल		
		छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	6*	215	426	641
आसाम	13	231	503 (235)	734
बिहार
बंबई	53	1,654 (95)	2,513 (202)	4,167 (297)
केरल	3	93	286	379
मध्य प्रदेश	4	74	14	88
मद्रास	1	4	82	86
मैसूर	21	433	844	1,277
उड़ीसा	11	161	311	472
पंजाब
राजस्थान	4	160	202	362
उत्तर प्रदेश	8	88	355	443
पश्चिमी बंगाल	27	451	1,697	2,148
दिल्ली	1	14	239	253
मनिपुर
त्रिपुरा	3	5 (18)	21 (130)	26 (148)
भारत	155	3,583	7,493	11,076

*संगीत और नृत्य

नोट—कोष्ठकों में दिए गए अंकों में अन्य संस्थाओं

ललित कलाओं के स्कूलों के आंकड़े

संस्थाओं की संख्या	नृत्य के स्कूल				अन्य ललित कलाओं के स्कूल		
	छात्रों की संख्या				छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	संस्थाओं की संख्या	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
6	7	8	9	10	11	12	13
..	1	30	2	32
..	1	56	6	62
..	1	76	..	76
5	4 (1)	174 (31)	178 (32)	20	1,270 (66)	212 (14)	1,482 (80)
2	39	54	93	3	79	71	150
1	..	29	29
..	3	385	10	395
2	107	51	158	4	302	27	329
3	141	3	144	2	98	18	116
..	1	172	..	172
..
..
2	..	213	213	1	437	27	464
..	1	3	15	18
..	1	38	2	40
..
15	291	524	815	39	2,946	390	3,336

से संबंधित ।

के वास्तविक छात्रों की संख्या भी शामिल है ।

सारणी CV—संगीत, नृत्य और अन्य

राज्य	संस्थाओं की संख्या	संगीत कालेज		
		छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश
आसाम
बिहार	..	8	11	19
बंबई	1	241	193	434
मध्य प्रदेश	14	951	1,172	2,123
मद्रास	2	55	210	265
उड़ीसा	2	102	203	305
राजस्थान	1	17	40	57
उत्तर प्रदेश	6	342 (2)	699 (91)	1,041 (93)
पश्चिमी बंगाल	8	434	1,775	2,209
दिल्ली	1	5	22	27
मनिपुर
त्रिपुरा	1	2 (8)	12 (91)	14 (99)
भारत	36	2,157	4,337	6,494

नोट—कोष्ठकों में दिए गए अंकों में अन्य संस्थाओं

*संगीत और नृत्य

इसमें विश्वविद्यालयों के अध्यापन-विभागों में भर्ती होने

ललित कलाओं के कालेजों के आंकड़े

संस्थाओं की संख्या	नृत्य के कालेज				संस्थाओं की संख्या	अन्य ललित कलाओं के कालेज		
	छात्रों की संख्या					छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़			लड़के	लड़कियाँ	जोड़
6	7	8	9	10	11	12	13	
..	1	157	31	188	
..	
..	
..	2	462	188	650	
..	4	406	121	527	
..	9	1	10	
..	
..	
..	150	85	235	
..	1	283	125	408	
..	
1*	78	42	120	
..	
1	78	42	120	8	1,467	551	2,018	

के वास्तविक छात्रों की संख्या भी शामिल है।

से संबंधित है।

वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

विभिन्न भारतीय भाषाओं की चुनी हुई साहित्यिक रचनाओं के संकलन करने की योजना पर भी काम हो रहा था। इस योजना का लक्ष्य यह था कि मुख्य भारतीय भाषाओं की 20 कहानियों और कविताओं के संकलन अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाय ताकि लेखकों की ख्याति केवल भारत में ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें अन्य देशों में भी मान्यता मिल सके।

महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए 'टैगोर शताब्दी समिति' बनाई गई। इस समिति ने मार्च, 1958 की बैठक में अस्थायी रूप से एक विस्तृत कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की, जिसे मंत्रिमंडल ने सद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में स्थायी राज्य समितियाँ बनाने के लिए कहा गया ताकि वे कार्यक्रम को सम्वन्धित रूप से चला सकें। साहित्य अकादमी ने रवीन्द्रनाथ के साहित्यिक कार्यों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए उनकी कृतियों को छोटे-छोटे खंडों में छापने का काम शुरू किया।

संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं की संस्थाओं में सम्बन्धित आंकड़े सारणी CIV में दिये गये हैं।

हीनांगों की शिक्षा

हीनांगों के स्कूल दो बड़े वर्गों में बाँटे जा सकते हैं:— (1) विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के स्कूल और (2) शारीरिक रूप से हीनांग व्यक्तियों (अधे, बहरे, लूले, लंगडों) के स्कूल।

इनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:—

विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के स्कूल

1958-59 में विकृत मस्तिष्क वाले बच्चों के लिए 4 स्कूल थे जिनमें से 3 बम्बई में और 1 पश्चिमी बंगाल में था। बम्बई की पिछले वर्ष की संख्या में इस वर्ष एक की वृद्धि हुई। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 310 थी जब कि 1957-58 में यह संख्या 278 थी। इन संस्थाओं का कुल व्यय 2,13,665 रुपये से बढ़कर 2,83,627 रुपये हो गया और इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 38 से बढ़कर 50 हो गई। सरकार ने कुल व्यय का 60.1 प्रतिशत अंश दिया जब कि पिछले वर्ष सरकार ने 57 प्रतिशत व्यय उठाया था। इन स्कूलों के अतिरिक्त लखनऊ में बहरो के स्कूल में एक अलग अनुभाग में मानसिक रूप से हीनांग बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं दी गईं। इन संस्थाओं ने पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा की विशेष सुविधाएं दीं।

हीनांगों के स्कूल

आलोच्य वर्ष में हीनांगों के 124 स्कूल थे जब कि पिछले वर्ष इन स्कूलों की संख्या 115 थी। कुल स्कूलों में से 68 स्कूल अंधों के लिए, 45 बहरों और गूंगों के लिए और 11 लूले-लंगडों के लिए थे। हीनांगों के स्कूलों में से 26.6 प्रतिशत स्कूल सरकार के प्रबंध में, 1.6 प्रतिशत स्कूल स्थानीय मंडलों के प्रबंध में, 64.5 प्रतिशत स्कूल सहायताप्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रबंध में और 7.3 प्रतिशत स्कूल ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रबंध में थे जो सहायता-प्राप्त नहीं थीं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 6,737 (5,114 लड़के और 1,623 लड़कियाँ) थीं जब कि 1957-58 में यह संख्या 6,029 (4,534 लड़के और 1,495 लड़कियाँ) थीं। इन तीनों प्रकार के स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार थी : अंधों के स्कूलों में 3,220 बहरे-गूंगों के स्कूलों में 2,885 और लूले-लंगडों के स्कूलों में 632। इन तीनों प्रकार के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। हीनांगों के स्कूलों के व्यय में 1.78 लाख रुपये की वृद्धि होने पर कुल व्यय 34.51 लाख रुपये हुआ। इस व्यय का 65.0 प्रतिशत सरकार ने दिया और 2.2 प्रतिशत फ़ीस से पूरा किया गया। व्यय का 4.5 प्रतिशत अंश स्थानीय मंडलों से, 9.7 प्रतिशत अंश धर्मदाय से तथा 18.6 प्रतिशत अंश अन्य स्रोतों से मिला। इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 829 से बढ़कर 900 हो गई। इनमें से 484 अंधों के स्कूलों में, 364 बहरों और गूंगों के स्कूलों में और 52 लूले-लंगडों के स्कूलों में थे। लखनऊ में बहरो और गूंगों के स्कूल के प्रशिक्षण अनुभागों में बहरों के अध्यापकों की प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलती रहीं।

हीनांगों के स्कूलों के राज्यवार आंकड़े सारणी CVI में दिये गये हैं।

अधो के स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं के अनकल बनाये गये ब्रेल कूटाक्षर के माध्यम से दी गई। साथ ही छोटे उद्योगों जैसे कातने, बुनने, कुर्सियां बुनने, टोकरिया बनाने, ऊनी कपड़े बुनने आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया। इनमें से अधिकांश स्कूलों में गायन और वाद्य-संगीत के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। बहरों को शिक्षा देने का मुख्य आधार ओठों की गति और उच्चारण ही था। इन स्कूलों में लिखने, पढ़ने और गणित की शिक्षा के साथ-साथ दर्जी का काम, बढ़ईगिरी और कुछ शिल्प भी सिखाय जाते थे।

देहरादून में प्रौढ़ अधो के प्रशिक्षण केन्द्र ने 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के अपने 150 पुरुष प्रशिक्षार्थियों को और 20 महिला प्रशिक्षार्थियों को मुख्यतः कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देना जारी रखा। पुरुषों और स्त्रियों के खंडों के रख-रखाव के लिए क्रमशः 2,64,000, और 47,000 रुपये की व्यवस्था की गई। प्रौढ़ अधो के प्रशिक्षण केन्द्र में लघु-इंजीनियरी खंड खोलने के लिए भी 47,000 रुपये की व्यवस्था की गई। भारत सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश देने की नीति में परिवर्तन किया। नई नीति के अनुसार हाल में ही अन्धे हुए प्रौढ़ों को प्रवेश देने के मामले में अप्रता दी जाती है।

केन्द्र के साथ सलग्न आश्रयार्थियों के कारखाने में 9 अन्धे व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इनमें से 5 को कुर्सी बुनने का काम और 4 को कपड़ा बुनने का काम दिया गया। 25 व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कारखाने का विस्तार करने के कार्यक्रम को 1958-59 के दौरान अमल में नही लाया जा सका।

अधो के राष्ट्रीय केन्द्र के बारे में रिपोर्ट देने के लिए जनवरी, 1959 में जो समिति बनाई गई थी उसके वर्तमान व्यवस्था को नये सिरे से संगठित करने और अतिरिक्त एकक स्थापित करने के उपाय सुझाए ताकि अधो के राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का काम पूरा किया जा सके। समिति की सिफारिशों सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली गई है।

देहरादून में अन्धे बच्चों के मॉडल स्कूल की स्थापना, हीनांग बालको की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना थी। यह स्कूल अधो के राष्ट्रीय संस्थान का अंग होगा। वर्ष के दौरान में बाल-विहार और प्राथमिक अनुभाग किराये की इमारत में शुरू किये गये। आशा है कि यह स्कूल अन्त में पूरे तौर से अधो का एक माध्यमिक स्कूल बन जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, हीनांगों को काम देने के लिए, ब्रिटेन के एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई। विशेषज्ञ के परामर्श से रोजगार संगठन की स्थापना की रूपरेखा तयार की गई। इस योजना के अन्तर्गत चार ऐसे प्रायोगिक रोजगार कार्यालय स्थापित करने का विचार था जो प्रशिक्षित अधो, बहरे और विकलांग व्यक्तियों को उचित रोजगार दिलाने का काम संभाल सके। ये कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंग के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार का पहला कार्यालय मार्च, 1959 में बम्बई में स्थापित किया गया।

केन्द्रीय ब्रैल प्रैस, देहरादून ने—जिसका मुख्य कार्य भारतीय भाषाओं में ब्रैल साहित्य तैयार करना था मुख्यतः हिन्दी में 12 ब्रैल पुस्तकें प्रकाशित कीं। ये पुस्तकें 30-40 ब्रेल खंडों में हैं। प्रैस ने त्रैमासिक ब्रैल निचय "आलोक" का पहला अंक प्रकाशित किया। इस पत्रिका में अधो के लिए उपयोगी पठन-सामग्री होती है। इस प्रैस के लिए 1958-59 के बजट में 75,000 रुपये की व्यवस्था की गई।

अधो के लिए ब्रेल उपकरण बनाने के कारखाने ने, देश में पहली बार गणित फ्रेम बनाने का काम शुरू किया। इस कारखाने के लिए 1958-59 के बजट में 47,000 रुपये की व्यवस्था की गई।

मारणी CVI—हीनांगों के स्कूलों

राज्य	स्कूलों की मख्या				
	हीनांगों के लिए			विकृत मस्तिष्क बालों के लिए	जोड़
	अधो के लिए	गुणे-बहुरों के लिए	तूले-लंगड़ों के लिए		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	4	1	3	..	8
आसाम	1	1	2
बिहार	4	2	6
बंबई	18	15	3	3	39
जम्मू और कश्मीर	1	1
केरल	4	3	7
मध्यप्रदेश	3	1	4
मद्रास	4	5	4	..	13
मैसूर	3	3
उड़ीसा	..	1	1
पंजाब	5	1	1	..	7
राजस्थान	2	2
उत्तर प्रदेश	12	9	21
पश्चिमी बंगाल	3	5	..	1	9
दिल्ली	3	1	4
पांडीचेरी	1	1
भारत	68	45	11	4	128

के आंकड़े

छात्रों की संख्या						
हीनांग			विकृत मस्तिष्क वाले छात्र के लिये	जोड़	कुल व्यय	अध्यापकों की संख्या
अंघ	गूंगे-बहरे	लूले-लंगड़े				
7	8	9	10	11	12	13
					₹०	
208	41	109	..	358	1,17,838	47
28	50	78	27,837	16
155	83	238	1,46,315	31
810	685	124	246	1,865	12,59,002	273
15	15	8,892	4
96	218	314	1,17,345	45
98	57	155	59,724	26
378	743	362	..	1,483	3,76,805	159
191	191	82,786	28
..	18	18	10,215	3
180	12	37	..	229	98,130	32
91	91	73,526	13
518	373	891	6,12,341	113
198	382	..	64	644	4,97,202	100
239	223	462	2,44,008	59
15	15	2,593	1
3,220	2,885	632	310	7,047	37,34,559	950

चुने हुए क्षेत्रों में हीनागों का स्थानीयपुनर्वास सर्वेक्षण करने की योजना आलोच्य वर्ष में चलती रही। इस योजना का उद्देश्य यह था कि विकलांगता की विभिन्न स्थितियों के अनुपात तथा हीनागों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जा सके। दम्बई में सर्वेक्षण संबंधी ये दोनों कार्य पूरे हो चुके हैं और रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। दिल्ली में सर्वेक्षण का काम चल रहा था। आगामी वित्त वर्ष में कानपुर में दोनों ही दृष्टियों में सर्वेक्षण करने की मजूरी दी गई।

स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं की सहायता की योजना के अन्तर्गत हीनागों की संस्थाओं को उनकी वर्तमान सेवाओं में विकास करने या नई सेवाएं शुरू करने के लिए 56,495 रुपये की रकम अनुदान के रूप में दी गई।

हीनागों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत 79 अन्ध छात्रों और 70 बहरे छात्रों की छात्रवृत्तियों का नवीयन किया गया। 6 और 25 वर्ष के बीच की आयु के 109 विकलांगों की छात्रवृत्तियाँ का भी नवीयन किया गया ताकि वे सामान्य शिक्षा या व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण जारी रख सकें। 1958-59 में इनमें से किसी भी वर्ग में से नई छात्रवृत्तियाँ देने के लिए कोई चुनाव नहीं किया गया।

हीनागों की शिक्षा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का तीन वर्ष के लिए पुनर्गठन किया गया। 23-24 अक्टूबर, 1958 को मसूरी में अपनी बैठक में, परिषद ने हीनागों से सम्बन्धित उन योजनाओं का अनुमोदन किया, जिन पर तीसरी योजना में शामिल करने के लिए, विचार किया जाना चाहिए। इन योजनाओं का सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से था:—

- (1) विभिन्न प्रकार के हीनाग व्यक्तियों के लिए आदर्श प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना,
- (2) इन संस्थाओं और वर्तमान संस्थाओं के लिए अध्यापकों तथा दूसरे आवश्यक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,
- (3) प्रशिक्षित हीनाग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना।

परिषद ने एक ऐसा विधान बनाने का मुझाव भी दिया, जिसके अनुसार संबंधित राज्य सरकार से लाइसेंस लिए बिना हीनागों के लिए कोई भी संस्था स्थापित न की जा सकती हो।

4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों की शिक्षा की ओर केन्द्र और राज्य सरकारें पहले की तरह विशेष ध्यान देती रहीं। आलोच्य वर्ष में जिन योजनाओं का काम होता रहा उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय ये थीं—उक्त वर्गों के लिए संस्थायें खोलना और उनको बनाये रखना; स्कूलों, कालेजों और छात्रावासों में इन वर्गों के छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित करना; उन्हें छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकरण और दूसरी वित्तीय सुविधाएँ देना; स्कूल, छात्रावास और परीक्षा की फीस माफ़ करना, तथा निःशुल्क निवास की व्यवस्था करना और मुफ्त कपड़े, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि देना।

इन वर्गों के लिए भारत सरकार की उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी आलोच्य वर्ष में चालू रही। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों में, मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए छात्रवृत्तियों पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़कर 1958-59 और दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की शेष अवधि के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपये कर दी गई। दो करोड़ रुपये खर्च की सीमा 1957 में निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही 1957-58 की छात्रवृत्तियों की बची हुई रकम में से 2 लाख रुपये की रकम 1958-59 वर्ष के दौरान उन छात्रों पर व्यय करने के लिए दी गई जिनको 1957-58 में छात्रवृत्तियाँ मंजूर की जा चुकी थी।

सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के प्रार्थियों को 1958-59 में लागू नियमों के अनुसार आर्थिक स्थिति या योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि केवल पास होने के आधार पर छात्रवृत्तियां दी गईं। परन्तु अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों का चुनाव पहले की तरह योग्यता और आय के आधार पर किया गया।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों, और दूसरे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की इस योजना के अन्तर्गत दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या और तीनों वर्गों पर वर्ष के दौरान किये गये व्यय का व्यौरा नीचे दिया गया है:—

	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या	व्यय
	रुपये	रुपये
अनुसूचित जातियां	32,552	1,25,86,130
अनुसूचित कबीले	4,831	20,76,169
दूसरे पिछड़े वर्ग	12,590	76,50,246
योग	49,963	2,23,12,545

पिछले वर्ष तीनों वर्गों के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियां की संख्या और उन पर किया गया कुल व्यय क्रमशः 44,415 और 20,150 लाख रुपये था। इन छात्रवृत्तियों में शिक्षाशुल्क और पुस्तकों, लेखन सामग्री आदि के लिए अनुदान शामिल थे।

तीनों पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने के लिए भी छात्रवृत्तियां दी गईं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और दूसरे पिछड़े वर्गों को विदेश-छात्रवृत्तियां देने की योजना के अन्तर्गत 12 विदेश छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवार चुनने का काम संघीय लोक-सेवा आयोग को सौंपा गया। किन्तु चुनाव देर से होने के कारण कोई भी विद्यार्थी विदेश नहीं जा सका। पिछले वर्ष के उम्मीदवारों में से तीन 1958-59 के दौरान विदेश में अध्ययन के लिए गए। इस योजना के अन्तर्गत पहले विदेश गए हुए चार विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करके भारत लौटे। इन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त 'दूसरे पिछड़े वर्ग' के चार विद्यार्थियों को, जिन्हें विदेशी छात्रवृत्तियां मिली थी, पर्यटक श्रेणी की यात्रा का खर्च दिया गया और एक विद्यार्थी को, जो पिछले वर्ष विदेश गया था पर्यटक श्रेणी में वापसी यात्रा करने के लिए अनुदान दिये गये।

विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलो और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाली संस्थाओं की संख्या आलोच्य वर्ष में 13,819 थी जब कि पिछले वर्ष यह संख्या 15,369 थी। संस्थाओं की संख्या में कमी का कारण यह था कि आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में इन संस्थाओं का सभी विद्यार्थियों की संस्थाओं के रूप में पुनः वर्गीकरण कर दिया गया। पिछड़े वर्गों के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो सामान्य, व्यावसायिक और विशेष शिक्षा पा रहे थे 1,16,48,883

सारणी CVII—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों

राज्य	अनुसूचित जातियों आदि के लिए विशेषरूप से खोजी गई संस्थाओं की संख्या	छात्रों की कुल संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	..	11,31,981	5,51,613	16,83,594
आसाम	1	5,02,830	2,50,156	7,52,986
बिहार	1,964	17,12,999	2,86,922	19,99,921
बंबई	..	11,63,117	3,79,651	15,42,768
जम्मू और कश्मीर	..	2,996	185	3,181
केरल	..	5,49,535	4,02,367	9,51,902
मध्य प्रदेश	1,316	4,29,937	56,498	4,86,435
मद्रास	1,896	15,45,246	7,45,976	22,91,222
मैसूर	522	1,42,513	55,447	1,97,960
उड़ीसा	6,477	3,79,558	89,701	4,69,259
पंजाब	..	2,30,105	37,303	2,67,408
राजस्थान	..	1,83,395	12,365	1,95,760
उत्तर प्रदेश	625	14,18,891	1,14,278	15,33,169
पश्चिमी बंगाल	..	6,51,374	1,82,782	8,34,156
अटमान और निकोबार द्वीपसमूह	62	2,677	1,540	4,217
दिल्ली	..	49,420	12,234	61,654
हिमाचल प्रदेश	..	11,327	1,458	12,786
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	16	2,002	885	2,887
मनिपुर	811	33,211	6,353	39,564
त्रिपुरा	1	41,143	12,822	54,965
नेफा	128	4,970	663	5,633
पांडीचेरी	..	15,227	10,600	25,827
भारत	13,819	1,02,05,454	32,11,800	1,34,17,254

और दूसरे पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा के आंकड़े

छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं पाने वाले छात्रों की संख्या			छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाओं और दूसरी द्वितीय रियायतों पर कुल व्यय	अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए विशेष रूप से खोली गई मरस्थाओं पर कुल व्यय
लड़के	लड़कियां	जोड़		
6	7	8	9	10
50,409	14,183	64,592	46,69,050	..
32,797	8,560	41,357	21,53,521	16,304
59,333	6,863	66,196	68,70,515	16,60,336
3,23,017	1,01,024	4,24,041	97,37,145	..
647	..	647	87,560	..
1,33,761	1,00,089	2,33,850	41,37,550	..
59,647	8,465	68,112	26,84,705	47,12,215
43,473	16,882	60,355	69,75,270	48,21,956
6,477	663	7,140	7,57,257	1,38,759
2,30,122	53,530	2,83,652	37,11,297	99,86,955
33,866	583	34,449	31,01,691	..
19,811	925	20,736	8,49,406	..
1,00,270	5,074	1,05,344	64,26,689	10,00,285
32,614	5,014	37,628	42,47,381	..
15	5	20	30,960	5,00,530
21,765	2,413	24,178	11,36,801	..
855	127	982	63,378	..
1,880	885	2,765	17,457	1,01,889
2,150	339	2,489	70,869	16,54,047
3,426	1,294	4,720	1,67,358	31,646
1,067	48	1,115	2,38,007	12,15,090
..
11,57,402	3,26,969	14,84,371	5,81,33,867	2,58,40,012

(89,51,865 लड़के और 26,97,018 लड़किया) से बढ़ कर 1,34,17,254 (1,02,05,454 लड़के और 32,11,800 लड़किया) हो गई। जो मन्थाए मूलतः पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए थीं उन पर आलोच्य वर्ष में कुल मिलाकर 2,58,40,012 रुपये खर्च हुए जब कि 1957-58 में 2,79,99,911 रुपये खर्च हुए थे। इन मन्थाओं की सख्या में ऊपर बतलाई गई कमी के कारण व्यय में भी कमी हुई। इन वर्गों के जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, वृत्तिकारण और दूसरी वित्तीय रियायत मिली उनकी कुल सख्या 14,84,371 (11,57,402 लड़के और 3,26,969 लड़कियां) थी और इन छात्रवृत्तियों, वृत्तिकारणों आदि पर कुल मिला कर 5,81,33,867 रुपये खर्च हुए। पिछले वर्ष इस प्रकार के छात्रों की सख्या 13,35,411 और खर्च की गई रकम 491,83,455 रुपये थी। अधिकांश विद्यार्थियों की फीम माफ रही या फीस में छूट मिली। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलो और दूसरे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा का राज्यवार व्ययों सारणी CVII—में दिया गया है।

5. लड़कियों की शिक्षा

भारतवर्ष में महिलाओं की शिक्षा के गमग्र प्रग्न पर विचार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति बनायी गयी। इस समिति की स्थापना लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यह समिति आयोजना आयोग के शिक्षा विशेष दल की सिफारिशों पर श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में मई, 1958 में स्थापित की गई थी। मितम्बर 1957 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी आयोजना आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया गया। इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार-
थे :—

(1) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा की अवकाश सुधारने के लिये उपाय सुझाना।

(2) इन स्तरों पर लड़कियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या पर विचार करना।

(3) उन प्रौढ महिलाओं की समस्याओं पर विचार करना जो अपना अक्षर-ज्ञान भूल गयी हों या जिन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली हो और जिनकी शिक्षा को जारी रखना आवश्यक है; ताकि वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें तथा राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रायोजनाओं में अपना योगदान दे सकें।

(4) इस बात का सर्वेक्षण करना कि उपयुक्त महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संस्थाएं जो नामाग्री या अन्य सुविधाएं देती हैं वे किस प्रकार की हैं और किस मात्रा तक दी जाती हैं; और ऐसे उपाय सुझाना जिनसे ये संस्थाएं महिलाओं को और अधिक शैक्षिक सुविधाएं दे सकें।

(5) इस बात पर विचार करना कि सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करके या प्रौढ महिलाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार बनाने के अधिकाधिक महिलाओं को व्यवसाय वृत्ति अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव है या नहीं, और इसके लिए कौन से तरीके अपनाये जाने चाहिए।

राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति ने महिलाओं की शिक्षा के विविध पहलुओं पर 204 प्रश्नों और उप-प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की और उसकी 6,786 प्रतियां शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा केन्द्र और राज्यों के शिक्षा अधिकारियों को भेजी।

समिति को 1,002 पूर्ण उत्तर प्राप्त हुए और उनका विश्लेषण किया गया। समिति ने 5 जनवरी, 1959 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने रखी। 16 जनवरी, 1959 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की जो बैठक मद्रास में हुई उसमें भी उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। समिति ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रम के बारे में 185

सिफारिशों पेश की। इनमें से 20 सिफारिशों पर विशेष बल दिया गया था और केन्द्रीय सरकार से इन्हें सर्वोपरि प्राथमिकता देने और इन पर तत्काल विचार करने की प्रार्थना की गयी थी। समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही थी।

समिति के अध्यक्ष ने मंत्रालय के सामने नीचे लिखी अन्तरिम सिफारिशों भी पेश की :—

(1) जो राज्य अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण तथा लड़कियों की शिक्षा का विस्तार करने की योजना पर काम करना चाहें, उन्हें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। पहले इस काम के लिए भारत सरकार 75 प्रतिशत सहायता देती थी।

(2) प्राथमिक स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाये।

(3) अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण और लड़कियों की शिक्षा के विस्तार की योजना के लिए जो भी व्यवस्था की जाए उसका एक अंश लड़कियों के ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों को अनुदान देने में खर्च किया जाए।

(4) लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की उन्नति के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाएँ अपना समय बचाने के लिए अपने आवेदन पत्र 'भारत सरकार की स्वैच्छिक संस्था सहायता योजनाओं' के अन्तर्गत सीधे शिक्षा मंत्रालय को भेज सकती हैं। उन्हें राज्य सरकार की मार्फत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा की देख-रेख के लिए प्रत्येक राज्य में एक अलग विभाग होना चाहिए और राज्य के बजट में इस शीर्ष के अन्तर्गत अलग से निधियों का विनिधान किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने इन अन्तरिम सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें निम्नलिखित रूप में स्वीकार कर लिया :—

(1) शिक्षा मंत्रालय राज्यों को अपना 75 प्रतिशत अंश देना स्वीकार करता है भले ही राज्य सरकारें अपना 25 प्रतिशत अंश दे या न दे।

(2) मंत्रालय इस बात से सहमत है कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए "स्वीकार्य आधार पर उपस्थिति छात्रवृत्ति" उप-योजना के अन्तर्गत दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाए।

(3) इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियाँ इतनी अधिक नहीं हैं कि उनसे लड़कियों के उन माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके जिनके अपने छात्रावास भी हैं। फिर भी मंत्रालय इस सुझाव से सहमत है।

(4) मंत्रालय को स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता देने की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं से ऐसे आवेदन-पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जिनके बारे में केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल ने यह सिफारिश की हो कि इन्हें विशेष मामलों के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। किन्तु इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर वित्तीय सहायता की स्वीकृति देने के पूर्व इन्हें राज्य सरकारों के पास, उनकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा।

(5) इस सुझाव का समर्थन करना संभव नहीं है कि लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की देख-रेख के लिए विभिन्न राज्यों में पृथक विभाग खोला जाए। किन्तु मंत्रालय इस बात की सिफारिश करता है कि लड़कियों की शिक्षा की उन्नति के लिए विशेष योजनाएँ बनाने और उन्हें पूरा करने का काम की देखभाल के लिए शिक्षा के विभिन्न विभागों में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाए।

लड़कियों की शिक्षा के प्रसार और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की जो योजना केन्द्र ने 1957-58 में चलाई थी, वह आलोच्य वर्ष में भी जारी रही। इस योजना पर राज्य सरकारों के जरिए काम किया जा रहा था। इसके लिए राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के रहने के लिए, बिना किराए के मकान बनाने के लिए, 'स्कूल मदर्स' की नियुक्ति के लिए, स्नातक-पूर्व

स्तर पर प्रशिक्षार्थी अध्यापिकाओं को वृत्तिकारण देने के लिए तथा लड़कियों को उपस्थिति छात्र-वृत्तियाँ देने, आदि के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई। राज्यों की निधियों का वंटवारा प्रति वर्ष लड़कियों की उस संख्या के आधार पर किया जाता था जो स्कूल में उपस्थित नहीं रहती थीं। राज्य सरकारें इस योजना पर काम करने के लिए विनिधान में प्राप्त रकम की सीमा तक जो भी खर्च करती थी, केन्द्रीय सरकार पहले उसका 75 प्रतिशत अंश दिया करती थी और शेष 85 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य सरकारें अपने अतिरिक्त आय स्रोतों या अपनी आयोजना में आन्तरिक समंजन द्वारा किया करती थी। राज्य सरकारों को अपना अंश देने में बड़ी कठिनाई होती थी। इसलिए दिसम्बर 1958 में यह निर्णय किया गया कि अब से भारत सरकार केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला अंश राज्य सरकारों को दे दिया करेगी और राज्य सरकारों से यह आग्रह नहीं करेगी कि वे भी अपना अंश दें। लेकिन राज्य सरकारें जब भी केन्द्रीय सहायता में अपना अंश मिलाने की स्थिति में हो जाएं वे अपना अंशदान कर सकेंगी।

सन् 1958-59 के बजट में इस काम के लिए 70.50 लाख रुपये का विनिधान किया गया और इसकी सूचना राज्य सरकारों को दे दी गयी। किन्तु प्रायः निधियों की कमी के कारण केवल 30.80 लाख रुपये ही दस राज्यों को नीचे बताई गयी मात्रा में दिए जा सके :—

राज्य का नाम	विनिधान की रकम	अनुमोदित रकम	मंजूर की गई रकम
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	5,68,750	5,68,000	2,50,000
2. आसाम	1,64,500	1,32,000	..
3. बिहार	8,25,750	11,80,000	4,50,000
4. बम्बई	7,34,000	7,35,625	2,50,000
5. जम्मू और कश्मीर	96,500	1,14,500	..
6. केरल	93,500	1,24,700	..
7. मध्य प्रदेश	5,67,750	10,31,400	3,50,000
8. मद्रास	494,250	6,59,000	..
9. मैसूर	3,54,250	4,71,125	1,90,000
10. उड़ीसा	3,61,000	4,81,050	2,40,000
11. पंजाब	3,00,000	4,00,000	1,50,000
12. राजस्थान	3,85,750	5,14,000	1,50,000
13. उत्तर प्रदेश	13,84,000	13,84,000	4,50,000
14. पश्चिमी बंगाल	4,23,500	27,03,620	6,00,000

भारत में गृह-विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के बीच हुए सकार्य करार-41 की अवधि 31 मई, 1958 को सकलतापूर्वक समाप्त हो गई। इस करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से प्रविधिज्ञों (तकनीशियनों) की सेवाओं, गृह-विज्ञान के भारतीय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं तथा पुस्तकों और राज-सामान के रूप में सहायता प्राप्त होगी। यह सहायता सस्थागत आधार पर न होकर क्षेत्रीय आधार पर उपलब्ध होगी। ये सुविधाएँ विभिन्न संस्थाओं को देश के चार क्षेत्रों में स्थित चार प्रदर्शन-केन्द्रों के जरिए दी जाएंगी।

अ.लोच्य वर्ष में लड़कियों की कुल संख्या (इसमें लड़कों के स्कूलों में पढने वाली लड़कियाँ भी शामिल हैं) 106.75 लाख से बढ़कर 118.95 लाख हो गई, अर्थात् उसमें 11.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरी ओर लड़कों की संख्या 8.1 प्रतिशत की दर से 273.27 लाख से बढ़कर 295.38 लाख हो गई। कुल लड़कियों में से 97.5 प्रतिशत ने सामान्य शिक्षा, 1.8 प्रतिशत ने विशिष्ट शिक्षा और 0.7 प्रतिशत ने वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त की। लड़कों की शिक्षा यही आंकड़े क्रमशः 94.2 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत थे। हर तीन में से औसतन लगभग 2 लड़कियाँ लड़कों की संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। शिक्षा के स्तरों और विषयों के अनुसार छात्राओं की कुल संख्या का, विभाजन सारणी स० CVIII—में दिखाया गया है।

सन् 1958-59 में लड़कियों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या 29,861 थी। जब कि पिछले वर्ष इन की संख्या 27,666 थी। इन संस्थाओं का विभाजन* इस प्रकार था :—विश्व-विद्यालय 1 (1), कला और विशिष्ट शिक्षा के कालेज 17 (17), हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल 2,103 (1,880), मिडिल स्कूल 3,762 (2,874), प्राथमिक स्कूल 16,735 (16,433), पूर्व प्राथमिक स्कूल 164 (299), व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल 735 (720), प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 6,032 (5,083) और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 135 (163)। इन संस्थाओं पर कुल व्यय 26,55,60,543 रुपये (23,85,56,375 रुपये) हुआ जो पिछले वर्ष के व्यय से 19.7 प्रतिशत अधिक था।

अ.लोच्य वर्ष में 92,818 लड़कियाँ मैट्रिक या उसकी समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुईं। पिछले वर्ष यह संख्या 91,179 थी। इन्टरमीडिएट, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की संख्या में जो वृद्धि हुई, वह नीचे दी गयी है :—

	1957-58	1958-59
इन्टरमीडिएट	20,671	22,117
बी०ए० और बी०एस-सी०	12,175	16,519
एम०ए० और एम०एस-सी०	2,898	3,587
वृत्तिक विषय (केवल डिग्री में)	5,259	5,516

एस० एन्० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय ने महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल उच्च शिक्षा देने का कार्य जारी रखा।

*कोष्टको में दिए गए आंकड़े (1957-58) के हैं।

सारणी CVIII—मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लड़कों

विषय	संस्थाओं में लड़कियों की संख्या		वृद्धि (+) या कमी (-)
	1957-58	1958-59	
1	2	3	4
(क)—सामान्य शिक्षा—			
पूर्व-प्राथमिक	49,493	62,605	+ 13,112
प्राथमिक	85,57,321	95,60,763	+10,03,442
माध्यमिक	16,91,366	18,46,369	+ 1,55,003
इंटरमीडियेट	63,432	75,166	+ 11,734
बी० ए०/बी० एस-सी०	37,344	42,260	+ 4,916
एम०ए०/एम०एस-सी०	5,642	6,688	+ 1,046
अनुसंधान	478	608	+ 130
जोड़	104,05,076	1,15,94,459	+11,89,383
(ख)—विशिष्ट शिक्षा (स्कूल)—			
संगीत, नृत्य और दूसरी ललित कलाएं	9,774	9,990	+ 216
हीनागों के लिए	1,319	1,575	+ 256
प्राच्य विद्याएं	12,025	12,146	+ 121
समाज-कार्यों के लिए	440	489	+ 49
समाज (प्रौढ) शिक्षा	1,47,718	1,77,690	+ 29,972
सुधारालय	1,117	1,485	+ 368
अन्य (गृह-विज्ञान सहित)	16,305	5,012	- 11,293
जोड़	1,88,698	2,08,387	+ 19,689
(ग)—विशिष्ट शिक्षा (कॉलेज की)—			
गृह-विज्ञान और पढ़ाई	956	1,224	+ 268
संगीत नृत्य और दूसरी ललित कलाएं	2,100	3,452	+ 1,352
प्राच्य विद्याएं	721	781	+ 60
समाज-विज्ञान	197	267	+ 70
अन्य	348	248	- 100
जोड़	4,322	5,972	+ 1,650

सारणी CVIII—मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लड़कों

विषय	संस्थाओं में लड़कियों की संख्या		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	1957-58	1958-59		
1	2	3	4	
(घ) व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा (स्कूल) —				
कृषि और वन-विज्ञान	30	53	+	23
वाणिज्य	11,172	13,488	+	2,316
इंजीनियरी, ओद्योगिकी, उद्योग और कला तथा शिल्प	23,864	25,955	+	2,091
आयुर्विज्ञान तथा पशुचिकित्सा विज्ञान	4,093	5,339	+	1,246
शारीरिक शिक्षा	364	435	+	71
अध्यापक प्रशिक्षण	23,770	24,806	+	1,036
अन्य	32	41	+	9
जोड़	63,325	70,117	+	6,792
(ङ) वृत्तिक शिक्षा (कॉलेज की) —				
कृषि और वन-विज्ञान	62	95	+	33
वाणिज्य	494	580	+	86
इंजीनियरी और ओद्योगिकी	62	125	+	81
विधि	481	597	+	116
आयुर्विज्ञान तथा पशुचिकित्सा विज्ञान	5,274	6,029	+	755
शारीरिक शिक्षा	116	138	+	22
अध्यापक प्रशिक्षण	7,407	8,222	+	815
अन्य	5	101	+	96
जोड़	13,901	15,905	+	2,004
कुल जोड़	1,06,75,322	1,18,94,840	+12,19,518	

और लड़कियों की संख्या का विभाजन (जारी)

प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-)	संस्थाओं में लड़कों की संख्या		वृद्धि (+) या कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-)
	1957-58	1958-59		
5	6	7	8	9
+ 76.7	8,355	7,595	- 760	- 9.1
+ 20.7	73,997	85,266	+ 11,269	+ 15.2
+ 8.8	89,428	1,01,662	+ 12,234	+ 13.7
+ 30.4	5,534	6,442	+ 908	+ 16.4
+ 19.5	2,736	3,204	+ 468	+ 17.1
+ 4.4	60,422	64,708	+ 4,286	+ 7.9
+ 28.1	2,932	3,454	+ 522	+ 17.8
+ 10.7	2,43,404	2,72,331	+ 28,927	+ 11.9
+ 53.2	9,754	11,335	+ 1,581	+ 16.2
+ 17.4	62,712	66,002	+ 3,290	+ 5.2
+ 130.6	28,329	35,112	+ 6,783	+ 23.9
+ 24.1	22,117	23,458	+ 1,341	+ 6.1
+ 14.3	29,875	32,058	+ 2,183	+ 7.3
+ 19.0	535	607	+ 72	+ 13.5
+ 11.0	14,644	16,200	+ 1,556	+ 10.6
+1,920.0	286	1,012	+ 726	+253.8
+ 14.4	1,68,252	1,85,784	+ 17,532	+ 10.4
+ 11.4	2,73,26,844	2,95,38,084	+22,11,240	+ 8.1

6. शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन

लगभग सभी राज्यों की शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा की आवश्यक ध्यान दिया जाता रहा। अधिकांश मिडिल और हाईस्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की व्यवस्था की गई। शारीरिक शिक्षा के कार्य-कलापों में सामूहिक ट्रेनिंग, खेल-कूद, व्यायाम आदि प्रविष्टाये शामिल थीं। अधिकांश माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में बड़े-बड़े खेलों जैसे हॉकी, क्रिकेट, बाली-बाल, फुटबाल, बास्केट-बाल आदि की सुविधाएँ थीं। राज्य सरकारों और सरकारी महायत्ना-प्राप्त खेल-कूद संगठनों के सहयोग से व्यायाम, खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चलाए गए। सभी बड़े खेलों में अन्तर-स्कूल, अन्तर-कॉलेज, अन्तर्विश्वविद्यालय और अन्तर्राज्यीय टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। कुछ राज्यों में प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षकों और खेल के मैदानों की कमी शारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलापों में बाधक रही।

आलोच्य वर्ष में 15 कॉलेज और 38 स्कूल (व्यायामशालाओं सहित) ऐसे थे जिनमें व्यायाम शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त थीं। उनका विवरण इस पुस्तक के आठवें अध्याय में दिया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ राज्यों में कुछ पुनश्चर्चा और अल्पकालीन प्रशिक्षण-क्रमों की भी व्यवस्था की गई।

लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज, ग्वालियर ने अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया। इस समय उसमें 45 अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। यह कॉलेज आवासिक संस्था के रूप में स्नातक-पूर्व स्तर पर शारीरिक शिक्षा का 3 वर्ष का डिग्री प्रशिक्षण-क्रम चला रहा है। आशा है कि पूर्ण-रूप से विकसित हो जाने पर इस कॉलेज में प्रति वर्ष 100 छात्र भर्ती हों सकेंगे। आलोच्य वर्ष में दाखिला केवल पुरुषों का ही हुआ क्योंकि लड़कियों के आवास की व्यवस्था उस समय तक नहीं हो सकी थी। दूसरी आयोजना में इस कॉलेज के लिए शुरु में 70 लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई थी उसे घटा कर 50 लाख रुपये कर दिया गया। यह कटौती शिक्षा विस्तार कार्यक्रम की सभी योजनाओं में की गई कटौती के कारण करनी पड़ी। इस रकम में से 3.3 लाख रुपये कॉलेज के खर्च के लिए मंजूर किए गए। इस कॉलेज के तीन वर्ष के डिग्री प्रशिक्षण-क्रम की रूपरेखा भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति ने तैयार की थी। कॉलेज के प्रशिक्षण-क्रम में दूसरी बातों के साथ-साथ योगाभ्यास और स्वदेशी व्यायाम की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है।

आलोच्य वर्ष में भारत सरकार द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन कार्यक्रमों में निरन्तर प्रगति हुई। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के विकास की बहुत सी योजनाएँ दूसरी आयोजना के शिक्षा विकास कार्यक्रम में शामिल की गईं। इन योजनाओं के काम में बहुत प्रगति हुई है जिसका व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

शारीरिक शिक्षा की प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रादेशिक परिदर्शन समितियों की स्थापना की है। ये समितियाँ संस्थाओं की आवश्यकताओं का वहाँ जा कर निर्धारण करेंगी ताकि उन्हें अधिक सुविधाएँ दी जा सकें। उत्तर-पश्चिम प्रदेश की परिदर्शन समिति शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताओं का निर्धारण कर चुकी है और उसकी सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। दूसरी दो समितियाँ अपना काम 1959 में शुरू करने वाली थीं।

शारीरिक शिक्षा संबंधी संगोष्ठी का आयोजन करने की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्यों के शारीरिक शिक्षा निरीक्षकों और विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा निदेशकों की अखिल भारतीय संगोष्ठी मई, 1958 में महाबलेश्वर (बम्बई) में हुई। इस संगोष्ठी में विचार विमर्श का मुख्य विषय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय आयोजना था।

युवकों में शारीरिक आरोग्यता के लिये उत्साह पैदा करने के विचार से शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने सिफारिश की कि अखिल भारतीय स्तर पर "श्रेणीबद्ध

राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता परीक्षण" आरम्भ किए जाएं। सफल प्रतियोगियों को उनकी कुशलता के अनुसार 'तीन तारक', 'दो तारक' और 'एक तारक' का पुरस्कार देने का निश्चय किया गया।

मंडल की सिफारिश के अनुसार परीक्षा के 'विषय' और प्रत्येक विषय के संबंध में "कुशलता का स्तर" निश्चित किया गया। प्रत्येक परीक्षण के संबंध में चार वर्गों के लिए अलग-अलग "कुशलता-स्तर" निश्चित किये गए। ये चार वर्ग इस प्रकार थे :—

कनीय	18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं
वरीय	18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाएँ
कनीय	18 वर्ष से कम उम्र के पुरुष
वरीय	18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के पुरुष

शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय आयोजना में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा के जिन दो पाठ्यक्रमों की सिफारिश की थी उनकी व्याख्या करने के उद्देश्य से भारत सरकार दो सचित्र पुस्तिकाएँ प्रकाशित करना चाहती थी। लड़कों के पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तिका तयार करने का काम प्रिंसिपल, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, म्वालियर को सौंपा गया।

शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और मनोरंजन संबंधी लोकप्रिय साहित्य के निर्माण के लिए विरतृत प्रस्ताव तयार करने के उद्देश्य से एक समिति बनाई। समिति की कुछ सिफारिशें विचारार्थीन थीं और कुछ पर अमल हो रहा था। इन क्षेत्रों में सरल आसुधान प्रयोजनाओं का समन्वय करने और उन्हें अमल में लाने तथा भारत सरकार के सहायता-अनुदान की अदायगी के लिए भी एक समिति बनाई।

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल की सिफारिश पर भारत सरकार ने एक स्वतन्त्र समिति बनाने का निश्चय किया है। यह समिति विभिन्न योजनाओं का समन्वय करेगी तथा शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, खेल-कूद और युवक-विकास के कार्यक्रमों की जांच करेगी और साथ ही चरित्र-निर्माण संबंधी विभिन्न योजनाओं जैसे काउंटिंग, स्टाइक केडेट क्लोर, राष्ट्रीय अनुशासन योजना आदि के लिए नीति निर्धारित करेगी।

व्यायामशाला और अखाड़े जैसी देशी संस्थाओं ने शारीरिक शिक्षा के विकास में जो बहुमूल्य योग दिया है उसको ध्यान में रखते हुए, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने इन बातों की सिफारिश की, कि इन संस्थाओं को साज-सामान और पुरतके खरीदने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान इस शर्त पर दिया जाए कि संबंधित संस्था और या राज्य सरकार भी इतनी ही रकम दे। इस प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए संबंधित राज्य सरकार के जरिये बहुत सी संस्थाओं को प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए।

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने 8 अक्टूबर, 1958 को अपनी सहायी बैठक में दो समितियाँ बनाईं। ये समितियाँ, तीसरी आयोजना के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के विकास के संबंध में प्रस्तावों का मसौदा तयार करने के लिए बनाई गई थी।

खेल-कूद

आलोच्य वर्ष में, राज्यों में शिक्षण-शिविरों (कोचिंग कैम्प) के आयोजना का काम होता रहा। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की ओर से 'टेबिल-टेनिस' के एक शिक्षण शिविर का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस शिविर का आयोजन देश की शिक्षा-संस्थाओं के अध्यापकों और व्यायाम शिक्षकों के लाभ के लिए किया गया था। प्रादेशिक स्तर पर एक और शिक्षण-शिविर का आयोजन क्रिकेट के लिए बंगलौर में किया गया। इसमें मद्रास और मैसूर की शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

देश में खेलकूद के विकास की योजनाएँ आलोच्य वर्ष में चलती रहीं और इन योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 10,80,259 रुपये के अनुदान राष्ट्रीय खेलकूद संघों को मंजूर किए गए। इसमें से 2,10,068 रुपये की रकम इसलिए मंजूर की गई थी कि भारत टोकियो में एशियाई खेलों के तीसरे समारोह में भाग ले सके। विभिन्न स्थानों पर स्टूडियो और अतिथि-गृह बनाने के लिए ये अनुदान भी दिए गए :—

	रु०
हैदराबाद	1,18,000
लखनऊ	1,67,828
तेलीचेरी	40,000
गोहाटी	1,00,000

दिसम्बर, 1958 के अन्त तक अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के ढंग पर तेरह राज्य खेलकूद परिषदे बन चुकी थीं। ये परिषदे आंध्र प्रदेश, आसाम, बम्बई, बिहार, केरल, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में बनाई गई थी।

टोकियो में हुए एशियाई खेलों में भारतीय टीमों के घटिया प्रदर्शन का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जुलाई, 1958 में एक तदर्थ समिति महाराज पटियाला की अध्यक्षता में नियुक्त की। भारतीय टीमों और खिलाड़ियों के एशियाई और ओनपिक खेलों में घटिया दर्जे के प्रदर्शन के विषय में जांच करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए यह समिति बनाई गई थी। समिति ने इस संबंध में जो सिफारिशें कीं उन्हें अखिल भारतीय खेलकूद परिषद ने स्वीकार कर लिया और भारत सरकार ने इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की। इन सिफारिशों के अनुसार खेलकूद के स्तर को ऊंचा करने के लिए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद का पुनर्गठन किया गया। आलोच्य वर्ष में एक नई योजना शुरू की गई जिसके अन्तर्गत, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सबसे अधिक खिलाड़ी भेजने वाले विश्वविद्यालय का 'रनिंग ट्रीफी' दी जाएगी।

राजकुमारी खेलकूद शिक्षण योजना के अन्तर्गत युवकों को वर्ष भर प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खोले गए। छोटे लड़कों के लिए अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों और शिविरों का आयोजन किया गया जिससे कि खेलकूद में उनकी रुचि बनी रहे।

अधिक संख्या में खेलकूद शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए फुटबाल, टेनिस, ट्रेक और फ्रील्ड-टेबल टेनिस, और जिमनास्टिक्स के विदेशी विशेषज्ञ थोड़ी अवधि के लिए भारत बुलाए गए। 1958-59 वर्ष में इस योजना पर 1,59,963 रुपये की रकम खर्च की गई।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

राष्ट्रीय अनुशासन योजना का मुख्य उद्देश्य है—देश के युवकों में अनुशासन की भावना भरना, उत्तरदायित्व और सेवा की भावना तथा नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न करके उन्हें अधिक अच्छे नागरिक बनाना तथा सबसे बढ़कर उनमें एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना भरना है। इस योजना का उद्देश्य है कि नई पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने और उसमें देशभक्ति, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और आत्मत्याग की भावना उत्पन्न हो। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक विकास, संगठन और प्रशासन के पांच कार्यक्रम रखे गए हैं। जिन राज्यों में यह योजना चालू की जा चुकी है उनमें कुछ चुनी हुई संस्थाओं में उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षक इस काम के लिए रखे गए हैं। अब तक यह योजना बम्बई, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली के आस-पास की संस्थाओं में चालू की गई है। 1958-59 वर्ष के दौरान, 1,56,000 विद्यार्थी 195 संस्थाओं में प्रशिक्षित किए जाने थे किन्तु वास्तव में 205 संस्थाओं में 1,63,973 विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गए।

7. युवक कल्याण संबंधी कार्यक्रम

युवकों में नेतृत्व और चरित्र के गणों को विकसित करने के लिए जो युवक कल्याण कार्यक्रम बनाया गया था उसका काम आलोच्य वर्ष में चलता रहा। दूसरी योजना में इन कार्यों के लिए 70 लाख रुपये खर्च हुए हैं इस रकम में 13,93,769 रुपये आलोच्य वर्ष में खर्च हुए। 1958-59 में युवक कल्याण के क्षेत्र में जो काम किये गए उन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

विद्यार्थियों का पर्यटन

ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व की जगहों के पर्यटन के लिए छात्रों को प्रोत्साहन देने के विचार से भारत सरकार ने यात्रा अनुदान की मात्रा को 75 प्रतिशत से बढ़ा कर छात्रों की रियायती दर के तीसरे श्रेणी रेल/बस के पूरे किराये तक कर दिया। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 631 शिक्षा संस्थाओं की 6.22 लाख रुपये की मंजूरी दी गई और 15,000 से अधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों ने इन अनुदानों से लाभ उठाया।

युवक नेतृत्व और नाट्य प्रशिक्षण शिविर

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जून, 1958 में तारादेवी में युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। कलकत्ता, बम्बई, पूना, मद्रास, केरल, दिल्ली और पंजाब विश्वविद्यालयों के इकतीस अध्यापकों ने इसमें भाग लिया। इस पर 2,418 रुपये की रकम खर्च हुई। इसके अतिरिक्त 2,286 रुपये केरल विश्वविद्यालय को ऐसे ही शिविर का आयोजन करने के लिए और आगरा विश्वविद्यालय को ग्रीष्म शिविर के लिए 5,000 रुपये की मंजूरी दी गई।

युवक समारोह

पांचवां अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह ताल-कटोरा गार्डन, नई दिल्ली में 27 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 1958 तक हुआ। कुल मिला कर 1,671 विद्यार्थियों और 34 विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया। इसमें चित्रकला, ड्राइंग, फोटोग्राफी, दस्तकारी, नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, वाद्य संगीत, सामूहिक नृत्य, वृन्दगान और हिन्दी वक्तृता जैसे विषयों में प्रति-योगिता हुई। इस समारोह पर 2.63 लाख रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त 38,442 रुपये की रकम विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में अन्तर्विद्यालय युवक समारोह का आयोजन करने के लिए दी गई। यह रकम विश्वविद्यालयों को मुख्यतः इसलिए दी गई थी कि वे अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के लिए अपनी टोलियां चुन सकें।

युवकावास

युवकावास संबंधों और राज्य सरकारों के सहयोग से इस बात की कोशिश की गई कि शिक्षा संबंधी पर्यटन या पदयात्रा आदि पर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सस्ते भोजन और आवास की व्यवस्था हो सके। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को युवकावास बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा 40,000 रुपये प्रति युवकावास कर दी। भारतीय युवकावास संघ के लिए आलोच्य वर्ष में प्रशासन और संगठन संबंधी व्यय के लिए 15,000 रुपये की मंजूरी दी गई।

विद्यार्थियों के रहन-सहन की स्थितियों का सर्वेक्षण

भारत सरकार ने, केरल, लखनऊ और बम्बई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के रहन-सहन की स्थितियों का एक प्रायोगिक सर्वेक्षण करने का निश्चय किया। इस काम के लिए लखनऊ और केरल विश्वविद्यालयों को 13,139 रुपये का अनुदान दिया गया।

युवक कल्याण मंडल और समितियां

आलोच्य वर्ष में बिहार की राज्य सरकार और नागपुर विश्वविद्यालय को युवक कल्याण मंडलों की स्थापना करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस योजना के अन्तर्गत, युवक कल्याण मंडलों की स्थापना पर होने वाले प्रशासन संबंधी व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार के सहायता-अनुदान की मात्रा 50 प्रतिशत थी।

श्रम और समाज सेवा शिविर

आलोच्य वर्ष में 1,815 समाज सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें 1.51 लाख लोगों ने भाग लिया। इन शिविरों का लक्ष्य विद्यार्थियों और युवकों में शारीरिक परिश्रम के प्रति सम्मान की भावना भरना था। इन शिविरों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान द्वारा मौजूदा सुख-सुविधाओं में वृद्धि की गई। सड़कें आदि बनाई गईं या उनकी मरम्मत की गई। स्कूलों की इमारत तैयार की गई, खेल के मैदानों को समतल किया गया, सोरते-गड्डे खोदे गये इत्यादि। शिविरों में भाग लेने वाली लड़कियों ने वातावरण को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किये जैसे व्यक्तिगत सफ़ाई, गृह-परिचर्या, बच्चों की देख-भाल आदि से संबंधित कार्य किये। ये शिविर भारत सेवाक समाज, भारत स्काउट और गाइड, राष्ट्रीय केडेट कोर निदेशालय (सहायक केडेट कोर शिविरों के लिए) और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए गए। भारत सरकार ने इन शिविरों के लिए निम्नलिखित प्रकार से वित्तीय सहायता दी :—

(1) रोजाना प्रति व्यक्ति के हिसाब से भोजन और आनुपगिक खर्च के लिए 1 रु० 75 न० पैसे।

(2) विद्यार्थियों की रियायती दर से रेल का तीसरी श्रेणी का किराया या बस का किराया।

आलोच्य वर्ष में इसके लिए मजूर की गई कुल रकम 34.03 लाख रुपये थी।

इसके अतिरिक्त परिसर कार्य प्रायोजना के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं में व्यायाम और मनोरंजन संबंधी अनेक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इन सुविधाओं की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव हो रही थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों और विद्यार्थियों ने स्वेच्छपूर्वक श्रमदान किया। सरकार ने अंशतः पर प्रायोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया किन्तु विभिन्न प्रकार की प्रायोजनाओं के लिए आवृत्त की आवश्यकता सीमा निर्धारित कर दी गई थी। शेष 25 प्रतिशत अंश संबंधित संस्थाओं ने दिया। 1958-59 वर्ष में 201 नई प्रायोजनाओं के लिए अर्थात् 126 मनोरंजन शाला-सह-अक्षागृह, 18 तेरत वातावरण, 17 व्यायाम-शालाएँ, 15 स्टेडियम, 13 खेलेरंगमंच, 9 मण्डप और 3 तैली दांड पथ धनाने की स्वीकृति दी गई। चालू और नई प्रायोजनाओं के लिए 24.47 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई।

8. स्काउट और गाइड

देश में स्काउट और गाइड व्यवस्था के विकास के लिए आलोच्य वर्ष में 2,40,011 रुपये की रकम मंजूर की गई। इस रकम में भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय को पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में अखिल भारतीय स्काउट और गाइड प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए दिये गए 60,000 रुपये के सहायता अनुदान (पहली किस्त) की रकम भी शामिल है।

भारत स्काउट और गाइड संस्था ने भारत में स्काउट्स और गाइड्स से संबंधित कार्यक्रमों को जारी रखे। इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पंचमढ़ी और विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षण केन्द्रों में स्काउट्स और गाइड्स के नायकों को प्रशिक्षण देने का काम जारी रखा। आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में 34 अनुभवी कार्यकर्ताओं ने पंचमढ़ी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिमालय वुड बैंज प्रशिक्षण को भी बहुत प्रोत्साहन मिला। यह आन्दोलन का उच्चतम प्रशिक्षण माना जाता है। आलोच्य वर्ष में गांवों में स्काउट आयोजकों का प्रशिक्षण-क्रम चालू करके इस क्षेत्र में एक नया कार्य किया गया।

सम्मेलन

राज्यों के मुख्य कमिश्नरों, राज्य कमिश्नरों (स्काउट), राज्य आयोजक कमिश्नरों, और राज्यों के सचिवों का एक सम्मेलन दिल्ली राज्य के भारत स्काउट और गाइड के शिविर-क्षेत्र में

14 और 15 फरवरी 1961 को हुआ। सम्मेलन में भाग लेने वालों की संख्या 35 थी। इसमें समाज-कार्य के लगभग सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त कमिश्नरों का एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण सह-सम्मेलन (गाइड खड) कीज गर्ल्स हाई स्कूल, सिकन्दराबाद में 4 से 9 नवम्बर, 1958 तक हुआ। इसमें 72 व्यक्तियों ने भाग लिया।

रैली

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में भारत स्काउटों और गाइडों की एक रैली का आयोजन, जनवरी, 1959 में किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के 101 स्काउट और गाइड सम्मिलित हुए। इस रैली में बच्चों के माध्यम से नक्शा पढ़ना और नक्शा खींचना, शिविर के आस-पास सफाई करना और प्राथमिक उपचार की शिक्षा प्राप्त करना शामिल था।

सामुद्रिक स्काउट

केरल, मद्रास, दिल्ली, मैसूर, बम्बई और पश्चिमी बंगाल में सामुद्रिक स्काउटिंग का विकास हुआ। इस कार्य के लिए नौ-सेना प्रशिक्षण पोत 'भद्र' की सहायता ली गई।

हीनांग स्काउट और गाइड

हीनांग स्काउटों और गाइडों को विभिन्न उद्योग और व्यवसाय सीखने में सहायता दी गई इस संबंध में उत्तर प्रदेश की "जुवेनाइल जेल", बरेली में दिए गए प्रशिक्षण का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है।

पुरस्कार

वीरता और समाज सेवा के लिए बहुत से व्यक्तियों को स्वर्णपदक दिए गए। आलोच्य वर्ष में स्काउटों और गाइडों द्वारा की गई विभिन्न सराहनीय सेवाओं के लिए भी पुरस्कार दिए गए।

ब्रिटेन में प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश की कुमारी शान्ति चन्हार और मद्रास की कुमारी बन्धुमती, अप्रैल, 1958 में लेडी स्त्रुवैडिन योजना के अन्तर्गत 3 महीने के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड गयीं। उनका यात्रा व्यय संबंधित राज्यों ने दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं

पाकिस्तान की दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी में भारत का भी प्रतिनिधित्व किया गया था। तारीख 25 से 28 अगस्त, 1958 तक मनीला, फिलीपाइन में हुए पहले सुदूरपूर्व प्रादेशिक सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व था।

प्रकाशन

भारत स्काउट और गाइड संघ की 'भारत स्काउट और गाइड' नामक पत्रिका का प्रकाशन जारी रहा। इस पत्रिका में स्काउटों आदि के लिए उपयोगी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त 'भारत में स्काउट और गाइड' के विषय पर एक आकर्षक और उपयोगी पत्रिका भी प्रकाशित की गई।

समाज सेवा

स्काउट और गाइड ग्राम पुनर्निर्माण, सड़कों बनवाना, सफाई आदि की व्यवस्था में सुधार, तालाबों की सफाई, साक्षरता का प्रसार आदि उपयोगी कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। बहुत से राज्यों में बाढ़ के अवसर पर आणितिक सहायता कार्य भी किया गया। अन्य समान कार्यों में मेलों, धार्मिक त्यौहारों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सहायता करना और झंडा दिवस और रैडक्रास दिवस आदि पर धन एकत्र करना आदि का उल्लेख किया जा सकता है।

संख्या

बालचरों, बाल स्काउटों, रोवर स्काउटों, बालबलों और बालिका गाइडों की संख्या में 23,520 की वृद्धि हुई। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में इनकी कुल संख्या बढ़कर 6,41,945 हो गई। इनके राज्यवार विभाजन सारिणी CIX—में दिखाया गया है।

9. राष्ट्रीय कैंडेंट कोर और सहायक कैंडेंट कोर

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय कैंडेंट कोर (एन० सी० सी०) और सहायक कैंडेंट कोर (ए० सी० सी०) के कार्यकलापों में और अधिक वृद्धि हुई। इसका संक्षिप्त व्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

सारिणी CIX—'भारत स्काउट और गाइड के' आंकड़े

राज्य	स्काउटों की संख्या	गाइडों की संख्या	जोड़
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	53,940	9,877	63,817
आसाम	4,592	1,221	5,813
बिहार	24,468	5,165	29,663
बंबई	41,902	18,417	60,319
केरल	9,657	2,250	11,907
मध्य प्रदेश	15,159	5,291	20,450
मद्रास	33,593	9,747	43,340
मैसूर	37,508	6,586	44,094
उड़ीसा	1,267	373	1,640
पंजाब	1,10,222	14,914	1,25,136
उत्तर प्रदेश	69,715	12,285	82,000
राजस्थान	62,138	8,852	70,990
पश्चिमी बंगाल	16,241	3,130	19,371
दिल्ली	17,693	5,269	22,962
हिमाचल प्रदेश	15,586	2,377	17,963
उत्तर रेलवे	3,121	426	3,547
दक्षिण रेलवे	2,692	853	3,545
पश्चिम रेलवे	2,597	682	3,279
पूर्व रेलवे	5,069	537	5,597
दक्षिण-पूर्व रेलवे	1,293	699	1,992
उत्तर-पूर्व रेलवे	2,539	236	2,775
केंद्रीय रेलवे	1,322	43	1,365
त्रिपुरा	410	..	410
जोड़	5,32,715	1,09,230	6,41,945

संख्या

राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्यों की संख्या 4,505 अधिकारियों और 1,60,413 कैडेटो से बढ़कर क्रमशः 4,974 और 1,88,411 हो गई। सहायक कैडेट कोर में भी 845 अध्यापको और 42,995 कैडेटों की तुलना में क्रमशः 15,807 अध्यापक और 8,38,307 हो गए। राष्ट्रीय कैडेट कोर का डिवीजनो के अनुसार विभाजन नीचे दिखाया गया है :-

सारणी CX—राष्ट्रीय कैडेट कोर के आंकड़े

डिवीजन	अधिकारी		छात्र	
	1957-58	1957-58	1958-59	1958-59
सीनियर डिवीजन	1,612	1,761	66,633	72,710
जूनियर डिवीजन	2,378	2,635	78,330	89,691
छात्रा डिवीजन	515	578	15,450	26,010
भारत	4,505	4,974	1,60,413	1,88,411

राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों का प्रशिक्षण

(क) थल-सेना स्कंध

सन् 1958-59 के दौरान 592 अफसर कैडेटों को थल-सेना स्कंध के अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, काम्पटी में 2 से 3 महीने की अवधि का पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों के अधिकारियों को एंड्रजुटेन्ट और क्वार्टर मास्टर के प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए एक नया प्रशिक्षणक्रम भी आरम्भ किया गया। इसमें 29 अधिकारी सम्मिलित हुए थे। केन्द्र में 256 अधिकारियों को पुनश्चर्चा प्रशिक्षण भी दिया गया।

(ख) छात्रा डिवीजन

सीनियर स्कंध की 36 और जूनियर स्कंध की 81 महिला अधिकारियों को क्रमशः राजपूताना रेजीमेंट प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली छावनी और कुमाऊँ रेजीमेंट प्रशिक्षण केन्द्र, रानीखेत में, पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) नौसेना स्कन्ध

नौसेना स्कंध के सीनियर डिवीजन के 9 अधिकारियों और जूनियर डिवीजन के 36 अधिकारियों ने 1958-59 के दौरान भारतीय नौसेना पोत (आइ० एन० एस०) बेंडुरथी, कोचीन में अपना पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण पूरा किया। राष्ट्रीय सैन्य छात्र दल की नौसेना यूनिट, संख्या 13 (आ०प्र), हैदराबाद का उद्घाटन 13 सितम्बर, 1958 को किया गया।

(घ) वायुसेना स्कंध

आलोच्य वर्ष में वायुसेना स्कंध के सीनियर डिवीजन के 10 अधिकारियों और जूनियर डिवीजन के 56 अधिकारियों को एअर फोर्स फ्लाईंग कालेज, जोधपुर में पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण दिया गया। सीनियर डिवीजन के 9 और जूनियर डिवीजन के 33 को पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण भी दिया गया।

ग्लाइडर प्रशिक्षण

बम्बई राष्ट्रीय कैंडेट कोर के एक वायुसेना स्कवैड्रन और आन्ध्र राष्ट्रीय कैंडेट कोर के 15 वायुसेना स्कवैड्रनों के वायुसेना स्कन्ध के सीनियर डिवीजन के कैंडेटों के लिए क्रमशः पूना और बेगमपेट में ग्लाइडर प्रशिक्षण शुरू किया गया। जिन स्थानों पर राष्ट्रीय कैंडेट कोर के वायुसेना स्कवैड्रन थे वहाँ सीनियर डिवीजन की छात्राओं के दलों को भी ग्लाइडर प्रशिक्षण देना आरम्भ किया गया।

शिविर

आलोच्य वर्ष में 20 समाज सेवा शिविरों की व्यवस्था की गई। इन शिविरों में राष्ट्रीय कैंडेट कोर के 411 अधिकारियों और 14,050 कैंडेटों ने भाग लिया। सहायक कैंडेट कोर के 93 शिविर भी आयोजित किए गए और उनमें 1,348 अत्यापकों और 33,236 कैंडेटों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश शिविर सामुदायिक विकास क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में ही आयोजित किए गए थे।

अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी इन शिविरों में सड़क, बांध, सोख-गड्ढे नालियां आदि बनाने का काम किया गया। कैंडेट छात्राओं ने स्वास्थ्य और सफाई की योजना पर काम किया और गांव की औरतों को पढ़ना-लिखना और बुनना सिखलाने के लिए कक्षाएं चलाई।

अखिल भारतीय ग्रीष्म शिविर

28 जुलाई, 1958 से 10 अगस्त, 1958 तक श्रीनगर के पास अखिल भारतीय वार्षिक ग्रीष्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों से आने वाले राष्ट्रीय कैंडेट कोर दल के कैंडेटों को एक दूसरे से मिलने जुलने और देश के दूसरे भागों को देखने का अवसर प्रदान करना था। लड़कों के शिविर में 32 अधिकारियों और 786 कैंडेटों ने भाग लिया और लड़कियों के शिविर में 21 महिला अधिकारियों और 292 कैंडेट छात्राओं ने भाग लिया।

कैंडेटों की आस्ट्रेलिया-यात्रा

आस्ट्रेलिया की सरकार के निमन्त्रण पर राष्ट्रीय कैंडेट कोर के सीनियर डिवीजन के चार कैंडेट आस्ट्रेलिया गए। उन्होंने आस्ट्रेलिया के कैंडेट शिविर में भाग लिया और वहाँ के दर्शनीय स्थानों और कुछ सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को देखा।

गणतन्त्र दिवस की परेड

राष्ट्रीय कैंडेट कोर के 11 अधिकारियों 405 कैंडेटों और 100 कैंडेट छात्राओं ने 1959 के गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लिया। दिल्ली के स्कूलों/कालेजों के सहायक कैंडेट कोर के 50 छात्रों और 50 छात्राओं और नौसेना और वायुसेना स्कन्ध के 40 कैंडेटों ने भी इसमें भाग लिया।

पुरस्कार

सराहनीय साहसपूर्ण कार्यों और सेवाओं के लिए भारतीय बाल-कल्याण परिषद् ने सहायक कैंडेट कोर के तीन कैंडेटों को पदक प्रदान किए।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर के संबंध में रेडियो से किया गया प्रसार-कार्य

आकाशवाणी और राज्यों के प्रसारण केन्द्रों से पहले की तरह ही राष्ट्रीय कैंडेट कोर में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के पहलुओं, शिविर के क्रियाकलापों की विशेषताओं और कैंडेटों के बहुरंगी प्रोग्रामों का प्रसारण आलोच्य वर्ष में भी किया जाता रहा।

कैडेट दलों की रैली

27 जनवरी, को कैडेट दलों की एक रैली हुई जिसमें देश के विभिन्न भागों के कैडेटों ने भाग लिया। रैली के अध्यक्ष प्रधान मंत्री थे। रैली में समारोह परेड, विमान-माडल प्रदर्शन, नौसेना प्रदर्शन और शारीरिक प्रशिक्षण के सामूहिक प्रदर्शन के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गये।

कैडेट पत्रिका

पिछले वर्षों की भांति ही आलोच्य वर्ष में भी कैडेट काप्स पत्रिका प्रकाशित की गयी।

10. स्कूलों में दोपहर का खाना

स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देने की व्यवस्था कुछ ही राज्यों में की गयी थी और वह भी पर्याप्त नहीं थी। स्कूलों के बच्चों को दोपहर का खाना देने की विस्तृत योजना बनाने के मार्ग में मुख्य बाधाएं ये थीं :—वित्तीय साधनों की कमी, खाद्यान्नों के भावों में बहुत अधिक वृद्धि होना, और जनता से बहुत कम सहयोग मिलना। फिर भी इस संबंध में 1958-59 के दौरान जो थोड़ी-बहुत व्यवस्था करने का प्रयास किया गया उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

बम्बई के डांग्स ज़िन्ने मे 1951-52 में दोपहर के भोजन की जो योजना चालू की गयी थी वह आलोच्य वर्ष में भी चलती रही। इसके अतिरिक्त बम्बई निगम ने भी अपने स्कूलों के ऐसे बच्चों के लिए, जिन्हें उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलता था, दूध और अल्पाहार देने की व्यवस्था की। कुल मिलाकर 428 दूध केन्द्रों पर लगभग 63,900 बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की गई। राज्य के अनुमूचित क्षेत्रों, सामुदायिक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में स्थित लगभग 1,000 पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग एक लाख बच्चों ने यूनीसेफ (UNICEF) की मथित (स्किम्ड) दूध का पाउडर मूपन बाटने की योजना से भी लाभ उठाया। केरल में, त्रावनकोर के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के इलाकों में और पूरे कोचीन में और मालाबार के कुछ कस्बों में निम्न प्राथमिक स्कूलों के जरूरतमन्द बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था थी। एलेप्पी और कोज़ीकोड के राजस्व ज़िलों में भी आलोच्य वर्ष में यह योजना चालू की गई। इस योजना से 3.5 लाख और अधिक बच्चों को लाभ हुआ और इस पर किया गया व्यय 53 लाख तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में केवल आदिमजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना देने की व्यवस्था थी। मद्रास में इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने छः नए पैके प्रति भोजन के हिसाब से उपदान दिया और आलोच्य वर्ष में प्रारम्भिक स्कूलों के 4,00,318 छात्रों को भोजन दिया गया। इस योजना पर कुल खर्च 33 24 लाख रुपए हुआ। इसमें से अनावर्ती व्यय स्थानीय समितियों द्वारा पूरा किया गया। 409 माध्यमिक स्कूलों में यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर भी चालू थी। इन स्कूलों में 1,21,001 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गयी थी। मद्रास शहर के 60 सहायता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूलों में भी पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर और सरकारी सहायता के बिना, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। हरिजन कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था जारी रही और आलोच्य वर्ष में 55,535 छात्रों ने इस सुविधा से लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त निगम के 293 प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ने वाले 28,730 छात्रों ने भी मद्रास निगम द्वारा चालू की गई दोपहर के भोजन की योजना से लाभ उठाया।

उड़ीसा के सूखे और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को सरकार के खर्च पर दोपहर का भोजन और दूध का पाउडर दिया गया। उत्तर प्रदेश की पोषण सलाहकार समिति की सिफारिश पर 814 संस्थाओं ने आलोच्य वर्ष में दोपहर के भोजन की योजना चालू कर दी। इन संस्थाओं में अधिकांशतः उच्चतर माध्यमिक स्कूल और उच्च बुनियादी स्कूल थे और इनमें 3,39,481 छात्र थे। भोजन के लिए विद्यार्थियों से लिया जाने वाला मासिक शुल्क (50 न० प०) पर्याप्त न होने के कारण विद्यार्थियों को उबले हुए आलू, भिगे (अंकुरित) या भुने हुए चने, मीसम के फल आदि दिये गये। पश्चिमी बंगाल में सरकार ने कुछ चुने हुए स्कूलों को, विद्यार्थियों को दोपहर का जलपान देने के लिए वित्तीय सहायता दी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी बच्चों को यूनिसेफ़ से प्राप्त दूध बांटा गया। स्कूलों में भोजन की व्यवस्था संबंधी योजना के अन्तर्गत मुफ्त अल्पाहार का भी वितरण किया गया। लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह के स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर के मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। आलोच्य वर्ष में इस पर 50,832 रुपये व्यय हुए। पांडुचेरी में और अधिक स्कूलों में गरीब बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गई। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 15,560 बच्चों को भोजन दिया गया।

यूनिसेफ़ से प्राप्त दूध का पाउडर

यूनिसेफ़ से 390 लाख पीड दूध का पाउडर प्राप्त हुआ। यह पाउडर जच्चा-बच्चा स्कूलों केन्द्रों और स्कूल के बच्चों को बराबर मात्रा में दे दिया गया। यह योजना राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के जरिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई।

11. स्कूल के बच्चों की डाक्टररी परीक्षा

प्रायः सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूलों में बच्चों की डाक्टररी परीक्षा की व्यवस्था किसी-न-किसी सीमा तक उपलब्ध थी। परन्तु ये व्यवस्थाएं पर्याप्त और मंतोपजनक नहीं थी। इस व्यवस्था के विकास में कुछ बाधाएं थीं—निधियों की कमी, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी, स्कूल निदानालयों का न होना, उपचारात्मक और अनुवर्ती उपायों का न अपनाया जाना और जनता के सहयोग की कमी।

आन्ध्र प्रदेश में डाक्टररी परीक्षा की कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी। फिर भी गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूलों में विद्यार्थियों से डाक्टररी परीक्षा के लिए फ़ीस ली जाती थी। तैलंगाना क्षेत्र के स्कूलों में सरकारी डाक्टर स्वास्थ्य परीक्षा किया करते थे। आसाम में सरकारी स्कूलों के छात्रावासों और सरकारी स्कूलों में, कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी ही समय समय पर अपने-अपने इलाकों के विद्यार्थियों की डाक्टररी परीक्षा किया करते थे।

बम्बई में स्कूलों के लिए इस प्रकार की चिकित्सा सेवाओं की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। बंबई, पूना, अहमदाबाद और बड़ौदा आदि कुछ बड़े शहरों के स्कूलों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था गैर-सरकारी अभिकरणों ने स्वैच्छिक तौर पर की। पुराने बंबई के इलाके में पहले-पहल दाखिल होते समय उसके बाद चौदह वर्ष की आयु पर और अंतिम बार स्कूल छोड़ते समय छात्रों की अनावधिक स्वास्थ्य परीक्षा की जाती थी। अनावधिक स्वास्थ्य परीक्षा के समय यदि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में कोई दोष पाया जाता था, तो उपयुक्त समय के बाद उनकी फिर जांच की जाती थी और यथासंभव उनका इलाज भी किया जाता था। आलोच्य वर्ष में 1,328 माध्यमिक स्कूलों में 3,22,999 विद्यार्थियों की डाक्टररी परीक्षा की गयी और इस पर 93,853 रुपये खर्च हुए। इस वर्ष 11 स्थानीय ज़िला मंडलों, 12 प्राधिकृत नगरपालिकाओं और एक छावनी मंडल ने स्कूलों में डाक्टररी परीक्षा की योजना चालू की। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3,47,000 बच्चों की डाक्टररी परीक्षा की गयी। नगरपालिका के प्राथमिक स्कूलों के लाभार्थी बम्बई नगर निगम के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन स्कूल स्वास्थ्य सेवा, आलोच्य वर्ष में भी पहले के समान चालू रही। कुल मिलाकर 82,543 शहरी छात्रों और उपनगर के 14,974 छात्रों की जांच की गई। इनमें से शहर के 70,098 और उपनगरों के 10,578 छात्रों के स्वास्थ्य में कोई न कोई कमी पाई गई। इन स्वास्थ्य संबंधी दोषों की सूचना अविभावकों को दी गई। नगरपालिका के स्कूल चिकित्सालयों में लगभग 38,093 बच्चों का इलाज किया गया।

केरल में निम्न प्राथमिक स्कूलों में डाक्टररी परीक्षा की व्यवस्था के लिए 200 डाक्टररी परीक्षा एकक खोले गये। हरेक एकक को पांच मील के क्षेत्र में आने वाले सभी निम्न प्राथमिक स्कूल सौंप दिए गए।

मध्य प्रदेश के महा कौशल क्षेत्र में लड़कों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हर महीने एक सहायक चिकित्सा अधिकारी जाता था और विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा करता था। वह आवश्यक मामलों में उन्हें उचित इलाज कराने की सलाह भी देता था। प्रति वर्ष विद्यार्थियों की विस्तृत डाक्टरी जांच की जाती थी। दौरे पर नियुक्त सरकारी डाक्टर ग्रामीण विद्यार्थियों की जांच के लिए गये। चिकित्सा संबंधी कामों का निरीक्षण पुराने मध्य भारत के ग्वालियर क्षेत्र में स्थित वरीय चिकित्सा निरीक्षक को सौंप दिया गया। इन्दौर शहर के सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की जांच के लिए एक चिकित्सा निरीक्षक और उसके लिए आवश्यक अमला नियुक्त किया गया। उज्जैन में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों की डाक्टरी परीक्षा के लिए नियमित स्कूल चिकित्सा सेवा थी। भोपाल में डाक्टरी जांच योजना के लिए एक संगठन बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारी और उसके अमले की नियुक्ति की गई। आलोच्य वर्ष में कुल मिला कर 2,27,033 विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच की गई।

मद्रास के 209 माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त मद्रास निगम के प्रारंभिक स्कूलों में भी यह सुविधा थी। इन प्रारंभिक स्कूलों में डाक्टरी जांच के लिए 4 चिकित्सा निरीक्षक और तीन चिकित्सा निरीक्षिकाएं थीं। आलोच्य वर्ष में प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 30,000 बच्चों की डाक्टरी परीक्षा की गई। इनमें से 11,000 से भी अधिक विद्यार्थियों में इलाज की आवश्यकता पाई गई। जिन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था उन्हें दोपहर का खाना, मछली का तेल, और कैल्शियम पाउडर आदि देने की व्यवस्था की गयी और कुछ के लिए उचित चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई।

उड़ीसा में, चिकित्सा अधिकारी ने सरकारी या सहायताप्राप्त हाई स्कूलों के विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच की। अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों की जांच का काम स्थानीय विभागों के स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया।

पंजाब में डाक्टरी जांच की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। परन्तु शहरी क्षेत्रों के प्रायः सभी हाई और मिडिल स्कूलों ने इस काम पर योग्य डाक्टरों को लगा रखा था। स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चों में जो कमी या खामी दिखाई देती थी उसकी सूचना उनके अभिभावकों को दे दी जाती थी। कुछ स्कूलों में छोटे-छोटे औषधालय भी खोले गये और विद्यार्थियों को मुफ्त दवाएं दी गईं।

राजस्थान में, निश्चित समय पर और थोड़े-थोड़े समय के बाद विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच करने और छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए अंशकालिक डाक्टरों की व्यवस्था की गई।

उत्तर प्रदेश के चौदह कस्बों में स्कूलों के लिये पूरे समय की चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था थी। शेष जिलों और कस्बों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नगरपालिका चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्कूल के बच्चों का डाक्टरी निरीक्षण किया गया। 425 संस्थाओं के लगभग 67,009 विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच की गई।

पश्चिमी बंगाल में राज्य शिक्षा निदेशालय ने स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच करने के लिए कलकत्ता और कुछ दूसरे शहरों में स्कूल-स्वास्थ्य एकक कायम कर रहे हैं।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।

त्रिपुरा में, त्रिपुरा प्रदेश परिषद के स्कूलों के लिए पूरे समय के चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करके नियमित डाक्टरी सेवाओं की व्यवस्था की गई। सामान्यतया चिकित्सा अधिकारियों को वर्ष में दो बार निरीक्षण करने के लिए निदेश दिये गये। अस्वस्थ विद्यार्थियों का इलाज सरकारी औषधालयों में लिया गया। आलोच्य वर्ष में लगभग 6,000 विद्यार्थियों का निरीक्षण किया गया।

नेफ्रा में सभी विद्यार्थियों की डाक्टरी जांच सबसे-पास के औषधालय का चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से किया करता था।

12. विस्थापित छात्रों की शिक्षा

पश्चिमी बंगाल के विस्थापित छात्रों को सीधे वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गयी। यह सहायता 'तदर्थ' आधार पर दी जाती थी और माथ-माथ उसे इसकी रकम लगातार कर दी जाती थी ताकि दूसरी आयोजना की अवधि के अन्त तक इस योजना का पूरी तरह निपटा दिया जाये और विनिधान की रकम में कमी आने के कारण व्यय भी उर्नी सीमा के अन्दर ही किया जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विस्थापित छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाने वाले अनुदानों पर लगाये गये प्रतिवर्षी आलोच्य वर्ष में बढ़ा दिया गया। इसके लिए नकद अनुदान बंद कर दिये गये और साथ ही साथ अनुदान प्राप्ति के लिए जिन व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था उनकी योग्यता के स्तर को भी बढ़ा दिया गया। योजना के अन्तर्गत 27.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी।

जिन विद्यार्थियों या उनके अविभावकों को पुनर्वास मंत्रालय से किसी भी रूप में मुआवजा मिल चुका था, उन्हें 1958-59 के दौरान कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई। केवल कुछ ऐसे विद्यार्थियों को अपवादस्वरूप वित्तीय सहायता दी गयी, जिन्हें या जिनके मा-बाप को नकद या अन्य रूप में मुआवजा मिलने से पहले ही कोई वृत्तिका मिल रही थी, और जिस विषय का अध्ययन करने के लिए उन्हें वृत्तिका दी गयी थी, उस विषय का उनका अध्ययन या तो आधा हो चुका था या समाप्तप्रायः था। आलोच्य वर्ष में छात्रवृत्ति के नये प्रार्थियों के लिए मुआवजों की सीमा 3,000 रुपये कर दी गई; अर्थात् जिस छात्र या उसके मा-बाप को तीन हजार या इसमें कम रकम का मुआवजा मिला हो वह भी छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता था। इसी प्रकार उ. मा. में यह अधिकतम सीमा 5,000 रुपये रख दी गई, जिनमें छात्रवृत्ति मंजूर हो जाने के बाद किसी छात्र या उसके मा-बाप को मुआवजा मिला हो और मुआवजा मिलने के समय तक विशार्थी अपने अध्ययन का आधा या इससे अधिक समय पूरा कर चुका हो।

इसके साथ-साथ पुनर्वास मंत्रालय ने विवेकाधीन अनुदान की योजना को भी जारी रखा। इस योजना के लिए दूसरी आयोजना के अन्त तक प्रतिवर्ष 75,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी। इस राशि में गरीब विस्थापित परिवारों के छात्रों को उपयुक्त अनुदान दिये गये।

राजपुर और फ़रीदाबाद में विस्थापित छात्रों की शिक्षा संस्थाओं को चलाने पर हुए कुल व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने दिया। केन्द्रीय सरकार को यह आशा थी कि दूसरी आयोजना के अन्त तक इन संस्थाओं को चलाने की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार स्वयं संभाल सकेगी।

जिन कठिनाइयों के कारण पाकिस्तान और भारत सरकारों के बीच शिक्षा प्रमाणपत्रों के विनिमय का कार्य अप्रैल, 1958 में रोक देना पडा था, वे कठिनाइयां आलोच्य वर्ष में ज्यों की त्यों बनी रहीं। भारतीय राष्ट्रियों के 300 पुराने और 479 नये प्रार्थना-पत्र ऐसे थे जिन पर पाकिस्तान सरकार को कार्यवाही करनी थी। पाकिस्तानी राष्ट्रियों के ऐसे प्रार्थना-पत्रों की संख्या 286 थी। शैक्षिक योग्यताओं का सत्यापन कराने की फ़ीस में जो छूट मंजूर की गयी थी उसे पहली जुलाई 1958 से आगामी एक वर्ष की अवधि तक बढ़ा देने के लिए भारत और पाकिस्तान सरकार में एक करार हुआ।

13. विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्र

सन् 1958-59 के दौरान भारत सरकार निम्नलिखित विदेश छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही थी।

आगाम्या हैरीसन अधिवृत्ति:—यह अधिवृत्ति स्वर्गीया मिस आगाम्या हैरीसन की स्मृति में 1956-57 में चलाई गयी थी। यह अधिवृत्ति सेंट एंथोनी कालेज, आक्सफोर्ड में एशियाई समस्याओं का अध्ययन करने के लिए दी जाती है। इसकी अवधि पांच वर्ष की होती है। इस अधिवृत्ति के लिए जो भारतीय राष्ट्रिक 1956-57 में चुना गया था, उसने 1958-59 के दौरान भी अपना काम जारी रखा। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में 10,660 रुपये खर्च लिये गये।

केंद्रीय विदेश-छात्र-वृत्ति योजना:—इस योजना का अभिप्राय देश में शिक्षण और अनुसंधान के स्तर को उठाना है और इनका सम्बन्ध विश्वविद्यालयों और दूररी उच्च शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों से है। सन् 1958-59 के दौरान चुने गए 25 छात्रों में से आलोच्य वर्ष में केवल 20 ही विदेश गए। इनमें से छः छात्र मानवविद्याओं का अध्ययन करने के लिए गये थे। इस योजना पर आलोच्य वर्ष में 3,78,043 रुपये की रकम खर्च की गई।

संघ राज्यक्षेत्रों की विदेश छात्र-वृत्ति योजना:—ऐसे व्यक्तियों को जो जन्म या अधिवास से छः संघ राज्यक्षेत्रों के निवास हैं, पांच छात्र-वृत्तियां देने की योजना आलोच्य वर्ष में चालू रही। पांचों उम्मीदवार वैज्ञानिक विषयों के लिए चुने गये थे। आलोच्य वर्ष में इस योजना पर 81,669 रुपये खर्च किये गये।

पूरे खर्च की बीस विदेश छात्रवृत्तियों की योजना:—यह योजना 20-25 बयोवर्ग के उन मेधावी और होनहार युवकों के लिए है जो कहीं नौकरी नहीं करते हैं। विदेशों मुद्रा पर नियंत्रण के कारण 1958-59 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत नया चुनाव नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में 18 छात्रों (जिनमें एक मानवविद्या का था) ने अपना अध्ययन जारी रखा। इस योजना पर आलोच्य वर्ष में 51,171 रुपये की रकम खर्च की गई।

विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना:—विदेशी मुद्रा पर रोक होने के कारण नया चुनाव नहीं किया गया। इन योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष भेजे गये छात्रों में से 18 आलोच्य वर्ष में भारत लौट आए। इन सम्बन्ध में इस वर्ष 1,95,053 रुपये की रकम खर्च की गई।

अनुवृत्त जातियों, अनुवृत्त कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विदेश वृत्तियां:—1958-59 के लिए चुने गये 12 उम्मीदवारों में से एक भा आलोच्य वर्ष में बाहर नहीं जा सका क्योंकि चुनाव में बहुत देर हो गया था। पिछले टोलो के तीन छात्र 1958-59 में अध्ययन के लिए बाहर गये। विदेश में अध्ययन समाप्त करके चार छात्र भारत लौटे।

अनुवृत्त जातियों, अनुवृत्त कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए यात्रा अनुदान:—सन् 1958-59 में अन्य पिछड़े वर्गों के चार छात्रों को पर्यटक श्रेणी की यात्रा व्यय दिया गया। इन छात्रों को विदेशों छात्रवृत्तियां मिल चुकी थीं, किन्तु उनमें यात्रा व्यय शामिल नहीं था। इनके प्रतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग के एक छात्र के लिए जो पिछले वर्ष विदेश गया था, भारत लौटने के लिए यात्रा व्यय की मंजूरी दी गई।

भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारिता योजना:—इन योजना के अन्तर्गत छात्र-वृत्ति के लिए चुने गये 25 उम्मीदवारों में से 23 विदेश गये। शेष दो ने छात्रवृत्तियों से लाभ नहीं उठाया। इसके अतिरिक्त 25 छात्रों की, जो पहले से ही पश्चिमी जर्मनी में पढ़ रहे थे; फ्रीस माफ़ की गई।

इस योजना के अन्तर्गत 1956-57 में जर्मन सरकार ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 80 स्थानों का प्रस्ताव किया था। यद्यपि आलोच्य वर्ष में सभी उम्मीदवारों का चुनाव पूरा हो चुका था फिर भी केवल 31 उम्मीदवार जर्मनी गये। दूसरे स्थानों को भरने की जा रही थी।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों आदि में 1958-59 के दौरान विदेश में अध्ययन के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को छात्र-वृत्तियाँ अधिवृत्तियाँ दीः—

छात्रवृत्ति/अधिवृत्ति देने वाले प्राधिकरण का नाम	छात्रवृत्तियों/अधिवृत्तियों की संख्या
1	2
आस्ट्रिया सरकार	इंजीनियरी या आयुर्विज्ञान की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए दो छात्रवृत्तियाँ ।
बेल्जियम सरकार	नौ-वास्तुकला, खनिजज्ञान, धातुविज्ञान, रसायन इंजीनियरी और नौ-वास्तुशिल्प में अनुसंधान करने के लिए दो उत्तर-स्नातक छात्र-वृत्तियाँ ।
चेकोस्लोवाकिया	वैज्ञानिक विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए तीन छात्रवृत्तियाँ और उच्च प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 30 छात्र-वृत्तियाँ ।
फ्रांस सरकार	इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र/इतिहास/फ्रेंच भाषा/साहित्य में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए क्रमशः सात और चार छात्रवृत्तियाँ । कृषि और पशुचिकित्सा विज्ञान आदि विशेष प्रशिक्षण के लिए बारह और छात्रवृत्तियाँ ।
पश्चिमी जर्मनी सरकार	मूलभूत विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन/अनुसंधान के लिए चार छात्रवृत्तियाँ और उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 150 छात्रवृत्तियाँ ।
हंगेरी सरकार	रेलवे का चलस्टाक और वैज्ञानिक उपकरण आदि बनाने के सम्बन्ध में स्नातकोत्तर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए बारह छात्रवृत्तियाँ ।
इजरायल सरकार	शुष्क कटिबन्धों में खेती करने के विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए एक छात्रवृत्ति ।
इटली सरकार	ललितकला, चित्रकला आदि में स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए पाँच छात्र-वृत्तियाँ ।

1

2

नीदरलैंड सरकार	संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए एक छात्रवृत्ति ।
नार्वे सरकार	मांखियर्की में स्नातकोत्तर अध्ययन/अनुसंधान के लिए एक छात्रवृत्ति ।
रूमानिया सरकार	तेल प्रौद्योगिकी, भौमिकी और खनिविज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए पांच छात्रवृत्तियां ।
स्पेन सरकार	मूर्तिकला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए एक छात्रवृत्ति ।
स्वीडेन सरकार	न्यूक्लीय वर्णक्रमदर्शन और राजनीतिविज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक-एक छात्रवृत्ति ।
स्विटजरलैंड सरकार	विज्ञान, प्रौद्योगिकी या इंजीनियरी की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर अध्ययन/-प्रशिक्षण के लिए दो छात्रवृत्तियां ।
संयुक्त अरब गणराज्य सरकार	सिचाई, इंजीनियरी और कपास-उपज-अनुसंधान में स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए दो छात्रवृत्तियां ।
सोवियत गणराज्य सरकार	कृषि, बुनियादी विज्ञानों, आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अध्ययन/अनुसंधान के लिए बारह छात्रवृत्तियां ।
संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र, समाज-कल्याण अधिवृत्ति/छात्रवृत्ति कार्यक्रम) ।	समाज कल्याण और इससे सम्बन्धित विषयों के लिए चार अधिवृत्तियां ।
ब्रिटिश काउन्सिल, लंदन	अंग्रेजी भाषा और साहित्य, विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण, इतिहास दर्शन, कामनवेल्थ की समस्याएं तथा अंग्रेजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उच्चतर अध्ययन/अनुसंधान के लिए छः छात्रवृत्तियां ।
फ़िलीपाइन विश्वविद्यालय	राजनीतिविज्ञान के अध्ययन के लिए दो छात्रवृत्तियां ।
इंपीरियल रिलेशंस ट्रस्ट (लंदन यूनीवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन), लंदन ।	देश की वर्तमान शिक्षा संबंधी समस्याओं पर संस्था में रहकर अनुसंधान करने के लिए एक शिक्षावृत्ति ।

1

2

रिजफ्रील्ड फ़ाउंडेशन, अमरीका

अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए एक छात्र-
वृत्ति ।

शैक्षिक विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत जर्मनी की
छात्रवृत्तियां ।

चार स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां ।

तकनीकी सहकारिता मिशन (टी० सी० एम०)
कार्यक्रम ।

इंजीनियरी/तकनीकी विषयों में स्नातकोत्तर
अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए छः छात्र-
वृत्तियां ।

ग्यारहवाँ अध्याय

सांख्यिकीय सर्वेक्षण

सन 1958-59 में समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के आंकड़ों से शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिन प्रवृत्तियों का पता चलता है उनकी ओर इस अध्याय में संकेत किया गया है। किन्तु इस प्रकार के अध्ययन की दो परिसीमाएँ हैं। (1) विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में शिक्षा के विकास का स्तर एक सा नहीं रहा है, इसलिए इन आंकड़ों से ऐसे निष्कर्ष ग्रहण नहीं किये जा सकते जो सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू हों, (2) इस प्रकार का अध्ययन प्रधानतः आंकड़ों पर आधारित होने के कारण, यह आशा नहीं की जा सकती कि इसमें शिक्षा के विकास के गुणात्मक पहलुओं के साथ न्याय किया जा सकेगा, क्योंकि शैक्षिक विकास का गुणात्मक पहलू बहुधा सांख्यिकीय निष्कर्षों को निराधार सिद्ध कर देता है।

प्रारंभिक शिक्षा

आलोच्य वर्षसे पहले के पांच वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसे नीचे सारणी CXI में दिखाया गया है।

सारणी CXI—प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र (1953—59)

शत	पहली से आठवी तक की कक्षाओं में छात्रों की संख्या			छात्रों की कुल संख्या में	पिछले वर्ष की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़कियों का प्रति-शत	लड़के	लड़कियां	जोड़
	(लाखों में)						
1953-54	184.59	70.42	255.01	27.6
1954-55	196.10	76.63	272.73	28.1	6.2	8.8	6.9
1955-56	209.54	85.07	294.61	28.9	6.9	11.0	8.0
1956-57	220.95	93.54	314.49	29.7	5.4	10.0	6.8
1957-58	232.40	98.58	330.98	29.8	5.2	5.4	5.2
1958-59	252.14	109.83	361.97	30.3	8.5	11.4	9.4

यह स्पष्ट है कि इन पांच वर्षों में छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ती रही और इस अवधि में पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में एक करोड़ से भी अधिक बच्चे भर्ती हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति वर्ष छात्रों की संख्या में औसतन 21 लाख की वृद्धि होती रही। इसमें 13½ लाख लड़के और 7½ लाख लड़कियां थीं। प्रतिवर्ष की वृद्धि देखते हुए पता चलता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। फिर भी लड़कों और लड़कियों की संख्या में 1958-59 में काफी अन्तर था। उक्त वर्ष में छात्रों की कुल संख्या में लड़कियों की संख्या केवल एक तिहाई थी।

परन्तु इस सफलता से हमारा सन्तुष्ट हो जाना उचित नहीं है, क्योंकि 6 से 14 साल की आयु से सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं में लाभ उठाने वाली जनसंख्या का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी CXII— 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं
(1953—59)

वर्ष	6 से 14 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या में पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
1953-54	49.2	20.2	35.1
1954-55	51.4	21.3	36.8
1955-56	54.1	23.1	39.1
1956-57	55.9	24.9	40.9
1957-58	60.2	26.9	43.9
1958-59	61.1	28.3	45.2

ऊपर की सारणी से निम्नलिखित रोचक बातें सामने आती हैं।

(i) सन 1953-54 में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की कुल संख्या में पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 35.1 प्रतिशत थी। 1958-59 में यह संख्या बढ़कर 45.2 प्रतिशत हो गई, अर्थात् इसमें प्रतिवर्ष औसतन 2.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। यदि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को भी दृष्टि में रखा जाय तो शिक्षा सुविधाओं की यह वृद्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

(ii) छात्रों और छात्राओं की संख्या में पहले की तरह अब भी बहुत अन्तर था। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयुवर्ग के प्रति 100 लड़कों में से 61 के लिए 1958-59 में प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं थी। किंतु इस प्रकार की सुविधाएं 100 में केवल 28 लड़कियों के लिए ही उपलब्ध थी।

(iii) यदि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टि में न भी रखा जाय तो भी सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, मौजूदा शिक्षा सुविधाओं में शतप्रतिशतसे भी अधिक वृद्धि करनी होगी।

स्पष्ट है कि इस आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना निस्संदेह बहुत कठिन कार्य है। अन्य बातों के साथ साथ, साधनों, प्रशिक्षित अध्यापकों, इमारतों और साज-सामान की कमी से काम और भी कठिन हो गया है। इसलिए 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा देने के वृहत् कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के प्रथम चरण के रूप में 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा देने के कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जा रहा है, और यह उचित भी है।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक स्कूलों में तथा मिडिल और हाई स्कूलों के प्राथमिक अनुभागों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। 1953-54 से 1958-59 की अवधि में देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या नीचे की सारणी CXIII में दिखायी गयी है। (इसमें मिडिल और हाई स्कूलों के प्राथमिक विभागों की संख्या शामिल नहीं है):—

सारणी CXIII—प्राथमिक स्कूलों की संख्या (1953—59)

वर्ष	प्राथमिक स्कूल		लड़कियों के प्राथमिक स्कूल		एक अध्यापक वाले स्कूल		‘म’ तूलना की तुलना में प्रतिशत
	संख्या	पिछले वर्ष की संख्या में वृद्धि	संख्या	स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में लड़कियों के स्कूलों का प्रतिशत	संख्या	पिछले वर्ष की संख्या में वृद्धि	
1953-54	2,39,382	17,368	14,711	6.1	86,031	14.4	35.9
1954-55	2,63,626	24,244	14,925	5.7	1,01,342	17.8	38.4
1955-56	2,78,135	14,509	15,230	5.5	1,11,220	9.7	40.0
1956-57	2,87,298	9,163	16,065	5.6	1,16,272	4.5	40.5
1957-58	2,98,247	10,949	16,433	5.5	1,23,248	6.0	41.3
1958-59	3,01,564	3,317	16,735	5.5	1,26,238	2.4	41.9

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है, किन्तु यह वृद्धि बहुत दृढ़ गति से नहीं हो रही है। पांच वर्ष की इस अवधि में, इन स्कूलों की संख्या में औसत वृद्धि 12,000 प्रतिवर्ष से भी अधिक रही। देश में व्यापक आधार पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में किए गए प्रयत्नों की शलक इन आंकड़ों से मिलती है। ऊपर की सारणी में ऐसे प्राथमिक स्कूलों की संख्या भी दी गई है जो केवल लड़कियों के लिए थे। ऐसे स्कूलों की संख्या, प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या का 6 प्रतिशत थी। समीक्षाधीन पंचवर्षीय अवधि में इनकी प्रतिशत संख्या निरन्तर कम होती गई है। इस प्रकार इस स्तर पर सह-शिक्षा पद्धति का आरंभ, सही दिशा में विकास का द्योतक है।

प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या में एक अध्यापक वाले स्कूलों का अनुपात काफी था। (1958-59 में इनका अनुपात 41.9 प्रतिशत था) इस पांच वर्ष की अवधि में इन स्कूलों की संख्या में लगभग 40,000 की वृद्धि हुई। इन स्कूलों की संख्या में जो वृद्धि हुई उसके प्रतिशत में यद्यपि वर्ष-प्रति-वर्ष घट-बढ़ होती रही, फिर भी स्कूलों की कुल संख्या में इनका अनुपात बढ़ता ही रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वत्र स्कूलों की व्यवस्था करने और प्रत्येक बच्चे के घर के नजदीक ही स्कूल खोलने के उद्देश्य में हम उन सभी गांवों में स्कूल खोल रहे हैं जिनमें स्कूल नहीं है।

प्रबंध संस्थाओं के आधार पर प्राथमिक स्कूलों का विभाजन नीचे की शरणी में दिखाया गया है:—

शरणी CXIV—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या
(1953—59)

वर्ष	प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या	सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की संख्या	स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की संख्या	गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की संख्या	सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों का प्रतिशत	स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों का प्रतिशत	प्राइवेट स्कूलों का प्रतिशत
1953-54	2,39,382	52,597	1,19,968	66,817	22.0	50.1	27.9
1954-55	2,63,626	59,262	1,33,020	71,344	22.5	50.4	27.1
1955-56	2,78,135	64,827	1,42,223	71,085	23.3	51.1	25.6
1956-57	2,87,298	64,098	1,52,064	71,136	22.3	52.9	24.8
1957-58	2,98,247	77,724	1,48,275	72,248	26.1	49.7	24.2
1958-59	3,01,564	81,939	1,48,301	71,324	27.2	49.2	23.7

ऊपर दिये गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल प्राथमिक स्कूलों में से लगभग आधे स्कूलों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं के हाथ में, और शेष आधे का प्रबंध सरकार की और गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। स्थानीय मंडलों के स्कूलों के अनुपात में घट-बढ़ बहुत ही कम हुई, जब कि सरकारी स्कूलों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि और गैर-सरकारी स्कूलों की प्रतिशत संख्या में कमी होती रही। यह भी पता चलता है कि सरकार और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या, प्राइवेट संस्थाओं के स्कूलों की संख्या की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी है। यद्यपि प्राइवेट संस्थाओं के स्कूलों की संख्या बढ़ी है, किन्तु स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में उनका अनुपात कम हो गया है। देश के सभी लोगों के

स्कूल जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का स्कूल में भरती करने की समस्या के बारे में यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में प्रगति अपेक्षाकृत मन्द ही रही। इस दिशा में प्रगति दूसरी बातों के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर है। फिर भी, जैसा कि नीचे की सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है, जो कुछ प्रगति हुई, वह कम नहीं है:—

सारणी CXV—छह से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं

वर्ष	पहली से पांचवी तक की कक्षाओं में छात्रों की संख्या			6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कुल संख्या में स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रतिशत संख्या		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जो'
1	2	3	4	5	6	7
			(लाखों में)			
1953-54	153.56	63.16	216.72	64.8	27.9	46.7
1954-55	163.49	68.75	232.24	68.1	29.9	49.4
1955-56	175.28	76.39	251.67	72.0	32.8	52.8
1956-57	184.51	82.62	267.13	73.7	34.5	54.5
1957-58	194.04	87.66	281.70	76.1	36.2	56.7
1958-59	210.14	97.42	307.57	76.0	37.5	57.3

भरती होने वाले छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 5 वर्षों में लगभग 90 लाख या सालाना 18 लाख की औसत दर से वृद्धि हुई। इतना होते हुए भी 1958-59 तक में 6 से 11 वर्ष की आयु के कुल बच्चों में से 60 प्रतिशत से भी कम बच्चों स्कूलों में भर्ती थे। लड़कियों की शिक्षा के बारे में स्थिति इस में भी खराब रही। लगभग दो तिहाई लड़कियाँ स्कूलों में दाखिल नहीं थी।

ऊपर की सारणी में, पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की जो संख्या बनाई गई है उसमें सभी छात्र 6 से 11 वर्ष के आयु-वर्ग के नहीं हैं। इस आयु-वर्ग में न आने वाले बच्चे भी काफ़ी संख्या में इस में शामिल हैं, यद्यपि आदर्श स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिये था। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे निश्चित आयु-वर्ग में नहीं आते उनके आकड़े नीचे की सारणी में दिए गये हैं।

सारणी CXVI—पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में छह वर्ष से कम या ग्यारह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या

1

वर्ष	पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या (लाखों में)		
	लड़के	लड़किया	जोड़
1	2	3	4
1953-54	153.56	63.16	216.72
1954-55	163.49	68.75	232.24
1955-56	175.28	76.39	251.67
1956-57	184.51	82.62	267.13
1957-58	194.04	87.66	281.70
1958-59	210.14	97.42	307.57

2

वर्ष	पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में 6 वर्ष से कम और 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या (लाखों में)			पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले 6 वर्ष से कम या 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	5	6	7	8	9	10
1953-54	39.09	15.32	54.41	25.5	24.3	25.1
1954-55	40.81	15.86	56.67	25.0	23.1	24.4
1955-56	42.67	16.46	59.13	24.3	21.5	23.5
1956-57	44.27	17.79	62.06	24.0	21.5	23.2
1957-58	46.14	18.20	64.34	23.8	20.8	22.8
1958-59	48.68	19.47	68.14	23.2	20.0	22.2

स्पष्ट है कि उपलब्ध स्थानों में से कम से कम 22.2 प्रतिशत स्थान अनुपयुक्त आयु-वर्ग के बच्चों के द्वारा भरे गए थे। परन्तु सन्तोष की बात है कि आलोच्य अवधि में ऐसे बच्चों की प्रतिशत संख्या कम होती रही।

इस समय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा यह है कि बहुत से बच्चे पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं और कुछ लड़के एक शिक्षा वर्ष में एक कक्षा से अगली कक्षा में नहीं चढ़ पाते। इस प्रकार जो हानि होती है। उसका अनुमान लगाने का एक सीधा और सरल तरीका, ऐसे बच्चों की संख्या निकाल लेना है जो 3 साल में पहली कक्षा से चौथी कक्षा में पहुँचने में असफल रहे। इसी आधार पर इस विकट समस्या से संबंधित आंकड़े नीचे की सारणी में दिए गए हैं।

सारणी CXVII—पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले और एक शिक्षा-वर्ष में अगली कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या

1

वर्ष	तीन वर्ष पूर्व पहली कक्षा में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या (लाखों में)			भिन्न-भिन्न वर्षों में चौथी कक्षा में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या (लाखों में)		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1954-55	48.02	22.23	70.25	22.66	8.08	30.74
1955-56	50.23	23.72	73.95	23.45	8.71	32.16
1956-57	54.67	26.20	80.87	25.10	9.57	34.67
1957-58	61.89	29.23	91.12	26.57	10.29	36.86
1958-59	66.60	32.98	99.58	28.69	11.51	40.20

2

वर्ष	पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले या एक शिक्षा-वर्ष में अगली कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या (लाखों में)			पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले या एक शिक्षा-वर्ष में अगली कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
	8	9	10	11	12	13
1954-55	25.36	14.15	39.51	52.8	63.7	56.2
1955-56	26.78	15.01	41.79	53.3	63.3	56.5
1956-57	29.57	16.63	46.20	54.1	63.4	57.1
1957-58	35.32	18.94	54.26	57.1	64.8	59.5
1958-59	37.91	21.47	59.38	56.9	65.1	59.6

सन् 1958-59 में पढाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 60 प्रतिशत के लगभग थी। लड़कियों में यह संख्या 65 प्रतिशत तक थी।

विभिन्न प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों द्वारा पढाई अधूरी छोड़ने और एक शिक्षा-वर्ष में अगली कक्षा में न चढ़ पाने से विभिन्न प्राथमिक कक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अनुमान नीचे की सारणी से भली-भांति लगाया जा सकता है। इस सारणी में दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्याओं के सूचकांक दिए गए हैं। इन में पहली कक्षा में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या को आधार संख्या (100) माना गया है। जहां कहीं भी संख्या में कुछ कमी आई है उससे विभिन्न कक्षाओं में पढाई अधूरी छोड़ने वाले या परीक्षा में असफल रहने वाले छात्रों की संख्या का पता लगाया जा सकता है।

सारणी CXVIII—विभिन्न कक्षाओं में पढाई अधूरी छोड़ने वाले या परीक्षा में असफल रहने वाले छात्रों की संख्या

1

कक्षा	1951-55 की टोली			1952-56 की टोली			1953-57 की टोली		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
I	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I	66	59	64	63	58	61	62	58	61
III	54	46	51	53	45	50	51	45	49
IV	47	37	43	46	37	43	43	35	40

2

कक्षा	1954-58 की टोली			1955-59 की टोली		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
	11	12	13	14	15	16
I	100	100	100	100	100	100
II	62	58	61	61	55	59
III	51	45	49	50	43	48
IV	43	35	40	43	35	40

केवल पहली कक्षा से दूसरी कक्षा तक ही लगभग 40 प्रतिशत छात्रों ने या तो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी या वे परीक्षा में असफल रहे। पहली तीन कक्षाओं में ऐसे छात्रों की संख्या 52 प्रतिशत और पहली चार कक्षाओं में 60 प्रतिशत रही। इससे पता चलता है कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा के बीच में ऐसे छात्रों की संख्या सबसे अधिक रही और इस के बाद उन की संख्या में लगातार कमी होती रही।

नीचे की सारणी में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की वृद्धि और उन की प्रशिक्षण संबंधी स्थिति की जानकारी दी गई है।

सारणी CXIX—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक (1953—59)

वर्ष	प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (हजारों में)			पिछले वर्ष की संख्या में वृद्धि या कमी (हजारों में)	अध्यापिकाओं का प्रतिशत	प्रशिक्षित अध्यापकों की कुल संख्या (हजारों में)	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
	पुरुष	महिलाएं	जोड़				
1953-54	518	105	623	+36	16.8	390	62.5
1954-55	563	113	676	+53	16.8	418	61.8
1955-56	574	117	691	+15	16.9	423	61.2
1956-57	589	121	710	+19	17.1	442	63.5
1957-58	602	127	729	+19	17.4	463	63.5
1958-59	577	118	695	-34	17.0	443	63.7

अन्तिम वर्ष को छोड़कर शेष सभी वर्षों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होती रही। अन्तिम वर्ष में यह संख्या लगभग 34,000 कम हो गई। किन्तु यह कमी वास्तविक नहीं थी और इसका कारण उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के रूप में नए सिरे से वर्गीकृत करना था। इस विषय की चर्चा तीसरे अध्याय में पहले ही कर दी गई है। अध्यापिकाओं की अनुपात में थोड़ी सी कमी आने का भी यही कारण था। किन्तु यह देखकर सन्तोष होता है कि आलोच्य वर्ष में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में इन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

अब हम प्राथमिक स्कूलों पर किए गए व्यय पर विचार करेंगे। व्यय की कुछ मद्दे-जैसे निवेदन, निरीक्षण पर व्यय-ऐसी होती है जिन्हें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के लिए अलग-अलग नहीं दिखाया जा सकता। इस प्रकार का व्यय अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। इस के विपरीत प्रत्यक्ष व्यय में अध्यापकों के वेतन, साज-सामान, आकस्मिक खर्च आदि आते हैं। मिडिल और हाई स्कूलों के प्राथमिक विभागों को छोड़कर, प्राथमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय नीचे की सारणी में दिखाया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुछ राज्यों में उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के रूप में नये सिरे से वर्गीकृत कर दिया गया था और इससे इस अवधि के अन्तिम वर्ष के व्यय में कमी हो गई।

सारणी CXX—आय स्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों पर व्यय (1953—59)

वर्ष	विभिन्न आय-स्रोतों से पूरा किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)					सरकारी निधियों और स्थानीय मंडलों की निधियों से पूरे किए गए खर्च का प्रतिशत
	सरकारी निधियां	स्थानिक मंडलों की निधियां	फ्रीस	अन्य आय स्रोत	जोड़	
1953-54	33.18	10.25	1.31	1.53	46.27	93.9
1954-55	36.95	10.70	1.56	1.68	50.89	93.6
1955-56	39.55	10.75	1.75	1.68	53.73	93.6
1956-57	43.56	11.50	1.80	1.62	58.48	94.2
1957-58	52.36	10.75	1.76	1.84	66.71	94.6
1958-59	51.78	8.36	1.57	1.86	63.57	94.6

फ्रीस और अन्य आय स्रोतों में पूरे किए गए 5 से लेकर 6 प्रतिशत व्यय को छोड़कर भारत में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूरा भार लोक प्राधिकरण अर्थात् सरकार और स्थानिक संस्थायें उठा रही हैं।

जैसा कि नीचे दिखाया गया है, प्राथमिक स्कूलों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय में अध्यापकों के वेतन पर खर्च की गई रकम सब से अधिक थी :—

सारणी CXXI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के वेतन (1953—59)

वर्ष	कुल प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपयों में)	अध्यापकों के वेतन (करोड़ रुपयों में)	कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में अध्यापकों के वेतन पर किया गया प्रतिशत व्यय		वेतनसूचकांक (आधार वर्ष 1953-54)
			प्रति अध्यापक औसत वार्षिक वेतन	रु०	
1953-54	46.27	38.84	83.9	623.1	100.0
1954-55	50.59	42.80	84.1	633.3	101.6
1955-56	53.73	45.04	83.8	651.5	104.6
1956-57	58.48	49.28	84.3	694.0	111.4
1957-58	66.71	56.92	85.3	780.6	125.3
1958-59	63.57	58.78	86.2	788.5	126.5

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में जो वृद्धि हुई उसका पता भी ऊपर के आंकड़ों से चलता है। किन्तु इन आंकड़ों में इसी अवधि में निर्वाह-सूचकांक में होने वाली वृद्धि नहीं दिखाई गई है।

मिडिल स्कूलों की शिक्षा

इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था मिडिल स्कूलों में और हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मिडिल विभागों में है। मिडिल विभाग कितने हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में है, इसकी सही-सही जानकारी प्राप्त नहीं है। सन् 1953-54 से 1958-59 की अवधि में देश में मिडिल स्कूलों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसे नीचे सारणी में दिखाया गया है।

सारणी CXXII—मिडिल स्कूलों की संख्या (1953—59)

वर्ष	मिडिल स्कूलों की संख्या			पिछले वर्ष की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि	लड़कियों के मिडिल स्कूलों का प्रतिशत
	लड़कों के लिए	लड़कियों के लिए	जोड़		
1	2	3	4	5	6
1953-54	14,361	1,891	16,253	5.9	11.6
1954-55	15,417	1,901	17,318	6.6	11.0
1955-56	19,393	2,337	21,730	25.5	10.8
1956-57	21,871	2,615	24,486	12.7	10.7
1957-58	24,141	2,874	27,015	10.3	10.6
1958-59	35,835	3,762	39,597	46.6	9.5

इससे यह ज्ञात होगा कि इन पांच वर्षों की अवधि में और विशेषकर अंतिम वर्ष में, मिडिल स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परन्तु सन् 1958-59 में जो वृद्धि हुई है उसका एक कारण यह भी था कि उच्चतर प्रारंभिक स्कूलों को (जिन्हें पहिले प्राथमिक स्कूलों के रूप में दिखाया जाता था) मिडिल स्कूलों के रूप में नए सिरे से वर्गीकृत कर दिया गया था। किन्तु लड़कियों के स्कूलों के अनुपात में कमी होती गई।

विभिन्न प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार देश में मिडिल स्कूलों का विभाजन सारणी CXXIII में दिखाया गया है।

सारणी CXXIII—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या
(1953—59)

वर्ष	प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या				सरकारी स्कूलों का प्रतिशत	स्थानीय मंडलों के स्कूलों का प्रतिशत	गैर-सरकारी स्कूलों का प्रतिशत
	सरकारी स्कूल	स्थानीय मंडलों के स्कूल	गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूल	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8
1953-54	4,332	5,130	6,790	16,252	26.6	31.6	41.8
1954-55	4,632	5,382	7,304	17,318	26.7	31.1	42.2
1955-56	4,961	3,988	7,781	21,730	22.8	41.4	35.8
1956-57	5,164	10,830	8,492	24,486	21.1	44.2	34.7
1957-58	6,807	10,928	9,280	27,015	25.2	40.5	34.3
1958-59	7,314	20,991	11,292	39,597	18.5	53.0	28.5

ऊपर की सारणी से यह जानकर बहुत संतोष होता है कि मिडिल स्कूलों के प्रशासन में स्थानीय संस्थाओं का योगदान काफी अधिक रहा है। सारणी से पता चलता है कि :-

(1) सभी प्रबन्ध संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले मिडिल स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु स्थानीय मंडलों के स्कूलों में तो बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है।

(2) स्थानीय मंडलों के स्कूलों के अनुपात में वृद्धि होती रही जब कि सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूलों के अनुपात में कमी होती रही।

सारणी CXXIV—छठी से आठवी तक की कक्षाओं में भरती होने वाले छात्रों की संख्या (1953—59)

वर्ष	छठी से आठवी तक की कक्षाओं में छात्रों की संख्या (लाखों में)			छात्रों की कुल संख्या की तुलना में लड़कियों का प्रतिशत	11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	जोड़		लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
				(लाखों में)			
1953-54	31.03	7.26	38.29	19.0	23.6	5.9	15.1
1954-55	32.61	7.87	40.48	19.4	24.5	6.4	15.8
1955-56	34.26	8.67	42.93	20.2	25.4	6.9	16.5
1956-57	36.44	9.92	46.36	21.4	26.4	7.7	17.3
1957-58	38.35	10.93	49.28	22.2	29.2	8.8	19.3
1958-59	42.00	12.41	54.41	22.8	30.9	9.7	20.7

सन् 1953-54 और 1958-59 के बीच, छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 16 लाख से भी अधिक बढ़ गई। लड़कों की संख्या में वार्षिक वृद्धि की दर लड़कियों की वृद्धि की अपेक्षा देने से भी अधिक थी। फिर भी इस अवधि में भर्ती होने वाली लड़कियों की संख्या में 70.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि लड़कों की संख्या में केवल 36.2 प्रतिशत ही वृद्धि हुई। परिणाम यह हुआ कि लड़कियों का अनुपात, जो 1953-54 में छात्रों की कुल संख्या का 19.0 प्रतिशत था, 1958-59 में बढ़कर 22.8 प्रतिशत हो गया।

सन् 1958-59 में छठी से आठवीं कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 11 से 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों की कुल संख्या का केवल 20.7 प्रतिशत थी। 5 वर्ष पूर्व यही संख्या 15.1 प्रतिशत थी। लड़कियों की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त खराब थी। इन सब बातों से इस तथ्य पर भली-भांति प्रकाश पड़ता है कि 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी संविधान द्वारा सौंपी गई है उसे पूरा करने के लिए अभी कितना अधिक काम बाकी है।

जैसा कि नीचे दिखाया गया है, छात्रों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ अध्यापकों की संख्या में भी इस अवधि में वृद्धि होती रही है ।

सारणी CXXV—मिडिल स्कूलों में अध्यापक (1953—59)

वर्ष	अध्यापकों की संख्या			अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में अध्यापिकाओं की संख्या का प्रतिशत	प्रशिक्षित अध्यापक	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
	पुरुष	महिलाएँ	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7
1953-54	87,867	16,433	1,04,300	15.8	56,788	54.5
1954-55	94,671	17,078	1,11,749	15.3	59,768	53.5
1955-56	1,24,550	23,844	1,48,394	16.1	86,776	58.5
1956-57	1,35,467	31,096	1,66,563	18.7	1,00,077	60.1
1957-58	1,48,054	37,019	1,85,073	30.0	1,16,021	62.7
1958-59	2,05,774	59,907	2,65,681	22.5	1,74,857	65.8

समीक्षाधीन पांच वर्षों की अवधि में अध्यापकों की कुल संख्या में लगभग 155 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि अध्यापिकाओं की संख्या में लगभग 265 प्रतिशत वृद्धि हो गई इससे अध्यापकों की कुल संख्या में अध्यापिकाओं का अनुपात 15.8 प्रतिशत से बढ़कर 22.5 प्रतिशत हो गया ।

नये स्कूल खुलने और अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इन पांच वर्षों में मिडिल स्कूलों पर किए जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय में लगभग 159 प्रतिशत वृद्धि हुई। विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार इस व्यय का विभाजन नीचे की सारणी में दिखाया गया है :-

सारणी CXXVI—विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय (1953—59)

वर्ष	कुल प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपयों में)	भिन्न-भिन्न आयस्रोतों से पूरे किए गए व्यय का प्रतिशत			
		सरकारी निधियां	स्थानीय मंडलों की निधियां	फ्रीस	अन्य आयस्रोत
1	2	3	4	5	6
1953-54	10.52	53.5	13.7	23.2	9.6
1954-55	11.46	57.1	12.7	21.3	8.9
1955-56	15.41	62.9	12.9	16.2	8.0
1956-57	17.15	60.5	11.6	14.6	13.3
1957-58	20.77	72.3	8.8	12.2	6.7
1958-59	31.83	73.3	12.0	8.6	6.1

इस अवधि में सरकार द्वारा दी जाने वाली रकम में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जब कि अन्य आयस्रोतों से प्राप्त रकम में कमी हुई। भिन्न-भिन्न आयस्रोतों में इस कमी का अनुपात भिन्न-भिन्न रहा। फ्रीस से प्राप्त होने वाली रकम में बहुत अधिक कमी आ गई है। इससे शायद यह पता चलता है कि इस स्तर पर नये इलाकों और नये वर्गों में निःशुल्क शिक्षा का धीरे-धीरे अधिकाधिक विस्तार किया जा रहा था।

जैसा कि नीचे की सारणी में दिखाया गया है, मिडिल स्कूलों पर किए जाने वाले कुल प्रत्यक्ष व्यय में से 80 प्रतिशत से भी अधिक धन अध्यापकों के वेतन पर खर्च किया गया।

सारणी CXXVII—मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर किया गया व्यय
(1953—59)

वर्ष	मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर किया गया व्यय	कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में अध्यापकों के वेतन पर किए गए व्यय का प्रतिशत	प्रति अध्यापक औसत वार्षिक वेतन	वेतन सूचकांक (आधार वर्ष 1953-54)
1	2	3	4	5	6
	(रुपये करोड़ों में)			रु०	
1953-54	10.52	7.74	73.57	742	100
1954-55	11.46	8.65	75.48	774	104
1955-56	15.41	12.00	77.87	809	109
1956-57	17.15	12.06	70.32	832	112
1957-58	20.77	17.01	81.90	919	124
1958-59	31.83	26.71	83.91	1,005	135

सारणी से यह ज्ञात होगा कि अध्यापक के औसत वेतन में वर्ष प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होती रही है। इन पांच वर्षों के अंत में यह औसत वेतन 1,005 रुपये था जब कि इस अवधि के आरंभ में यह केवल 742 रुपये प्रति वर्ष था। परन्तु यह बताना कठिन है कि इस अवधि में रहन-सहन के बढ़ते हुए खर्च के कारण अध्यापकों को उनकी वेतन-वृद्धि से कहां तक लाभ पहुंच सका है।

बुनियादी शिक्षा

बुनियादी शिक्षा का 8 वर्ष की अवधि का एक समेकित पाठ्यक्रम होता है। इसमें पाच वर्ष अवर बुनियादी शिक्षा और 3 वर्ष उच्च बुनियादी शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस संबंध में सभी राज्यों में एकसी व्यवस्था नहीं है। सन 1953-54 से लेकर 1958-59 तक के पाच वर्षों में बुनियादी शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उमका व्योरा नीचे की सारणी में दिया गया है—

सारणी CXXVIII—बुनियादी स्कूलों की संख्या (1953—59)

वर्ष	संख्या	अवर बुनियादी स्कूल			संख्या	उच्च बुनियादी स्कूल		
		विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाने वाले स्कूलों का प्रतिशत				विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों का प्रतिशत		
		सरकारी स्कूल	स्थानीय मंडलों के स्कूल	गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूल		सरकारी स्कूल	स्थानीय मंडलों के स्कूल	गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1953-54	34,940	8.4	84.3	7.3	865	67.3	21.7	11.0
1954-55	37,394	10.0	80.9	9.1	1,120	60.7	18.9	20.4
1955-56	42,971	13.4	76.2	10.4	4,842	16.6	74.5	8.9
1956-57	46,881	11.7	77.6	10.7	6,897	13.1	79.4	7.5
1957-58	52,039	13.7	74.3	12.0	7,819	15.0	75.5	9.5
1958-59	57,069	13.8	74.3	11.9	12,739	11.7	71.6	16.7

ऊपर की सारणी से पता चलता है कि इन पांच वर्षों में अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या में 22,000 से अधिक की और उच्च बुनियादी स्कूलों की संख्या में लगभग 12,000 की वृद्धि हुई। 1958-59 में अवर और उच्च बुनियादी स्कूलों में से लगभग तीन चौथाई स्कूलों का प्रबंध स्थानीय मंडलों के हाथ में था। इसके पाच वर्ष पूर्व दो तिहाई उच्च बुनियादी स्कूलों का प्रबंध सरकार के हाथ में था। लगभग दस प्रतिशत स्कूलों के प्रबंध का भार गैर-सरकारी संस्थाओं पर था।

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में बुनियादी स्कूलों का क्या अनुपात रहा, इसे नीचे की सारणी में दिखाया गया है:-

सारणी CXXIX—अवर और उच्च बुनियादी स्कूलों का अनुपात

वर्ष	अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में अवर बुनियादी स्कूलों का प्रतिशत	उच्च बुनियादी स्कूलों की संख्या	मिडिल स्कूलों की संख्या	मिडिल स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में उच्च बुनियादी स्कूलों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1953-54	34,940	2,39,382	14.6	865	16,252	5.3
1954-55	37,394	2,63,626	14.2	1,120	17,318	6.5
1955-56	42,971	2,78,135	15.4	4,842	12,730	22.3
1956-57	46,881	2,87,298	16.3	6,897	24,486	28.1
1957-58	52,039	2,98,247	17.4	7,819	27,015	28.9
1958-59	57,069	3,01,564	18.9	12,739	39,597	32.2

यद्यपि बुनियादी शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, फिर भी अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत भी नहीं थी; और अवर बुनियादी स्कूल, मिडिल स्कूलों की कुल संख्या को देखते हुए केवल एक तिहाई थे। ये तथ्य इस बात का निर्देश करते हैं कि इस क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र करने के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है।

अब हम बुनियादी स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों के बारे में विचार करेंगे। नीचे की सारणी से पता चलता है कि इन पांच वर्षों में अवर बुनियादी स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या में लगभग 24 लाख (या 80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा उच्च बुनियादी स्कूलों के छात्रों की कुल संख्या में लगभग 26 लाख या 1,530 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस अवधि में अवर बुनियादी स्कूलों में लड़कियों की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई और इस प्रकार भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या में उनका अनुपात भी 16.9 प्रतिशत से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, अवर बुनियादी स्कूलों में लड़कियों का अनुपात 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 27.4 प्रतिशत हो गया।

सारणी CXXXI—बुनियादी स्कूलों पर किया गया व्यय (1953—59)

वर्ष	कुल व्यय (करोड़ रुपये)	विविध आयस्रोतों से किया गया व्यय				प्राथमिक/ मिडिल स्कूलों पर किए गए व्यय की तुलना में बुनियादी स्कूलों पर किए गए व्यय का प्रतिशत
		सरकारी निधियों से	स्थानीय मंडलों के निधियों से	फ्रीम से	ग्रन्थ आय- स्रोतों से	
1	2	3	4	5	6	7
अवर बुनियादी स्कूल						
1953-54	6.04	70.9	23.0	5.0	1.1	13.1
1954-55	6.50	71.1	22.8	4.8	1.3	12.8
1955-56	8.11	74.0	21.0	3.8	1.2	15.1
1956-57	9.11	75.7	20.1	3.1	1.9	15.6
1957-58	10.85	78.9	18.4	0.8	1.9	16.3
1958-59	12.50	79.0	18.7	0.3	2.0	19.7
उच्च बुनियादी स्कूल						
1953-54	0.64	85.0	6.3	1.5	6.3	6.1
1954-55	0.80	86.3	7.5	1.2	5.0	7.0
1955-56	4.06	80.5	13.3	2.5	3.7	26.3
1956-57	5.09	83.5	11.4	2.1	3.0	29.7
1957-58	6.26	82.9	12.6	2.0	2.5	30.1
1958-59	10.27	75.4	11.7	8.7	4.2	32.3

बुनियादी स्कूलों की संख्या में वृद्धि होने से तथा इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ जाने से अध्यापकों की संख्या में भी क्रांती वृद्धि हुई। इसे नीचे दिखाया गया है :—

सारणी CXXXII—बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1953—59)

वर्ष	अवर बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या			उच्च बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या		
	कुल अध्यापक	प्रशिक्षित अध्यापक	अध्यापकों की कुल संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	कुल अध्यापक	प्रशिक्षित अध्यापक	अध्यापकों की कुल संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1953-54	88,335	67,559	76.5	7,135	6,524	91.4
1954-55	93,378	74,525	79.8	8,803	7,734	87.9
1955-56	1,11,347	87,061	78.2	39,672	31,624	79.7
1956-57	1,19,366	93,400	78.2	52,552	38,684	73.6
1957-58	1,34,927	1,05,704	78.3	57,846	43,869	75.8
1958-59	1,48,361	1,15,181	77.6	87,437	66,087	75.6

इससे नीचे लिखी दिलचस्प बातें सामने आती हैं:—

(1) अवर बुनियादी स्कूलों के प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में निरन्तर घटाबट्टी होती रही है। इनकी संख्या 76 और 80 प्रतिशत के बीच रही। तुलनात्मक दृष्टि से, अवर-बुनियादी प्राथमिक स्कूलों की अपेक्षा अवर बुनियादी स्कूलों के अध्यापक-वर्ग में प्रशिक्षित अध्यापक अधिक थे।

(2) उच्च बुनियादी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के अनुपात में कमी हो रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारी संख्या में मिडिल स्कूल बुनियादी ढंग के स्कूलों में बदल दिये गए हैं। मिडिल स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षित अध्यापकों की अपेक्षा अधिक थी। फिर भी उच्च बुनियादी स्कूलों की स्थिति मिडिल स्कूलों की अपेक्षा अधिक अच्छी रही।

हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा

हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की ऊंची कक्षाओं में तथा कुछ इंटरमीडिएट कालेजों में उस स्तर की शिक्षा दी जाती है। चूंकि इस प्रकार की शिक्षा देने वाले कालेजों की संख्या आलम नहीं है, इसलिए नीचे की सारणी में केवल हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बारे में ही जानकारी दी गई है।

सारणी CXXXIII—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या (1953—59)

वर्ष	हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या			विभिन्न प्रबंध-संख्याओं के अनुसार स्कूलों की प्रतिशत संख्या		
	कुल संख्या	लड़कियों के स्कूलों की संख्या	लड़कियों के स्कूलों का प्रतिशत	सरकारी स्कूल	स्थानीय मंडलों के स्कूल	गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूल
1	2	3	4	5	6	7
1953-54	9,519	1,377	14.5	14.2	12.8	73.0
1954-55	10,200	1,501	14.7	14.6	12.8	72.6
1955-56	10,888	1,583	14.6	14.9	12.9	72.2
1956-57	11,805	1,758	14.9	15.3	13.0	71.7
1957-58	12,639	1,889	15.0	19.0	10.1	70.9
1958-59	14,326	2,103	14.7	19.5	10.0	70.5

इन पांच वर्षों में स्कूलों की संख्या में लगभग पांच हजार की वृद्धि हुई। इसमें लगभग चार हजार की वृद्धि लड़कियों के स्कूलों की संख्या में हुई। पहले की तरह लड़कियों के स्कूलों की संख्या 14 से 15 प्रतिशत तक ही रही। इसलिए इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि लड़कियों के स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाएं ताकि प्राथमिक स्कूलों को काफ़ी संख्या में अध्यापिकाएं मिल सकें।

माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध अधिकतर गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। औसतन हर बस स्कूलों में से सात स्कूल गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा, दो सरकार द्वारा और एक स्थानीय मंडलों द्वारा चलाए जा रहे थे। किन्तु सरकार अधिक संख्या में स्कूलों को अपने प्रबंध में ले लेती है।

स्कूलों की संख्या में वृद्धि होने तथा शिक्षा प्राप्त करने की सामान्य इच्छा के कारण हाई-स्कूलों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक था। पांच वर्षों में ऐसे छात्रों की संख्या में लगभग 9 लाख की वृद्धि हुई। यद्यपि इन पांच वर्षों में लड़कियों की संख्या प्रायः दुगुनी हो गई, किन्तु छात्रों की कुल संख्या को देखते हुए उनका अनुपात केवल 2.2 प्रतिशत ही बढ़ा अर्थात् 15.6 से बढ़कर 17.8 प्रतिशत हुआ। नीचे की सारणी में इसका अधिक विवरण दिया गया है :—

सारणी CXXXIV—हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या (1953—59)

वर्ष	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	कुल संख्या में लड़कियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
(लाखों में)				
1953-54	14.87	2.74	17.61	15.6
1954-55	16.02	3.06	19.08	16.0
1955-56	16.56	3.47	20.03	17.3
1956-57	18.73	3.82	22.55	16.9
1957-58	19.84	4.29	24.13	17.8
1958-59	22.15	4.81	26.96	17.8

9 वीं से 11 वीं तक की कक्षाओं में भर्ती की प्रगति नीचे की सारणी में दिखाई गई है। 14 वर्ष से 17 वर्ष की उमर के लड़कों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत लड़के इन कक्षाओं में पढ़ रहे थे, सारणी में इसकी और संकेत किया गया है। सारणी से पता चलता है कि कुल वृद्धि लगभग 9 लाख (7 लाख लड़के और 2 लाख लड़कियाँ) है। 14 से 17 वर्ष की उमर के लड़कों की कुल संख्या में, 9 वीं से 11 वीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का प्रतिशत 6.7 से बढ़ कर 9.7 हो गया। इसका अर्थ यह है कि वृद्धि वार्षिक दर $1/2$ प्रतिशत रही।

सारणी CXXXV -- नवीं से दसवीं/ग्यारहवीं तक की कक्षाओं में भर्ती
(1953—59)

वर्ष	9 वीं से 11 वीं तक की कक्षाओं में भर्ती			14 से 16/17 वर्ष की उमर के लड़कों की कुल संख्या में 9 वीं से 11 वीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
			(लाखों में)			
1953-54	13.57	2.38	15.95	11.0	2.1	6.7
1954-55	14.26	2.73	16.99	11.4	2.3	7.0
1955-56	15.39	3.18	18.57	12.2	2.7	7.4
1956-57	16.63	3.44	20.07	14.6	3.0	9.1
1957-58	17.93	3.90	21.83	14.7	3.4	9.2
1958-59	19.36	4.23	23.59	15.7	3.5	9.7

हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की कुल संख्या में 1953-54 से 1958-59 तक की अवधि में 80,000 से अधिक की वृद्धि हुई। इस संख्या में अध्यापिकाओं की वृद्धि की संख्या लगभग 21,000 थी। इसमें अध्यापिकाओं की कुल संख्या में यद्यपि 74 प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु इसमें उनका अनुपात केवल 3 प्रतिशत ही बढ़ा। यह अनुपात 17.1 प्रतिशत से बढ़ कर 20.1 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों की स्थिति में भी सुधार हुआ। उनकी संख्या 57.1 प्रतिशत से बढ़ कर 63.2 प्रतिशत हो गई। अधिक विस्तृत विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है।

सारणी CXXXVI—हाई स्कूलों उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक
(1953—59)

वर्ष	अध्यापकों की कुल संख्या	अध्यापिकाओं की संख्या	अध्यापिकाओं का प्रतिशत	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	अध्यापकों की कुल संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
1953-54	1,65,117	28,300	17.1	1,94,361	57.1
1954-55	1,75,986	31,400	17.8	1,02,201	58.1
1955-56	1,89,794	35,085	18.5	1,13,338	59.1
1956-57	2,05,617	39,146	19.0	1,25,845	61.2
1957-58	2,21,695	43,203	19.5	1,39,175	62.8
1958-59	2,45,555	49,277	20.1	1,55,288	63.2

हाई स्कूलों/उच्चतर, माध्यमिक स्कूलों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय का व्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कालेजों से संलग्न माध्यमिक कक्षाओं पर किए गए व्यय के आकड़े इसमें शामिल नहीं हैं किन्तु हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मिडिल और प्राथमिक विभागों के व्यय के आकड़े इसमें शामिल हैं।

सारणी CXXXVII—आयस्रोतों के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किया गया व्यय (1953—59)

वर्ष	कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	विभिन्न आय स्रोतों से पूरे किए गए व्यय का प्रतिशत			
		सरकारी निधियों से	स्थानीय मंडलों की निधियों से	फीस से	अन्य आय- स्रोतों से
1	2	3	4	5	6
1953-54	31.64	35.6	3.7	50.9	9.8
1954-55	34.07	37.4	3.8	49.2	9.6
1955-56	37.62	39.9	4.2	46.7	9.2
1956-57	41.59	42.0	4.1	44.1	9.8
1957-58	46.47	44.4	4.5	41.5	9.6
1958-59	52.51	45.9	3.8	41.1	9.2

स्पष्ट है कि (i) इन पांच वर्षों में कुल प्रत्यक्ष व्यय में 21 करोड़ रुपये या 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, (ii) 1958-59 में इन स्कूलों पर होने वाले व्यय की लगभग आधी राशि सरकारी और स्थानीय मंडलों की निधियों से प्राप्त हुई। शेष राशि फीस और अन्य आयस्रोतों से प्राप्त हुई, जिसमें फीस से प्राप्त रकम 4/5 के बराबर थी; (iii) सरकारी अंशदान वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जब कि फीस से प्राप्त राशि प्रति वर्ष कम होती गई है। स्थानीय मंडलों और अन्य आयस्रोतों के अंशदान में मामूली घट-बढ़ हुई।

अन्य सभी स्कूलों के समान ही, हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी सब से अधिक प्रत्यक्ष व्यय अध्यापकों के वेतन पर हुआ। उसका तथा हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल के अध्यापक के औसत वेतन का निर्देश नीचे की सारणी में किया गया है :—

सारणी CXXXVIII—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन (1953—59)

वर्ष	हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर किया गया कुल व्यय	अध्यापकों के वेतन पर किया गया व्यय	अध्यापकों के वेतन पर किए गए व्यय का प्रतिशत	प्रति अध्यापक प्रतिशत वार्षिक वेतन
	(करोड़ रुपए)			
1953-54	31.64	22.93	72.47	1,389
1954-55	34.07	24.33	71.43	1,383
1955-56	37.62	27.08	72.00	1,427
1956-57	41.59	29.01	71.44	1,411
1957-58	46.47	33.31	71.68	1,503
1958-59	52.51	37.93	72.23	1,545

औसत वेतन में वृद्धि अध्यापकों की दशा को संपन्न बनाने की दिशा में एक उत्साह-वर्धक कदम है। परन्तु यह कहना कठिन है कि रहन-सहन के बढ़ते हुए खर्च के कारण इस वृद्धि से अध्यापकों को कितना लाभ हो सका है।

मैट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं के परिक्षाफल नीचे की सारणी में दिए गए हैं:—

सारणी CXXXIX—मैट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षाफल (1953—59)

वर्ष	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	उत्तीर्ण होने वालों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	खाना (3) में दिखाई गई उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या	मैट्रिक पास छात्रों की संख्या में लड़कियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1953-54	8,18,620	3,97,005	48.5	59,888	15.1
1954-55	8,30,001	4,00,014	48.2	65,481	16.4
1955-56	9,20,016	4,29,494	46.7	72,328	16.8
1956-57	10,12,309	4,66,764	46.1	83,046	17.8
1957-58	10,79,966	5,21,552	48.3	91,179	17.5
1958-59	11,75,706	5,30,136	45.1	92,818	17.5

मैट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या में 34.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके विपरीत इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में केवल 25.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। फलतः इन पांच वर्षों में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 48.5 से घट कर

45.1 प्रतिशत रह गया। इनकी व्यापक संख्या में छात्रों की असफलता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिये आवश्यक उपाय तात्काल किए जाएं।

उच्चतर शिक्षा

साविधिक विश्वविद्यालयों और उनसे संलग्न कालेजों तथा उच्चतर शिक्षा की ऐसी अन्य संस्थाओं का विवरण नीचे दिया गया है जो इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध नहीं हैं।

सारणी CXL—उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं की संख्या (1953—59)

वर्ष	विश्वविद्यालय	अनुसंधान संस्थाएं	कालेज और संस्थाएं		
			सामान्य शिक्षा के लिए	वृत्तिक शिक्षा के लिए	विशिष्ट शिक्षा के लिए
1	2	3	4	5	6
1953-54	30	35	613	253	87
1954-55	31	33	657	291	106
1955-56	32	34	712	346	112
1956-57	33	41	773	399	128
1957-58	38	43	817	489	148
1958-59	40	42	878	542	168

पांच वर्षों की इस अवधि में 10 विश्वविद्यालयों और 7 अनुसंधान संस्थाएं बढ़ीं। उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं और कालेजों में सबसे अधिक वृद्धि वृत्तिक कालेजों की संख्या में हुई। यह वृद्धि 100 प्रतिशत से भी अधिक है। इसके पश्चात् विशिष्ट शिक्षा के कालेजों का स्थान आता है। इनकी संख्या में 100 प्रतिशत थोड़ी ही कम वृद्धि हुई। सामान्य शिक्षा के कालेजों की संख्या में केवल 43 प्रतिशत वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालय स्तर पर कुल छात्र-संख्या (जिसमें विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों की छात्र-संख्या भी शामिल है) नीचे की सारणी में दी गई है:—

सारणी CXXI—विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र-संख्या

वर्ष	सामान्य शिक्षा			वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा			विशिष्ट शिक्षा			अन्य प्रकार की उच्चतर शिक्षा			
	कुल संख्या	लड़कियाँ	कुल संख्या	लड़कियाँ	कुल संख्या	लड़कियाँ	कुल संख्या	लड़कियाँ	कुल संख्या	लड़कियाँ	कुल संख्या	लड़कियाँ	प्रतिशत
1953-54	4.73	0.61	1.21	0.07	0.09	0.02	6.03	0.70	11.7				
1954-55	5.29	0.72	1.35	0.09	0.11	0.03	6.75	0.84	12.4				
1955-56	5.75	0.84	1.49	0.09	0.12	0.03	7.36	0.96	13.1				
1956-57	6.25	0.96	1.62	0.11	0.14	0.04	8.01	1.11	13.9				
1957-58	6.62	1.07	1.82	0.14	0.18	0.04	8.62	1.25	14.5				
1958-59	7.35	1.25	2.02	0.16	0.21	0.06	9.58	1.47	15.3				

सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में कुल छात्र-संख्या में 3.55 लाख की वृद्धि हुई। सामान्य शिक्षा में यह वृद्धि 2.62 लाख, वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा में 0.81 लाख और विशिष्ट शिक्षा 0.12 लाख रही। इन पांच वर्षों की अवधि में छात्र-संख्या में 58.7 प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु लड़कियों की संख्या में वृद्धि सौ प्रतिशत से भी अधिक रही। इस वृद्धि के फलस्वरूप लड़कियों की संख्या 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गयी। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर छात्रों की संख्या का विवरण नीचे दिया जाता है :—

सारणी CXLII—सामान्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्र-संख्या
(1953—59)

वर्ष	कुल संख्या	इंटरमीडिएट		डिग्री		स्नातकोत्तर और अनुसंधान	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1953-54	4.73	3.28 (लाखों में)	69.3	1.22 (लाखों में)	25.8	0.23	4.9
1954-55	5.30	3.71	70.0	1.34	25.3	0.25	4.7
1955-56	5.75	3.96	68.9	1.51	26.2	0.28	4.9
1956-57	6.25	4.26	68.1	1.68	26.9	0.31	5.0
1957-58	6.62	4.39	66.3	1.89	28.6	0.34	5.1
1958-59	7.35	4.87	66.3	2.08	28.3	0.40	5.4

ऊपर के आंकड़ों से यह पता चलता है कि सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले हर सौ विद्यार्थियों में से 66 विद्यार्थी इंटरमीडिएट स्तर पर, 28 विद्यार्थी डिग्री स्तर पर और शेष स्नातकोत्तर और अनुसंधान के स्तर पर थे। 1957-58 से इंटरमीडिएट स्तर पर छात्रों की प्रतिशत संख्या में जो कमी हुई उसका कारण तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम का धीरे-धीरे जारी किया जाना है।

वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का विषयवार विभाजन नीचे दिखाया जाना है :—

सारणी CXLIII—कालेज स्तर पर वृत्तिक विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या (1953—59)

वर्ष	कृषि	वाणिज्य	शिक्षा	इंजिनियरी और तकनीकी शिक्षा	विधि	श्रायुविज्ञान	अन्य	जोड़
1953-54	4,496	47,813	8,848	16,801	19,517	20,893	2,737	1,21,105
1954-55	4,827	52,960	11,547	18,834	19,651	23,488	3,490	1,34,797
1955-56	5,877	58,918	14,280	19,858	20,268	25,072	4,721	1,48,994
1956-57	7,051	61,303	17,261	21,905	20,817	27,289	5,838	1,61,464
1957-58	9,304	63,206	22,051	28,391	22,598	30,317	6,286	1,82,153
1958-59	10,871	66,582	24,422	35,255	24,055	32,950	7,554	2,01,689

पाठ्यक्रम भिन्न-भिन्न अवधि में होने के कारण विषयों की आपस में तुलना संभव नहीं है। 'अन्य विषयों' को छोड़कर, गेप विषयों में संख्या और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि (176 प्रतिशत) 'शिक्षा' के विषय में हुई। इसके बाद क्रमशः कृषि (142 प्रतिशत) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी (110 प्रतिशत), आधुनिक विज्ञान (58 प्रतिशत) वाणिज्य (39 प्रतिशत) और विधि (23 प्रतिशत) का स्थान है।

उच्चतर शिक्षा पर व्यय

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर हुए व्यय का अनुमान नीचे की सारणी से लग सकता है:—

सारणी CXLIV—उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर व्यय (1953—59)

वर्ष	विश्व- विद्यालय	शिक्षा मंडल	अनुसंधान संस्थाएं	सामान्य शिक्षा के कालेज	वृत्तिक शिक्षा के कालेज	विशिष्ट शिक्षा के कालेज	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1953-54	6.55	1.15	1.21	9.58	5.61	0.27	24.37
1954-55	7.42	1.23	1.30	10.56	6.31	0.34	27.16
1955-56	7.98	1.32	1.39	11.65	7.00	0.36	29.70
1956-57	9.20	1.50	1.75	12.82	7.79	0.49	33.55
1957-58	9.80	1.76	2.94	14.12	8.84	0.62	38.08
1958-59	11.56	2.05	2.53	15.84	11.19	0.70	43.87

सभी संस्थाओं पर किए गए व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई, जो स्वाभाविक ही है। इन पांच वर्षों की अवधि में, कुल व्यय में 19.50 करोड़ का या लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई। संख्या की दृष्टि से, सबसे अधिक वृद्धि सामान्य शिक्षा के कालेजों पर किये गए व्यय में हुई। इस व्यय में 626 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। किन्तु प्रतिशत की दृष्टि से पहले की तरह विशिष्ट शिक्षा के कालेजों का (259 प्रतिशत) में ही सब से अधिक वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालयों और कालेजों पर होने वाला कुल व्यय विभिन्न स्रोतों से किस प्रकार प्राप्त होता है इसे नीचे की सारणी में दिखाया गया है। प्रत्येक स्रोत में प्राप्त होने वाली राशि में थोड़ी से अल-वक्त होती रही है। सरकारी प्रशदान में थोड़ी सी बढ़ि हुई तथा फीस और अन्य आयस्रोतों के प्रशदान में कमी हुई।

सारणी CXLV - आयस्रोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों पर किया गया व्यय (1953-59)

वर्ष	कुल व्यय (वगैरह रूपों में)	विभिन्न स्रोतों से किये गये व्यय का प्रतिशत			
		सरकारी निधियों से	स्थानीय मंडलों की निधियों से	फीस में	अन्य आय- स्रोतों से
1953-54	23.22	48.7	0.2	38.8	12.3
1954-55	25.93	49.4	0.2	38.6	11.8
1955-56	28.38	47.6	0.3	39.4	12.7
1956-57	32.05	48.7	0.3	38.4	12.6
1957-58	36.32	51.0	0.3	38.1	10.6
1958-59	41.82	51.6	0.3	35.9	12.2

परीक्षाफल:—कुछ पहली डिग्री परीक्षाओं के परीक्षाफल नीचे दिए जाते हैं:—

सारणी CXLVI—परीक्षा फल (1953—59)

वर्ष	बी० ए०, बी० एससी०	वृत्तिक विषय (केवल पहली डिग्री)					
		कृषि	वाणिज्य	शिक्षा	इंजीनियरी और औद्योगिकी	विधि	आयुर्विज्ञान
1953-54	50,178	943	7,231	6,174	3,464	6,581	3,131
1954-55	57,149	928	7,787	8,774	3,569	5,970	3,626
1955-56	53,989	882	8,504	10,364	4,316	5,584	3,307
1956-57	64,517	1,176	10,316	12,592	4,484	5,666	3,570
1957-58	73,179	1,798	11,878	14,363	4,854	5,856	4,014
1958-59	75,662	1,900	12,751	15,208	4,860	6,458	3,666

कला और विज्ञान के विषयों में स्नातकों की संख्या सबसे अधिक वृत्तिक थी विषयों में शिक्षा (अध्यापकों के प्रशिक्षण) की स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या सबसे अधिक रही। इसके बाद वाणिज्य का स्थान आता है। सन् 1953-54 की तुलना में, विधि को छोड़कर, अन्य सभी विषयों में स्नातकों की संख्या बढ़ती रही। विधि में यह संख्या 6,581 से घटकर 6,458 रह गई।

व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की संख्या

कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की इन पाच वर्षों की प्रगति का-व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

सारणी CXLVII—व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की संख्या
(1953—59)

वर्ष	कृषि	वाणिज्य	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	आयुर्विज्ञान	अध्यापक प्रशिक्षण	प्रौढ़ों के स्कूल	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1953-54	38	765	122	75	808	39,965	4,968
1954-55	44	830	144	77	860	43,223	5,108
1955-56	77	898	158	82	930	46,091	5,825
1956-57	94	829	179	109	916	44,058	5,908
1957-58	105	877	226	115	901	45,961	6,197
1958-59	102	966	951*	124	974	47,586	4,560

विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों की संख्या में 1953-54 से 1958-59 तक की अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। इसी अवधि में, इंजीनियरी और तकनीकी स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जो सौ प्रतिशत से भी अधिक है। इसके बाद कृषि स्कूलों का स्थान आता है। 1953-59 में इनकी संख्या में थोड़ी कमी अवश्य हुई परन्तु इस अवधि में इन स्कूलों की संख्या लगभग तिगुनी हो गई है।

* इनमें प्रौद्योगिक स्कूलों की संख्या भी शामिल है।

विभिन्न प्रकार के स्कूलों में छात्र-संख्या का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :—

सारणी CXLVIII—व्यावसायिक और विशिष्ट स्कूलों में छात्र-संख्या (1953—59)

वर्ष	कृषि	वाणिज्य	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	आयुर्विज्ञान	अध्यापक प्रशिक्षण	प्रौढ़ शिक्षा	अन्य
1953-54	2,205	62,168	22,904	4,544	73,435	9,48,847	2,17,070
1954-55	3,000	72,510	28,111	5,089	76,706	11,11,405	2,32,311
1955-56	5,129	79,223	35,611	5,142	83,467	12,78,827	2,62,944
1956-57	6,116	79,889	41,938	6,569	83,218	12,04,985	2,77,318
1957-58	8,184	84,666	51,405	7,457	77,342	12,06,630	2,90,314
1958-59	7,411	98,754	1,11,921*	10,688	89,514	12,57,760	2,04,777

*इस में लक्षोग भी शामिल है।

इन सभी विषयों में इन पांच वर्षों की अवधि में सबसे अधिक छात्रों ने इंजीनियरी और तकनीकी [388.7 प्रतिगन] दार्जिलिंग विद्यालय में प्रवेश किया। इस प्रकार कृषि [2436 प्रतिशत] का स्थान आता है। अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों की छात्र-संख्या 22 प्रतिगन बढ़ी है।